Chhattisgarh Co-operative Societies Rules, 1962

Rules Page

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and extent 184
2. Definitions 184

CHAPTER II

REGISTRATION

3. Categories of Officers to assist the Registrar 185
4. Application for Registration 186
5. Procedure on receipt of application 186
6. Matters in respect of which bye-laws of a society may be made 186
7. Procedure regarding amendment of bye-laws 189
8. Manner of serving the order under sub-section (1) of Section 12 . 189
9. Procedure to be followed and conditions to be observed for change of name of society 189
10. Procedure to be followed and conditions to be observed for change of liability 190
11. Re-organisation of societies 190
12. Compromise or arrangement for repayment of liabilities 192
12-A. 192

CHAPTER III

MEMBERS, THEIR RIGHTS, LIABILITIES AND PRIVILEGES

13. Form of undertaking 192
14. Conditions to be complied with for admission far membership . 192
14-A. Procedure for admission of minors as members 193
15. [***] 193
16. Admission of members or transfer of shares before annual general meeting 193
17. Withdrawal of a member and refund of share 193
17-A. Adjustment of share towards payment of debt etc. 194
18. [***] 194

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962

नियम पृष्ठ

पहला अध्याय

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम एवं विस्तार 184
2. परिभाषाएँ 184

दूसरा अध्याय

पंजीयन

3. पंजीयक की सहायता हेतु अधिकारियों की नियुक्ति 185
4. पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र 186
5. आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर कार्यवाही की विधि 186
6. विषय, जिनके संबंध में सोसाइटी की उपविधियाँ बनाई जा सकेंगी 186
7. उपविधियों के संशोधन की प्रक्रिया 189
8. धारा 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत आदेश तामील करने की विधि 189
9. सोसाइटी के नाम में परिवर्तन करने हेतु पालन की जाने वाली शर्तें तथा अपनाई जाने वाली विधि 189
10. दायित्व में परिवर्तन एवं अपनाई जाने वाली प्रक्रिया 190
11. सोसाइटियों का पुनर्गठन 190
12. दायित्वों के प्रतिसंदाय के लिये समझौता या व्यवस्था 192
12-क. 192

तीसरा अध्याय

सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व तथा विशेषाधिकार

13. लिखित वचन का प्रारुप 192
14. सदस्यों के प्रवेश हेतु पालन की जाने वाली शर्तें 192
14-क. अवयस्कों को सदस्य के रूप में प्रवेश देने की प्रक्रिया 193
15. [***] 193
16. वार्षिक साधारण सभा के पहले सदस्यों का प्रवेश या अंशों का अन्तरण ... 193
17. सदस्य को हटाना व अंश का प्रतिदाय 193
17-क. ऋण आदि के भुगतान लेखे अंश का समायोजन 194
18. [***] 194

Rules Page

19. Nomination of an heir 194
20. Procedure for ascertaining the value of share or interest of a member 195
21. Inspection of documents in the office of the Registrar 195

CHAPTER IV

DUTIES, PRIVILEGES, PROPERTY AND FUNDS OF SOCIETIES

22. Address of societies 196
23. Registers of members and shares, and list of members 196
23-A. Voting rights of individual members in federal society 200
24. Manner of certifying copies 201
24-A. Supply of statement of account to members 201
25. Restrictions on grant of loan 202
25-A. Intimation of loan etc. to be given to Tahsildar 202
26. Restrictions on borrowing from more than one society dispensing credit 202
26-A. Borrowing by a member on entire holding in a district 203
27. Fixation of credit limit of a member 203
28. Writing off bad debts 203
29. Restrictions on transactions with non-members 204
30. Rate of contribution 204
31. Investment and use of funds other than reserve fund 204
32. State aid to societies 205
33. Employee's Provident Fund 207

CHAPTER V

MANAGEMENT OF SOCIETIES

34. General Meetings 208
35. Special general meeting called by the Registrar, or any person authorised by him 209
36. President of general meeting 209
37. Quorum for general meeting 210
38. Minutes of general meeting 210
39. Voting in general meeting 210
40. Election of members of committee by general body 211
41. Procedure for election of members of the committee 212
42. [***] 220
43. Appointment of committee 220

नियम पृष्ठ

19. उत्तराधिकारी का नामनिर्देशन 194
20. सदस्य के अंश या हित का मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया 195
21. रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण 195

अध्याय चार

सोसाइटियों के कर्तव्य, विशेषाधिकार, सम्पत्ति तथा निधियां

22. सोसाइटियों का पता 196
23. सदस्यों और अंशों का रजिस्टर एवं सदस्यों की सूची 196
23-क. संघीय सोसाइटी में व्यष्टिक सदस्यों के मतदान के अधिकार 200
24. प्रतिलिपियाँ प्रमाणित करने की रीति 201
24-क. सदस्यों को लेखा विवरण का प्रदाय 201
25. ऋण प्रदान किये जाने पर प्रतिबंध 202
25-क. उधार आदि की प्रज्ञापना तहसीलदार को दी जाना 202
26. एक से अधिक संस्था से ऋण लेने पर प्रतिबंध 202
26-क. किसी सदस्य द्वारा एक ही जिले में की सम्पूर्ण जोत पर उधार लिया जाना 203
27. सदस्य की ऋण सीमा का नियत किया जाना 203
28. डूबन्त ऋणों को बट्टे खाते डालना 203
29. असदस्यों से व्यवहार करने पर प्रतिबंध 204
30. अंशदान की दर 204
31. रक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य निधियों का विनियोग एवं उपयोग 204
32. सोसाइटियों को राज्य की सहायता 205
33. कर्मचारियों की भविष्य निधि 207

अध्याय पांच

संस्थाओं का प्रबंध

34. साधारण सम्मिलन 208
35. पंजीयक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा आहुत विशेष साधारण सम्मिलन 209
36. साधारण सम्मिलन का अध्यक्ष 209
37. साधारण सम्मिलन के लिये गणपूर्ति 210
38. साधारण सम्मिलन के कार्यवृत्त 210
39. साधारण सम्मिलन में मतदान 210
40. साधारण निकाय द्वारा कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन 211
41. समिति के सदस्यों के लिये निर्वाचन प्रक्रिया 212
42. [***] 220
43. कमेटी की नियुक्ति 220

Rules Page
43-A. Removal of the Chairman, or office bearers of the committee . 222
43-B. [***] 223
44. Disqualification for membership of committee 223
45. Disqualification for representation 224
46. Prohibition against being interested in contracts, etc. 225
47. Restrictions on persons appearing as legal practitioners 226
48. Notice of meeting of the committee 226
49. State Government nominees 226
49-A. Powers and duties of the Chief Executive Officer of State aided society 226
49-B. Procedure of appointment of Managing Director and Chief Executive Officer 227

CHAPTER VI

AUDIT, INQUIRY, INSPECTION AND SUPERVISION

50. Procedure for conducting audit 228
50-A. Levy of audit fees 230
50-B. Procedure for conducting the audit by qualified Chartered Accountant 230
51. Publication of a balance sheet 231

CHAPTER VII

DISPUTES AND ARBITRATION

52. Reference of a dispute 231
53. Appointment of Registrar's nominee or board of nominees .. 231
54. Levy of expenses for determining disputes 231
55. Procedure for execution of decisions or awards 232
56. Procedure for the custody of property attached under Section 68 232

CHAPTER VIII

LIQUIDATION

57. Procedure to be adopted by liquidator 233
58. Disposal of records of society whose registration is cancelled . 235
58-A. Procedure to be adopted by Official Assignee 236

नियम पृष्ठ
43-क. समिति के अध्यक्ष या पदाधिकारियों का हटाया जाना 222
43-ख. [* * *] 223
44. कमेटी की सदस्यता के लिये निरर्हता 223
45. प्रतिनिधित्व के लिये अयोग्यता 224
46. अनुबंध आदि में हित रखने पर निषेध 225
47. विधि व्यवसायी के रूप में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध 226
48. कमेटी की सभा की सूचना 226
49. राज्य शासन के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति 226
49-क. राज्य सहायता प्राप्त सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य 226
49-ख. प्रबंध संचालक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया .. 227

अध्याय छः

आडिट, जाँच, निरीक्षण और पर्यवेक्षण

50. लेखा परीक्षण करने की विधि 228
50-क. अंकेक्षण शुल्क की उगाही 230
50-ख. अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षण करवाने हेतु प्रक्रिया 230
51. चिट्ठे का प्रकाशन 231

अध्याय सात

विवाद तथा पंच निर्णय

52. विवाद का निर्देश 231
53. पंजीयक के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के मंडल की नियुक्ति 231
54. विवादों के निर्णय करने हेतु व्यय का आरोपण 231
55. निर्णयों अथवा पंच निर्णयों की निष्पादन विधि 232
56. धारा 68 के अंतर्गत अधिहरण की गई सम्पत्ति की अभिरक्षण विधि 232

आठवाँ अध्याय

परिसमापन

57. परिसमापक द्वारा अपनाई जाने वाली रीति 233
58. सोसाइटी जिसका पंजीयन निरस्त किया गया हो, उसके अभिलेखों का निराकरण 235
58-क. शासकीय समुनुदेशिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया 236

Rules Page

CHAPTER IX

APPEALS, REVISIONS AND REVIEW

59. Procedure to be followed for presenting of appeals, revisions and review 236
59-A. Salary and other allowances, term and other conditions of service of the Chairman and Members of the Chhattisgarh State Co-operative Tribunal 237
60. Procedure to be followed in disposing of appeals by the Registrar 241
61. Appeal against rejection of an application for membership ... 241

CHAPTER X

EXECUTION OF DECREES

62. Application for execution to Recovery Officer 242
63. Procedure in execution 242
64. Attachment and sale of specific movable property including crops on land 243
65. Attachment of other movable property 246
66. Attachment and sale of immovable property 249
66-A. Attachment and lease of immovable property 255
66-B. No permanent right to leaseholder 263
66-C. Procedure for reversion of the land to the judgment-debtor .. 263
67. Effect of attachment on private alienation 264
68. Bhatta, costs and receipts for payments made 264
68-A. Bhatta, costs and receipts for payments made for lease 265
69. Investigation of claims to property attached 265
69-A. Investigation of claims to property attached for transfer by lease 266
70. Loss caused by resale due to default by purchaser at first sale . 266
70-A. Loss caused by release due to default of losses at first transfer by lease 266
71. Dismissal of application for execution for default of decree-holder 262
72. Distribution of assets when there are claims under several decrees 262
73. Death of judgment-debtor – Execution against legal representative 262
74. Fees for processes issued under these rules 268

नियम पृष्ठ

नवां अध्याय

अपीलें, पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन

59. अपील, पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन प्रस्तुत करने के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया 236
59-क. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा अन्य भत्ते, सेवा के निबंधन तथा अन्य शर्तें 237
60. रजिस्ट्रार द्वारा अपील को निपटाने के लिए अनुसरित विधि 241
61. सदस्यता के लिए आवेदन अस्वीकृत किये जाने के विरुद्ध अपील 241

अध्याय दस

जयपत्रों का निष्पादन

62. निष्पादन हेतु वसूली अधिकारी को आवेदन-पत्र 242
63. निष्पादन की प्रक्रिया 242
64. जमीनी फसलों सहित विशिष्ट जंगम संपत्ति की जप्ती और विक्रय 243
65. अन्य जंगम सम्पत्ति की जप्ती 246
66. स्थावर संपत्ति की जप्ती एवं विक्रय 249
66-क. स्थावर सम्पत्ति की कुर्की तथा उसे पट्टे पर दिया जाना 255
66-ख. पट्टेदार को स्थाई अधिकार नहीं होगा 263
66-ग. निर्णीत ऋणी को भूमि के प्रत्यावर्तन संबंधी प्रक्रिया 263
67. आपसी अन्तरण पर जप्ती का प्रभाव 264
68. भत्ता, व्यय तथा भुगतान की पावतियाँ 264
68-क. पट्टे के लिए किये गये व्यय तथा भुगतान की पावतियाँ 265
69. जप्त की गई सम्पत्ति पर दावों की जांच 265
69-क. पट्टे पर अन्तरित करने हेतु कुर्क की गई सम्पत्ति के दावों की जांच 266
70. प्रथम विक्रय में क्रेता द्वारा की गई त्रुटि के कारण पुनः विक्रय में होने वाली हानि 266
70-क. प्रथम पट्टे पर अन्तरण में पट्टेदार द्वारा की गई त्रुटि के कारण मुक्ति द्वारा हुई हानि 266
71. डिक्रीधारी की त्रुटि के कारण निष्पादन का आवेदन निरस्त करना 267
72. सम्पत्ति का वितरण जबकि अनेक जयपत्रों के अधीन मांग की गई हो ... 267
73. निर्णीत ऋणी की मृत्यु-वैध प्रतिनिधि के विरुद्ध निष्पादन 267
74. इन नियमों के अधीन जारी आदेशिकाओं के शुल्क 268

Rules Page

CHAPTER XI

MISCELLANEOUS

75. Mode of service of summons 268
76. Authentication of notice or process 269
77. Communication of order, decision or award 269
78. Repeal and savings 269

FORM-A : Application for registration of a Society 280
FORM-B 281
FORM-C 281
FORM-D 282
FORM-E 282
FORM-F 283
FORM-FF : Order 284
FORM-G : Form of Nomination 285
FORM-H : Application regarding reference of a dispute ... 286
FORM-I : Form of intimation of loan and advances to be sent to the Tahsildar 287
FORM-J : Form of intimation of Loans and Advances owing to be sent to the Tahsildar 288

नियम पृष्ठ

अध्याय ग्यारह

विविध

75. समन्स तामीली की रीति 268
76. सूचना-पत्र या आदेश-पत्र का प्रमाणीकरण 269
77. आदेश, निर्णय अथवा पंच निर्णय की संसूचना 269
78. निरसन और व्यावृत्ति 269

अनुसूची (क) 270
अनुसूची (ख) 275
प्ररुप क : सोसाइटी के पंजीयन के लिये आवेदन-पत्र 280
प्ररुप ख 281
प्ररुप ग 281
प्ररुप घ 282
प्ररुप ङ 282
प्ररुप च 282
प्ररुप चच : आदेश 284
प्ररुप छ : नियोजन-पत्र 285
प्ररुप ज : विवाद के निर्देश के संबंध में आवेदन-पत्र 286
प्ररुप झ : उधारों तथा अग्रिमों की प्रज्ञापना का तहसीलदार को भेजा जाने वाला प्रारूप 287
प्ररुप ञ : उधारों तथा अग्रिमों की प्रज्ञापना का तहसीलदार को भेजा जाने वाला प्रारूप 288

Chhattisgarh Co-operative Societies Rules, 1962

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title and extent — (1) These rules may be called the **"Chhattisgarh Co-operative Societies Rules, 1962"**.

(2) They extend to the whole of the State of Chhattisgarh.

2. Definitions — in these rules, unless the context otherwise requires—

(a) **"Act"** means the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (17 of 1961);

[1][(b) **"Bonus"** means the payment admissible to an employee under the provisions of the Payment of Bonus Act, 1965 (No. 21 of 1965);]

[2][(c) **"Co-operative Year"** means the year ending on the 31st March every year;]

[3][(cc) **"Certified copy"** means a copy of any entry in the books of the society together with a certificate written at the foot of such copy that it is a true copy of such entry, that such entry is contained in one of the ordinary books of the society and was made in the usual and ordinary course of business and that such book is still in the custody of the society such certificate being dated and subscribed by the officers (mentioned in Rule 24 from (a) to (d) with his name and official title) as defined in the Act;]

[4][(ccc) **"Chairman"** means the Chairman of the Chhattisgarh State Co-operative Tribunal;]

(d) **"Decree"** means any order, decision or award referred to in Section 85;

1. Subs. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.
2. Subs. by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.
3. Ins. by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.
4. Ins. by notification No. F-3135-1157-99-XV-1, dated 14-10-99.

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962

पहला अध्याय
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम एवं विस्तार—(1) ये नियम **''छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962''** के नाम से जाने जायेंगे।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

2. परिभाषाएँ—इन नियमों के अंतर्गत जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न किया गया हो,—

(क) **''अधिनियम''** का अर्थ छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, सन् 1961) से है;

[1][(ख) **''बोनस''** से बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का सं. 21) के उपबंधों के अधीन किसी कर्मचारी को अनुज्ञेय भुगतान अभिप्रेत है;]

[2][(ग) **''सहकारी-वर्ष''** का अर्थ प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से है;]

[3][(गग) **''प्रमाणित प्रति''** से अभिप्रेत है सोसाइटी की पुस्तकों में की किसी भी प्रविष्टि की, ऐसी प्रति से है जिस पर कि यह प्रमाणित किया गया हो कि यह उस प्रविष्टि की सत्य प्रतिलिपि है, जो कि सोसाइटी की सामान्य पुस्तकों में से किसी एक पुस्तक में अन्तर्विष्ट है और उसे कारबार के प्रायिक तथा मामूली अनुक्रम में किया गया था और यह कि वह पुस्तक सोसाइटी की अभिरक्षा में अभी भी है, ऐसा प्रमाण-पत्र अधिनियम के अनुसार परिभाषित अधिकारियों द्वारा (उसके नाम और पदनाम के साथ (क) से (घ) तक नियम 24 में उल्लेखित) दिनांक सहित हस्ताक्षरित किया गया है;]

[4][(गगग) **''अध्यक्ष''** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का अध्यक्ष;]

(घ) **''डिक्री''** का अर्थ धारा 85 में वर्णित किसी आदेश, निर्णय या पंच निर्णय से है;

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा अन्त:स्थापित।
4. अधिसूचना क्र. एफ-3135-1157-99-पन्द्रह-1, दिनांक 14-10-99 द्वारा अन्त:स्थापित।

(e) **"Decree-holder"** means any society or any person (including the State Government) holding a decree;

[1][(f) **"Dividend"** means the amount paid out of the profits of a society to a member in proportion to value of the shares held by him;]

(g) **"Form"** means a form appended to these rules;

[2][(gg) **"Government"** means the Government of Chhattisgarh;]

(h) **"Judgment-debtor"** means any society against which or any person against whom a decree has been obtained;

[2][(hh) **"Member"** means the member of the Chhattisgarh State Co-operative Tribunal;]

(i) **"President"** means the President or Chairman of a society;

(j) **"Recovery Officer"** means any person empowered to exercise the powers of the Registrar under Section 85;

[3][(k) **"Sale Officer"** means a person empowered by the Registrar by general or special order, to attach and sell or attach and transfer the property of judgment-debtors, or to execute any decree by attachment and sale or attachment and transfer of property;]

[4][(kk) **"Schedule"** means a schedule appended to these rules;]

(l) **"Section"** means a Section of the Act;

(m) **"Vice-President"** means the Vice-President or Vice-Chairman of a society;

[2][(n) The words and expressions used in these rules and not defined, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.]

CHAPTER II

REGISTRATION

3. Categories of Officers to assist the Registrar — Subject to the provisions of sub-section (1) of Section 3, the State Government may appoint Audit Officers of Co-operative Societies [5][and senior Co-operative inspectors] to assist the Registrar.

1. Subs. by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.
2. Ins. by notification No. F-3135-1157-99-XV-1, dated 14-10-99.
3. Subs. by notification No. 269-4858-XV-70, dated 13-1-71.
4. Ins. by M.P. Rajpatra Part 4(c), dated 26-7-1963.
5. Ins. by notification dated 11-10-68.

(ङ) "**डिक्रीधारक**" से डिक्री धारण करने वाली कोई भी सोसाइटी या कोई भी व्यक्ति (राज्य सरकार सहित) अभिप्रेत है;

[1][(च) "**लाभांश**" से अभिप्रेत है किसी सदस्य द्वारा धारित अंशों के अनुपात में सोसाइटी के लाभ में से चुकाई गई रकम;]

(छ) "**प्ररुप**" का अर्थ इन नियमों के साथ संलग्न प्ररुप से है;

[2][(छछ) "**सरकार**" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार;]

(ज) "**निर्णीत ऋणी**" का अर्थ किसी संस्था या व्यक्ति से है, जिसके विरुद्ध डिक्री प्राप्त किया गया हो;

[2][(जज) "**सदस्य**" से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है;]

(झ) "**सभापति**" का तात्पर्य किसी संस्था के अध्यक्ष या चेयरमेन से है;

(ञ) "**वसूली अधिकारी**" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जिसे धारा 85 के अंतर्गत पंजीयक के अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया हो;

[3][(ट) "**विक्रय पदाधिकारी**" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे रजिस्ट्रार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निर्णीत ऋणियों की सम्पत्ति की कुर्की तथा बिक्री अथवा उसकी कुर्की तथा अंतरण द्वारा किसी डिक्री को निष्पादित करने के लिये अधिकृत किया गया हो;]

[4][(टट) "**अनुसूची**" से तात्पर्य इन नियमों के संलग्न अनुसूची से है;]

(ठ) "**धारा**" से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;

(ड) "**उपाध्यक्ष**" से तात्पर्य किसी संस्था के उपाध्यक्ष या उप-चेयरमेन से है;

[2][(ढ़) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुई है तथा परिभाषित नहीं की गई है, का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में उनके लिये दिया गया है।]

दूसरा अध्याय

पंजीयन

3. पंजीयक की सहायता हेतु अधिकारियों की नियुक्ति— धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन राज्य शासन पंजीयक की सहायतार्थ सहकारी संस्थाओं के लेखा परीक्षाधिकारियों [5][और वरिष्ठ सहकारी निरीक्षकों] की नियुक्ति कर सकती है।

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-3135-1157-99-पन्द्रह-1, दिनांक 14-10-99 द्वारा अन्त:स्थापित।
3. अधिसूचना क्र. 269-4858-पन्द्रह-70, दिनांक 13-1-71 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. म.प्र. राजपत्र भाग 4(ग), दिनांक 26-7-1963 द्वारा अन्त:स्थापित।
5. अधिसूचना दिनांक 11-10-68 द्वारा अन्त:स्थापित।

4. Application for Registration — (1) Every application for registration of a society under sub-section (1) of Section 7 shall be made in Form A.

(2) Where any member of a society to be registered is a registered society, a member of the committee of such society shall be authorised by such committee by a resolution to sign the application for registration on its behalf and a copy of such resolution shall be appended to the application.

(3) The application shall be sent to the Registrar by registered post or delivered by hand.

[1][(4) After receiving the application under sub-rule (3) the Registrar shall enter the application in the register maintained for the purpose and shall issue a receipt of such application duly signed by him, in which the date of receipt of such application shall also be mentioned.]

5. Procedure on receipt of application — The Registrar shall consider the application and may, if necessary, order further enquiry or refuse registration. Should he decide to allow registration, he shall register the society in a register of societies to be kept for the purpose. Every such entry shall be attested by the seal and signature of the Registrar. He shall also forward to the society a certificate of registration and a certified copy of the bye-laws as finally approved and registered by him.

[2][**6. Matters in respect of which bye-laws of a society may be made** — (1) Every application for registration under sub-section (1) of Section 7 shall be accompanied by bye-laws dealing with the following matters :—

(a) the name, address and area of operation of the society;
(b) objects of the society;
(c) the services to be provided to its members;
(d) the eligibility for obtaining membership;
(e) the procedure for obtaining membership;
(f) the terms and conditions for continuing as member;
(g) the time limit before which a potential member must seek and obtain membership in order to continue to use the services of the society;
(h) the procedure for withdrawal/transfer of membership;

1. Ins. by notification No. 5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
2. Subs. by notification No. 5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

4. पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र—(1) धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत किसी संस्था के पंजीयन के लिये आवेदन-पत्र प्ररुप 'क' में दिया जावेगा।

(2) यदि पंजीयन हेतु आवेदन करने वाली सोसाइटी के सदस्यों में से कोई एक सदस्य कोई पूर्व पंजीयत सोसाइटी हो, तो ऐसी कमेटी का कोई सदस्य ऐसी समिति के संकल्प द्वारा पंजीकरण के लिये आवेदन पत्र पर उसकी ओर से हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत किया जावेगा और ऐसे संकल्प की एक प्रतिलिपि आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जावेगी।

(3) आवेदन-पत्र पंजीयक को पंजीबद्ध डाक से या प्रत्यक्षत: प्रस्तुत किया जावेगा।

[1][(4) उप नियम (3) के अनुसार आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार इस प्रयोजन के लिये रखी गयी पंजी में आवेदन की प्रविष्टि करेगा तथा ऐसे आवेदन की पावती जिसमें ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख भी वर्णित की जायेगी, स्वयं के हस्ताक्षर से, जारी करेगा।]

5. आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर कार्यवाही की विधि—प्राप्त आवेदन-पत्र पर पंजीयक विचार करेगा तथा आवश्यक होने पर, आगे जाँच का आदेश अथवा पंजीयन अस्वीकार कर देगा। यदि वह पंजीयन स्वीकृत करे, तो पंजीयन के लिये रखे गये रजिस्टर में संस्था को पंजीबद्ध (दर्ज) करेगा। ऐसी समस्त प्रविष्टियों पंजीयक की पद मुद्रा तथा हस्ताक्षर से प्रमाणित की जावेगी। वह सोसाइटी को पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं अंतिम रूप से स्वीकृत एवं पंजीकृत उपविधियों की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रेषित करेगा।

[2][**6. विषय, जिनके संबंध में सोसाइटी की उपविधियाँ बनाई जा सकेंगी**—(1) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन पंजीयन के लिये प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित विषयों से संबंधित संलग्न होगी—

(क) सोसाइटी का नाम, पता और कार्यक्षेत्र;
(ख) सोसाइटी के उद्देश्य;
(ग) सोसाइटी के सदस्यों को दी जाने वाली सेवाएँ;
(घ) सदस्यता अभिप्राप्त करने हेतु पात्रता;
(ङ) सदस्यता अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया;
(च) सदस्य बने रहने हेतु निर्बन्धन तथा शर्तें;
(छ) समय सीमा, जिसके पूर्व संभावित सदस्य सदस्यता चाहे और अभिप्राप्त करे, जिसके कि सोसाइटी की सेवाओं का उपयोग किया जाता रहे;
(ज) सदस्यता वापस लेने/अन्तरण के लिये प्रक्रिया;

1. अधिसूचना क्र. 5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा अन्त:स्थापित।
2. अधिसूचना क्र. 5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।

(i) the procedure for termination and cessation of membership;
(j) the rights of members;
(k) the fixation of minimum performance required annually of each member vis-a-vis use of services, financial commitment and participation in meetings, in order to be eligible to exercise the right of membership including the right of vote;
(l) the consequences of default in payment of any sum due to a member;
(m) the nature and amount of capital, if any, of the society;
(n) the maximum capital to which a single member can subscribe;
(o) the nature and extent of the liability of the members for the debts contracted by the society;
(p) the sources and types of funds to be raised by the society;
(q) the purposes for which the funds may be applied;
(r) the extent and conditions under which deposits, loans, debentures and other funds may be mobilised;
(s) the conditions and purposes for which State aid and aid from other financial institutions may be obtained;
(t) the manner of disposal of surplus;
(u) the constitutions of various funds, reserves and their purposes;
(v) the manner of convening general and other special meetings and quorum thereof;
(w) the frequency of general meetings;
(x) the role of the general body and subjects which shall be dealt with by the general body;
(y) the manner of making or amending byelaws;
(z) the procedure for conducting elections;
(aa) the procedure for conducting election in case the Registrar fails to do so;
(bb) the constitution of the board of directors;
(cc) eligibility for becoming director;
(dd) conditions for retaining directorship;
(ee) the terms of office of the directors, chairman and office bearers;

(झ) सदस्यता से हटाने तथा उसके समाप्त करने की प्रक्रिया;
(ञ) सदस्यों के अधिकार;
(ट) प्रत्येक सदस्य की सेवाओं के उपयोग, वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्मिलन में भाग लेने के संबंध में प्रतिवर्ष अपेक्षित न्यूनतम कृत्यों का नियत किया जाना, जिससे कि वह सदस्यता के अधिकार, जिसमें मत देने का अधिकार सम्मिलित है, का प्रयोग करने के लिये पात्र रह सके;
(ठ) सदस्य द्वारा शोध्य किसी रकम के संदाय में व्यतिक्रम का परिणाम;
(ड) सोसाइटी की पूंजी, यदि कोई हो, का स्वरूप और राशि;
(ढ) अधिकतम पूंजी जिसका एक सदस्य अभिदाय कर सके;
(ण) सोसाइटी द्वारा संविदा किये गये ऋणों के लिये सदस्यों के दायित्व का स्वरूप और विस्तार;
(त) सोसाइटी द्वारा उठाई गई निधियों के स्रोत और प्रकार;
(थ) वे प्रयोजन जिनके लिये निधियों का उपयोग किया जा सकेगा;
(द) सीमा तथा शर्तें जिनके अधीन निक्षेप, ऋण, ऋण-पत्र और अन्य निधियाँ एकत्रित की जा सकेंगी;
(ध) वे दशाओं तथा प्रयोजनों जिनके लिये राज्य सहायता और किसी अन्य वित्तीय संस्थाओं से सहायता अभिप्राप्त की जा सकेगी;
(न) अधिशेष के व्ययन की रीति;
(प) विभिन्न निधियों, कोषों का गठन और उनका प्रयोजन;
(फ) साधारण और अन्य विशेष सम्मिलनों को बुलाने की रीति और उसकी गणपूर्ति;
(ब) साधारण सम्मिलनों की आवृत्ति;
(भ) साधारण निकाय का कर्तव्य और वे विषय जिन पर साधारण निकाय द्वारा कार्य किया जायेगा;
(म) उपविधियों को बनाने अथवा संशोधन करने की रीति;
(य) निर्वाचन संचालन करने की प्रक्रिया;
(कक) उस दशा में चुनाव संचालित करने की प्रक्रिया यदि रजिस्ट्रार ऐसा करने में असफल रहता है;
(खख) संचालक मण्डल का गठन;
(गग) संचालक होने की पात्रता;
(घघ) संचालकता प्रतिधारित करने के लिए शर्तें;
(ङङ) संचालकों, सभापति और पदाधिकारियों के पद की अवधि;

(ff) the procedure for removal of Chairman, office bearers, directors and for filling of vacancies;

(gg) the manner of convening the board meetings and its quorum;

(hh) the frequency of board meetings;

(ii) powers and functions of office bearers including chairman;

(jj) powers and functions of Chief executive;

(kk) penalties for acting against the interest of members and for non-fulfillment of duties by members, directors and staff;

(ll) the appointment and role of auditors and procedure for conduct of audit where the society fails to make necessary arrangements and time limit for audit compliance;

(mm) the authorisation of an officer or officers to sign documents and to institute and defend suits and other legal proceedings on behalf of the society;

(nn) the terms on which a society may deal with non-members;

(oo) the terms on which a society may associate with other cooperative societies;

(pp) the terms on which a society may deal with other than cooperative;

(qq) the rights, if any, which the society may confer on any society or other federations and the circumstances under which these rights may be exercised by the federation/s;

(rr) the manner of disposal of funds under liquidation;

(ss) the accounting year for the society;

(tt) the transfer of shares and interest in the name of a nominee in case of death of a member;

(uu) the procedure of dissolution of the society;

(vv) the restriction, if any, on services to non-members;

(ww) to organise self-help groups of people living in its area and to conduct education and training programmes.

(2) The byelaws of a society may provide for such other matters not specified above, as are incidental to the organisation of the society and the management of its business.]

(चच) सभापति, पदाधिकारियों, संचालकों को हटाने और रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया;

(छछ) मण्डल के सम्मिलन बुलाने की रीति और उसकी गणपूर्ति;

(जज) मण्डल के सम्मिलनों की आवृत्ति;

(झझ) पदाधिकारियों, जिसमें सभापति सम्मिलित है, की शक्तियाँ तथा कृत्य;

(ञञ) मुख्य कार्यपालक की शक्तियाँ तथा कृत्य;

(टट) सदस्यों के हितों के विरुद्ध कार्य करने के लिये और सदस्यों, संचालकों और कर्मचारीवृन्द के कर्तव्य पूरा न किये जाने के लिये शास्तियाँ;

(ठठ) लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और कृत्य तथा लेखा परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया, जहाँ सोसाइटी आवश्यक प्रबंध करने में असफल रहती है और लेखा परीक्षा के अनुपालन की समय सीमा;

(डड) सोसाइटी की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और वाद दायर करने और वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाही में बचाव करने के लिये किसी अधिकारी या अधिकारियों को प्राधिकार;

(ढढ) वे शर्तें जिन पर सोसाइटी गैर-सदस्यों से व्यवहार करेगी;

(णण) वे शर्तें जिन पर सोसाइटी अन्य सहकारी सोसाइटियों से सहयुक्त हो सकेगी;

(तत) वे शर्तें जिन पर सोसाइटी सहकारी संस्थाओं से भिन्न संगठनों से व्यवहार कर सकेगी;

(थथ) अधिकार, यदि कोई हों, जो सोसाइटी किसी सोसाइटी या अन्य परिसंघ को प्रदत्त कर सके और वे परिस्थितियाँ जिनके अधीन इन अधिकारों का प्रयोग संघ/संघों द्वारा किया जा सकेगा;

(दद) परिसमापन के अधीन निधियों के व्ययन की रीति;

(धध) सोसाइटी के लिये लेखा वर्ष;

(नन) किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में शेयरों तथा हित का नाम-निर्देशिती के नाम पर अंतरण;

(पप) सोसाइटी के विघटन की प्रक्रिया;

(फफ) गैर सदस्यों की सेवा पर निर्बन्धन, यदि कोई हो;

(बब) इसके क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के स्वसहायक समूहों का गठन और उनके लिये शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करना।

(2) सोसाइटी की उपविधियाँ ऐसे अन्य विषयों के भी उपबन्ध कर सकती है जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं है, किन्तु जो सोसाइटी के संगठन तथा इसके कारबार के प्रबंध के आनुषंगिक हों।]

7. Procedure regarding amendment of bye-laws — (1) Where a society proposes to amend its bye-laws, no such amendment shall be made save by a resolution passed by a two-thirds majority of the members present and voting at a general meeting of the society.

(2) No such resolution shall be valid unless notice of the proposed amendment has been given to the members of the society in accordance with its bye-laws.

(3) In every case in which a society proposes to amend its bye-laws, an application shall be made to the Registrar together with—

(a) a certificate in Form B;

(b) four copies of other information in Form C; and

(c) four copies of the proposed amendment in Form D.

(4) [1][(a)] Every such application shall be made within one month from the date of the general meeting at which such amendment was passed :

Provided that the Registrar may condone the delay, if any, for sufficient cause.

[2][(b) Every such application shall be sent to the Registrar by registered post or delivered by hand. After receiving the application, the Registrar shall enter the application in the register maintained for the purpose and Registrar shall issue a receipt of such application in which the date of receipt of such application, shall also be mentioned.]

[3][(5) A copy of the amendment of the bye-laws registered or deemed to have been registered by the Registrar under subsections (2) and (3) of Section 11 shall be issued to the society.]

8. Manner of serving the order under sub-section (1) of Section 12 — The order of the Registrar under sub section (1) of Section 12 shall state the exact amendment with reasons therefor, which the society should make and it shall be delivered personally or sent by registered post to the address of the society.

9. Procedure to be followed and conditions to be observed for change of name of society — (1) The name of a society may be changed under Section 13, so, however, that it is not inconsistent with the objects of the society.

1. Re-numbering by notification No. 5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
2. Ins. by notification No. 5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
3. Subs. by notification No. 5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

7. उपविधियों के संशोधन की प्रक्रिया—(1) जब कोई सोसाइटी अपनी उपविधियों में संशोधन प्रस्तावित करे तो ऐसा संशोधन, इस विषय में सोसाइटी साधारण सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित किये जाने के अतिरिक्त नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसा संकल्प तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार सूचना न दे दी गई हो।

(3) प्रत्येक दशा में, जबकि सोसाइटी अपनी उपविधियों में संशोधन प्रस्तावित करती है, पंजीयक को निम्नलिखित के सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा—

(क) प्ररूप 'ख' में प्रमाण-पत्र,

(ख) प्ररूप 'ग' में अन्य जानकारी, 4 प्रतियों में, तथा

(ग) प्ररूप 'घ' में प्रस्तावित संशोधन, 4 प्रतियों में।

(4) [1][(क)] ऐसा प्रत्येक आवेदन-पत्र साधारण सभा जिसमें ऐसा संशोधन स्वीकार किया गया था, के दिनांक से एक माह के अंदर किया जावेगा :

परन्तु पंजीयक विलम्ब का, यदि कोई हो, उपयुक्त कारण होने की दशा में दोषमार्जन कर सकेगा।

[2][(ख) ऐसा प्रत्येक आवेदन रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायेगा या व्यक्तिशः परिदत्त किया जायेगा। आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् रजिस्ट्रार इस प्रयोजन के लिये रखे गये रजिस्टर में आवेदन की प्रविष्टि करेगा तथा रजिस्ट्रार ऐसे आवेदन की रसीद, जिसमें आवेदन की प्राप्ति की तारीख वर्णित की जायेगी, जारी करेगा।]

[3][(5) धारा 11 की उपधारा (2) तथा (3) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत की गई या रजिस्ट्रीकृत समझी गई उपविधियों के संशोधन की एक प्रति सोसाइटी को जारी की जायेगी।]

8. धारा 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत आदेश तामील करने की विधि—धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन पंजीयक द्वारा दिये गये आदेश में उसके कारणों सहित यथार्थ संशोधन, जो सोसाइटी को करना होगा, का उल्लेख होगा तथा ऐसा आदेश सोसाइटी को प्रत्यक्ष में सौंपा जावेगा या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा संस्था के पते पर भेजा जावेगा।

9. सोसाइटी के नाम में परिवर्तन करने हेतु पालन की जाने वाली शर्तें तथा अपनाई जाने वाली विधि—(1) धारा 13 के अधीन सोसाइटी के नाम में परिवर्तन, इस प्रकार से जो कि सोसाइटी के उद्देश्यों से प्रतिकूल न हो, किया जा सकेगा।

1. अधिसूचना क्र. 5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा पुनःक्रमांकित।
2. अधिसूचना क्र. 5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. अधिसूचना क्र. 5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) Every change in name of a society shall be made by an amendment of its bye-laws. In every case in which a society proposes to change its name, it shall send its original certificate of registration to the Registrar.

(3) After the change in name is approved by the Registrar, he shall amend the original certificate of registration of the society and return the same to it.

(4) The Registrar shall enter the new name in the register of societies maintained by him.

10. Procedure to be followed and conditions to be observed for change of liability — The change of liability of a society wider Section 15 shall, subject to the provisions of the said Section, be secured by passing a resolution in that behalf at a general meeting of the society indicating in clear terms the manner of changing the liability.

11. Re-organisation of societies — (1) Every society desiring to effect amalgamation, transfer of assets and liabilities, division or conversion under sub-section (2) of Section 16 shall frame a full scheme of re-organisation indicating how the proposed amalgamation, transfer of assets and liabilities, division or conversion would be useful to the society and be given effect to. Where the scheme involves a division of a society into two or more societies, it shall contain proposals regarding the name, the area of operations, draft byelaws and the list of members and creditors of the new society or societies into which the society would be divided. Where the scheme involves conversion of the society into a class of society, the object of which is materially different from that under which it has been classified under the Act. It shall contain draft bye-laws of that class of society into which the society would be converted.

(2) After framing the scheme of reorganisation under sub-rule (1), the society shall convene a special general meeting by giving a written notice of twenty-one days to all its members along with the proposed scheme of reorganisation. In the case of the society desiring amalgamation with or transfer of the assets and liabilities in whole or in part to any other society (hereinafter referred to as the other society), the society shall send a copy of the notice and the proposed scheme to the other society also for information. The society shall pass a resolution for amalgamation, transfer of assets and liabilities, division or conversion, as the case may be, by two-thirds majority of the members present and voting at the special general meeting and shall in the case of the amalgamation or transfer of assets and liabilities forward a copy of such resolution to the other society.

(2) सोसाइटी के नाम में प्रत्येक परिवर्तन उपविधियों में संशोधन के द्वारा किया जावेगा। प्रत्येक दशा में जबकि सोसाइटी अपना नाम परिवर्तन करना चाहती हो, पंजीयक को अपना मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी।

(3) पंजीयक नाम में परिवर्तन स्वीकार करने के बाद सोसाइटी के मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र को संशोधित करेगा और उसे लौटा देगा।

(4) पंजीयक, नये नाम की प्रविष्टि उसके द्वारा संधारित रजिस्टर में करेगा।

10. दायित्व में परिवर्तन एवं अपनाई जाने वाली प्रक्रिया—धारा 15 के अधीन सोसाइटी के दायित्व में परिवर्तन करने का उक्त धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुये भी, सोसाइटी की साधारण सभा में तत्संबंधी पारित संकल्प जिसमें दायित्व के परिवर्तन की विधि का स्पष्ट निर्देश हो, निर्णय लिया जायेगा।

11. सोसाइटियों का पुनर्गठन—(1) धारा 16 के उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक सोसाइटी जो कि समामेलन, आस्तियाँ और दायित्व का अंतरण, विभाजन या रूपान्तरण प्रभावी करना चाहती हो, पुनर्गठन की संपूर्ण योजना तैयार करेगी। यह निर्देश करते हुए कि किस प्रकार प्रस्तावित समामेलन, आस्तियाँ और दायित्व का अंतरण, विभाजन या रूपान्तरण सोसाइटी के लिये उपयोगी होगी एवं उसे लागू किया जावेगा। जिस योजना में सोसाइटी का दो या अधिक सोसाइटियों में विभाजन सन्निहित हो, उसमें सोसाइटी के विभाजन स्वरूप बनने वाली नई सोसाइटी या सोसाइटियों का नाम, कार्यक्षेत्र, प्रारूप उपविधियों से संबंधित प्रस्ताव तथा सदस्यों व साहूकारों की सूची होगी। जिस योजना में सोसाइटी का ऐसे वर्ग में रूपान्तरण सन्निहित हो, जिसका उद्देश्य सार रूप में उस वर्ग से भिन्न हो, जिसके अनुसार वह अधिनियम के अधीन वर्गीकृत की गई हो, तो उसके साथ उस वर्ग की सोसाइटी की प्रारूप उपविधियाँ होगी जिस वर्ग के अन्तर्गत सोसाइटी का रूपान्तरण होना है।

(2) उपनियम (1) के अनुसार पुनर्गठन की योजना बना लेने के पश्चात् सोसाइटी अपने सभी सदस्यों को प्रस्तावित पुनर्गठन की योजना के साथ 21 दिन पूर्व लिखित सूचना देकर विशेष साधारण सभा आहुत करेगी। ऐसी दशा में जब सोसाइटी (जिसका आगे अन्य सोसाइटी के नाम से उल्लेख है) के साथ एकीकरण या उसको आस्तियाँ और दायित्व का पूर्ण या आंशिक अन्तरण करना चाहती हो तो सोसाइटी सूचना या प्रस्तावित योजना की प्रतिलिपि अन्य सोसाइटी को सूचनार्थ भेजेगी। सोसाइटी एकीकरण, आस्तियाँ और दायित्व के अंतरण विभाजन या रूपान्तरण, जैसी भी स्थिति हो, के लिये विशेष साधारण सभा में, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करेगी तथा समामेलन अथवा आस्तियाँ और दायित्व के अंतरण करने की दशा में ऐसे सोसाइटी की प्रतिलिपि अन्य सोसाइटी को भेजेगी।

(3) After the receipt of the resolution the other society shall convene a special general meeting by giving a written notice of twenty-one days to all its members along with the scheme of re-organisation and draft amendment to its bye-laws, if any, and pass a resolution by two-thirds majority of the members present and voting at the special general meeting for approving the scheme of reorganisation and the amendment to its bye-laws, if any, and send a copy of its resolution in respect of the approval to the society which has decided to re-organise itself.

(4) The affected society shall, in the case of amalgamation or transfer of assets and liabilities, after the receipt of the approval under sub-rule (3) and in the case of division or conversion, after the passing of the resolution under sub-rule (2), take action under sub-sections (5) and (6) of Section 16.

(5) The affected society shall submit a report to the Registrar of the action taken by it and request him to approve the decision for amalgamation, transfer of assets and liabilities, division or conversion.

(6) On receipt of the report from the affected society under sub-rule (5), the Registrar shall, after satisfying himself that the procedure has been properly followed, approve the decision of the society and register the amalgamated, divided or converted society or societies.

(7) (a) Before issuing any direction under sub-section (3) of Section 16 for the amalgamation, transfer of assets and liabilities, division or conversion of any society or societies, the Registrar shall prepare a draft scheme of reorganisation in respect of such amalgamation, transfer of assets and liabilities, division or conversion stating in particular the manner in which the new committee or committees of the society or societies resulting from such amalgamation, transfer of assets and liabilities, division or conversion shall be constituted and the bye-laws which such society or societies shall follow. The Registrar shall send a copy of the draft of the direction proposed to be issued by him under sub-section (3) of Section 16, to the society or each of the societies concerned calling upon it or them to invite objections or suggestions from any member or class of members thereof or from any creditor or class of creditors and to submit such objections or suggestions together with its own or their own opinion within a period to be specified by the Registrar.

(b) The Registrar shall consider all such objections, suggestions and opinion and make such modifications in the draft direction as may seem to him desirable in the light of those objections, suggestions or opinion and then issue a final direction under sub-section (3) of Section 16.

(3) संकल्प प्राप्त होने पर अन्य सोसाइटी अपने सदस्यों को 21 दिन पूर्व लिखित सूचना के साथ पुनर्गठन योजना एवं उपविधियों के प्रारूप संशोधन भेजकर विशेष साधारण सभा आहुत करेगी और उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पुनर्गठन योजना और उपविधियों के संशोधन को, यदि कोई हो, स्वीकृत करने का संकल्प पारित करेगी तथा अनुमोदन से संबंधित अपने संकल्प की प्रतिलिपि उस सोसाइटी को भेजेगी जिसने अपना पुनर्गठन करने का निश्चय किया है।

(4) प्रभावित सोसाइटी समामेलन अथवा आस्तियाँ और दायित्व के अन्तरण की दशा में उपनियम (3) के अधीन अनुमोदन प्राप्त होने पर तथा विभाजन या रूपान्तरण की दशा में उपनियम (2) के अधीन प्रस्ताव पारित होने पर धारा 16 की उपधारा (5) व (6) के अधीन कार्यवाही करेगी।

(5) प्रभावित सोसाइटी उसके द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन पंजीयक को भेजेगी तथा उनसे समामेलन, आस्तियाँ और दायित्व का अन्तरण, विभाजन या रूपान्तरण के निर्णय को अनुमोदित करने का निवेदन करेगी।

(6) उपनियम (5) के अनुसार प्रभावित सोसाइटी से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पंजीयक का संतोष हो जाने पर कि विधि का ठीक तरह से अनुसरण किया गया है, वह सोसाइटी के निर्णय को स्वीकृत करेगा और समामेलित, विभाजित या रुपान्तरित सोसाइटी या सोसाइटियों का पंजीयन करेगा।

(7) (क) किसी भी सोसाइटी या सोसाइटियों के बारे में समामेलन, आस्तियाँ और दायित्व का अन्तरण, विभाजन या रूपान्तरण के संबंध में धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार निर्देश देने के पूर्व पंजीयक ऐसे समामेलन, आस्तियाँ और दायित्व के अन्तरण विभाजन या रूपान्तरण के संबंध में पुनर्गठन की प्रारूप योजना, विशेषत: वह रीति, जिसमें समामेलन, आस्तियाँ और दायित्व के अन्तरण, विभाजन या रूपान्तरण के परिणाम स्वरूप बनने वाली सोसाइटी या सोसाइटियों की नई कमेटी या कमेटियाँ गठित की जायेंगी तथा उपविधियाँ जो कि ऐसी सोसाइटी या सोसाइटियाँ अपनावेगी उनका उल्लेख करते हुये बनायेगा। पंजीयक धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार उसके द्वारा दिये जाने वाले प्रस्तावित प्रारूप निर्देश की प्रतिलिपि संबंधित सोसाइटी अथवा सोसाइटियों में से प्रत्येक को, उससे या उनसे यह माँग करते हुये भेजेगा कि वह/वे अपने किसी सदस्य या सदस्यों के वर्ग से अथवा किसी साहूकार या साहूकारों के वर्ग से आपत्तियाँ या सुझाव आमंत्रित करे और ऐसी आपत्तियाँ या सुझावों को उसकी या उनकी राय सहित उस अवधि में भेजें, जो कि पंजीयक निर्धारित करे।

(ख) पंजीयक ऐसी सभी आपत्तियों, सुझावों और राय पर विचार करेगा तथा उप आपत्तियों, सुझावों तथा राय के प्रकाश में जैसा उसे वांछित प्रतीत हो, ऐसे संशोधन प्रारूप निर्देश में करेगा तथा धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार अंतिम निर्देश जारी करेगा।

12. Compromise or arrangement for repayment of liabilities — [1][(1) On receipt of the order of the Registrar under sub-section (1) of Section 17, the society or the liquidator, as the case may be, shall issue notices of the meeting at the cost of the society, to the creditors or any class of them or the members, as the case may be, stating therein the date, time and place of the meeting and enclose with such notice the latest audited balance sheet of the Society and shall also send a notice to the Deputy Registrar or Assistant Registrar of Co-operative Societies in charge of the district in which the society is situated.]

(2) The President of the society or the liquidator in the case of the society which is being wound up, shall preside over the meeting. The question of compromise or arrangement shall be discussed in all aspects. A compromise or arrangement which appears to be *prima facie* practical and feasible shall be put to vote. Every creditor or member who is present in the meeting shall vote in person and no proxy shall be allowed. List of creditors or members, as the case may be, shall be prepared showing the names of those who approve of the compromise and of those who oppose the compromise and their signatures shall be taken.

[2][**12-A.** (1) Where the Registrar is taking actions under Section 18-A of the Act, he shall issue a public notice of the proceedings of the de-registration, to be published in a local daily newspaper and a copy of such notice shall also be given to the affiliated society and creditor society, if any.

(2) The official assignee appointed under sub-section (2) of Section 18-A, shall be paid such remuneration and allowances as the Registrar may determine from time to time.]

CHAPTER III

MEMBERS, THEIR RIGHTS, LIABILITIES AND PRIVILEGES

13. Form of undertaking — A written undertaking under sub-section (3) of Section 19 shall be in Form E.

14. Conditions to be complied with for admission far membership — No person shall be admitted as a member of a society unless—

(i) he has applied in writing in the form laid down by the society or in the form specified by the Registrar, if any, for membership;

1. Subs. by notification No. 5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.
2. Ins. by notification No. 5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

12. दायित्वों के प्रतिसंदाय के लिये समझौता या व्यवस्था—[1][(1) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार का आदेश प्राप्त होने पर यथास्थिति, सोसाइटी या परिसमापक सम्मिलन की सूचनाएँ सोसाइटी के व्यय पर यथास्थिति, लेनदारों को या उनमें से किसी वर्ग को या सदस्यों सम्मिलन की तारीख, समय और स्थान का कथन करते हुये देगा और ऐसी सूचना के साथ सोसाइटी का नवीनतम संपरीक्षित तुलना पत्र संलग्न किया जायेगा और सूचना उस जिले की, जिसमें सोसाइटी स्थित है, सहकारी सोसाइटियों के भारसाधक उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार को भी भेजी जायेगी।]

(2) सोसाइटी का अध्यक्ष अथवा समापक, उस दशा में जब सोसाइटी का समापन हो रहा हो, सभा की अध्यक्षता करेगा। समझौता या व्यवस्था के प्रश्न पर सभी दृष्टिकोणों से विचार किया जावेगा। कोई समझौता या व्यवस्था प्रथम दृष्टया व्यवहारिक तथा संभव दिखाई दे, तो उस पर मत लिये जावेंगे। प्रत्येक साहूकार अथवा सदस्य जो कि सभा में उपस्थित हो स्वत: मत देगा तथा प्रतिपत्री (Proxy) स्वीकार न की जायेगी। साहूकारों अथवा सदस्यों जैसी भी दशा हो, जो समझौते को स्वीकार करते हों तथा वे जो समझौते का विरोध करते हों, के नामों की सूची तैयार की जायेगी, और उनके हस्ताक्षर लिये जावेंगे।

[2][**12-क.** अधिनियम की धारा 18-क के अधीन जहाँ रजिस्ट्रार कार्यवाही करता है, तो वह स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित करवा कर रजिस्ट्रीकरण के समाप्त किये जाने की कार्यवाही की एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा और ऐसी सूचना की प्रति सम्बद्ध सोसाइटी तथा लेनदार सोसाइटी यदि कोई हो, को भी दी जायेगी।

(2) धारा 18-क की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त शासकीय समनुदेशिती को ऐसा पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय किया जायेगा जैसा कि रजिस्ट्रार समय-समय पर अवधारित करें।]

तीसरा अध्याय

सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व तथा विशेषाधिकार

13. लिखित वचन का प्रारुप—धारा 19 की उपधारा (3) के अनुसार लिखित वचन प्रारुप 'ङ' में होगा।

14. सदस्यों के प्रवेश हेतु पालन की जाने वाली शर्तें—किसी भी व्यक्ति को सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि—

(एक) उसने सोसाइटी द्वारा निर्धारित रूप में अथवा पंजीयक द्वारा निर्दिष्ट रूप में, यदि कोई हो, सदस्यता के लिये लिखित आवेदन न किया हो,

1. अधिसूचना क्र. 5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. 5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा अन्त:स्थापित।

(ii) he has purchased at least one share and paid the value thereof in full or in part in such calls as may be decided by the committee or general meeting of the society, as the case may be, according to the bye-laws of the society;

(iii) his application has been approved by the committee or the general meeting of the society, as the case may be, according to the bye-laws of the society;

(iv) he has fulfilled all other conditions laid down in the Act, the rules and the bye-laws.

[1][**14-A. Procedure for admission of minors as members** — In accordance with the procedure laid down in its bye-laws and these rules for admission of any member, a society may admit minor acting through guardian appointed by a Court as a member of a society subject to the provisions of the Act and these rules, the members so admitted shall enjoy rights subject to liabilities through such guardian as are laid down in the bye-laws of the society.]

15. [2][***]

16. Admission of members or transfer of shares before annual general meeting — No society shall admit member or transfer shares within [3][forty-five days] prior to the date of its annual general meeting on which election of the committee or office bearers is to take place :

[4][Provided that if there is a provision of general meeting by delegates in the byelaws of any society, such society shall not admit members or transfer shares to the members within 45 days from the date of convening the meeting for the election of the delegates.]

17. Withdrawal of a member and refund of share — (1) Subject to the provisions of the Act and Rules, a member may after giving three months' notice to the society and with the sanction of the committee or the general meeting of the society, as the case may be, withdraw from membership of the society and claim refund of share or shares, if he is not directly or indirectly indebted to the society, either as a principal debtor or as a surety :

Provided that such withdrawal or refund is not disallowed under the bye-laws of the society or under an agreement with any other society or the State Government.

1. Subs. by notification No. 269-4858-XV-1, dated 28-6-88.
2. Omitted by notification No. 5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.
3. Subs. by notification No. 5-3-91-XV-1, dated 16/18-4-91.
4. Subs. by notification No. 5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

(दो) उसने कम से कम एक हिस्सा न खरीदा हो तथा पूर्ण मूल्य का या अंशों में ऐसी माँगों का, जैसा कि कमेटी अथवा सोसाइटी की साधारण सभा, जैसी दशा भी हो, द्वारा सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार तय किया गया हो, चुकारा न किया हो।

(तीन) उसका आवेदन पत्र, कमेटी अथवा सोसाइटी की साधारण सभा, जैसी भी दशा हो द्वारा सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार अनुमोदित न किया गया हो।

(चार) उसने अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों में अधिकथित सभी शर्तों को पूरा न कर दिया हो।

[1][**14-क. अवयस्कों को सदस्य के रूप में प्रवेश देने की प्रक्रिया**—कोई सोसाइटी, किसी सदस्य के प्रवेश के लिये उसकी उपविधियों में तथा इन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये संरक्षक के माध्यम से कार्य करने वाले अवयस्क को सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश दे सकेगी। अधिनियम तथा इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये वे सदस्य, जिन्हें इस प्रकार सदस्यता प्रदान की गई है, ऐसे संरक्षकों के माध्यम से अधिकारों का उपभोग उन दायित्वों के अध्यधीन रहते हुये करेंगे, जो सोसाइटी की उपविधियों में अधिकथित है।]

15. [2][***]

16. वार्षिक साधारण सभा के पहले सदस्यों का प्रवेश या अंशों का अन्तरण—कोई भी सोसाइटी अपने वार्षिक व्यापक सम्मेलन, जिसमें सोसाइटी या पदाधिकारियों का चुनाव होने वाला हो, की तिथि से [3][पैंतालीस दिन] पहले सदस्यों को प्रवेश या अंशों का अन्तरण नहीं करेगी:

[4][परन्तु यदि किसी सोसाइटी की उपविधियों में प्रत्यायुक्तों द्वारा साधारण सम्मिलन के लिये कोई उपबंध है, तो ऐसी सोसाइटी प्रत्यायुक्तों के निर्वाचन के लिये सम्मिलन बुलाये जाने की तारीख से 45 दिन के भीतर सदस्यों को प्रवेश नहीं देगी या सदस्यों को अंश का अन्तरण नहीं करेगी।]

17. सदस्य को हटाना व अंश का प्रतिदाय—(1) अधिनियम एवं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सदस्य, सोसाइटी को तीन मास की सूचना देने के बाद तथा कमेटी या सोसाइटी की साधारण सभा जैसी भी दशा हो, की स्वीकृति से सोसाइटी की सदस्यता से हट सकेगा तथा अंश या अंशों की माँग कर सकेगा, यदि वह सोसाइटी का मूल ऋणी या जमानतदार के रूप में प्रत्यक्ष: या अप्रत्यक्षत: ऋणी न हो,

किन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसे हटने को सोसाइटी की उपविधियाँ या किसी अन्य सोसाइटी के या शासन के साथ अनुबंध के अधीन अस्वीकृत न किया गया हो।

1. अधिसूचना क्र. 269-4858-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. 5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा विलोपित।
3. अधिसूचना क्र. 5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 16/18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना क्र. 5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) The society may withhold refund of the value of share or shares under sub-rule (1) till the expiry of two years from the date of withdrawal from membership.

(3) The total refund of share capital of the society in any co-operative year shall not exceed ten percent of the paid up share capital of the society on the last day of the co-operative year immediately preceding:

Provided that this restriction shall not apply in the case of a society having no outside liabilities or in the case of an indebted society, when the permission of its creditors has been obtained.

(4) The restrictions contained in sub-rules (1) to (3) shall not apply to the State Government, if it has subscribed to the share capital of a society, directly or indirectly through any other society, and such share capital shall be retired by the society to the State Government according to the terms of the agreement entered into by the society with the State Government.

[1][**17-A. Adjustment of share towards payment of debt etc.** — A society, with a view to make a member or past member or deceased member debt free, may with the prior approval of the Registrar adjust the share of such member or his heir in or towards payment of any demand:

Provided that such adjustment shall be made by the society when so directed by the State Government:

Provided further that atleast one share shall be left unadjusted to enable the member to continue his membership with the society.]

18. [2][***]

19. Nomination of an heir — (1) For the purpose of transfer of his share or interest under sub-section (1) of Section 26, a member of a society may nominate a person to whom, in the event of his death, his share or interest shall be transferred. Such member may, from time to time, revoke or vary such nomination.

(2) A nomination made by a member shall not be valid and shall not, in the event of the death of the member, have effect unless—

(a) it is made in writing and is signed by the member in the presence of two witnesses attesting the same; and

1. Ins. by notification No. 5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.
2. Omitted by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.

(2) सोसाइटी अंश या अंशों के मूल्य की वापसी उपनियम (1) के अधीन सदस्यता से हटने के दिनांक से दो वर्ष पूर्ण होने तक रोक सकेगी।

(3) किसी भी सहकारी वर्ष में सोसाइटी की अंशपूंजी की कुल वापसी ठीक पूर्ववर्ती सहकारी वर्ष के अंतिम दिन को सोसाइटी की प्राप्त अंशपूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक न होगी :

किन्तु यह प्रतिबंध उस सोसाइटी पर लागू न होगा, जिस पर बाहरी दायित्व नहीं है या ऋणी सोसाइटी होने की दशा में जिसे अपने साहूकारों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हो।

(4) उपनियम (1) से (3) में अंतर्विष्ट प्रतिबंध राज्य शासन को लागू न होंगे, यदि उसने सोसाइटी की अंशपूंजी में प्रत्यक्षत: या अन्य सोसाइटी के द्वारा अप्रत्यक्षत: अभिदान दिया हो तथा ऐसी अंशपूजी सोसाइटी द्वारा राज्य शासन को सोसाइटी व राज्य शासन के बीच हुये अनुबंध की शर्तों के अनुसार वापस की जावेगी।

[1][**17-क. ऋण आदि के भुगतान लेखे अंश का समायोजन**—कोई सोसाइटी किसी सदस्य या पूर्व या मृत सदस्य को ऋण मुक्त करने हेतु रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से उस सदस्य का या उसके उत्तराधिकारी का अंश किसी मांग के भुगतान के लेखे समायोजित कर सकेगी :

परन्तु सोसाइटी द्वारा ऐसा समायोजन, तब किया जायेगा जब राज्य सरकार द्वारा ऐसा निर्देशित किया जाये :

परन्तु यह और भी कम से कम एक अंश असमायोजित रखा जायेगा जिससे कि वह सदस्य सोसाइटी में अपनी सदस्यता बनाये रखने हेतु समर्थ हो सके।]

18. [2][***]

19. उत्तराधिकारी का नामनिर्देशन—(1) धारा 26 की उपधारा (1) के अनुसार हिस्सा या हित के अन्तरण के आशय के लिये सोसाइटी का कोई सदस्य किसी व्यक्ति को नामनिर्देशित कर सकेगा, जिसे उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में उसका हिस्सा अथवा हित अन्तरित किया जावेगा। ऐसा सदस्य समय-समय पर ऐसे नामनिर्देशन निरस्त अथवा परिवर्तित कर सकेगा।

(2) सदस्य द्वारा किया गया कोई भी नामनिर्देशन वैध न होगा तथा सदस्य की मृत्यु की दशा में प्रभावशील न होगा जब तक कि —

(क) वह लिखित में न किया गया हो तथा सदस्य ने दो साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर करके उनसे अनुप्रमाणित न कराया गया हो, तथा

1. अधिसूचना क्र. 5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा अन्त:स्थापित।
2. अधिसूचना क्र. 5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा विलोपित।

(b) it is recorded in the books of the society kept for the purpose.

20. Procedure for ascertaining the value of share or interest of a member — Where the member of a society ceases to be a member thereof, the sum representing the value of his share, or interest in the capital of the society to be paid to him or his nominee, heir, or legal representative, as the case may be, shall be ascertaining in the following manner, namely —

(i) in the case of a society with unlimited liability, it shall be the actual amount received by the society in respect of such share or interest;

(ii) in the case of a society with limited liability, it shall be the amount arrived at by a valuation based on the financial position of the society as shown in the last audited balance sheet preceding the cessation of membership :

Provided that the amount so ascertained shall not exceed the actual amount received by the society in respect of such share or interest.

[1][**21. Inspection of documents in the office of the Registrar** — A member of a society may inspect the following documents in the office of the Registrar free of charge and may obtain certified copies thereof on payment of the following fees —

(a)	Application for registration of society	– Rs. 5.00 each
(b)	Certificate of registration	– Rs. 5.00 each
(c)	Byelaws of a society	– Rs. 15.00 each
(d)	Amendment of byelaws of a society	– Re. 1.00 per folio
(e)	Order of cancellation of the registration of a society	– Re. 1.00 per folio
(f)	Annual balance sheet	– Re. 1.00 per folio
(g)	Order of supersession of a committee under Section 53	– Rs. 1.00 per folio
(h)	Order referring a dispute to arbitration under Section 64	– Rs. 1.00 per folio
(i)	Any other order against which an appeal is provided	– Re. 1.00 per folio :

1. Subs. by notification No. 5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

(ख) इस प्रयोजन के लिये सोसाइटी में रखी गई पुस्तकों में उसे दर्ज न किया गया हो।

20. सदस्य के अंश या हित का मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया—जहाँ सोसाइटी के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाये तो सोसाइटी की पूंजी में उसके अंश या हित के मूल्य की धनराशि उसे या उसके नामनिर्देशित व्यक्ति, उत्तराधिकारी या वैध प्रतिनिधि को, जैसी भी दिशा हो, देने के लिये निम्न रीति से निश्चित की जावेगी अर्थात्—

(1) असीमित दायित्व की सोसाइटी होने की दशा में यह (रकम) सोसाइटी द्वारा ऐसे अंश या हित के संबंध में प्राप्त की गई वास्तविक रकम होगी।

(2) सीमित दायित्व की सोसाइटी होने की दशा में यह रकम सदस्यता समाप्ति से पूर्ववर्ती अंतिम आडिट की हुई बैलेंसशीट में बताई गई सोसाइटी की आर्थिक स्थिति के आधार पर निकाली जावेगी :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस प्रकार निश्चित की गई रकम सोसाइटी द्वारा ऐसे अंश या हित के संबंध में प्राप्त वास्तविक रकम से अधिक नहीं होगी।

[1][**21. रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण**—किसी सोसाइटी का कोई सदस्य रजिस्ट्रार कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों का निःशुल्क निरीक्षण कर सकेगा तथा निम्नलिखित फीस का संदाय करने पर उनकी प्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त कर सकेगा—

(क)	सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन	– रुपये 5.00 प्रत्येक
(ख)	रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र	– रुपये 5.00 प्रत्येक
(ग)	सोसाइटी की उपविधियाँ	– रुपये 15.00 प्रत्येक
(घ)	सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन	– रुपये 1.00 प्रति फोलियो
(ङ)	किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के रद्द किये जाने का आदेश	– रुपये 1.00 प्रति फोलियो
(च)	वार्षिक स्थिति विवरण पत्रक	– रुपये 1.00 प्रति फोलियो
(छ)	धारा 53 के अधीन किसी समिति के अधिक्रमण का आदेश	– रुपये 1.00 प्रति फोलियो
(ज)	धारा 64 के अधीन कोई विवाद माध्य-स्थम को निर्दिष्ट करने वाले आदेश	– रुपये 1.00 प्रति फोलियो
(झ)	कोई अन्य आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जा सकती हो	– रुपये 1.00 प्रति फोलियो

1. अधिसूचना क्र. 5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।

Provided that the copies of documents specified in clause (g) can be obtained only by a member of the committee, in clause (h) only by the parties to the dispute, and in clause (I) by the person having a right of appeal.]

CHAPTER IV
DUTIES, PRIVILEGES, PROPERTY AND FUNDS OF SOCIETIES

22. Address of societies — (1) Every society shall communicate in writing to the Registrar its postal address as indicated in its bye-laws registered under the Act and wherever applicable mention the name of the district, tahsil, town or village, municipal ward or mohalla, street and house number. While communicating the postal address of the society, the committee of the society shall also send a copy of a resolution passed by it for adoption of the address communicated to the Registrar.

(2) On receipt of the communication from the society under sub-rule (1), the Registrar shall register the address communicated by the society in a register to be maintained for that purpose and inform the society of such registration.

(3) Every change in its registered address shall be [1][communicated within thirty days] by the society to the Registrar. Any such change shall not be treated as registered unless—

(i) it is indicated in the bye-laws by amending them and the amendment so made is registered under the Act; and

(ii) the change is registered in the manner laid down in sub-rule (2).

(4) The registered address of a society or such change therein as may be registered, from time to time, shall be exhibited on the notice board of the society, immediately after registration.

23. Registers of members and shares, and list of members — (1) Every society shall keep a register of members, and enter therein the following particulars :—

(a) the name, address and occupation of each member;

(b) in the case of a society having share capital, the share held by each member;

(c) the date on which each person was admitted as a member;

1. Subs. by notification No. 5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

परन्तु खंड (छ) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियां केवल समिति के सदस्य द्वारा खंड (ज) में केवल विवाद के पक्षकारों द्वारा तथा खंड (झ) में केवल उस व्यक्ति द्वारा जिसे अपील करने का अधिकार हो, अभिप्राप्त की जा सकती हैं।]

अध्याय चार
सोसाइटियों के कर्तव्य, विशेषाधिकार, सम्पत्ति तथा निधियां

22. सोसाइटियों का पता—(1) प्रत्येक सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत उपविधियों में दर्शाये अनुसार अपना डाक का पता लिखित रूप में पंजीयक को सूचित करेगी तथा जहाँ कहीं लागू होगा उसमें जिला, तहसील, नगर या ग्राम, नगर पालिका वार्ड या मोहल्ला, गली का नाम तथा मकान नम्बर का उल्लेख होगा। सोसाइटी का डाक का पता सूचित करते समय सोसाइटी की कमेटी पंजीयक को सूचित किये गये पते को अंगीकृत करने के लिये पारित संकल्प की एक प्रतिलिपि भी भेजेगी।

(2) उपनियम (1) के अंतर्गत सोसाइटी से सूचना प्राप्त होने पर पंजीयक, सोसाइटी द्वारा सूचित किये गये पते को एक रजिस्टर, जो इसी प्रयोजन के लिये रखा जावेगा, में पंजीकृत करेगा तथा सोसाइटी को ऐसे पंजीयन की सूचना देगा।

(3) पंजीकृत पते में प्रत्येक परिवर्तन की [1][तीस दिन के भीतर] सूचना संस्था पंजीयक को दी जावेगी, ऐसा कोई भी परिवर्तन पंजीयत न माना जावेगा जब तक कि—

(एक) उसे उपविधियों में संशोधन द्वारा दर्शित न किया जावे तथा इस प्रकार का संशोधन अधिनियम के अधीन पंजीकृत न किया जावे, तथा

(दो) उपनियम (2) में बताई रीति से परिवर्तन पंजीयत न किया जावे।

(4) सोसाइटी का पंजीयत पता तथा समय-समय पर उसमें किये गये परिवर्तन, जो कि पंजीकृत किये जावें, पंजीयन के तुरन्त पश्चात सोसाइटी के सूचना पटल पर प्रदर्शित किये जावेंगे।

23. सदस्यों और अंशों का रजिस्टर एवं सदस्यों की सूची—(1) प्रत्येक सोसाइटी सदस्यों का एक रजिस्टर संधारित करेगी, जिसमें निम्न विवरण की प्रविष्टि होगी—

(क) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय;

(ख) सोसाइटी की अंशपूंजी होने की दशा में प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित अंश (हिस्सा);

(ग) वह तिथि जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को सदस्य रूप में प्रवेश दिया गया;

1. अधिसूचना क्र. 5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।

(d) the date and number of resolution of the committee or general meetings, as the case may be, which admitted a person as member, if he is not one of the applicants for registration of the society;

(e) the name of the nominee of a member;

(f) the date on which the said nomination was made by a member;

(g) the date on which any person ceased to be a member;

[1][(h) the caste of a member if he belongs to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other Backward Classes.]

(2) Every society, which has share capital exceeding Rs. 5,000 shall maintain a register of shares.

[1][(3) (a) Every society shall prepare a list of members, delegates and representatives of member societies as on the last day of each co-operative year. The list shall be available at the office of the society during office hours for inspection by any member of the society;

(b) Every person who is disqualified under sub-section (7) of Section 48 or Section 50-A shall be informed of the fact of his being so disqualified before preparation of the list under clause (c). A list of non-borrowing members and defaulters for a period exceeding twelve months shall also be exhibited on the notice board of the society under the signature of the Manager/ Secretary;

(c) Every society shall prepare a list of members, including the members who are disqualified under sub-section (7) of Section 48 or Section 50-A as on the date preceding 45 days prior to the date of election of delegates or in which election of committee members is to take place, as the case may be. The list shall indicate the defaulter within the meaning of Section 50-A by assigning sign and word "X-defaulter" and in case of members belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the list shall indicate the respective category against their names. The list shall

1. Subs. by notification No. 5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

(घ) कमेटी अथवा साधारण सभा, जैसी भी स्थिति हो, संकल्प का क्रमांक व दिनांक जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को सदस्य रूप के में प्रवेश दिया गया यदि वह सोसाइटी के पंजीयन हेतु प्रार्थियों में से कोई एक नहीं है;

(ङ) सदस्य द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति का नाम;

(च) तिथि, जब तक सदस्य द्वारा किया गया नामनिर्देशन प्रभावी रहेगा;

(छ) तिथि, जिस पर किसी व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हुई;

[1][(ज) सदस्य की जाति, यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों का हो।]

(2) प्रत्येक सोसाइटी जिसकी अंशपूंजी रुपये 5,000/- से अधिक हो, अंशों/ हिस्सों का रजिस्टर रखेगी।

[1][(3)(क) प्रत्येक सोसाइटी प्रत्येक सहकारिता वर्ष के अंतिम दिवस को सदस्य/ प्रत्यायुक्त (डेलीगेट्स) की तथा सदस्य सोसाइटियों (रिप्रेजेन्टेटिव) का एक सूची तैयार करेगी। सूची सोसाइटी के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान सोसाइटी के किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण किये जाने हेतु उपलब्ध रहेगी।

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को, जो धारा 48 की उपधारा (7) या धारा 50-ए/ के अधीन निरर्हित है, खंड (ग) के अधीन सूची तैयार करने से पूर्व उसके निरर्हित होने के तथ्य की जानकारी दी जायेगी। बारह मास से अधिक अवधि के गैर उधार लेने वाले सदस्यों तथा व्यतिक्रमियों की एक सूची सोसाइटी के सूचना-फलक पर प्रबंधक/सचिव के हस्ताक्षर के अधीन प्रदर्शित भी की जायेगी।

(ग) प्रत्येक सोसाइटी धारा 48 की उपधारा (7) या 50-क के अधीन निरर्हित सदस्यों को सम्मिलित करते हुये सदस्यों की प्रत्यायुक्तों (डेलीगेट्स) के निर्वाचन की तारीख के 45 दिन पूर्व की तारीख को या यथास्थिति जिस समिति के निर्वाचन में सदस्यों को स्थान पाना है, ऐसे सदस्यों की एक सूची तैयार करेगी। सूची धारा 50-क के अर्थ के अन्तर्गत व्यतिक्रमियों को चिन्ह 'x' तथा शब्द 'व्यतिक्रमी है' समनुदेशित करके उपदर्शित करेगी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के मामले में सूची में उनके नामों के सामने क्रमशः प्रवर्गों को उपदर्शित किया जायेगा, संसाधन सोसाइटी के मामले में, उधार न लेने वाले सदस्यों को भी

1. अधिसूचना क्र. 5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।

in case of a resource society, also indicate the non-borrowing members by assigning words "non-borrowing". The list so prepared shall be made available to the Returning Officer appointed by the Registrar atleast 33 days prior to the date fixed for the election of delegates or holding of annual general meeting/special general meeting for the election of committee members. The list shall be published by the Returning Officer at least 30 days prior to the date of the election of delegates or annual general meeting/special general meeting, as the case may be;

(d) The list to be made available shall be published by exhibiting it at the office of the society, and on the notice boards of the Deputy Registrar/Assistant Registrar of Co-operative Societies incharge of the District, and Financing Bank, and in case of a Society other than Financing Banks, Apex Institution of Society whose area of operation is for the whole district or beyond a district, Block Development Office and branch of the Financing Bank along with a notice —

(i) inviting objection thereto by him or an Officer appointed by him in writing within 6 days from the date of notice;

(ii) fixing date, time and place for hearing of such objection and claims,—

– All the members of the society shall be informed by a notice under certificate of posting that such list has been displayed at the place mentioned above to enable them to file objections, if any;

– Any person whose name is not entered in the list or is not properly entered or any person whose name is entered in the list and who objects to the inclusion of his name or name of any person in the list, may prefer a claim or object to the Returning Officer or person authorised by him in writing within 6 days from the publication of the list under this sub-clause;

सूची में 'उधार न लेने वाले' शब्द समुनदेशित करते हुये उपदर्शित किया जायेगा। इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रत्यायुक्तों (डेलीगेट्स) के निर्वाचन या समिति के सदस्यों के निर्वाचन या समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिये वार्षिक साधारण सम्मिलन/विशेष साधारण सम्मिलन के लिये नियत तारीख से कम से कम 33 दिन पूर्व रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त रिटर्निंग आफीसर को उपलब्ध कारई जायेगी, रिटर्निंग आफीसर द्वारा यथा स्थिति प्रत्यायुक्तों (डेलीगेट्स) के निर्वाचन या वार्षिक साधारण सम्मिलन, विशेष साधारण सम्मिलन की तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व सूची का प्रकाशन किया जायेगा।

(घ) इस प्रकार उपलब्ध कराई गई सूची सोसाइटी के कार्यालय में, जिले के भारसाधक उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियाँ, वित्तदायी बैंक, वित्तदायी बैंक से भिन्न होने की दशा में किसी अन्य सोसाइटी की अपेक्स संस्था जिसका प्रवर्तन क्षेत्र सम्पूर्ण जिले अथवा जिलों के परे है, विकासखंड कार्यालय और वित्तदायी बैंक की शाखा के सूचना फलक पर ऐसी सूचना के साथ प्रकाशित की जायेगी, जिसमें—

(एक) उसके पास या उसके द्वारा नियुक्त किये गये पदाधिकारी के पास सूचना की तारीख से छः दिन के भीतर उसके बाबत् लिखित में आपत्तियाँ आमंत्रित की गई हों,

(दो) ऐसे आपत्ति तथा दावों की सुनवाई के लिये तारीख, समय तथा स्थान नियत, किया गया हो,

– सोसाइटी के सभी सदस्यों को डाक प्रमाण के अधीन (यू.पी.सी.) एक सूचना द्वारा सूचित किया जायेगा कि आपत्ति, यदि कोई हो, को दाखिल करने के लिये ऊपर वर्णित स्थान पर ऐसी सूची प्रदर्शित की गई है।

– ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका नाम सूची में प्रविष्ट न किया गया हो या उचित तौर पर प्रविष्टि न की गई हो या कोई व्यक्ति जिसका नाम सूची में प्रविष्टि किया गया हो जो उसके नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम की सूची में समाविष्ट किये जाने के बारे में आपत्ति करता हो, इस उपखंड के अधीन सूची के प्रकाशन की तारीख से छः दिन के भीतर अपने दावे या आपत्ति रिटर्निंग आफीसर या उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति को लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा।

(e) Claim or objection shall be accompanied by documents on which the claimant or objector relies;

(f) The Returning Officer or any, person authorised by him shall, after holding such summary enquiry, into the claims or objections as he thinks fit, record his decision in writing and shall dispose of all claims and objections within 9 days from the date of publications of the list under clause (d) of sub-rule (3);

(g) No person shall be represented by any legal practitioner or counsel in any proceeding under this rule;

(h) The Returning Officer shall indicate the defaulters within the meaning of Section 50-A of the Act who continue to be so on the date of finalisation of the list by assigning "X—Defaulter" sign against their names;

(i) The decision of the Returning Officer or the person authorised under clause (f), as the case may be, shall be final and binding and the list so made available by society shall stand amended in accordance with such decision. The list so amended shall be published by exhibiting it at the office of the society under the seal and signature of the Returning Officer. The society shall prepare six copies of the list so amended and submit to the Returning Officer for his use at the polls;

(j) The list so amended shall be final and a copy of the same duly certified shall be handed over by the Returning Officer or the person authorised by him to the society and Registrar:

[1][***]

Provided further that any person whose name is shown in the list with sign "X-defaulter", may, at any time before the date on which polls is to be held, after making necessary payment of the dues on account of which he had been shown as defaulter in the list to the society concerned and on production of a proof in token thereof in such form as the Registrar may provide for the purpose, get the list corrected by the Returning Officer:

1. Omitted by notification No. F-15-40-97-XV-1, dated 12-4-99.

(ङ) दावा या आपत्ति के साथ ऐसे दस्तावेज भी होंगे जिन पर कि दावेदार या आपत्तिकर्ता विश्वास करता है।

(च) रिटर्निंग आफीसर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति दावे आपत्ति के बारे में ऐसी संक्षिप्त जाँच करने के पश्चात जैसी कि वह उपयुक्त समझे, अपना विनिश्चय लिखित में अभिलिखित करेगा तथा समस्त दावों और आपत्तियों को उपनियम (3) के खंड (घ) के अधीन सूची के प्रकाशन की तारीख से नौ दिन के भीतर निपटायेगा।

(छ) इस नियम के अधीन कार्यवाहियों में किसी भी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किसी विधि-व्यवसायी या काउन्सेल द्वारा नहीं किया जायेगा।

(ज) रिटर्निंग आफीसर अधिनियम की धारा 50-क के अर्थ के अन्तर्गत उन व्यतिक्रमियों को, जो सूची को अंतिम रूप दिये जाने की तारीख को व्यतिक्रमी ही बने रहे, उनके नाम के सामने 'x' व्यतिक्रमी देकर उपदर्शित करेगा।

(झ) यथास्थिति रिटर्निंग आफीसर या खंड (च) के अधीन प्राधिकृत किया गया व्यक्ति का विनिश्चय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा और सोसाइटी द्वारा इस प्रकार उपलब्ध कराई गई सूची ऐसे विनिश्चय के अनुसार संशोधित की जायेगी, इस प्रकार संशोधित की गई सूची उस सोसाइटी के कार्यालय में रिटर्निंग आफीसर की मुद्रा तथा हस्ताक्षर के अधीन प्रदर्शित करके प्रकाशित की जायेगी, सोसाइटी इस प्रकार संशोधित की गई सूची की छह प्रतियाँ तैयार करेगी और रिटर्निंग आफीसर को मतदान के समय उसके द्वारा उपयोग में लाये जाने के लिए प्रस्तुत करेगी।

(ञ) इस प्रकार संशोधित सूची अंतिम होगी और उसकी सम्यक् रूप से प्रमाणित एक प्रति रिटर्निंग आफीसर या उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यक्ति द्वारा सोसाइटी को और रजिस्ट्रार को सौंप दी जाएगी,

[1][* * *]

परन्तु यह और भी कि कोई व्यक्ति जिसका नाम सूची में चिन्ह 'x व्यक्तिक्रमी' से दर्शाया गया हो, उस तारीख से पूर्व, जिसको कि मतदान होना है किसी भी समय उन शोध्यों को, जिनके कारण वह सूची में व्यतिक्रमी के रूप में दर्शाया गया था, संबंधित सोसाइटी को आवश्यक संदाय करने के पश्चात् और उसके प्रमाण स्वरूप ऐसे प्रारूप में जैसा कि रजिस्ट्रार इस प्रयोजन के लिये उपबंधित करे, साक्ष्य पेश करके रिटर्निंग आफीसर से सूची को सही करवा सकेगा:

1. अधिसूचना क्र. एफ-15-40-97-पन्द्रह-1, दिनांक 12-4-99 द्वारा विलोपित।

Provided also that any person whose name is shown as "Non-borrowing" in the final list prepared under clause (1) above may, at any time before publication of election programme made sub-rule (2) of Rule 41, on production of a documentary proof in token of having taken a loan from the resource society, get the list corrected by the Returning Officer;

(k) On receipt of the final list under Clause (i) above, the Registrar, in case of a society falling under sub-section (3) of Section 48, fix-up the number of seats in the committee to be filled by the members belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and women accordingly;

(l) In the case of a society where the byelaws provide for the constitution of its general body by the election of delegates, the Registrar shall reserve the seats for the delegates belonging to Schedule Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as per sub-section (3) of Section 48-B and also identify the groups from which the delegates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and women shall be elected;

(m) The reservations made in the above clauses shall be intimated to the Returning Officer within 3 days from the receipt of final list under clause (i) and if the society fails to do so, the Returning Officer himself shall reserve the number of seats in the general body and the groups from which such delegates will be elected.]

[1][**23-A. Voting rights of individual members in federal society** — For purposes of participation in the general body meeting of a federal society, the individual members thereof other than public trust, firm, company or body corporate or society registered under the Chhattisgarh Societies Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973), shall elect delegates in a meeting held at the headquarters of the society well before the date of the meeting of the general body and delegates so elected shall alone be eligible to take part in the general body meeting of the federal society.]

1. Ins. by notification No. 5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.

परन्तु यह और भी कि, कोई भी व्यक्ति जिसका नाम ऊपर खंड (झ) के अधीन तैयार की गई अंतिम सूची में 'उधार न लेने वाला' के रूप में दर्शाया गया है, नियम 41 के उपनियम (2) के अधीन निर्वाचन कार्यक्रम के प्रकाशित होने के पूर्व किसी भी समय, संसाधन सोसाइटी से उधार लेने के लिये प्रमाण में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके सूची में रिटर्निंग आफीसर द्वारा सुधार करवा सकेगा।

(ट) ऊपर खंड (झ) के अधीन अंतिम सूची प्राप्त होने पर, धारा 48 की उपधारा (3) के अधीन आने वाली किसी सोसाइटी के मामले में रजिस्ट्रार तद्नुसार समिति में उन स्थानों की संख्या नियत करेगा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्यों और महिलाओं द्वारा भरे जायेंगे।

(ठ) किसी ऐसी सोसाइटी के मामले में, जहाँ उपविधियों में साधारण निकाय का गठन प्रत्यायुक्तों के निर्वाचन द्वारा लिये जाने का उपबंध है, तो रजिस्ट्रार साधारण निकाय से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के प्रत्यायुक्तों के लिये स्थानों का आरक्षण धारा 48-ख की उपधारा (3) के अनुसार करेगा और ऐसे समूहों की पहचान भी अवधारित करेगा, जिसमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं के प्रत्यायुक्तों का निर्वाचन किया जायेगा।

(ड) उपरोक्त खंडों में किये गये आरक्षण की सूचना खंड (झ) के अधीन अंतिम सूची के प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर रिटर्निंग आफीसर को दी जायेगी और यदि सोसाइटी ऐसा करने में असफल रहती है तो रिटर्निंग आफीसर स्वयं साधारण निकाय में स्थानों की संख्या तथा समूह जिनसे कि ऐसे प्रत्यायुक्तों का निर्वाचन किया जायेगा, आरक्षित करेगा।]

[1][**23-क. संघीय सोसाइटी में व्यष्टिक सदस्यों के मतदान के अधिकार**— किसी संघीय सोसाइटी के साधारण निकाय के सम्मिलन में भाग लेने के प्रयोजन के लिये उसके व्यष्टि सदस्य जो लोकन्यास, फर्म, कम्पनी या निगमित निकाय या छत्तीसगढ़ सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी से भिन्न हो साधारण निकाय के सम्मिलन की तारीख से पर्याप्त समय पूर्व सोसाइटी से भिन्न हो साधारण निकाय के सम्मिलन में प्रत्यायुक्तों का चुनाव करेंगे और केवल इस प्रकार निर्वाचित प्रत्यायुक्त ही संघीय सोसाइटी के साधारण निकाय के सम्मिलन में सोसाइटी के व्यष्टिक सदस्यों की ओर से भाग लेने के लिये पात्र होंगे।]

1. अधिसूचना क्र. 5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा अन्तःस्थापित।

[1][**24. Manner of certifying copies** — For the purpose of sub-sections (1) and (2) of Section 34, a copy of entry in a book of society or of any document obtained and kept by it in the course of its business may be certified—

(a) by any two officers of the society as defined in clause (v) of Section 2; or

(b) by the Registrar assuming charge of the society under sub-section (8) of Section 49; or

(c) where an order has been passed under sub-section (1) of Section 53—

(i) by the person appointed to manage the affairs of the society; and

[2][(ii) where the persons are appointed to manage the affairs of the society by any two of the persons so appointed; or]

(d) by the liquidator under the seal of the society where a liquidator has been appointed under Section 70.]

[3][**24-A. Supply of statement of account to members** — (1) Every society advancing loans to its members shall at the time of advancing first loan shall issue a 'loan pass-book' to every member in such form as may be prescribed by the Registrar.

(2) Entries in the loan pass-book shall be up-dated and certified by the Manager of the society within three months from the date of the close of a co-operative year by entering therein the transactions of loan advanced and recoveries made during the year.

(3) In case a member fails to submit his pass-book to the society for updating within three months from the close of the co-operative year, the society shall prepare a duplicate copy of the loan pass-book of the member containing all transactions upto the close of the preceding co-operative year and furnish the same to the member concerned when he applies for the same or takes a fresh loan from the society, whichever is earlier.

1. Subs. by notification No. F-5-40-84-1-XVI, dated 29-4-85.
2. Added by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.
3. Subs. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.

[1][**24. प्रतिलिपियाँ प्रमाणित करने की रीति**—धारा 34 की उपधारा (1) तथा (2) के प्रयोजन के लिये किसी सोसाइटी को किसी ऐसी पुस्तक या किसी ऐसा दस्तावेज जो कि उसके कारबार के अनुक्रम में अभिप्राप्त की गई हो या रखी गई हो, में कि किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि—

(क) सोसाइटी के किन्हीं दो अधिकारियों द्वारा धारा 2-क खंड (पाँच) में परिभाषित किये गये अनुसार, या

(ख) धारा 49 की उपधारा (8) के अधीन सोसाइटी का कार्यभार संभालने वाले रजिस्ट्रार द्वारा, या

(ग) जहाँ धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया हो वहाँ—

(एक) सोसाइटी के क्रियाकलापों का प्रबंध करने के लिये नियुक्त किये गये व्यक्ति द्वारा, और

[2][(दो) जहाँ सोसाइटी के क्रियाकलापों का प्रबंध करने के लिये व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है, वहाँ इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्तियों में से किन्हीं दो व्यक्तियों द्वारा, या

(घ) धारा 70 के अधीन समापक नियुक्त किया गया हो वहाँ सोसाइटी की मुद्रा के अधीन समापक द्वारा,

प्रमाणित की जा सकेगी।]

[3][**24-क. सदस्यों को लेखा विवरण का प्रदाय**—(1) ऐसी प्रत्येक सोसाइटी जो अपने सदस्यों को उधार देती है। पहला उधार देते समय प्रत्येक सदस्य को ऐसे प्रारूप में ऋण पुस्तिका जारी करेगी जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा विहित किया जाये।

(2) ऋण पुस्तिका में वर्ष के दौरान दिये गये उधारों तथा की गई वसूलियों से संव्यवहारों को प्रविष्टियाँ करके उसे सहकारी वर्ष के समाप्त होने के तीन माह के भीतर सोसाइटी के प्रबंधक द्वारा अद्यतन बनाया जायेगा और प्रमाणित किया जायेगा।

(3) ऐसे मामले में, जहाँ कोई सदस्य अपनी ऋण पुस्तिका को अद्यतन करने के लिये सोसाइटी को यदि सहकारी वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो सोसाइटी सदस्य की ऋण पुस्तिका की दूसरी प्रति तैयार करेगी, जिसमें पूर्ववर्ती सहकारी वर्ष की समाप्ति तक के समस्त संव्यवहारों की प्रविष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी तथा उसे संबंधित सदस्य को जब वह इसके लिये आवेदन करता है या जब वह सोसाइटी से नया उधार लेता है, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रस्तुत करेगी।

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-40-84-1-सोलह, दिनांक 29-4-85 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा जोड़ा गया।
3. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) No fee shall be charged by the society for the loan pass-book when issued for first time but such fee as may be fixed by the society shall be collected for a duplicate copy issued to the member.

(5) All entries made in the loan passbook shall be presumed to be correct unless proved otherwise.]

25. Restrictions on grant of loan — (1) No financing bank or credit society, other than a land mortgage bank or a society, the object of which is to grant long term loans exclusively on the mortgage of immovable properties, shall grant loans for a period exceeding three years :

[1][Provided that the Registrar may permit by a general or special order any such financing bank or credit society to grant loans for periods exceeding three years but not exceeding 'twenty' years for any of the objects to be specified by him in the order.]

(2) In a society where share capital is contributed by members, a loan shall be granted to a member in proportion to the share capital paid by him as may be laid down in the bye-laws :

Provided that the proportion for any society or class of societies may be increased or decreased as may be decided by the Registrar.

[2][(3) A financing bank/a co-operative society may lend money to individual members in accordance with the rules approved by the Registrar in this behalf.]

[3][**25-A. Intimation of loan etc. to be given to Tahsildar** — In addition to complying with the provisions of subsection (1-A) of Section 37, every society when so directed by the Registrar, shall send to the Tahsildar of the tahsil, in which the society is situated, in Form I, a list of its members, past, present or deceased, showing the amount of loan or advances outstanding against them at the close of the preceding co-operative year.]

26. Restrictions on borrowing from more than one society dispensing credit — (1) Every person who is or becomes a member of more than one society dispensing credit (other than a financing bank or a marketing society) shall within sixty days from the date of commencement of these rules or the date on which he becomes such member, as the case may, if he has not already made, make a declaration in Form F that he will borrow only from one such society to be mentioned in the declaration and shall send a copy of such declaration duly attested to all societies of which he is or becomes a member.

1. Subs. by notification No. F-5-10-80-1-XV, dated 9-10-80.
2. Subs. by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.
3. Subs. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.

(4) सोसाइटी द्वारा प्रथम बार जारी की गयी ऋण पुस्तिका के लिये कोई फीस प्रचारित नहीं की जायेगी, परन्तु ऋण पुस्तिका की दूसरी प्रति के प्रदाय के लिये ऐसी फीस, जैसी कि सोसाइटी द्वारा नियत की जाये, संग्रहित की जायेगी।

(5) ऋण पुस्तिका में की गई समस्त प्रविष्टियाँ सही समझी जावेगी, जब तक कि अन्यथा साबित न कर दिया जाये।]

25. ऋण प्रदान किये जाने पर प्रतिबंध—(1) कोई वित्त प्रबंधक बैंक या साख सोसाइटी, भूमि बन्धक बैंक या ऐसी समिति को छोड़कर जिसका उद्देश्य अचल सम्पत्तियों की गिरवी पर दीर्घावधि ऋण प्रदान करना है, तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये ऋण प्रदान नहीं करेगी।

[1][परन्तु प्रतिबंध यह है कि पंजीयक, ऐसे किसी वित्त प्रबंधक बैंक या साख सोसाइटी को, सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा, ऐसे अवधि के लिये जो तीन वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से अधिक न हो, किन्हीं भी आशयों, जो उसके द्वारा आदेश में निर्दिष्ट होंगे, के लिये ऋण प्रदान करने की अनुमति दे सकेगा।]

(2) किसी सोसाइटी में जहाँ अंशपूंजी सदस्यों द्वारा दी गई है, जैसा कि उपविधि में निर्धारित हो, किसी सदस्य को उसके द्वारा दी गई अंशपूंजी के अनुपात में, ऋण स्वीकृत किया जायेगा:

किन्तु प्रतिबंध यह है कि किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग के लिये यह अनुपात, जैसा कि पंजीयक निश्चित करे, घटाया या बढ़ाया जा सकेगा।

[2][(3) कोई वित्तदायी बैंक/सहकारी सोसाइटी, रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किये गये नियमों के अनुसार व्यष्टिक सदस्यों को धन उधार दे सकेगी।]

[3][**25-क. उधार आदि की प्रज्ञापना तहसीलदार को दी जाना**—धारा 37 की उपधारा (1-क) के उपबन्धों के अनुपालन के अतिरिक्त प्रत्येक सोसाइटी, जब रजिस्ट्रार द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाये, उस तहसील के जिसमें सोसाइटी स्थित हो, तहसीलदार को, प्रारूप 'आई' में अपने पूर्व, वर्तमान और मृत, सदस्यों की एक सूची भेजेगी, जिसमें पिछले सहकारी वर्ष की समाप्ति पर उन पर बकाया उधार या अग्रिमों की रकम दर्शायी जायेगी।]

26. एक से अधिक संस्था से ऋण लेने पर प्रतिबंध—(1) प्रत्येक व्यक्ति जो ऋण देने वाली सोसाइटी (वित्त प्रबंधक बैंक या विपणन संस्था को छोड़कर) एक से अधिक सोसाइटी का सदस्य है या सदस्य बन जावे, इन नियमों के लागू होने के साठ दिन के अंदर अथवा जिस दिनांक को वह ऐसा सदस्य बने, जैसी भी स्थिति हो, यदि उसने पहले से ही यह घोषणा नहीं की है तो वह प्रारूप 'च' में घोषणा करेगा कि वह केवल ऐसी एक सोसाइटी से ही उधार लेगा जो कि घोषणा पत्र में उल्लिखित होगी और ऐसे घोषणा पत्र की अनुप्रमाणित प्रति सभी सोसाइटियों को भेजेगा जिनका कि वह सदस्य है या सदस्य बन जावे।

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-10-80-1-पन्द्रह, दिनांक 9-10-80 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) Any person who continues to be a member of more than one society without complying with the provisions of sub-rule (1) shall be liable to be removed from the membership of any or all such societies on a written requisition from the Registrar to that effect.

[1][(3) If the society fails to take action within two months from the receipt of requisition from the Registrar, the Registrar may remove such member from membership of the society by an order in writing after giving him reasonable opportunity of being heard.]

[1][**26-A. Borrowing by a member on entire holding in a district** — If a member has an agricultural holding in the area of operation of more than one society in a district, he shall be eligible to get loan on his entire holdings from any one of the societies of which he is a member.]

27. Fixation of credit limit of a member — The committee of a society shall determine the credit limit of a member within the limit fixed by a general or special order by the Registrar for the society or the class of societies to which it belongs.

[2][**28. Writing off bad debts** — All loans including interest thereon and recovery charges in respect thereof which are found irrecoverable and are certified as bad debts in audit and all other dues and accumulated losses or any other loss sustained by the society which cannot be recovered and have been certified as irrecoverable in audit shall first be written off against the bad debt reserve and the balance, if any, may be written off against the reserve fund and share capital of the society :

Provided that—

(i) in the areas where Central Cooperative bank is declared as 'weak bank' by the Reserve Bank of India, the primary agricultural credit societies affiliated to the bank, as also such bank can write off the debt and losses on the certificate issued by the committee appointed by the State Government;

1. Added by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.
2. Added by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.
3. Subs. by notification No. F-5-3-16-78-XV-1, dated 26-7-79.

(2) कोई व्यक्ति जो उपनियम (1) के उपबन्धों का पालन किये बिना एक से अधिक सोसाइटी का सदस्य बना रहे तो वह पंजीयक द्वारा इस संबंध में लिखित माँग किये जाने पर किसी अथवा ऐसी सभी सोसाइटियों की सदस्यता से निकाले जाने का पात्र होगा।

[1][(3) यदि सोसाइटी रजिस्ट्रार से अध्यपेक्षा प्राप्त होने के दो माह के भीतर कार्रवाही करने में असफल रहती है, तो रजिस्ट्रार ऐसे सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा सोसाइटी की सदस्यता से हटा सकेगा।]

[2][**26-क. किसी सदस्य द्वारा एक ही जिले में की सम्पूर्ण जोत पर उधार लिया जाना**—यदि किसी सदस्य के पास एक जिले में की एक से अधिक सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में कृषि जोत हो, तो वह उनमें से किसी एक सोसाइटी से जिसका वह सदस्य है, अपनी सम्पूर्ण जोत पर उधार प्राप्त करने के लिये पात्र होगा।]

27. सदस्य की ऋण सीमा का नियत किया जाना—सोसाइटी की कमेटी सदस्य की ऋण लेने की सीमा नियत करेगी जो सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग जिससे सोसाइटी संबंधित हो, उसके लिये पंजीयक के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर होगी।

[3][**28. डूबन्त ऋणों को बट्टे खाते डालना**—ऐसे समस्त उधारों को, जिनके अन्तर्गत उन पर ब्याज तथा उनके संबंध में वसूली प्रभार आते हैं, जो कि न वसूल होने योग्य पाये जाये तथा संपरीक्षा में डूबन्त ऋण के रूप में प्रमाणीकृत किये गये हो, और समस्त अन्य शोध्यों तथा संचित हानियाँ या सोसाइटी द्वारा हुआ कोई अन्य नुकसान जिनकी वसूली संभव न हो तथा जिनको संपरीक्षा में न वसूल होने योग्य के रूप में प्रमाणीकृत किया गया हो, प्रथम आरक्षित डूबन्त ऋण के नामे बट्टे खाते डाला जायेगा और बाकी, यदि कोई हो, आरक्षित निधि के तथा सोसाइटी की अंशपूंजी के नाम बट्टे खाते डाला जा सकेगा:

परन्तु यह कि—

(एक) ऐसे क्षेत्रों में, जहाँ सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'कमजोर बैंक' के रूप में घोषित किया गया हो, वहाँ बैंक से संबंध प्राथमिक कृषि साख सहकारी, साथ ही ऐसे बैंक भी ऋण तथा हानियों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति द्वारा प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर बट्टे खाते डाल सकेंगे।

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा जोड़ा गया।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा जोड़ा गया।
3. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-16-78-पन्द्रह-1, दिनांक 26-7-79 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ii) in the areas other than those mentioned in clause (i) above, no such bad debt or losses shall, be written off without the sanction of the general body;

(iii) before any such bad debt or losses are so written off, the society, if it is indebted to a financing bank, shall obtain the approval of such bank, in writing;

(iv) before any such bad debts or losses are so written off, the society, shall, obtain the approval of the Registrar in writing who may while giving approval, impose such conditions as to restoration of part or whole of the amount written off against the reserve fund from out of future profits, as he may deem fit;]

[1][(v) when a scheme of debt relief prepared by the State Government is implemented by a society, it may adjust its bad and doubtful reserve for writing off loans under the scheme.]

29. Restrictions on transactions with non-members — No society shall enter into any transactions with a person other than a member except those referred to in Sections 36 and 37, unless—

(i) the bye-laws of the society permit it to enter into such transactions; and

(ii) previous sanction of the Registrar has been obtained by the society.

[2][**30. Rate of contribution** — The contribution to be made by a society under Clause (b) of sub-section (2) of Section 43 shall be—

(a) one and one half, per cent of the net profit where the net profit does not exceed fifteen lakh rupees; and

(b) two per cent of the net profit, where the net profit exceeds fifteen lakh rupees].

31. Investment and use of funds other than reserve fund — (1) Subject to the provisions of Section 44, a society shall not, except with the previous sanction of the Registrar, invest and use the whole or any portion of its funds [2][(other than reserve or other fund created for specified

1. Added by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.
2. Subs. by notification No. 2561-1774-XV-1, dated 8-7-77.
3. Subs. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

(दो) उन क्षेत्रों, जो ऊपर खंड (एक) में उल्लेखित क्षेत्रों से भिन्न हों, सामान्य निकाय की मंजूरी के बिना ऐसा डूबन्त ऋण या हानियाँ बट्टे खाते नहीं डाली जायेंगी।

(तीन) किसी डूबन्त ऋण या हानियों को इस प्रकार बट्टे खाते में डाले जाने के पूर्व, सोसाइटी यदि वह वित्तदायी बैंक की ऋणी हो, ऐसे बैंक से लिखित में अनुमोदित अभिप्राप्त करेगी।

(चार) किसी ऐसे डूबन्त ऋण या हानियों के इस प्रकार बट्टे खाते डाले जाने के पूर्व, सोसाइटी लिखित में रजिस्ट्रार का अनुमोदन अभिप्राप्त करेगी जो अनुमोदन देते समय आरक्षित निधि के नामे बट्टे खाते डाली गई रकम में से पूरी रकम का या आंशिक रकम का भविष्य के लाभ से प्रत्यावर्त किये जाने के संबंध में ऐसी शर्तें, जैसी कि वह उचित समझे, अधिरोपित कर सकेगा।]

[1][(पांच) जब राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी किसी ऋण राहत स्कीम का क्रियान्वयन किसी सोसाइटी द्वारा किया जाता है तो वह अपनी डूबन्त तथा शंकास्पद ऋण आरक्षित निधि को उस स्कीम के अधीन उधारों को बट्टे खाते डालने के लिये समायोजित कर सकेगी।

29. असदस्यों से व्यवहार करने पर प्रतिबंध—कोई भी सोसाइटी सदस्य के अतिरिक्त, धारा 36 एवं 37 में निर्दिष्ट (व्यक्तियों) को छोड़कर, अन्य किसी व्यक्ति से कोई व्यवहार नहीं करेगी, जब तक कि—

(एक) सोसाइटी की उपविधि में ऐसा व्यवहार करने की स्वीकृति न दें, तथा

(दो) सोसाइटी द्वारा पंजीयक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो।

[2][**30. अंशदान की दर**—किसी सोसाइटी द्वारा धारा 43 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन किया जाने वाला अंशदान—

(क) शुद्ध लाभ का डेढ़ प्रतिशत होगा, जहाँ शुद्ध लाभ पन्द्रह लाख रुपये से अधिक न हो; और

(ख) शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत होगा, जहाँ शुद्ध लाभ पन्द्रह लाख रुपये से अधिक हो।]

31. रक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य निधियों का विनियोग एवं उपयोग - (1) धारा 44 के उपबंधों के अधीन रहते हुये सोसाइटी, पंजीयक की पूर्व स्वीकृति के बिना, अपनी निधियों [3][रक्षित या विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये निर्मित अन्य निधि को

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा जोड़ा गया।
2. अधिसूचना क्र. 2561-1774-पन्द्रह-1, दिनांक 8-7-77 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।

purposes)] in the purchase or lease of land or in acquisition, construction or renewal of any building or in the purchase of any machinery or mechanically propelled vehicle costing more than [1][the limit fixed by the Registrar from time to time] that may be necessary to conduct its business. The amount of the funds so invested shall be recouped on such terms as may be determined in each case by the Registrar.

(2) The provisions of sub-rule (1) shall not apply—

(a) to immovable property purchased—

(i) by a society at a sale held in execution of a decree obtained by it, for the recovery of any sum due to it; or

(ii) by a financing bank at a sale held in execution of a decree obtained by a society financed by it, for the recovery of any sum due to such society or at a sale brought about by the liquidator of such society; or

(b) to the purchase or lease of lands or purchase, construction or renewal of buildings by a society whose objects according to its byelaws include such purchase, lease construction or renewal.

(3) No recoupment of the amount invested under this rule shall be necessary where the investment is made—

(a) by a society from its building fund constituted out of profits; or

(b) by a society, other than a credit society, in which the share capital raised from the members is intended to built up the special kind of business for which it has been registered.

32. State aid to societies — (1) Subject to the provisions of the Act, the State Government may—

(i) make share capital contribution to a society; or

(ii) give loans or financial assistance or other to a society; or

(iii) guarantee the payment of the principal of debentures issued by a society or interest thereon or both; or

1. Subs. by notification No. F-5-23-83-1-XV, dated 10-1-84, for the words "five thousand rupees".

छोड़कर] को पूर्ण रूपेण या उसके किसी भाग को, भूमि के क्रय अथवा लीज पर लेने या किसी भवन के अर्जन, निर्माण या नवीनीकरण अथवा किसी यन्त्र या [1][रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर नियत की गई सीमा] से अधिक मूल्य के मशीन चालित वाहन के खरीदने, जो कि सोसाइटी के कारोबार को चलाने हेतु आवश्यक हो, विनियोग एवं उपयोग में न लायेगी। इस प्रकार विनियुक्त निधि की धनराशि ऐसे निबन्धनों पर पूरी की जावेगी जैसा कि पंजीयक प्रत्येक दशा में निश्चित करे।

(2) उपनियम (1) के उपबन्ध (निम्नलिखित को) लागू न होंगे—

(क) (निम्नानुसार) अचल सम्पत्ति खरीदने पर :—

(एक) सोसाइटी को देय रकम की वसूली के लिये उसके द्वारा प्राप्त किये गये जयपत्र (Decree) के निष्पादन में बिक्री होने पर सोसाइटी द्वारा खरीदी गई; या

(दो) वित्त प्रबंधक बैंक से अर्थ प्राप्त संस्था को देय रकम की वसूली के लिये सोसाइटी द्वारा प्राप्त किये गये जयपत्र के निष्पादन में बिक्री होने पर अथवा ऐसी संस्था के परिसमापक द्वारा किये गये विक्रय में, वित्त प्रबंधक बैंक द्वारा खरीदी गई; या

(ख) सोसाइटी जिसके उद्देश्यों में, उसकी उपविधियों के अनुसार खरीदी, लीज, निर्माण या नवीनीकरण सम्मिलित हो, उसके द्वारा भूमि की खरीदी या लीज, भवनों का निर्माण या नवीनीकरण।

(3) जबकि विनियोग—

(क) सोसाइटी के लाभ में से गठित भवन निधि में सोसाइटी द्वारा; अथवा

(ख) साख सोसाइटी के अतिरिक्त ऐसी सोसाइटी जिसके सदस्यों से उगाई गई अंशपूंजी विशेष प्रकार के व्यापार, जिसके लिये पंजीयन हुआ हो, उस व्यापार को दृढ़ करने के लिये किया गया हो,

तो उस नियम के अधीन विनियोग की पूर्ति करना आवश्यक नहीं होगा।

32. सोसाइटियों को राज्य की सहायता—(1) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुये राज्य शासन—

(एक) सोसाइटी की अंशपूंजी में अंशदान कर सकेगा; अथवा

(दो) सोसाइटी को कर्ज या आर्थिक अथवा अन्य सहायता दे सकेगा; अथवा

(तीन) सोसाइटी द्वारा जारी किये गये, ऋण पत्रों के मूलधन या उस पर के ब्याज अथवा दोनों के भुगतान की गारन्टी दे सकेगा; अथवा

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-23-83-1-पन्द्रह, दिनांक 10-1-84 द्वारा शब्द 'पाँच हजार रुपये' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(iv) guarantee the payment of the principal of, and payment of interest on, loans and advances given by the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any other authority constituted under any law for the time being in force; or

(v) grant state aid in any other form to a society under Section 45, on the following terms and conditions, namely :—

(a) When the State Government purchases shares in a society, it shall be entitled to dividend on the said shares as is declared by the society concerned and is payable to other members of that society;

(b) A society receiving state aid shall not pay any dividend or distribute or take any profit in excess of such percentage rate upon the amount of the capital of the society as the State Government may, from time to time, fix;

(c) A society receiving state aid shall, with the approval of the Registrar appoint a paid secretary or manager of the society;

(d) A society receiving state aid shall be bound—

(i) to comply with any general or special order of the State Government relative to the inspection of the society;

(ii) to permit the inspection of all accounts relative to the society;

(iii) to maintain such accounts and to furnish such statements and returns as the State Government or the Registrar may, from time to time, require; and

(iv) to comply with any order or condition issued or imposed by the State Government as may in its opinion be necessary or expedient to safeguard its interest.

[1][(1-A) A society receiving state aid shall appoint employees in accordance with a staffing pattern approved by—

1. Added by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.

(चार) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या तत्समय प्रचलित किसी विधि के अंतर्गत गठित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिम के मूलधन के भुगतान तथा ब्याज के भुगतान की गारन्टी दे सकेगा; अथवा

(पांच) धारा 45 के अधीन सोसाइटी को किसी अन्य प्रकार से राज्य सहायता निम्नलिखित निबन्धनों तथा शर्तों पर दे सकेगा; अर्थात्—

(क) जब राज्य शासन किसी संस्था के अंशों को खरीदे तो कथित अंशों पर वह उतना ही लाभांश प्राप्त करने का अधिकारी होगा जैसा कि संबंधित सोसाइटी द्वारा घोषित किया गया हो, तथा उस सोसाइटी के अन्य सदस्यों को देय हो;

(ख) राज्य सहायता प्राप्त करने वाली सोसाइटी उस प्रतिशत दर से, जो राज्य शासन समय-समय पर नियत करे, अधिक न तो लाभांश देगी और न ही कोई लाभ बांटेगी या लेगी;

(ग) राज्य सहायता प्राप्त करने वाली सोसाइटी पंजीयक के अनुमोदन से सोसाइटी का वेतन भोगी मंत्री अथवा व्यवस्थापक नियुक्त करेगी;

(घ) राज्य सहायता प्राप्त करने वाली सोसाइटी निम्नलिखित के लिये बाध्य होगी—

(एक) सोसाइटी के निरीक्षण संबंधी राज्य शासन के किसी सामान्य या विशेष आदेश के पालन के लिये,

(दो) सोसाइटी से संबंधित सभी हिसाबों के निरीक्षण करने के लिये;

(तीन) ऐसे हिसाबों को रखने तथा ऐसे पत्रकों तथा विवरण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिये, जैसी राज्य शासन अथवा पंजीयक समय-समय पर अपेक्षा करें; तथा

(चार) राज्य शासन द्वारा जारी कोई आदेश अथवा लगाई गई कोई शर्त, जैसी उसकी राय में उसके हितों की रक्षा के लिये आवश्यक या इष्टकर हो, उसका पालन करने के लिये।

[1][(1-क) कोई ऐसी सोसाइटी जो राज्य सहायता प्राप्त करती है, अपने कर्मचारियों की नियुक्ति निम्नलिखित द्वारा अनुमोदित स्टाफिंग पेटर्न से करेगी—

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा जोड़ा गया।

(i) the State Government if so directed by the State Government, or

(ii) the Registrar in other cases.]

(2) If the society to which state aid has been given in any form, fails to comply with any order made under the Act or the rules framed thereunder or commits any breach of any terms or conditions laid down for the grant of state aid, or if on inspection of accounts, returns, statements or audit report of such society the State Government is of opinion that state aid should be withdrawn, the State Government may after considering any representation which the society may make within such time as the State Government may allow, in this behalf, make an order directing—

(i) that the balance of any loan outstanding shall be recoverable forthwith;

(ii) that the guarantee given shall cease from the date of such order;

(iii) that the full value of any other state aid given and enjoyed till the date of the order shall be payable forthwith and the grant of such state aid beyond such date shall be discontinued.

(3) The State Government may set out other terms or conditions on which it shall provide state aid to a society.

33. Employee's Provident Fund — A society which has established a contributory Provident Fund for the benefit of its employees under sub-section (1) of Section 46 shall, with the previous approval of the Registrar, frame regulations for the maintenance and utilisation of such Fund. Among other matters such regulations shall provide for the following :—

(a) authority administering the contributory Provident Fund;

(b) category of employees entitled to contribute to the Provident Fund;

(c) amount of contribution to be deducted from the employee's salary;

(d) the rate of contribution to be made by the society;

(e) mode of nomination for payment of the amount of the contributory Provident Fund in case of employee's death;

(f) mode of investment of the contributory Provident Fund and payment of interest thereon;

(g) the purpose for which and the extent to which advances may be made against the security of the contributory Provident Fund and the period after which this could be done and number of monthly instalments in which it is to be recouped;

(1) राज्य सरकार, यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसा निदेशित किया जाये, या

(2) अन्य मामलों में रजिस्ट्रार।]

(2) यदि कोई सोसाइटी, जिसे किसी भी रूप में राज्य सहायता दी गई हो, अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत दिये गये किसी आदेश का पालन न करे अथवा राज्य सहायता प्रदान करने के लिये लगाये गये किसी निर्बन्धन या शर्तों का उल्लंघन करें, अथवा ऐसी सोसाइटी के हिसाब, विवरण पत्रों, पत्रकों अथवा आडिट रिपोर्ट के निरीक्षण पर राज्य शासन की यह राय हो कि राज्य सहायता वापस ली जाना चाहिये तो राज्य शासन ऐसे प्रतिवेदन पर, जो कि सोसाइटी उतने समय में प्रस्तुत करे, विचार करने के पश्चात् निम्न निर्देश करते हुये आदेश दे सकेगा—

(एक) कि किसी भी बकाया ऋण का कोई शेष तुरन्त ही देय हो जावेगा,

(दो) कि ऐसे आदेश की तिथि से दी गई गारंटी समाप्त हो जावेगी,

(तीन) आदेश होने के दिनांक तक दी गई तथा उपयोग में लाई गई, कोई अन्य राज्य सहायता का सम्पूर्ण मूल्य तुरन्त देय हो जावेगा तथा ऐसे दिनांक के पश्चात् ऐसी राज्य सहायता बन्द हो जावेगी।

(3) राज्य शासन अन्य निबन्धनों अथवा शर्तों को निर्मित कर सकेगा, जिन पर वह सोसाइटी को सहायता देगा।

33. कर्मचारियों की भविष्य निधि—सोसाइटी जिसने धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन अपने कर्मचारियों के लाभ के लिये अंशदायी भविष्य निधि की स्थापना की हो, पंजीयक की पूर्व स्वीकृति से ऐसी निधि को बनाये रखने तथा उपयोग में लाने के लिये विनियम बनायेगी। ऐसे विनियम में अन्य बातों के साथ निम्न बातें होंगी—

(क) अंशदायी भविष्य निधि का प्रशासन करने वाला अधिकारी;

(ख) कर्मचारियों की श्रेणी, जो भविष्य निधि में अंशदान करने की अधिकारी होगी;

(ग) कर्मचारी के वेतन से काटा जाने वाला अंशदान;

(घ) सोसाइटी द्वारा दिये जाने वाले अंशदान की दर;

(ङ) कर्मचारी की मृत्यु की दशा में अंशदायी भविष्य निधि की रकम का भुगतान करने के लिये नामांकन का तरीका;

(च) अंशदायी भविष्य निधि के विनियोग तथा उस पर ब्याज देने की रीति;

(छ) वह उद्देश्य, जिसके लिये, सीमा जहाँ तक कि अंशदायी भविष्य निधि की प्रतिभूति पर अग्रिम दिये जा सकें तथा अवधि जिसके पश्चात् यह दिया जा सके तथा मासिक किश्तों की संख्या, जिनमें कि उसकी आपूर्ति की जाना हो;

(h) refund of employee's contribution and contribution made by the society;

(i) maintenance of accounts in respect of Contributory Provident Fund, withdrawals and such other matters as may be necessary in such form as may be specified by the Registrar;

(j) the authority to which disputes, if any, between employees and the society shall be referred.

CHAPTER V

MANAGEMENT OF SOCIETIES

34. General Meetings — [1][(1) Within a period of three months from the date of registration of a society or such further period as may be allowed by the Registrar, the first signatory to the application for registration of a society shall convene its first annual general meeting for election of members of its committee, and if he fails to do so, such meetings shall be convened by any person authorised in this behalf by the Registrar :

Provided that nothing contained in this sub-rule shall apply to the societies where there is a provision for the nomination of the committee by the Registrar for a period specified in the byelaws of such society.]

(2) All general meetings of a society excepting the first annual general meeting shall be convened by the Secretary of the society or any other officer authorised by or under its bye-laws to convene such meetings.

[2][(3) Unless otherwise provided in the bye-laws, notice of the general meeting stating the place, date and hour of the meeting together with a statement of business to be transacted thereat, shall be sent to every member 14 days before the date of meeting by—

[1][(a)(i) registered post in case of a society whose head-quarter is situated in urban area;

(a)(ii) ordinary post under certificate of posting or by hand delivery if number of members of the society is less than 250; or]

(b) ordinary post under certificate of posting if number of members of society exceeds 250, in which case notice shall also be published in a local Hindi newspaper in circulation in the area of the society :

1. Subs. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
2. Subs. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.

(ज) कर्मचारियों के अंशदान तथा सोसाइटी द्वारा किये गये अंशदान की वापसी;

(झ) अंशदायी भविष्य निधि प्रत्याहरण तथा ऐसी अन्य बातें जो आवश्यक हों, उनके संबंध में ऐसे रूप में जैसा कि पंजीयक निर्दिष्ट करे, हिसाबों का रखा जाना;

(ञ) प्राधिकारी, जिसे सोसाइटी तथा कर्मचारियों के बीच विवाद को, यदि कोई हो, निर्देश किया जावेगा।

अध्याय पांच

संस्थाओं का प्रबंध

34. साधारण सम्मिलन—[1][(1) किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन की तारीख से तीन महीने की कालावधि के भीतर या ऐसी और कालावधि जैसी कि रजिस्ट्रार द्वारा अनुज्ञात की जाये, सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन पर प्रथम हस्ताक्षरकर्ता, कमेटी के सदस्यों का चुनाव करने के लिये प्रथम वार्षिक साधारण सम्मिलन बुलायेगा, और यदि वह ऐसा करने में असफल रहे तो रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा सम्मिलन बुलाया जायेगा:

परन्तु इस उपनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात उन सोसाइटियों को लागू नहीं होगी, जहाँ कि ऐसी सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये रजिस्ट्रार द्वारा समिति के नामनिर्देशन के लिये उपबंध हो।]

(2) प्रथम वार्षिक साधारण सम्मिलन को छोड़कर सोसाइटी की सभी साधारण सम्मिलन संस्था के मंत्री अथवा उपविधियों के अधीन ऐसे आहुत करने हेतु प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा बुलाई जावेगी।

[2][(3) उपविधियों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, साधारण सम्मिलन की सूचना उसमें सम्मिलन का स्थान तारीख व समय का उल्लेख करते हुये और उस सम्मेलन में किये जाने कामकाज के विवरण के साथ, उसे सम्मिलन के दिनांक से 14 दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को—

[1][(क)(एक) ऐसी सोसाइटी के मामले में, जिसका मुख्यालय नगरीय क्षेत्र में हो, रजिस्ट्रीकृत डाक से;

(क)(दो) डाक प्रमाण-पत्र के अधीन साधारण डाक से या व्यक्तिशः प्रदत्त करके यदि सोसाइटी की सदस्य संख्या 250 से कम हो; या]

(ख) डाक प्रमाण-पत्र के अधीन साधारण डाक से, यदि सोसाइटी की सदस्य संख्या 250 से अधिक हो और ऐसे मामलों में सूचना सोसाइटी के क्षेत्र में प्रसारित स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्र में भी प्रकाशित कराई जायेगी;

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][Provided that when the general meeting or special general meeting of any class of the societies in a district is to take place on same day, such notice shall be sent under certificate of posting to every member by the society concerned, alongwith the publication of one notice on behalf of all such societies in the local Hindi newspaper under the authority of the Registrar shall be sufficient.]

35. Special general meeting called by the Registrar, or any person authorised by him — Notwithstanding anything contained in these rules or bye-laws of a society as to the mode of summoning a general meeting and the period of notice to be given for the said purpose, the Registrar or any person authorised by him in this behalf, may call a special general meeting, under subsection (2) of Section 50, in such manner and at such date, time or place as he may direct and may specify what matters shall be discussed in the meeting.

The Registrar or the person authorised by him in this behalf shall preside at such meeting and exercise all the powers and perform all the duties of the President of a meeting including the power to adjourn the meeting to a date to be specified by him, but shall have no vote unless he is a member of the society. In the event of equality of votes, he shall have a casting vote except in the matter of election of the members of the committee where the question shall be decided by drawing lots.

36. President of general meeting — The President or in his absence the Vice-President or in the absence of both a member elected by the members present at the meeting shall preside over the general meeting:

Provided that a general meeting convened under sub-rule (1) of Rule 34 shall be presided over by a member elected by the members present at such meeting:

[2][Provided further that where the term of the committee of a society has expired under clause (in) of sub-section (7-A) of Section 49, or the powers of the committee are deemed to have been vested in Registrar under sub-section (8) of Section 49, or the committee of the society has been removed under sub-section (1) of Section 52-A, or the committee of the society has been superseded or suspended under Section 33, or a person or committee has been appointed under sub-section (13) of Section 53; the general meeting shall be presided over by such person as may be authorised by the Registrar.]

1. Subs. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
2. Subs. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.

[1][परन्तु जब जिले में सोसाइटियों के किसी वर्ग का साधारण सम्मिलन या विशेष साधारण सम्मिलन उसी दिन होना हो तो ऐसी सूचना संबंधित सोसाइटी द्वारा प्रत्येक सदस्य को डाक प्रमाण-पत्र के अधीन भेजी जायेगी, साथ ही ऐसी समस्त सोसाइटियों की ओर से रजिस्ट्रार के प्राधिकार के अधीन स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में एक सूचना का प्रकाशन किया जाना पर्याप्त होगा।]

35. पंजीयक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा आहुत विशेष साधारण सम्मिलन—इन नियमों अथवा सोसाइटी की उपविधियों में साधारण सम्मिलन की कथित आशय के लिये दी जाने वाली सूचना की अवधि के संबंध में किसी भी बात के रहते हुये भी पंजीयक अथवा इस कार्य के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन विशेष साधारण सम्मिलन ऐसी रीति से एवं ऐसे दिनांक, समय अथवा स्थान पर जैसा कि वह निर्देश दे एवं उल्लेख करे कि सम्मिलन में किस बात पर चर्चा की जायेगी, विशेष साधारण सम्मिलन आहुत कर सकेगा।

पंजीयक अथवा इस कार्य के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ऐसी सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा एवं सम्मिलन के अध्यक्ष की सभी शक्तियों का उपयोग एवं कर्तव्य का, जिसमें सम्मिलन को आगे के दिनांक जो कि उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जावे, पर बढ़ाना भी सम्मिलित है, पालन करेगा, किन्तु जब तक वह सोसाइटी का सदस्य न हो उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जबकि मतों की संख्या समान हो, कमेटी के सदस्यों के चुनाव के मामले के अतिरिक्त, जबकि उसका हल पर्ची डालकर विनिश्चित किया जायेगा, उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

36. साधारण सम्मिलन का अध्यक्ष—अध्यक्ष, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, दोनों की अनुपस्थिति में सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य साधारण सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा:

किन्तु शर्त यह है नियम 34 के उपनियम (1) के अधीन आहुत साधारण सम्मिलन की अध्यक्षता ऐसी सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया सदस्य करेगा।

[2][परन्तु यह और भी कि जहाँ किसी सोसाइटी की समिति का कार्यकाल धारा 49 की उपधारा (7-क) के खंड तीन के अधीन समाप्त हो गया हो, या धारा 49 की उपधारा (8) के अधीन समिति की शक्तियाँ रजिस्ट्रार में निहित हो गई समझी गई हो, या धारा 52-क की उपधारा (1) के अधीन सोसाइटी की समिति को हटा दिया गया हों या धारा 53 की के अधीन सोसाइटी की समिति को अधिष्ठित या निलंबित कर दिया गया है, या धारा 53 की उपधारा (13) के अधीन किसी व्यक्ति या समिति को नियुक्त कर दिया गया हो, तो साधारण सम्मिलन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जायेगी जो कि रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किया जाये।]

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।

37. Quorum for general meeting — [1][(1) Unless otherwise provided in the bye-laws of a society the quorum for general meeting shall be 1/10 or 50 of the total number of members on the date of the notice of the meeting.]

(2) No business shall be transacted at any meeting unless there is a quorum at the time when the business of the meeting is to commence.

[2][(3) If within half an hour from the time fixed for the meeting, no quorum is formed, meeting unless otherwise stated in the notice for calling the meeting, shall be adjourned by the President to such date, time and place as he may announce and no quorum shall be necessary for the adjourned meeting and only those agenda items shall be discussed, which were circulated to the members along with the notice in the adjourned meetings :

Provided that the meeting which has been called on the requisition of members, under sub-section (1) of Section 50 shall not be adjourned but dissolved.]

(4) [3][***]

38. Minutes of general meeting — (1) Minutes of proceedings of general meetings shall be entered in a minutes book kept for that purpose and shall be signed by the President of the meeting. The minutes so signed shall be evidence of the correct proceedings of that meeting.

(2) Until the contrary is proved, every general meeting of a society in respect of the proceedings whereof minutes have been so recorded, shall be deemed to have been duly called and held.

[4][(3) The minutes of general meeting or special general meeting, as the case may be, shall be sent to each member of the society under certificate of posting duly signed by the Chairman of the meeting, within 30 days from the date of such meeting.]

39. Voting in general meeting — [5][(1) [2][(a) Every member or delegate of the society, where there is a provision in the byelaws of the society to constitute a general meeting by the delegates or representatives sent from other societies shall have only one vote.] All resolutions which are put to vote at the general meeting shall be decided by a majority of members present and voting;

1. Subs. by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.
2. Subs. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
3. Omitted by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
4. Ins. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
5. Subs. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.

37. साधारण सम्मिलन के लिये गणपूर्ति (Quorum)—[1][(1) सोसाइटी की उपविधियों में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, साधारण सम्मिलन की गणपूर्ति सम्मिलन की सूचना की तारीख को कुल सदस्य संख्या के एक बटा दस से या पचास से होगी।]

(2) किसी भी सभा में तब तक कोई कामकाज नहीं किया जावेगा जब तक कि सभा का कामकाज प्रारंभ होने के समय गणपूर्ति न हो।

[2][(3) यदि सम्मिलन के लिये नियत समय के आधा घंटा के भीतर गणपूर्ति न हो तो, सम्मिलन, जब तक कि सम्मिलन बुलाये जाने के सूचना-पत्र में अन्यथा उल्लिखित न हो, सभापति द्वारा ऐसी तारीख, ऐसे समय और स्थान के लिये स्थगित कर दिया जायेगा जैसा कि वह घोषित करे और स्थगित सम्मिलन के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी और स्थगित सम्मिलन में सदस्यों को सूचना के साथ परिचालित की गई कार्यसूची के विषयों पर ही चर्चा की जायेगी:

परन्तु सम्मिलन जो धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन सदस्यों की अध्यपेक्षा पर बुलाया गया हो, स्थगित नहीं किया जायेगा, किन्तु विघटित कर दिया जायेगा।]

(4) [3][* * *]

38. साधारण सम्मिलन के कार्यवृत्त—(1) साधारण सम्मिलन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त उस आशय के लिये रखी गई पुस्तक में अंकित किये जावेंगे तथा उस पर सम्मिलन के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे। इस प्रकार से हस्ताक्षरित कार्यवृत्त उस सम्मिलन की सही कार्यवाहियों का साक्ष्य होगा।

(2) जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न किया जाये, सोसाइटी का प्रत्येक साधारण सम्मिलन जिसकी कार्यवाहियों के संबंध में कार्यवृत्त इस प्रकार लेखबद्ध किये गये हों, विधिवत बुलाई गई तथा की गई समझा जायेगी।

[4][(3) यथास्थिति, साधारण सम्मिलन या विशेष साधारण सम्मिलन, के कार्यवृत्त ऐसे सम्मिलन की तारीख से 30 दिन के भीतर, सम्मिलन के सभापति द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित, सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को डाक प्रमाण-पत्र के अधीन भेजा जायेगा।]

39. साधारण सम्मिलन में मतदान—[5][(1) [2][(क) सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य या प्रत्यायुक्त का, जहाँ सोसाइटी की उपविधियों में अन्य सोसाइटियों से भेजे गये प्रत्यायुक्तों या प्रतिनिधियों द्वारा साधारण सम्मिलन का गठन किये जाने का उपबंध हो, केवल एकमत होगा।] साधारण सम्मिलन में मतदान के लिये रखे गये समस्त संकल्प उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे।

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा विलोपित।
4. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा अन्तःस्थापित।
5. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।

(b) Unless otherwise required by the Act, rules or bye-laws of a society, voting shall be by show of hands unless a poll is demanded by at least ten members present at the meeting;

(c) If no poll is demanded, a declaration by the President that a resolution has been carried or lost and an entry to that effect in the minutes of the proceedings shall be conclusive proof of the fact that such resolution has been duly carried or lost but it shall not be proof of the number or proportion of the votes recorded in favour or against such resolution.]

(2) If a poll is demanded the vote shall be taken by ballot in such manner as the President may direct subject to any provision in the bye-laws in this behalf and the result of this poll shall be deemed to be decision of the general meeting regarding the resolution over which the poll is demanded.

(3) When a poll is taken, the number of members voting for or against a resolution shall be recorded in the minutes of the proceedings.

(4) In the case of an equality of Votes, whether on a show of hands or on a poll, the President of the meeting at which the show of hands takes place or the poll is taken, shall have a second or casting vote.

40. Election of members of committee by general body — [1][(1) A society may, for the purpose of election of members to its committee divide its membership into different groups on a territorial or any other basis to be specified in its bye-laws :]

[2][Provided that where the membership is so divided, provision shall be made for the reservation of seats for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and women, as laid down in Section 48 and Section 52-B of the Act.]

(2) The bye-laws of such a society may specify the number or proportion of the members of the committee who may be elected to represent each such group on the committee and may specify further that such representatives may be elected—

(a) by all the members of the society; or

(b) by only that particular group of members of the society to which such representatives belong.

1. Subs. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.
2. Subs. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

(ख) अधिनियम, नियम या सोसाइटी की उपविधियों में अन्यथा अपेक्षित किये गये के सिवाय या जब तक सम्मिलन में उपस्थित कम से कम दस सदस्यों द्वारा मतदान की माँग न की गई हो, मतदान हाथ उठाकर किया जायेगा।

(ग) यदि मतदान की माँग न की गई हो तो अध्यक्ष द्वारा यह घोषणा कि कोई संकल्प स्वीकृत किया गया है या गिर गया है और कार्यवाही के कार्यवृत्त में इस प्रभाव की की गई प्रविष्टि इस तथ्य का निश्चात्मक सबूत होगी कि ऐसा संकल्प सम्यक् रूप से स्वीकृत किया गया है या गिर गया है। किन्तु यह मतों की संख्या या अनुपात, जो ऐसे संकल्प के पक्ष में या विरुद्ध अभिलिखित किये गये हों, का सबूत नहीं होगा।]

(2) यदि मतदान की माँग की गई तो मतों का संग्रह मत-पत्रों द्वारा, ऐसी रीति से जो कि अध्यक्ष इस संबंध में उपविधियों के किसी उपबंध के अधीन रहते हुये निर्देश करे, किया जावेगा एवं प्रस्ताव के संबंध में जिस पर कि मतदान की माँग की गई हो, मतदान का निर्णय साधारण सम्मिलन का निर्णय माना जावेगा।

(3) जब मतदान हो, संकल्प के पक्ष या विपक्ष में मत देने वाले सदस्यों की संख्या कार्यवृत्त पुस्तक में लेखबद्ध की जावेगी।

(4) चाहे हाथ उठाकर अथवा मतदान में, बराबर मत होने की दशा में, सम्मिलन के अध्यक्ष को, जिसमें हाथ उठवाये गये हों या मतदान किया गया हो, दूसरा अथवा निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

40. साधारण निकाय द्वारा कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन—[1][(1) सोसाइटी, अपनी समिति में सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिये, उसकी सदस्यता को, क्षेत्रीय अथवा अन्य किसी आधार पर जैसा कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाये, विभिन्न समूहों में विभाजित कर सकेगी:]

[2][परन्तु जहाँ सदस्यता इस प्रकार विभाजित हो, वहाँ अधिनियम की धारा 48 और 52-ख में अधिकथित किये गये अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिये आरक्षित स्थानों के लिये उपबंध किया जायेगा।]

(2) ऐसी सोसाइटी की उपविधियाँ कमेटी के सदस्यों की संख्या अथवा अनुपात निर्दिष्ट कर सकेंगी जो ऐसे प्रत्येक समूह का प्रतिनिधित्व कमेटी में करने के लिये निर्वाचित किये जा सकेंगे तथा आगे यह भी निर्दिष्ट कर सकेंगी कि ऐसे प्रतिनिधियों का निर्वाचन निम्न रूप से हो सकेगा—

(क) सोसाइटी से सभी सदस्यों द्वारा, अथवा

(ख) ऐसे प्रतिनिधि जिस समूह के हों सोसाइटी के सदस्यों के केवल उस विशिष्ट समूह द्वारा जिससे कि ऐसे प्रतिनिधि संबंधित हों।

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।

41. [1][Procedure for election of members of the committee [2][***] — [1][(1) (a) Subject to the provisions of subsection (6) of Section 49 the election of members of the committee [2][***] shall be held in the annual general meeting or special general meeting, as the case may be, of the society :

[3][Provided that where in the byelaws of any Central or Apex Society, there is a provision for *suo motu* formation of committee by the representatives of its affiliated societies, the provisions of the sub-rules (2) to (24) of Rule 41 shall not apply.]

(b) such election shall take place after all other matters, included in the agenda, have been considered.

(2) Not less than ten days before the date fixed for the [4][annual general meeting or the special general meeting of a society, as the case may be] the Returning Officer shall paste a notice on the notice board of the society, stating—

(a) the number of members to be elected;

(a-1) [2][***]

(b) the last date for making nominations, which shall not be later than seven days before the date fixed for holding the said meeting, the hours between which, the place at which and the person to whom nomination papers shall be presented;

[5][(c) The date on which, the place at which and hours between which scrutiny of nomination papers shall be made and the date and place of polling, if necessary;]

(d) the last date for the withdrawal of candidatures;

[1][(d-1) the date for co-option against vacant seats of committee members, [2][***] if any;]

[6][(e) the date for election of Chairman/President, Vice-Chairman/Vice-President and representatives to be sent to other societies and such other officers as specified in byelaws.]

1. Subs. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.
2. Omitted by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
3. Ins. by notification No. F-5-5-97-XV-1, dated 12-3-97.
4. Subs. by notification No. F-5-4-78-XV-1, dated 15-4-78.
5. Subs. by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.
6. Subs. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

41. [1][समिति के सदस्यों [2][* * *] के लिये निर्वाचन प्रक्रिया]—[1][(1) (क) धारा 49 की उपधारा (6) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये समिति के सदस्यों [2][* * *] का निर्वाचन, सोसाइटी के यथास्थिति वार्षिक सम्मेलन या विशेष साधारण सम्मिलन में किया जायेगा।

[3][परन्तु जहाँ किसी भी केन्द्रीय/शीर्ष सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में उससे संबद्ध सोसाइटियों के प्रतिनिधियों द्वारा स्वमेव कमेटी (समिति) विरचित किये जाने का उपबंध हो, वहाँ नियम 41 के उपनियम (2) से (24) तक के उपबंध लागू नहीं होंगे।]

(ख) ऐसा निर्वाचन कार्यसूची में सम्मिलित किये गये समस्त अन्य विषयों पर विचार कर लिये जाने के पश्चात् किया जायेगा।

(2) [4][सोसाइटी का वार्षिक साधारण सम्मेलन या विशेष साधारण सम्मिलन जैसी भी स्थिति हो] के लिये नियत दिनांक से कम से कम 10 दिन पूर्व निर्वाचन पदाधिकारी संस्था के सूचना बोर्ड पर सूचना चिपकावेगा, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख होगा—

(क) निर्वाचन किये जाने वाले सदस्यों की संख्या;

(क-1) [2][* * *]

(ख) नियोजन करने का अंतिम दिनांक, जो कि होने वाले कथित साधारण सम्मिलन के लिये निर्धारित दिनांक से पूर्व के सात दिन के बाद न हो, समय जिस बीच में, स्थान जहाँ पर तथा वह व्यक्ति जिसे नियोजन-पत्र प्रस्तुत किये जावेंगे;

[5][(ग) वह तारीख जिस पर, वह स्थान जहाँ पर और वे घंटे, जिनके बीच नाम निर्देशन-पत्रों की छानबीन की जायेगी और यदि आवश्यक हो तो मतदान की तारीख और स्थान;]

(घ) उम्मीदवारी वापस लेने का अंतिम दिनांक;

[1][(घ-एक) समिति के सदस्यों [2][* * *] के रिक्त स्थानों यदि कोई हो, के लिये सहयोजन करने की तारीख।]

[6][(ङ) सभापति/अध्यक्ष/उपसभापति/उपाध्यक्ष तथा अन्य सोसाइटियों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों तथा उपविधियों में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य अधिकारियों के निर्वाचन की तारीख।]

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा विलोपित।
3. अधिसूचना क्र. एफ-5-5-97-पन्द्रह-1, दिनांक 12-3-97 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-78-पन्द्रह-1, दिनांक 15-4-78 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) Every nomination paper shall be signed by two members of the group, if any, of the society to which they belong, as proposer and seconder, and the candidate of that group shall sign a declaration on it expressing his willingness to stand for election :

[1][Provided that where the number of members or voters in a group is less than seven the nomination paper shall be signed by only one member of the group.]

(4) A member of a group, if any, may sign as proposer or seconder as many nomination papers as there are vacancies to be filled in the group. Each candidate shall be nominated by a separate nomination paper.

[2][(5) If a candidate files more than one nomination paper for any post, then all the nomination papers shall be scrutinized by the Returning Officer and the candidate shall be entitled to contest the election on the basis of any valid nomination paper.]

(6) Each candidate, either personally or through his proposer or seconder, shall deliver a nomination paper in Form 'G' to the person specified under clause (b) of sub-rule (2).

[3][(7) The person to whom the nomination paper is to be delivered shall on receiving the nomination paper, enter thereon the serial number of its receipt and shall endorse thereon the date on which and the time at which the nomination paper was delivered to him. He shall acknowledge receipt of the nomination paper. He shall also enter the name of the proposer, seconder and the candidate and the office which the candidate seeks to contest in a register in the order in which nomination papers are received. When any person has signed as proposer or/and seconder, on a larger number of nomination papers than vacancies are to be filled, those of the papers so signed which have been first received upto the number of the vacancies to be filled shall only be deemed to be valid.]

[4][(7-A) On presentation of nomination paper, the Returning Officer or the person authorised by him under clause (b) of sub-rule (2) shall satisfy himself that the name of the society and its registration number and the names and serial numbers in the list of members of the candidate and his proposer and seconder as entered in the nomination paper are the same as those entered in the list of members :

1. Ins. by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.
2. Subs. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
3. Subs. by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.
4. Ins. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.

(3) प्रत्येक नियोजन-पत्र पर सोसाइटी के समूह यदि कोई हो, के दो सदस्यों के प्रस्ताव तथा अनुमोदन के रूप में हस्ताक्षर होंगे एवं उस समूह का उम्मीदवार इस पर निर्वाचन के लिये खड़े होने की सहमति प्रकट करते हुये घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा।

[1][परन्तु जहाँ किसी समूह में निर्वाचकों में सदस्यों की संख्या 7 से कम हो वहाँ नाम निर्देशन पत्र पर उस समूह के केवल एक सदस्य द्वारा ही हस्ताक्षर किया जायेगा।]

(4) समूह यदि कोई हो, का सदस्य प्रस्तावक अथवा अनुमोदक के रूप में उतने नियोजन-पत्रों पर हस्ताक्षर कर सकता है, जितने रिक्त स्थान उस समूह से भरे जाना हो। प्रत्येक उम्मीदवार का नियोजन अलग-अलग नियोजन-पत्र द्वारा होगा।

[2][(5) यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी पद के लिये एक से अधिक नामांकन-पत्र दाखिल किये जाते हैं तो उन समस्त नामांकन पत्रों को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संवीक्षा की जायेगी, तथा अभ्यर्थी किसी भी वैध नामांकन-पत्र के आधार पर निर्वाचन लड़ने का हकदार होगा।]

(6) प्रत्येक उम्मीदवार या तो व्यक्तिगत रूप में अथवा उसके प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा नियोजन-पत्र 'प्रारूप-छ' में उपनियम दो के खण्ड 'ख' में निर्दिष्ट व्यक्ति को सौंपेगा।

[3][(7) वह व्यक्ति, जिसे नाम निर्देशन पत्र दिया जाना है, नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त होने पर उसके ऊपर उसकी प्राप्ति का अनुक्रमांक और वह समय और तारीख दर्ज करेगा जबकि उसे वह दिया गया हो। वह नाम निर्देशन पत्र की प्राप्ति की रसीद देगा। वह प्रस्तावक, अनुमोदक तथा अभ्यर्थी के नामों और वह पद जिसके लिये अभ्यर्थी चुनाव लड़ना चाहता है, रजिस्टर में उस क्रम में प्रविष्ट करेगा जिसमें नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुये हों। यदि किसी व्यक्ति ने भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या से अधिक संख्या में नाम निर्देशन पत्रों पर प्रस्तावक या/तथा अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर किये हो तो इस प्रकार हस्ताक्षरित उन पत्रों में से रिक्तियाँ भरी जाने की संख्या तक प्रथमतः प्राप्त किये गये नामनिर्देशन पत्र ही वैध समझे जायेंगे।]

[4][(7-क) नाम निर्देशन पत्र के प्रस्तुत किये जाने पर रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा उप नियम (2) के खंड (ख) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति अपना यह समाधान करेगा कि नाम निर्देशन पत्र में यथाप्रविष्ट सोसाइटी का नाम और उसका रजिस्ट्रीकरण क्रमांक, अभ्यर्थी और उसके प्रस्तावक और अनुमोदक के नाम और सदस्य सूची का अनुक्रमांक वे ही हैं जो सदस्य सूची में प्रविष्ट हैं;

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा अन्तःस्थापित।

Provided that no misnomer or inaccurate description or clerical, technical or printing error in regard to the name of the candidate or his proposer or seconder or in regard to any place mentioned in the list of members or the nomination paper and no clerical, technical or printing error in regard to the list of members, serial number of any such person in the list of members or the nomination paper shall affect the full operation of the list of members or the nomination paper with respect to such person or place in any case where the description in regard to the name of the person or place is such as to be commonly understood, and the Returning Officer or the person authorised by him shall permit any such misnomer or inaccurate description or clerical, technical or printing error to be corrected and where necessary, direct that any such misnomer, inaccurate description clerical, technical or printing error in the list of members or in the nomination paper shall be overlooked. Further that if there are any blanks in the nomination paper the Returning Officer or the person receiving the nomination paper shall get such blanks filled in before recording his endorsement on the same.]

[1][(8) No nomination paper shall be received after the date and time fixed under clause (b) of sub-rule (2). The person authorised to receive nomination papers shall on each day prepare a list of candidates alongwith their proposers, seconders and offices and exhibit the same on the notice board at the place fixed for receipt of nominations.]

[1][(9) (a) Nomination papers duly received shall be scrutinized by the Returning Officer on the date fixed for the scrutiny under clause (c) of sub-rule (2);

(b) It shall be open to the persons filling the nomination paper to be present at the time of scrutiny;

(c) The Returning Officer shall not reject any nomination paper on the ground of any defect which is not of a material character nor shall it be rejected on the ground of any irregularity in respect of a nomination form, if the candidate has been duly nominated by means of another nomination form, in respect of which no irregularity has been committed;

1. Subs. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.

परन्तु सदस्य सूची या नाम निर्देशन पत्र में वर्णित अभ्यार्थी या उसके प्रस्तावक या अनुमोदक का नाम या किसी स्थान के बारे में किसी नाम की गलती या अशुद्ध वर्णन अथवा लेखन, तकनीकी या मुद्रण संबंधी त्रुटि का और सदस्य सूची के बारे में सदस्य सूची या नाम निर्देशन सूची या नाम निर्देश पत्र में ऐसे किसी व्यक्ति के सदस्य सूची के अनुक्रमाक के बारे में लेखन संबंधी, तकनीकी या मुद्रण संबंधी भूल का प्रमाण, ऐसे व्यक्ति या स्थान बाबत सदस्य सूची या नाम निर्देशन पत्र के पूरे प्रवर्तन पर किसी ऐसी दशा में नहीं पड़ेगा, जिसमें उस व्यक्ति या स्थान के नाम के बारे में वर्णन ऐसा है, जो सामान्यत: समझा जा सकने वाला है और रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे किसी नाम की गलती या अशुद्ध वर्णन अथवा लेखन, तकनीकी या मुद्रण संबंधी भूल को शुद्ध किये जाने की अनुज्ञा देगा और जहाँ कि आवश्यक हो, वहाँ यह निर्देश देगा कि सदस्य सूची में या नाम निर्देशन-पत्र में/ऐसे किसी नाम की गलती, अशुद्ध वर्णन, लेखन, तकनीकी या मुद्रण संबंधी भूल की उपेक्षा की जाये और यह भी कि यदि नाम निर्देश पत्र में कहीं कोई रिक्त स्थान भरे जाने से छूट गया हो तो रिटर्निंग अधिकारी या नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति उस पर अपना पृष्ठांकन करने के पूर्व ऐसे रिक्त स्थान को भरवा लेगा।]

[1][(8) उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन नियत तारीख और समय के पश्चात् कोई नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं किया जायेगा। नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति प्रतिदिन एक सूची तैयार करेगा जिसमें नाम निर्देशित व्यक्ति के साथ-साथ उसके प्रस्तावकों, अनुमोदकों और पदों का विवरण होगा और उसे नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने के लिये निर्धारित स्थान के सूचना-पटल पर प्रदर्शित करेगा।]

[1][(9)(क) सम्यक् रूप से प्राप्त नामांकन पत्रों की संवीक्षा उपनियम (2) के खंड (ग) के अधीन संवीक्षा नियत तारीख को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जायेगी;

(ख) नामांकन पत्र फाइल करने वाले व्यक्ति के लिये यह छूट होगी कि वह संवीक्षा के समय उपस्थित रहे;

(ग) रिटर्निंग अधिकारी किसी नामांकन-पत्र को किसी ऐसी त्रुटि के आधार पर नामंजूर नहीं करेगा जो सारवान प्रकृति की न हो और न ही नामांकन-पत्र की किसी अनियमितता के आधार पर उसे नामंजूर करेगा, यदि अभ्यर्थी किसी दूसरे नाम निर्देशन पत्र द्वारा सम्यक् रूप से नाम निर्देशित किया गया है, जिसके संबंध में कोई अनियमितता नहीं हुई है;

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।

(d) The Returning Officer shall for reasons to be recorded in writing, reject a nomination paper only on the following grounds—

(i) if the nomination paper is not in accordance with the preceding sub-rules;

(ii) if the candidate is disqualified to be elected or proposer/seconder is disqualified to vote by or under the Act, rules or bye-laws of the society.]

[1][(e) The Returning Officer shall prepare a list of valid nominations. If in the list more than one nomination papers are found valid for one post, then first valid nomination of the candidate shall be accepted and he will sign the list in token of its correctness and shall publish and affix on the notice board of the society.]

(10) Any candidate may withdraw his candidature by notice in writing, subscribed by him and delivered either in person by the candidate or his proposer or seconder to the Returning Officer, on or before the date fixed under clause (d) of sub-rule (2). A candidate who has withdrawn his candidature shall not be allowed to cancel his withdrawal.

(11) On completion of the scrutiny of the nominations and after the expiry of the period within which candidature may be withdrawn under sub-rule (10), the Returning Officer shall prepare a list of candidates whose nominations are in order and who have not withdrawn their candidature and cause it to he published on the notice board of the society.

[2][(12) If the number of duly' nominated candidates for election as committee members [3][***] is equal to or less than the number of seats to be filled, the Returning Officer shall declare all of them elected and shall intimate this fact to the society.

(13) If the number of committee members, [3][***] so elected falls short of the number of seats specified in the election notice for committee member, in [3][***] the committee members shall fill up the remaining seats by co-option in a meeting to be presided over by the Returning Officer :

Provided that, if the number of members elected [3][***] falls short of the quorum fixed for the meeting of the committee in the bye-laws, co-option shall not be made and the election process shall be started afresh for the remaining seats.]

1. Subs. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
2. Subs. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.
3. Omitted by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

(घ) रिटर्निंग अधिकारी लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से नामांकन पत्र केवल निम्नलिखित आधारों पर ही नामंजूर करेगा—

(एक) यदि नामांकन पत्र पूर्ववर्ती उपनियमों के अनुसार नहीं है;

(दो) यदि अभ्यर्थी अधिनियम, नियमों अथवा सोसाइटी की उपविधियों के अधीन निर्वाचन के लिये निरर्हित है अथवा प्रस्तावक/अनुमोदक मत देने के लिये अर्हित नहीं है;]

[1][(ङ) रिटर्निंग आफीसर वैध नामांकनों की एक सूची तैयार करेगा। यदि सूची में एक पद के लिये एक से अधिक नामांकन-पत्र वैध पाये जाते हैं, तब अभ्यर्थी का प्रथम वैध नामांकन पत्र स्वीकृत किया जावेगा और वह उसके सही होने के प्रतीक के रूप में सूची पर हस्ताक्षर करेगा तथा प्रकाशित करवायेगा और सोसाइटी के सूचना-पटल पर चिपकवायेगा।]

(10) कोई उम्मीदवार स्वयं के द्वारा अभिदत्त लिखित सूचना देकर उपनियम (2) के खंड (घ) में निर्धारित दिनांक को या पूर्व निर्वाचन अधिकारी को उम्मीदवार द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा उसके प्रस्तावक अथवा अनुमोदक द्वारा सौंपकर अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है। उम्मीदवार, जो अपनी उम्मीदवारी वापस ले चुका है, उसे अपनी वापसी को निरस्त नहीं करने दिया जावेगा।

(11) नियोजन-पत्रों की जाँच पूर्ण हो चुकने पर तथा उपनियम (10) के अधीन अवधि, जिस बीच उम्मीदवारी को हटाया जा सकता है, के समाप्त हो जाने के बाद निर्वाचन अधिकारी ऐसे उम्मीदवारों की सूची बनावेगा, जिनके नियोजन वैध है और जो उम्मीदवारी से नहीं हटे हैं और उसे सोसाइटी के सूचना बोर्ड पर प्रकाशित करवायेगा।

[2][(12) यदि समिति के [3][* * *] सदस्यों के रूप में निर्वाचन के लिये सम्यक रूप से नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बराबर या उससे कम हो तो रिटर्निंग अधिकारी उन सभी को निर्वाचित घोषित करेगा और इस तथ्य की सूचना सोसाइटी को देगा।]

(13) यदि इस प्रकार निर्वाचित समिति के सदस्यों [3][* * *] की संख्या समिति के सदस्यों [3][* * *] के लिये निर्वाचन की सूचना में विनिर्दिष्ट स्थानों की संख्या से कम हो तो समिति के सदस्य शेष स्थानों को एक ऐसे सम्मिलन में, जिसकी अध्यक्षता रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जायेगी, सहयोजन द्वारा भरेंगे;

परन्तु यदि [3][* * *] निर्वाचित सदस्यों की संख्या उपविधियों में समिति के सम्मिलन के लिये नियत गणपूर्ति से कम पड़ती हैं तो ऐसी दशा में सहयोजन नहीं किया जायेगा और शेष पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया पुनः नये सिरे से आरंभ की जायेगी।]

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा विलोपित।

[1][(14) (a) If the number of duly nominated candidates is greater than the number of members to be elected, immediately after the expiry of the period within which candidature could be withdrawn under clause (d) of sub-rule (2), the Returning Officer shall prepare and publish in Form-I, a list of contesting candidates whose nomination papers have been finally accepted and who have not withdrawn their candidature during the specified period;

[2][(b) The list referred to in clause (a) shall contain the names of contesting candidates in alphabetical order in Hindi alongwith their addresses as given in nomination papers;]

(c) The list of contesting candidates referred to in clause (a) shall contain the particulars set out in Form-I and shall be prepared in Hindi in Dev Nagari Script;

(d) The alphabetical order referred in clause (b) shall be determined with reference to surname of the candidates having surnames and to the names proper in the case of other candidates;

(e) Where a poll becomes necessary, the Returning Officer shall assign to each candidate [3][a symbol in serial order as listed below and the symbol shall be printed on the ballot paper]—

(1) Flower, (2) Bullock, (3) Sword, (4) Two leaves, (5) Scales, (6) [3][Box], (7) Lion, [2][(8) Bullock cart, (9) Chair, (10) Hut], [4][(11) Bird], [2][(12) Match Box], (13) Tree, (14) Book, [5][(15) Television], (16) Fish, (17) Buffalo, (18) Deer, (19) Bear, (20) Well, (21) Pump, (22) Telephone, (23) Motor, (24) Cycle, (25) Aeroplane, (26) Engine, (27) Boat, (28) Fountain pen, (29) Wall Clock, (30) Ring.

1. Subs. by notification No. F-5-18-73-1-XV, dated 7-11-73.
2. Subs. by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.
3. Subs. by notification No. F-5-16-78-1-XV, dated 13-12-78.
4. Subs. by notification No. F-5-15-88-XV-1, dated 14-11-88.
5. Subs. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

[1][(14)(क) यदि सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट किये गये उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाली सदस्यों की संख्या से अधिक हो तो उस कालावधि की समाप्ति के तुरन्त पश्चात्, जिसके की भीतर उपनियम (2) के खण्ड (घ) के अधीन उम्मीद्वारी वापस ली जा सकती हो, रिटर्निंग आफीसर प्रारूप-I में निर्वाचन लड़ने वाले उन उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा तथा प्रकाशित करेगा, जिनके की नामांकन-पत्र अंतिम पत्र से स्वीकार कर लिये गये हैं और उन्होंने विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अपनी उम्मीदवारी वापिस नहीं ली है।

[2][(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट सूची में चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थियों के नाम हिन्दी में वर्णक्रम के अनुसार नाम निर्देशन पत्र में दिये गये पते सहित अंतर्विष्ट होंगे।]

(ग) निर्वाचन के प्रतियोगी उम्मीदवारों की उस सूची में, जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट की गई है, प्रारूप-I में दी गई विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी और उसे हिन्दी में देवनागरी लिपि में तैयार किया जायेगा।

(घ) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किया गया वर्णक्रम, उपनाम वाले उम्मीदवारों के मामले में, उनके उपनामों तथा अन्य उम्मीदवारों के नाम में, उनके विशिष्ट नाम के संदर्भ में, अवधारित किये जायेगा।

(ङ) जहाँ मतदान कराना आवश्यक हो जाये, वहाँ रिटर्निंग आफीसर प्रत्येक उम्मीदवार को [3][नीचे सूचीबद्ध किये गये अनुक्रम में कोई चिन्ह देगा तथा वह चिन्ह मतपत्र पर मुद्रित किया जायेगा :]

(1) पुष्प, (2) बैल, (3) तलवार, (4) दो पत्ते, (5) तराजू, [3][(6) संदूक], (7) शेर, [2][(8) बैलगाड़ी, (9) कुर्सी, (10) झोपड़ी,] [4][(11) पक्षी,] [2][(12) माचिस,] (13) वृक्ष, (14) पुस्तक, [5][(15) टेलीविजन,] (16) मछली, (17) भैंस, (18) मृग, (19) रीछ, (20), कुआं, (21) पम्प, (22) टेलीफोन, (23) मोटर, (24) सायकिल, (25) वायुयान, (26) इंजिन, (27) नाव, (28) फाउन्टेनपेन, (29) दीवाल घड़ी, (30) अंगूठी।

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-18-73-1-पन्द्रह, दिनांक 7-11-73 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्र. एफ-5-16-78-1-पन्द्रह, दिनांक 13-12-78 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना क्र. एफ-5-15-88-पन्द्रह-1, दिनांक 14-11-88 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।

(f) If the list of the symbols in clause (e) is exhausted, the Returning Officer may in his discretion allot to the candidate concerned any symbol than those specified in the list:

Provided that no symbol allotted to any political party of the State by the Election Commissioner shall be allotted to any candidate;

[1][(g) The symbols allotted to the contesting candidates of any group shall be printed on the ballot papers, meant for the group. The ballot paper shall show only the name of office for which the vote is being cast [2][the names] and the symbols of contesting candidates in the group in the same serial order as displayed in Form I by the Returning Officer on the notice board of the Society under clause (j) of sub-rule (14) of Rule 41;

(h) The list of names of the contesting candidates for any group and the symbols allotted to each of them in the same serial order as mentioned in clause (g) of Rule 14 shall be displayed before the ballot box kept for casting of votes of the group concerned. Such list shall also be displayed on the gate of the Polling Booth and a copy thereof shall be given to each of the contesting candidates;]

(i) The allotment of any symbol by the Returning Officer to a candidate shall be final;

(j) The Returning Officer shall immediately after preparation of the list of contesting candidates cause to be displayed a copy thereof on the notice board of the society and shall also supply a copy thereof each of the contesting candidates.]

(15) If the general meeting is adjourned for want of quorum, the list of duly nominated candidates shall hold good for the poll to be held in the adjourned general meeting.

1. Subs. by notification No. F-5-16-78-1-XV, dated 13-12-78.
2. Ins. by notification No. F-5-18-82-1-XV, dated 31-12-82.

(च) यदि खण्ड (ङ) में दिये गये चिन्हों की सूची में से कोई चिन्ह शेष न रहे, तो रिटर्निंग आफीसर संबंधित उम्मीदवार को अपने स्वविवेक से सूची में विनिर्दिष्ट किये गये, से भिन्न कोई अन्य प्रतीक आबंटित कर सकेगा;

किन्तु यह प्रतिबंध है कि ऐसा कोई चिन्ह, जो कि चुनाव आयुक्त द्वारा राज्य के किसी राजनैतिक दल को आबंटित किया गया हो, वह किसी भी उम्मीदवार को आबंटित नहीं किया जायेगा।

[1][(छ) किसी समूह (ग्रुप) के उन उम्मीदवारों को, जो कि निर्वाचन लड़ रहे हैं, आबंटित किये गये चिन्ह मतपत्रों पर, जो कि उस समूह के लिये अभिप्रेत हो, मुद्रित किये जायेंगे। मतपत्र में उस पद का नाम दर्शाया जायेगा जिसके लिये कि मत दिया जा रहा है तथा [2][उस समूह में के उन उम्मीदवारों के जो कि निर्वाचन लड़ रहे हैं, नाम] तथा चिन्ह उसी अनुक्रम में दर्शाये जायेंगे, जिस अनुक्रम में कि वे निर्वाचन अधिकारी द्वारा सोसाइटी के सूचना पलक पर प्रारूप 'झ' में नियम 41 के उपनियम (14) के खण्ड (ञ) के अधीन सम्प्रदर्शित किये गये हो।

(ज) किसी समूह के, उन उम्मीदवारों के, जो कि निर्वाचन लड़ रहे हैं, नामों की सूची को तथा उनमें से प्रत्येक को आवंटित किये गये चिन्हों को, जो उसी अनुक्रम में होंगे, जो कि नियम 14 के खण्ड (छ) में उल्लेखित है, संबंधित समूह के मत डालने के लिये रखी गयी मत पेटी के सामने सम्प्रदर्शित किये जायेगा। ऐसी सूची मतदान केन्द्र के दरवाजे पर भी सम्प्रदर्शित की जायेगी और उसकी एक प्रतिलिपि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार की दो जायेगी।]

(झ) रिटर्निंग आफीसर द्वारा किसी उम्मीदवार को किया गया किसी चिन्ह का आबंटन अंतिम होगा।

(ञ) रिटर्निंग आफीसर, निर्वाचन के प्रतियोगी उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के तुरन्त पश्चात् सोसाइटी के सूचना-फलक पर उसकी एक प्रति प्रदर्शित करवायेगा तथा उसकी एक प्रति का प्रदाय निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को भी करेगा।]

(15) यदि साधारण सम्मिलन गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की जावे तो यथाविधि नियोजित उम्मीदवारों की सूची स्थगित साधारण सम्मिलन में होने वाले मतदान के हेतु वैध होगी।

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-16-78-1-पन्द्रह, दिनांक 13-12-78 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-18-82-1-पन्द्रह, दिनांक 31-12-82 द्वारा अन्तःस्थापित।

(16) The Returning Officer shall appoint as many polling officers to conduct the poll and as many tellers to count the votes as may be necessary.

(17) A register shall be kept at the place of the meeting and every member that attends the meeting shall sign in such register before he enters the place of the meeting.

[1][(18) The Polling Officer shall issue to each voter a ballot affixing the seal of the society and putting his initials on the right hand side of it after marking a mark by indelible ink on the lip of the forefinger 3 of the voter.

(19) Canvassing or soliciting votes during the conduct of elections shall be strictly prohibited within the periphery of one hundred [2][metres] of the place where the poll is being held.]

[3][(20) The Returning Officer shall show the empty ballot boxes to the candidates, if any present, close and seal them leaving open the slit for insertion of ballot papers. Voting shall be by ballot and voters shall make a mark 'X' on or against the symbols of candidates whom he wishes to elect, fold the ballot papers and deposit it in the ballot box. In the case of physically disabled who requires help, the Returning Officer shall help in marking marks on the symbols of the candidates according to the desire of such voter.]

[3][(21) The Returning Officer shall before taking the poll fix the hours which shall not be less than two hours during which the poll will be taken, make announcement to the effect in the general meeting and on the expiry of the hours so fixed he shall close the poll. Those voters, who though present at the place have not been able to vote for want of time, shall be given reasonable opportunity to obtain ballot papers and vote even though the time fixed for the poll has expired. After the closure of the poll, the slit of the ballot boxes shall be closed and sealed and delivered to the tellers. An account of used and un-used ballot papers shall be prepared and counter foils of used ballot papers, un-used ballot papers and marked copy of voter list shall be put in an envelope and sealed kept in the box referred to in sub-rule (24).]

1. Subs. by notification No. F-5-18-73-1-XV, dated 7-11-73.
2. Subs. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.
3. Subs. by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.

(16) निर्वाचन अधिकारी मतदान संचालनार्थ उतने मतदान अधिकारियों तथा मतगणना करने के लिये उतने गणकों की नियुक्ति करेगा, जितने कि आवश्यक हों।

(17) सम्मिलन के स्थान पर एक रजिस्टर रखा जावेगा तथा प्रत्येक सदस्य जो सम्मिलन में उपस्थित हो वह सम्मिलन के स्थान में प्रवेश करने के पूर्व ऐसे रजिस्टर में हस्ताक्षर करेगा।

[1][(18) मतदान पदाधिकारी, प्रत्येक मतदाता को उसकी तर्जनी के सिरे पर अमिट स्याही का चिन्ह चिह्नांकित करने के पश्चात एक मतपत्र, सोसाइटी की मुद्रा अंकित करके दाहिनी ओर अपने हस्ताक्षर करके जारी करेगा।

(19) निर्वाचन के संचालन के दौरान उस स्थान के, जहाँ की मतदान हो रहा है, एक सौ [2][मीटर] की परिधि के भीतर मतों की संयाचना या याचना करना प्रतिषिद्ध होगा।]

[3][(20) रिटर्निंग अधिकारी, उम्मीदवारों को, यदि कोई उपस्थित हों, खाली मतपेटियाँ दिखायेगा और उनमें केवल मतपत्रों के डाले जाने के लिये छिद्र को खुला छोड़ते हुये उन्हे बंद करके सील करेगा। मतदान मतपत्रों द्वारा होगा और मतदातागण, उस अभ्यर्थी के, जिसे वह निर्वाचित करना चाहता है, प्रतीकों पर या उसके समान 'x' का चिन्ह अंकित करेंगे, तथा मतपत्र को मोड़ करके मतपेटी में डालेंगे। ऐसे मामले में जिसमें कि शारीरिक रूप से अक्षम ऐसा मतदाता हो, जिसे सहायता की आवश्यकता है, रिटर्निंग अधिकारी ऐसे मतदाता की इच्छानुसार अभ्यर्थियों के चिह्नों पर चिह्न बनाने में सहायता करेगा।]

[3][(21) रिटर्निंग अधिकारी मतदान कराने के पूर्व वे घंटे जिनके कि दौरान मतदान होगा नियत करेगा जो दो घण्टे से कम नहीं हो। उस प्रभाव की घोषणा साधारण सम्मिलन में करेगा और इस प्रकार नियत किये गये घंटों के समाप्त होने पर वह मतदान बंद करा देगा। उन मतदाताओं को, जो यद्यपि उस स्थान पर उपस्थित है किन्तु समयाभाव के कारण मत नहीं डाल सके हैं, मतपत्र प्राप्त करने एवं मत देने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा चाहे मतदान का निर्धारित समय समाप्त हो गया हो, मतदान समाप्ति के पश्चात् मतपेटी, उसका छिद्र बंद करके और उसे सीलबंद करके गणकों को परिदत्त कर दी जायेगी। उपयोग किये गये तथा उपयोग में न लाये गये मतपत्रों का एक लेखा तैयार किया जायेगा तथा उपयोग में लाये गये मतपत्र एवं मतदाता सूची की चिह्नित प्रति एक लिफाफे में रखकर सीलबंद करके उपनियम (24) में निर्दिष्ट संदूक में रखी जायेगी।]

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-18-73-1-पन्द्रह, दिनांक 7-11-73 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा प्रतिस्थापित।

(22) Tellers shall arrange all ballot papers—

(a) They shall reject a ballot paper after obtaining the approval of the Returning Officer—

(i) if it bears signature to identify the voter;

(ii) if it does not bear the seal of the society or the initials of Polling Officer;

(iii) if it contains no mark indicating a vote;

(iv) if it contains more marks than the number of seats to be filled.

(b) A mark made in a ballot paper in such a manner that it is ambiguous to which candidate the vote is given shall be rejected :

Provided that other correctly made marks, if any, on such ballot paper shall be counted.

[1][(23) (a) Soon after the counting of votes is over, the Returning Officer shall prepare and certify a return setting forth—

(i) the number of valid votes given to each candidates; and

(ii) the number of ballot papers declared to be invalid or rejected.

(b) On the basis of the said return the candidates who have secured the largest number of votes shall be declared elected by the Returning Officer at the general meeting and their names published on the notice board of the society under his signature.

(c) In case of equality of votes polled by two or more candidates, the lots shall be drawn in such manner as the returning officer may fix to determine the name or names of the successful candidate or candidates.]

[2][(d) The names of the candidates elected or co-opted, as the case may be, under sub-rules (12) and (13) and a copy of the certified return prepared under clause (a) above, shall be submitted by the Returning Officer to the Registrar forthwith.]

1. Subs. by notification No. F-5-16-78-1-XV, dated 13-12-78.
2. Subs. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.

(22) गणक समस्त मतपत्रों को जमावेंगे—

(क) वे ऐसे किसी मतपत्र को निर्वाचन अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त होने पर अस्वीकृत करेंगे—

(एक) यदि उस पर किसी के हस्ताक्षर है, जिससे मतदाता पहचाना जा सके;

(दो) यदि उस पर सोसाइटी की मुद्रा अथवा मतदान अधिकारी के संक्षिप्त हस्ताक्षर न हो;

(तीन) यदि उस पर मत देने का निर्देशक कोई चिह्न न लगाया गया हो;

(चार) यदि उस पर भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक चिह्न लगाए गये हों।

(ख) मतपत्र पर ऐसी रीति से चिन्ह बनाया गया हो, जिसमें स्पष्ट न हो, कि किस उम्मीदवार को मत दिया गया है, तो उसे अस्वीकृत किया जायेगा,

किन्तु ऐसे मतपत्र पर अन्य उम्मीदवारों से संबंधित ठीक बनाये गये चिह्न, यदि कोई हों, गिने जावेंगे।

[1][(23)(क) मतों की गणना समाप्त होने के पश्चात् शीघ्र ही निर्वाचन अधिकारी एक विवरणी तैयार करके प्रमाणित करेगा, जिसमें—

(एक) प्रत्येक उम्मीदवार को दिये गये विधिमान्य मतों की संख्या, और

(दो) अविधिमान्य या खारिज घोषित किये गये मतपत्रों की संख्या उपवर्णित की जायेगी।

(ख) उक्त विवरणी के आधार पर उन उम्मीदवारों को, जिन्होंने कि अधिकतम मत प्राप्त किये हैं, साधारण सम्मिलन में निर्वाचन अधिकारी निर्वाचित घोषित करेगा तथा उनके नाम उसके हस्ताक्षर से सोसाइटी के सूचना-फलक पर प्रकाशित किये जायेंगे।

(ग) दो या दो से अधिक उम्मीदवारों द्वारा बराबर-बराबर मत प्राप्त होने की दशा में लाट ऐसी रीति से निकाले जायेंगे जिसे कि निर्वाचन अधिकारी सफल उम्मीदवार या उम्मीदवारों के नाम या नामों के अवधारित करने के लिये नियत करें।]

[2][(घ) उपनियम (12) तथा (13) के अधीन, यथास्थिति, निर्वाचित या सहयोजित सदस्यों के नाम और उपरोक्त खण्ड (क) के अधीन तैयार की गयी विवरणी की प्रमाणित प्रति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रार को तत्काल प्रस्तुत की जायेगी।]

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-16-78-1-पन्द्रह, दिनांक 13-12-78 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][(24) The Returning Officer shall arrange to keep nomination papers and the Registers, referred to in sub-rules (7) and (17), the ballot papers and the return of election in safe custody in a sealed box with the Registrar or a person authorised by him in this regard. These records shall not be destroyed till the next elections of the society are held or till the final disposal of the election dispute filed under subsection (v) of Section 64, if any. The Registrar shall thereafter cause them to be destroyed in his presence or in the presence of an officer authorised for this purpose.]

(25) Every member of the committee and every employee of the society shall be bound to render every assistance to the Returning Officer, Polling Officer and Tellers in the conduct of elections and shall make available every record that may be required by the Returning Officer for this purpose. The society shall arrange to provide ballot boxes, locks and keys, sealing wax, tape, ballot papers, printed or typed or handwritten, and the stationery necessary for the conduct of election to the Returning Officer. All expenditure incurred in connection with such election shall be paid by the society.

[2][(26) For the purposes of this rule the 'Returning Officer' means an officer appointed by the Registrar by general or special order or appointed by the committee from amongst the members of the society, as per second proviso of subsection (8) of Section 49, for performing the duties of a Returning Officer under the provisions of the Act and Rules thereunder.]

[2][(27) If the Returning Officer is appointed by the Committee of the society, then information of such appointment shall be sent to the Registrar in writing within 7 days from the date of such appointment.]

42. [3][***]

43. Appointment of committee— [1][(1) The number of members in the committee shall be specified in the bye-laws, but the number of elected members shall in no case be less than [4][five].]

(2) [5][***]

1. Subs. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.
2. Subs. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
3. Omitted by notification No. F-5-18-73-1-XV, dated 7-11-73.
4. Subs. by notification No. F-5-1-96-XV-1, dated 11-9-96.
5. Omitted by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.

[1][(24) निर्वाचन अधिकारी उपनियम (7) और (17) में निर्दिष्ट नाम निर्देशन पत्रों पर रजिस्टरों और मतपत्रों तथा निर्वाचन की विवरणी को सीलबन्द पेटी में रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत व्यक्ति के नाम सुरक्षित अभिरक्षा में रखने की व्यवस्था करेगा। इन अभिलेखों को, सोसाइटी के आगामी निर्वाचन होने तक या धारा 64 की उपधारा (पांच) के अधीन फाइल किये गये निर्वाचन विवाद के अंतिम निपटारे तक, यदि कोई हो तो, नष्ट नहीं किया जायेगा। इसके पश्चात् रजिस्ट्रार इन्हें अपनी उपस्थिति में या इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी के उपस्थिति में नष्ट करवायेगा।]

(25) कमेटी का प्रत्येक सदस्य तथा सोसाइटी का प्रत्येक कर्मचारी, निर्वाचन अधिकारी, मतदान अधिकारी, तथा गणकों को निर्वाचन संचालन में सभी प्रकार की सहायता देने के लिये बाध्य होगा तथा प्रत्येक रिकार्ड जो कि इस कार्य के लिये निर्वाचन अधिकारी द्वारा चाहा जावे, उपलब्ध कराया जावेगा। सोसाइटी मतपेटियाँ, ताले और चाबियाँ, सील लगाने की चपड़ी, फीता, छपे हुये अथवा टाईप किये अथवा हस्तलिखित मतपत्र तथा आवश्यक स्टेशनरी, निर्वाचन संचालन के लिये निर्वाचन अधिकारी को देने की व्यवस्था करेगी। ऐसे निर्वाचन के संबंध में होने वाला सभी व्यय सोसाइटी द्वारा भुगतान किया जायेगा।

[2][(26) इन नियमों के प्रयोजनों के लिये रिटर्निंग आफीसर से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रिटर्निंग आफीसर के कर्तव्यों का पालन करने के लिये धारा 49 की उपधारा (8) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार रजिस्ट्रार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा या सोसाइटी के सदस्यों में से समिति द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी।]

[2][(27) यदि सोसाइटी की समिति द्वारा कोई रिटर्निंग आफीसर नियुक्त किया जाता है, तो ऐसी नियुक्ति की सूचना ऐसी नियुक्ति की तारीख से 7 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को लिखित में भेजी जायेगी।]

42. [3][***]

43. कमेटी की नियुक्ति— [1][(1) समिति में सदस्यों की संख्या उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जायेगी किन्तु निर्वाचित सदस्यों की संख्या [4][पाँच] से कम नहीं होगी।]

(2) [5][* * *]

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्र. एफ-5-18-73-1-पन्द्रह, दिनांक 7-11-73 द्वारा विलोपित।
4. अधिसूचना क्र. एफ-5-1-96-पन्द्रह-1, दिनांक 11-9-96 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा विलोपित।

(3) After the receipt of the resolution the other society shall convene a special general meeting by giving a written notice of twenty-one days to all its members along with the scheme of re-organisation and draft amendment to its bye-laws, if any, and pass a resolution by two-thirds majority of the members present and voting at the special general meeting for approving the scheme of reorganisation and the amendment to its bye-laws, if any, and send a copy of its resolution in respect of the approval to the society which has decided to re-organise itself.

(4) The affected society shall, in the case of amalgamation or transfer of assets and liabilities, after the receipt of the approval under sub-rule (3) and in the case of division or conversion, after the passing of the resolution under sub-rule (2), take action under sub-sections (5) and (6) of Section 16.

(5) The affected society shall submit a report to the Registrar of the action taken by it and request him to approve the decision for amalgamation, transfer of assets and liabilities, division or conversion.

(6) On receipt of the report from the affected society under sub-rule (5), the Registrar shall, after satisfying himself that the procedure has been properly followed, approve the decision of the society and register the amalgamated, divided or converted society or societies.

(7) (a) Before issuing any direction under sub-section (3) of Section 16 for the amalgamation, transfer of assets and liabilities, division or conversion of any society or societies, the Registrar shall prepare a draft scheme of reorganisation in respect of such amalgamation, transfer of assets and liabilities, division or conversion stating in particular the manner in which the new committee or committees of the society or societies resulting from such amalgamation, transfer of assets and liabilities, division or conversion shall be constituted and the bye-laws which such society or societies shall follow. The Registrar shall send a copy of the draft of the direction proposed to be issued by him under sub-section (3) of Section 16, to the society or each of the societies concerned calling upon it or them to invite objections or suggestions from any member or class of members thereof or from any creditor or class of creditors and to submit such objections or suggestions together with its own or their own opinion within a period to be specified by the Registrar.

(b) The Registrar shall consider all such objections, suggestions and opinion and make such modifications in the draft direction as may seem to him desirable in the light of those objections, suggestions or opinion and then issue a final direction under sub-section (3) of Section 16.

(3) संकल्प प्राप्त होने पर अन्य सोसाइटी अपने सदस्यों को 21 दिन पूर्व लिखित सूचना के साथ पुनर्गठन योजना एवं उपविधियों के प्रारूप संशोधन भेजकर विशेष साधारण सभा आहुत करेगी और उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पुनर्गठन योजना और उपविधियों के संशोधन को, यदि कोई हो, स्वीकृत करने का संकल्प पारित करेगी तथा अनुमोदन से संबंधित अपने संकल्प की प्रतिलिपि उस सोसाइटी को भेजेगी जिसने अपना पुनर्गठन करने का निश्चय किया है।

(4) प्रभावित सोसाइटी समामेलन अथवा आस्तियाँ और दायित्व के अन्तरण की दशा में उपनियम (3) के अधीन अनुमोदन प्राप्त होने पर तथा विभाजन या रूपान्तरण की दशा में उपनियम (2) के अधीन प्रस्ताव पारित होने पर धारा 16 की उपधारा (5) व (6) के अधीन कार्यवाही करेगी।

(5) प्रभावित सोसाइटी उसके द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन पंजीयक को भेजेगी तथा उनसे समामेलन, आस्तियाँ और दायित्व का अन्तरण, विभाजन या रूपान्तरण के निर्णय को अनुमोदित करने का निवेदन करेगी।

(6) उपनियम (5) के अनुसार प्रभावित सोसाइटी से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पंजीयक का संतोष हो जाने पर कि विधि का ठीक तरह से अनुसरण किया गया है, वह सोसाइटी के निर्णय को स्वीकृत करेगा और समामेलित, विभाजित या रुपान्तरित सोसाइटी या सोसाइटियों का पंजीयन करेगा।

(7) (क) किसी भी सोसाइटी या सोसाइटियों के बारे में समामेलन, आस्तियाँ और दायित्व का अन्तरण, विभाजन या रूपान्तरण के संबंध में धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार निर्देश देने के पूर्व पंजीयक ऐसे समामेलन, आस्तियाँ और दायित्व के अन्तरण विभाजन या रूपान्तरण के संबंध में पुनर्गठन की प्रारूप योजना, विशेषत: वह रीति, जिसमें समामेलन, आस्तियाँ और दायित्व के अन्तरण, विभाजन या रूपान्तरण के परिणाम स्वरूप बनने वाली सोसाइटी या सोसाइटियों की नई कमेटी या कमेटियाँ गठित की जायेंगी तथा उपविधियाँ जो कि ऐसी सोसाइटी या सोसाइटियाँ अपनावेगी उनका उल्लेख करते हुये बनायेगा। पंजीयक धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार उसके द्वारा दिये जाने वाले प्रस्तावित प्रारूप निर्देश की प्रतिलिपि संबंधित सोसाइटी अथवा सोसाइटियों में से प्रत्येक को, उससे या उनसे यह माँग करते हुये भेजेगा कि वह/वे अपने किसी सदस्य या सदस्यों के वर्ग से अथवा किसी साहूकार या साहूकारों के वर्ग से आपत्तियाँ या सुझाव आमंत्रित करे और ऐसी आपत्तियाँ या सुझावों को उसकी या उनकी राय सहित उस अवधि में भेजें, जो कि पंजीयक निर्धारित करे।

(ख) पंजीयक ऐसी सभी आपत्तियों, सुझावों और राय पर विचार करेगा तथा उप आपत्तियों, सुझावों तथा राय के प्रकाश में जैसा उसे वांछित प्रतीत हो, ऐसे संशोधन प्रारूप निर्देश में करेगा तथा धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार अंतिम निर्देश जारी करेगा।

12. Compromise or arrangement for repayment of liabilities — [1][(1) On receipt of the order of the Registrar under sub-section (1) of Section 17, the society or the liquidator, as the case may be, shall issue notices of the meeting at the cost of the society, to the creditors or any class of them or the members, as the case may be, stating therein the date, time and place of the meeting and enclose with such notice the latest audited balance sheet of the Society and shall also send a notice to the Deputy Registrar or Assistant Registrar of Co-operative Societies in charge of the district in which the society is situated.]

(2) The President of the society or the liquidator in the case of the society which is being wound up, shall preside over the meeting. The question of compromise or arrangement shall be discussed in all aspects. A compromise or arrangement which appears to be *prima facie* practical and feasible shall be put to vote. Every creditor or member who is present in the meeting shall vote in person and no proxy shall be allowed. List of creditors or members, as the case may be, shall be prepared showing the names of those who approve of the compromise and of those who oppose the compromise and their signatures shall be taken.

[2][**12-A.** (1) Where the Registrar is taking actions under Section 18-A of the Act, he shall issue a public notice of the proceedings of the de-registration, to be published in a local daily newspaper and a copy of such notice shall also be given to the affiliated society and creditor society, if any.

(2) The official assignee appointed under sub-section (2) of Section 18-A, shall be paid such remuneration and allowances as the Registrar may determine from time to time.]

CHAPTER III

MEMBERS, THEIR RIGHTS, LIABILITIES AND PRIVILEGES

13. Form of undertaking — A written undertaking under sub-section (3) of Section 19 shall be in Form E.

14. Conditions to be complied with for admission far membership — No person shall be admitted as a member of a society unless—

(i) he has applied in writing in the form laid down by the society or in the form specified by the Registrar, if any, for membership;

1. Subs. by notification No. 5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.
2. Ins. by notification No. 5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

12. दायित्वों के प्रतिसंदाय के लिये समझौता या व्यवस्था—[1][(1) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार का आदेश प्राप्त होने पर यथास्थिति, सोसाइटी या परिसमापक सम्मिलन की सूचनाएँ सोसाइटी के व्यय पर यथास्थिति, लेनदारों को या उनमें से किसी वर्ग को या सदस्यों सम्मिलन की तारीख, समय और स्थान का कथन करते हुये देगा और ऐसी सूचना के साथ सोसाइटी का नवीनतम संपरीक्षित तुलना पत्र संलग्न किया जायेगा और सूचना उस जिले की, जिसमें सोसाइटी स्थित है, सहकारी सोसाइटियों के भारसाधक उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार को भी भेजी जायेगी।]

(2) सोसाइटी का अध्यक्ष अथवा समापक, उस दशा में जब सोसाइटी का समापन हो रहा हो, सभा की अध्यक्षता करेगा। समझौता या व्यवस्था के प्रश्न पर सभी दृष्टिकोणों से विचार किया जावेगा। कोई समझौता या व्यवस्था प्रथम दृष्टया व्यवहारिक तथा संभव दिखाई दे, तो उस पर मत लिये जावेंगे। प्रत्येक साहूकार अथवा सदस्य जो कि सभा में उपस्थित हो स्वत: मत देगा तथा प्रतिपत्री (Proxy) स्वीकार न की जायेगी। साहूकारों अथवा सदस्यों जैसी भी दशा हो, जो समझौते को स्वीकार करते हों तथा वे जो समझौते का विरोध करते हों, के नामों की सूची तैयार की जायेगी, और उनके हस्ताक्षर लिये जावेंगे।

[2][**12-क.** अधिनियम की धारा 18-क के अधीन जहाँ रजिस्ट्रार कार्यवाही करता है, तो वह स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित करवा कर रजिस्ट्रीकरण के समाप्त किये जाने की कार्यवाही की एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा और ऐसी सूचना की प्रति सम्बद्ध सोसाइटी तथा लेनदार सोसाइटी यदि कोई हो, को भी दी जायेगी।

(2) धारा 18-क की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त शासकीय समनुदेशिती को ऐसा पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय किया जायेगा जैसा कि रजिस्ट्रार समय-समय पर अवधारित करें।]

तीसरा अध्याय

सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व तथा विशेषाधिकार

13. लिखित वचन का प्रारुप—धारा 19 की उपधारा (3) के अनुसार लिखित वचन प्रारुप 'ङ' में होगा।

14. सदस्यों के प्रवेश हेतु पालन की जाने वाली शर्तें—किसी भी व्यक्ति को सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि—

(एक) उसने सोसाइटी द्वारा निर्धारित रूप में अथवा पंजीयक द्वारा निर्दिष्ट रूप में, यदि कोई हो, सदस्यता के लिये लिखित आवेदन न किया हो,

1. अधिसूचना क्र. 5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. 5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा अन्त:स्थापित।

(ii) he has purchased at least one share and paid the value thereof in full or in part in such calls as may be decided by the committee or general meeting of the society, as the case may be, according to the bye-laws of the society;

(iii) his application has been approved by the committee or the general meeting of the society, as the case may be, according to the bye-laws of the society;

(iv) he has fulfilled all other conditions laid down in the Act, the rules and the bye-laws.

[1][**14-A. Procedure for admission of minors as members** — In accordance with the procedure laid down in its bye-laws and these rules for admission of any member, a society may admit minor acting through guardian appointed by a Court as a member of a society subject to the provisions of the Act and these rules, the members so admitted shall enjoy rights subject to liabilities through such guardian as are laid down in the bye-laws of the society.]

15. [2][***]

16. Admission of members or transfer of shares before annual general meeting — No society shall admit member or transfer shares within [3][forty-five days] prior to the date of its annual general meeting on which election of the committee or office bearers is to take place :

[4][Provided that if there is a provision of general meeting by delegates in the byelaws of any society, such society shall not admit members or transfer shares to the members within 45 days from the date of convening the meeting for the election of the delegates.]

17. Withdrawal of a member and refund of share — (1) Subject to the provisions of the Act and Rules, a member may after giving three months' notice to the society and with the sanction of the committee or the general meeting of the society, as the case may be, withdraw from membership of the society and claim refund of share or shares, if he is not directly or indirectly indebted to the society, either as a principal debtor or as a surety :

Provided that such withdrawal or refund is not disallowed under the bye-laws of the society or under an agreement with any other society or the State Government.

1. Subs. by notification No. 269-4858-XV-1, dated 28-6-88.
2. Omitted by notification No. 5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.
3. Subs. by notification No. 5-3-91-XV-1, dated 16/18-4-91.
4. Subs. by notification No. 5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

(दो) उसने कम से कम एक हिस्सा न खरीदा हो तथा पूर्ण मूल्य का या अंशों में ऐसी माँगों का, जैसा कि कमेटी अथवा सोसाइटी की साधारण सभा, जैसी दशा भी हो, द्वारा सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार तय किया गया हो, चुकारा न किया हो।

(तीन) उसका आवेदन पत्र, कमेटी अथवा सोसाइटी की साधारण सभा, जैसी भी दशा हो द्वारा सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार अनुमोदित न किया गया हो।

(चार) उसने अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों में अधिकथित सभी शर्तों को पूरा न कर दिया हो।

[1][**14-क. अवयस्कों को सदस्य के रूप में प्रवेश देने की प्रक्रिया**—कोई सोसाइटी, किसी सदस्य के प्रवेश के लिये उसकी उपविधियों में तथा इन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये संरक्षक के माध्यम से कार्य करने वाले अवयस्क को सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश दे सकेगी। अधिनियम तथा इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये वे सदस्य, जिन्हें इस प्रकार सदस्यता प्रदान की गई है, ऐसे संरक्षकों के माध्यम से अधिकारों का उपभोग उन दायित्वों के अध्यधीन रहते हुये करेंगे, जो सोसाइटी की उपविधियों में अधिकथित है।]

15. [2][***]

16. वार्षिक साधारण सभा के पहले सदस्यों का प्रवेश या अंशों का अन्तरण—कोई भी सोसाइटी अपने वार्षिक व्यापक सम्मेलन, जिसमें सोसाइटी या पदाधिकारियों का चुनाव होने वाला हो, की तिथि से [3][पैंतालीस दिन] पहले सदस्यों को प्रवेश या अंशों का अन्तरण नहीं करेगी:

[4][परन्तु यदि किसी सोसाइटी की उपविधियों में प्रत्यायुक्तों द्वारा साधारण सम्मिलन के लिये कोई उपबंध है, तो ऐसी सोसाइटी प्रत्यायुक्तों के निर्वाचन के लिये सम्मिलन बुलाये जाने की तारीख से 45 दिन के भीतर सदस्यों को प्रवेश नहीं देगी या सदस्यों को अंश का अन्तरण नहीं करेगी।]

17. सदस्य को हटाना व अंश का प्रतिदाय—(1) अधिनियम एवं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सदस्य, सोसाइटी को तीन मास की सूचना देने के बाद तथा कमेटी या सोसाइटी की साधारण सभा जैसी भी दशा हो, की स्वीकृति से सोसाइटी की सदस्यता से हट सकेगा तथा अंश या अंशों की माँग कर सकेगा, यदि वह सोसाइटी का मूल ऋणी या जमानतदार के रूप में प्रत्यक्ष: या अप्रत्यक्षत: ऋणी न हो,

किन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसे हटने को सोसाइटी की उपविधियाँ या किसी अन्य सोसाइटी के या शासन के साथ अनुबंध के अधीन अस्वीकृत न किया गया हो।

1. अधिसूचना क्र. 269-4858-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. 5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा विलोपित।
3. अधिसूचना क्र. 5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 16/18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना क्र. 5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) The society may withhold refund of the value of share or shares under sub-rule (1) till the expiry of two years from the date of withdrawal from membership.

(3) The total refund of share capital of the society in any co-operative year shall not exceed ten percent of the paid up share capital of the society on the last day of the co-operative year immediately preceding:

Provided that this restriction shall not apply in the case of a society having no outside liabilities or in the case of an indebted society, when the permission of its creditors has been obtained.

(4) The restrictions contained in sub-rules (1) to (3) shall not apply to the State Government, if it has subscribed to the share capital of a society, directly or indirectly through any other society, and such share capital shall be retired by the society to the State Government according to the terms of the agreement entered into by the society with the State Government.

[1][**17-A. Adjustment of share towards payment of debt etc.** — A society, with a view to make a member or past member or deceased member debt free, may with the prior approval of the Registrar adjust the share of such member or his heir in or towards payment of any demand:

Provided that such adjustment shall be made by the society when so directed by the State Government:

Provided further that atleast one share shall be left unadjusted to enable the member to continue his membership with the society.]

18. [2][***]

19. Nomination of an heir — (1) For the purpose of transfer of his share or interest under sub-section (1) of Section 26, a member of a society may nominate a person to whom, in the event of his death, his share or interest shall be transferred. Such member may, from time to time, revoke or vary such nomination.

(2) A nomination made by a member shall not be valid and shall not, in the event of the death of the member, have effect unless—

(a) it is made in writing and is signed by the member in the presence of two witnesses attesting the same; and

1. Ins. by notification No. 5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.
2. Omitted by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.

(2) सोसाइटी अंश या अंशों के मूल्य की वापसी उपनियम (1) के अधीन सदस्यता से हटने के दिनांक से दो वर्ष पूर्ण होने तक रोक सकेगी।

(3) किसी भी सहकारी वर्ष में सोसाइटी की अंशपूंजी की कुल वापसी ठीक पूर्ववर्ती सहकारी वर्ष के अंतिम दिन को सोसाइटी की प्राप्त अंशपूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक न होगी :

किन्तु यह प्रतिबंध उस सोसाइटी पर लागू न होगा, जिस पर बाहरी दायित्व नहीं है या ऋणी सोसाइटी होने की दशा में जिसे अपने साहूकारों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हो।

(4) उपनियम (1) से (3) में अंतर्विष्ट प्रतिबंध राज्य शासन को लागू न होंगे, यदि उसने सोसाइटी की अंशपूंजी में प्रत्यक्षत: या अन्य सोसाइटी के द्वारा अप्रत्यक्षत: अभिदान दिया हो तथा ऐसी अंशपूजी सोसाइटी द्वारा राज्य शासन को सोसाइटी व राज्य शासन के बीच हुये अनुबंध की शर्तों के अनुसार वापस की जावेगी।

[1][**17-क. ऋण आदि के भुगतान लेखे अंश का समायोजन**—कोई सोसाइटी किसी सदस्य या पूर्व या मृत सदस्य को ऋण मुक्त करने हेतु रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से उस सदस्य का या उसके उत्तराधिकारी का अंश किसी मांग के भुगतान के लेखे समायोजित कर सकेगी :

परन्तु सोसाइटी द्वारा ऐसा समायोजन, तब किया जायेगा जब राज्य सरकार द्वारा ऐसा निर्देशित किया जाये :

परन्तु यह और भी कम से कम एक अंश असमायोजित रखा जायेगा जिससे कि वह सदस्य सोसाइटी में अपनी सदस्यता बनाये रखने हेतु समर्थ हो सके।]

18. [2][***]

19. उत्तराधिकारी का नामनिर्देशन—(1) धारा 26 की उपधारा (1) के अनुसार हिस्सा या हित के अन्तरण के आशय के लिये सोसाइटी का कोई सदस्य किसी व्यक्ति को नामनिर्देशित कर सकेगा, जिसे उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में उसका हिस्सा अथवा हित अन्तरित किया जावेगा। ऐसा सदस्य समय-समय पर ऐसे नामनिर्देशन निरस्त अथवा परिवर्तित कर सकेगा।

(2) सदस्य द्वारा किया गया कोई भी नामनिर्देशन वैध न होगा तथा सदस्य की मृत्यु की दशा में प्रभावशील न होगा जब तक कि —

(क) वह लिखित में न किया गया हो तथा सदस्य ने दो साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर करके उनसे अनुप्रमाणित न कराया गया हो, तथा

1. अधिसूचना क्र. 5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा अन्त:स्थापित।
2. अधिसूचना क्र. 5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा विलोपित।

(b) it is recorded in the books of the society kept for the purpose.

20. Procedure for ascertaining the value of share or interest of a member — Where the member of a society ceases to be a member thereof, the sum representing the value of his share, or interest in the capital of the society to be paid to him or his nominee, heir, or legal representative, as the case may be, shall be ascertaining in the following manner, namely —

(i) in the case of a society with unlimited liability, it shall be the actual amount received by the society in respect of such share or interest;

(ii) in the case of a society with limited liability, it shall be the amount arrived at by a valuation based on the financial position of the society as shown in the last audited balance sheet preceding the cessation of membership :

Provided that the amount so ascertained shall not exceed the actual amount received by the society in respect of such share or interest.

[1][**21. Inspection of documents in the office of the Registrar** — A member of a society may inspect the following documents in the office of the Registrar free of charge and may obtain certified copies thereof on payment of the following fees —

(a)	Application for registration of society	– Rs. 5.00 each
(b)	Certificate of registration	– Rs. 5.00 each
(c)	Byelaws of a society	– Rs. 15.00 each
(d)	Amendment of byelaws of a society	– Re. 1.00 per folio
(e)	Order of cancellation of the registration of a society	– Re. 1.00 per folio
(f)	Annual balance sheet	– Re. 1.00 per folio
(g)	Order of supersession of a committee under Section 53	– Rs. 1.00 per folio
(h)	Order referring a dispute to arbitration under Section 64	– Rs. 1.00 per folio
(i)	Any other order against which an appeal is provided	– Re. 1.00 per folio :

1. Subs. by notification No. 5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

(ख) इस प्रयोजन के लिये सोसाइटी में रखी गई पुस्तकों में उसे दर्ज न किया गया हो।

20. सदस्य के अंश या हित का मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया—जहाँ सोसाइटी के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाये तो सोसाइटी की पूंजी में उसके अंश या हित के मूल्य की धनराशि उसे या उसके नामनिर्देशित व्यक्ति, उत्तराधिकारी या वैध प्रतिनिधि को, जैसी भी दिशा हो, देने के लिये निम्न रीति से निश्चित की जावेगी अर्थात्—

(1) असीमित दायित्व की सोसाइटी होने की दशा में यह (रकम) सोसाइटी द्वारा ऐसे अंश या हित के संबंध में प्राप्त की गई वास्तविक रकम होगी।

(2) सीमित दायित्व की सोसाइटी होने की दशा में यह रकम सदस्यता समाप्ति से पूर्ववर्ती अंतिम आडिट की हुई बैलेंसशीट में बताई गई सोसाइटी की आर्थिक स्थिति के आधार पर निकाली जावेगी :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस प्रकार निश्चित की गई रकम सोसाइटी द्वारा ऐसे अंश या हित के संबंध में प्राप्त वास्तविक रकम से अधिक नहीं होगी।

[1][**21. रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण**—किसी सोसाइटी का कोई सदस्य रजिस्ट्रार कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों का निःशुल्क निरीक्षण कर सकेगा तथा निम्नलिखित फीस का संदाय करने पर उनकी प्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त कर सकेगा—

(क)	सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन	– रुपये 5.00 प्रत्येक
(ख)	रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र	– रुपये 5.00 प्रत्येक
(ग)	सोसाइटी की उपविधियाँ	– रुपये 15.00 प्रत्येक
(घ)	सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन	– रुपये 1.00 प्रति फोलियो
(ङ)	किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के रद्द किये जाने का आदेश	– रुपये 1.00 प्रति फोलियो
(च)	वार्षिक स्थिति विवरण पत्रक	– रुपये 1.00 प्रति फोलियो
(छ)	धारा 53 के अधीन किसी समिति के अधिक्रमण का आदेश	– रुपये 1.00 प्रति फोलियो
(ज)	धारा 64 के अधीन कोई विवाद माध्य-स्थम को निर्दिष्ट करने वाले आदेश	– रुपये 1.00 प्रति फोलियो
(झ)	कोई अन्य आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जा सकती हो	– रुपये 1.00 प्रति फोलियो

1. अधिसूचना क्र. 5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।

Provided that the copies of documents specified in clause (g) can be obtained only by a member of the committee, in clause (h) only by the parties to the dispute, and in clause (I) by the person having a right of appeal.]

CHAPTER IV
DUTIES, PRIVILEGES, PROPERTY AND FUNDS OF SOCIETIES

22. Address of societies — (1) Every society shall communicate in writing to the Registrar its postal address as indicated in its bye-laws registered under the Act and wherever applicable mention the name of the district, tahsil, town or village, municipal ward or mohalla, street and house number. While communicating the postal address of the society, the committee of the society shall also send a copy of a resolution passed by it for adoption of the address communicated to the Registrar.

(2) On receipt of the communication from the society under sub-rule (1), the Registrar shall register the address communicated by the society in a register to be maintained for that purpose and inform the society of such registration.

(3) Every change in its registered address shall be [1][communicated within thirty days] by the society to the Registrar. Any such change shall not be treated as registered unless—

(i) it is indicated in the bye-laws by amending them and the amendment so made is registered under the Act; and

(ii) the change is registered in the manner laid down in sub-rule (2).

(4) The registered address of a society or such change therein as may be registered, from time to time, shall be exhibited on the notice board of the society, immediately after registration.

23. Registers of members and shares, and list of members — (1) Every society shall keep a register of members, and enter therein the following particulars :—

(a) the name, address and occupation of each member;

(b) in the case of a society having share capital, the share held by each member;

(c) the date on which each person was admitted as a member;

1. Subs. by notification No. 5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

परन्तु खंड (छ) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियां केवल समिति के सदस्य द्वारा खंड (ज) में केवल विवाद के पक्षकारों द्वारा तथा खंड (झ) में केवल उस व्यक्ति द्वारा जिसे अपील करने का अधिकार हो, अभिप्राप्त की जा सकती हैं।]

अध्याय चार
सोसाइटियों के कर्तव्य, विशेषाधिकार, सम्पत्ति तथा निधियां

22. सोसाइटियों का पता—(1) प्रत्येक सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत उपविधियों में दर्शाये अनुसार अपना डाक का पता लिखित रूप में पंजीयक को सूचित करेगी तथा जहाँ कहीं लागू होगा उसमें जिला, तहसील, नगर या ग्राम, नगर पालिका वार्ड या मोहल्ला, गली का नाम तथा मकान नम्बर का उल्लेख होगा। सोसाइटी का डाक का पता सूचित करते समय सोसाइटी की कमेटी पंजीयक को सूचित किये गये पते को अंगीकृत करने के लिये पारित संकल्प की एक प्रतिलिपि भी भेजेगी।

(2) उपनियम (1) के अंतर्गत सोसाइटी से सूचना प्राप्त होने पर पंजीयक, सोसाइटी द्वारा सूचित किये गये पते को एक रजिस्टर, जो इसी प्रयोजन के लिये रखा जावेगा, में पंजीकृत करेगा तथा सोसाइटी को ऐसे पंजीयन की सूचना देगा।

(3) पंजीकृत पते में प्रत्येक परिवर्तन की [1][तीस दिन के भीतर] सूचना संस्था पंजीयक को दी जावेगी, ऐसा कोई भी परिवर्तन पंजीयत न माना जावेगा जब तक कि—

(एक) उसे उपविधियों में संशोधन द्वारा दर्शित न किया जावे तथा इस प्रकार का संशोधन अधिनियम के अधीन पंजीकृत न किया जावे, तथा

(दो) उपनियम (2) में बताई रीति से परिवर्तन पंजीयत न किया जावे।

(4) सोसाइटी का पंजीयत पता तथा समय-समय पर उसमें किये गये परिवर्तन, जो कि पंजीकृत किये जावें, पंजीयन के तुरन्त पश्चात सोसाइटी के सूचना पटल पर प्रदर्शित किये जावेंगे।

23. सदस्यों और अंशों का रजिस्टर एवं सदस्यों की सूची—(1) प्रत्येक सोसाइटी सदस्यों का एक रजिस्टर संधारित करेगी, जिसमें निम्न विवरण की प्रविष्टि होगी—

(क) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय;

(ख) सोसाइटी की अंशपूंजी होने की दशा में प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित अंश (हिस्सा);

(ग) वह तिथि जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को सदस्य रूप में प्रवेश दिया गया;

1. अधिसूचना क्र. 5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।

(d) the date and number of resolution of the committee or general meetings, as the case may be, which admitted a person as member, if he is not one of the applicants for registration of the society;

(e) the name of the nominee of a member;

(f) the date on which the said nomination was made by a member;

(g) the date on which any person ceased to be a member;

[1][(h) the caste of a member if he belongs to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other Backward Classes.]

(2) Every society, which has share capital exceeding Rs. 5,000 shall maintain a register of shares.

[1][(3) (a) Every society shall prepare a list of members, delegates and representatives of member societies as on the last day of each co-operative year. The list shall be available at the office of the society during office hours for inspection by any member of the society;

(b) Every person who is disqualified under sub-section (7) of Section 48 or Section 50-A shall be informed of the fact of his being so disqualified before preparation of the list under clause (c). A list of non-borrowing members and defaulters for a period exceeding twelve months shall also be exhibited on the notice board of the society under the signature of the Manager/ Secretary;

(c) Every society shall prepare a list of members, including the members who are disqualified under sub-section (7) of Section 48 or Section 50-A as on the date preceding 45 days prior to the date of election of delegates or in which election of committee members is to take place, as the case may be. The list shall indicate the defaulter within the meaning of Section 50-A by assigning sign and word "X-defaulter" and in case of members belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the list shall indicate the respective category against their names. The list shall

1. Subs. by notification No. 5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

(घ) कमेटी अथवा साधारण सभा, जैसी भी स्थिति हो, संकल्प का क्रमांक व दिनांक जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को सदस्य रूप के में प्रवेश दिया गया यदि वह सोसाइटी के पंजीयन हेतु प्रार्थियों में से कोई एक नहीं है;

(ङ) सदस्य द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति का नाम;

(च) तिथि, जब तक सदस्य द्वारा किया गया नामनिर्देशन प्रभावी रहेगा;

(छ) तिथि, जिस पर किसी व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हुई;

[1][(ज) सदस्य की जाति, यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों का हो।]

(2) प्रत्येक सोसाइटी जिसकी अंशपूंजी रुपये 5,000/- से अधिक हो, अंशों/ हिस्सों का रजिस्टर रखेगी।

[1][(3)(क) प्रत्येक सोसाइटी प्रत्येक सहकारिता वर्ष के अंतिम दिवस को सदस्य/ प्रत्यायुक्त (डेलीगेट्स) की तथा सदस्य सोसाइटियों (रिप्रेजेन्टेटिव) का एक सूची तैयार करेगी। सूची सोसाइटी के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान सोसाइटी के किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण किये जाने हेतु उपलब्ध रहेगी।

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को, जो धारा 48 की उपधारा (7) या धारा 50-ए/ के अधीन निरर्हित है, खंड (ग) के अधीन सूची तैयार करने से पूर्व उसके निरर्हित होने के तथ्य की जानकारी दी जायेगी। बारह मास से अधिक अवधि के गैर उधार लेने वाले सदस्यों तथा व्यतिक्रमियों की एक सूची सोसाइटी के सूचना-फलक पर प्रबंधक/सचिव के हस्ताक्षर के अधीन प्रदर्शित भी की जायेगी।

(ग) प्रत्येक सोसाइटी धारा 48 की उपधारा (7) या 50-क के अधीन निरर्हित सदस्यों को सम्मिलित करते हुये सदस्यों की प्रत्यायुक्तों (डेलीगेट्स) के निर्वाचन की तारीख के 45 दिन पूर्व की तारीख को या यथास्थिति जिस समिति के निर्वाचन में सदस्यों को स्थान पाना है, ऐसे सदस्यों की एक सूची तैयार करेगी। सूची धारा 50-क के अर्थ के अन्तर्गत व्यतिक्रमियों को चिन्ह 'x' तथा शब्द 'व्यतिक्रमी है' समनुदेशित करके उपदर्शित करेगी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के मामले में सूची में उनके नामों के सामने क्रमशः प्रवर्गों को उपदर्शित किया जायेगा, संसाधन सोसाइटी के मामले में, उधार न लेने वाले सदस्यों को भी

1. अधिसूचना क्र. 5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।

in case of a resource society, also indicate the non-borrowing members by assigning words "non-borrowing". The list so prepared shall be made available to the Returning Officer appointed by the Registrar atleast 33 days prior to the date fixed for the election of delegates or holding of annual general meeting/special general meeting for the election of committee members. The list shall be published by the Returning Officer at least 30 days prior to the date of the election of delegates or annual general meeting/special general meeting, as the case may be;

(d) The list to be made available shall be published by exhibiting it at the office of the society, and on the notice boards of the Deputy Registrar/Assistant Registrar of Co-operative Societies incharge of the District, and Financing Bank, and in case of a Society other than Financing Banks, Apex Institution of Society whose area of operation is for the whole district or beyond a district, Block Development Office and branch of the Financing Bank along with a notice —

(i) inviting objection thereto by him or an Officer appointed by him in writing within 6 days from the date of notice;

(ii) fixing date, time and place for hearing of such objection and claims,—

– All the members of the society shall be informed by a notice under certificate of posting that such list has been displayed at the place mentioned above to enable them to file objections, if any;

– Any person whose name is not entered in the list or is not properly entered or any person whose name is entered in the list and who objects to the inclusion of his name or name of any person in the list, may prefer a claim or object to the Returning Officer or person authorised by him in writing within 6 days from the publication of the list under this sub-clause;

सूची में 'उधार न लेने वाले' शब्द समुनदेशित करते हुये उपदर्शित किया जायेगा। इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रत्यायुक्तों (डेलीगेट्स) के निर्वाचन या समिति के सदस्यों के निर्वाचन या समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिये वार्षिक साधारण सम्मिलन/विशेष साधारण सम्मिलन के लिये नियत तारीख से कम से कम 33 दिन पूर्व रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त रिटर्निंग आफीसर को उपलब्ध कारई जायेगी, रिटर्निंग आफीसर द्वारा यथा स्थिति प्रत्यायुक्तों (डेलीगेट्स) के निर्वाचन या वार्षिक साधारण सम्मिलन, विशेष साधारण सम्मिलन की तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व सूची का प्रकाशन किया जायेगा।

(घ) इस प्रकार उपलब्ध कराई गई सूची सोसाइटी के कार्यालय में, जिले के भारसाधक उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियाँ, वित्तदायी बैंक, वित्तदायी बैंक से भिन्न होने की दशा में किसी अन्य सोसाइटी की अपेक्स संस्था जिसका प्रवर्तन क्षेत्र सम्पूर्ण जिले अथवा जिलों के परे है, विकासखंड कार्यालय और वित्तदायी बैंक की शाखा के सूचना फलक पर ऐसी सूचना के साथ प्रकाशित की जायेगी, जिसमें—

(एक) उसके पास या उसके द्वारा नियुक्त किये गये पदाधिकारी के पास सूचना की तारीख से छः दिन के भीतर उसके बाबत् लिखित में आपत्तियाँ आमंत्रित की गई हों,

(दो) ऐसे आपत्ति तथा दावों की सुनवाई के लिये तारीख, समय तथा स्थान नियत, किया गया हो,

– सोसाइटी के सभी सदस्यों को डाक प्रमाण के अधीन (यू.पी.सी.) एक सूचना द्वारा सूचित किया जायेगा कि आपत्ति, यदि कोई हो, को दाखिल करने के लिये ऊपर वर्णित स्थान पर ऐसी सूची प्रदर्शित की गई है।

– ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका नाम सूची में प्रविष्ट न किया गया हो या उचित तौर पर प्रविष्टि न की गई हो या कोई व्यक्ति जिसका नाम सूची में प्रविष्टि किया गया हो जो उसके नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम की सूची में समाविष्ट किये जाने के बारे में आपत्ति करता हो, इस उपखंड के अधीन सूची के प्रकाशन की तारीख से छः दिन के भीतर अपने दावे या आपत्ति रिटर्निंग आफीसर या उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति को लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा।

(e) Claim or objection shall be accompanied by documents on which the claimant or objector relies;

(f) The Returning Officer or any, person authorised by him shall, after holding such summary enquiry, into the claims or objections as he thinks fit, record his decision in writing and shall dispose of all claims and objections within 9 days from the date of publications of the list under clause (d) of sub-rule (3);

(g) No person shall be represented by any legal practitioner or counsel in any proceeding under this rule;

(h) The Returning Officer shall indicate the defaulters within the meaning of Section 50-A of the Act who continue to be so on the date of finalisation of the list by assigning "X—Defaulter" sign against their names;

(i) The decision of the Returning Officer or the person authorised under clause (f), as the case may be, shall be final and binding and the list so made available by society shall stand amended in accordance with such decision. The list so amended shall be published by exhibiting it at the office of the society under the seal and signature of the Returning Officer. The society shall prepare six copies of the list so amended and submit to the Returning Officer for his use at the polls;

(j) The list so amended shall be final and a copy of the same duly certified shall be handed over by the Returning Officer or the person authorised by him to the society and Registrar:

[1][***]

Provided further that any person whose name is shown in the list with sign "X-defaulter", may, at any time before the date on which polls is to be held, after making necessary payment of the dues on account of which he had been shown as defaulter in the list to the society concerned and on production of a proof in token thereof in such form as the Registrar may provide for the purpose, get the list corrected by the Returning Officer:

1. Omitted by notification No. F-15-40-97-XV-1, dated 12-4-99.

(ङ) दावा या आपत्ति के साथ ऐसे दस्तावेज भी होंगे जिन पर कि दावेदार या आपत्तिकर्ता विश्वास करता है।

(च) रिटर्निंग आफीसर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति दावे आपत्ति के बारे में ऐसी संक्षिप्त जाँच करने के पश्चात जैसी कि वह उपयुक्त समझे, अपना विनिश्चय लिखित में अभिलिखित करेगा तथा समस्त दावों और आपत्तियों को उपनियम (3) के खंड (घ) के अधीन सूची के प्रकाशन की तारीख से नौ दिन के भीतर निपटायेगा।

(छ) इस नियम के अधीन कार्यवाहियों में किसी भी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किसी विधि-व्यवसायी या काउन्सेल द्वारा नहीं किया जायेगा।

(ज) रिटर्निंग आफीसर अधिनियम की धारा 50-क के अर्थ के अन्तर्गत उन व्यतिक्रमियों को, जो सूची को अंतिम रूप दिये जाने की तारीख को व्यतिक्रमी ही बने रहे, उनके नाम के सामने 'x' व्यतिक्रमी देकर उपदर्शित करेगा।

(झ) यथास्थिति रिटर्निंग आफीसर या खंड (च) के अधीन प्राधिकृत किया गया व्यक्ति का विनिश्चय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा और सोसाइटी द्वारा इस प्रकार उपलब्ध कराई गई सूची ऐसे विनिश्चय के अनुसार संशोधित की जायेगी, इस प्रकार संशोधित की गई सूची उस सोसाइटी के कार्यालय में रिटर्निंग आफीसर की मुद्रा तथा हस्ताक्षर के अधीन प्रदर्शित करके प्रकाशित की जायेगी, सोसाइटी इस प्रकार संशोधित की गई सूची की छह प्रतियाँ तैयार करेगी और रिटर्निंग आफीसर को मतदान के समय उसके द्वारा उपयोग में लाये जाने के लिए प्रस्तुत करेगी।

(ञ) इस प्रकार संशोधित सूची अंतिम होगी और उसकी सम्यक् रूप से प्रमाणित एक प्रति रिटर्निंग आफीसर या उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यक्ति द्वारा सोसाइटी को और रजिस्ट्रार को सौंप दी जाएगी,

[1][* * *]

परन्तु यह और भी कि कोई व्यक्ति जिसका नाम सूची में चिन्ह 'x व्यक्तिक्रमी' से दर्शाया गया हो, उस तारीख से पूर्व, जिसको कि मतदान होना है किसी भी समय उन शोध्यों को, जिनके कारण वह सूची में व्यतिक्रमी के रूप में दर्शाया गया था, संबंधित सोसाइटी को आवश्यक संदाय करने के पश्चात् और उसके प्रमाण स्वरूप ऐसे प्रारूप में जैसा कि रजिस्ट्रार इस प्रयोजन के लिये उपबंधित करे, साक्ष्य पेश करके रिटर्निंग आफीसर से सूची को सही करवा सकेगा:

1. अधिसूचना क्र. एफ-15-40-97-पन्द्रह-1, दिनांक 12-4-99 द्वारा विलोपित।

Provided also that any person whose name is shown as "Non-borrowing" in the final list prepared under clause (1) above may, at any time before publication of election programme made sub-rule (2) of Rule 41, on production of a documentary proof in token of having taken a loan from the resource society, get the list corrected by the Returning Officer;

(k) On receipt of the final list under Clause (i) above, the Registrar, in case of a society falling under sub-section (3) of Section 48, fix-up the number of seats in the committee to be filled by the members belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and women accordingly;

(l) In the case of a society where the byelaws provide for the constitution of its general body by the election of delegates, the Registrar shall reserve the seats for the delegates belonging to Schedule Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as per sub-section (3) of Section 48-B and also identify the groups from which the delegates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and women shall be elected;

(m) The reservations made in the above clauses shall be intimated to the Returning Officer within 3 days from the receipt of final list under clause (i) and if the society fails to do so, the Returning Officer himself shall reserve the number of seats in the general body and the groups from which such delegates will be elected.]

[1][**23-A. Voting rights of individual members in federal society** — For purposes of participation in the general body meeting of a federal society, the individual members thereof other than public trust, firm, company or body corporate or society registered under the Chhattisgarh Societies Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973), shall elect delegates in a meeting held at the headquarters of the society well before the date of the meeting of the general body and delegates so elected shall alone be eligible to take part in the general body meeting of the federal society.]

1. Ins. by notification No. 5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.

परन्तु यह और भी कि, कोई भी व्यक्ति जिसका नाम ऊपर खंड (झ) के अधीन तैयार की गई अंतिम सूची में 'उधार न लेने वाला' के रूप में दर्शाया गया है, नियम 41 के उपनियम (2) के अधीन निर्वाचन कार्यक्रम के प्रकाशित होने के पूर्व किसी भी समय, संसाधन सोसाइटी से उधार लेने के लिये प्रमाण में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके सूची में रिटर्निंग आफीसर द्वारा सुधार करवा सकेगा।

(ट) ऊपर खंड (झ) के अधीन अंतिम सूची प्राप्त होने पर, धारा 48 की उपधारा (3) के अधीन आने वाली किसी सोसाइटी के मामले में रजिस्ट्रार तद्नुसार समिति में उन स्थानों की संख्या नियत करेगा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्यों और महिलाओं द्वारा भरे जायेंगे।

(ठ) किसी ऐसी सोसाइटी के मामले में, जहाँ उपविधियों में साधारण निकाय का गठन प्रत्यायुक्तों के निर्वाचन द्वारा लिये जाने का उपबंध है, तो रजिस्ट्रार साधारण निकाय से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के प्रत्यायुक्तों के लिये स्थानों का आरक्षण धारा 48-ख की उपधारा (3) के अनुसार करेगा और ऐसे समूहों की पहचान भी अवधारित करेगा, जिसमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं के प्रत्यायुक्तों का निर्वाचन किया जायेगा।

(ड) उपरोक्त खंडों में किये गये आरक्षण की सूचना खंड (झ) के अधीन अंतिम सूची के प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर रिटर्निंग आफीसर को दी जायेगी और यदि सोसाइटी ऐसा करने में असफल रहती है तो रिटर्निंग आफीसर स्वयं साधारण निकाय में स्थानों की संख्या तथा समूह जिनसे कि ऐसे प्रत्यायुक्तों का निर्वाचन किया जायेगा, आरक्षित करेगा।]

[1][**23-क. संघीय सोसाइटी में व्यष्टिक सदस्यों के मतदान के अधिकार**— किसी संघीय सोसाइटी के साधारण निकाय के सम्मिलन में भाग लेने के प्रयोजन के लिये उसके व्यष्टि सदस्य जो लोकन्यास, फर्म, कम्पनी या निगमित निकाय या छत्तीसगढ़ सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी से भिन्न हो साधारण निकाय के सम्मिलन की तारीख से पर्याप्त समय पूर्व सोसाइटी से भिन्न हो साधारण निकाय के सम्मिलन में प्रत्यायुक्तों का चुनाव करेंगे और केवल इस प्रकार निर्वाचित प्रत्यायुक्त ही संघीय सोसाइटी के साधारण निकाय के सम्मिलन में सोसाइटी के व्यष्टिक सदस्यों की ओर से भाग लेने के लिये पात्र होंगे।]

1. अधिसूचना क्र. 5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा अन्तःस्थापित।

[1][**24. Manner of certifying copies** — For the purpose of sub-sections (1) and (2) of Section 34, a copy of entry in a book of society or of any document obtained and kept by it in the course of its business may be certified—

(a) by any two officers of the society as defined in clause (v) of Section 2; or

(b) by the Registrar assuming charge of the society under sub-section (8) of Section 49; or

(c) where an order has been passed under sub-section (1) of Section 53—

(i) by the person appointed to manage the affairs of the society; and

[2][(ii) where the persons are appointed to manage the affairs of the society by any two of the persons so appointed; or]

(d) by the liquidator under the seal of the society where a liquidator has been appointed under Section 70.]

[3][**24-A. Supply of statement of account to members** — (1) Every society advancing loans to its members shall at the time of advancing first loan shall issue a 'loan pass-book' to every member in such form as may be prescribed by the Registrar.

(2) Entries in the loan pass-book shall be up-dated and certified by the Manager of the society within three months from the date of the close of a co-operative year by entering therein the transactions of loan advanced and recoveries made during the year.

(3) In case a member fails to submit his pass-book to the society for updating within three months from the close of the co-operative year, the society shall prepare a duplicate copy of the loan pass-book of the member containing all transactions upto the close of the preceding co-operative year and furnish the same to the member concerned when he applies for the same or takes a fresh loan from the society, whichever is earlier.

1. Subs. by notification No. F-5-40-84-1-XVI, dated 29-4-85.
2. Added by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.
3. Subs. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.

[1][**24. प्रतिलिपियाँ प्रमाणित करने की रीति**—धारा 34 की उपधारा (1) तथा (2) के प्रयोजन के लिये किसी सोसाइटी को किसी ऐसी पुस्तक या किसी ऐसा दस्तावेज जो कि उसके कारबार के अनुक्रम में अभिप्राप्त की गई हो या रखी गई हो, में कि किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि—

(क) सोसाइटी के किन्हीं दो अधिकारियों द्वारा धारा 2-क खंड (पाँच) में परिभाषित किये गये अनुसार, या

(ख) धारा 49 की उपधारा (8) के अधीन सोसाइटी का कार्यभार संभालने वाले रजिस्ट्रार द्वारा, या

(ग) जहाँ धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया हो वहाँ—

(एक) सोसाइटी के क्रियाकलापों का प्रबंध करने के लिये नियुक्त किये गये व्यक्ति द्वारा, और

[2][(दो) जहाँ सोसाइटी के क्रियाकलापों का प्रबंध करने के लिये व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है, वहाँ इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्तियों में से किन्हीं दो व्यक्तियों द्वारा, या

(घ) धारा 70 के अधीन समापक नियुक्त किया गया हो वहाँ सोसाइटी की मुद्रा के अधीन समापक द्वारा,

प्रमाणित की जा सकेगी।]

[3][**24-क. सदस्यों को लेखा विवरण का प्रदाय**—(1) ऐसी प्रत्येक सोसाइटी जो अपने सदस्यों को उधार देती है। पहला उधार देते समय प्रत्येक सदस्य को ऐसे प्रारूप में ऋण पुस्तिका जारी करेगी जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा विहित किया जाये।

(2) ऋण पुस्तिका में वर्ष के दौरान दिये गये उधारों तथा की गई वसूलियों से संव्यवहारों को प्रविष्टियाँ करके उसे सहकारी वर्ष के समाप्त होने के तीन माह के भीतर सोसाइटी के प्रबंधक द्वारा अद्यतन बनाया जायेगा और प्रमाणित किया जायेगा।

(3) ऐसे मामले में, जहाँ कोई सदस्य अपनी ऋण पुस्तिका को अद्यतन करने के लिये सोसाइटी को यदि सहकारी वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो सोसाइटी सदस्य की ऋण पुस्तिका की दूसरी प्रति तैयार करेगी, जिसमें पूर्ववर्ती सहकारी वर्ष की समाप्ति तक के समस्त संव्यवहारों की प्रविष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी तथा उसे संबंधित सदस्य को जब वह इसके लिये आवेदन करता है या जब वह सोसाइटी से नया उधार लेता है, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रस्तुत करेगी।

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-40-84-1-सोलह, दिनांक 29-4-85 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा जोड़ा गया।
3. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) No fee shall be charged by the society for the loan pass-book when issued for first time but such fee as may be fixed by the society shall be collected for a duplicate copy issued to the member.

(5) All entries made in the loan passbook shall be presumed to be correct unless proved otherwise.]

25. Restrictions on grant of loan — (1) No financing bank or credit society, other than a land mortgage bank or a society, the object of which is to grant long term loans exclusively on the mortgage of immovable properties, shall grant loans for a period exceeding three years :

[1][Provided that the Registrar may permit by a general or special order any such financing bank or credit society to grant loans for periods exceeding three years but not exceeding 'twenty' years for any of the objects to be specified by him in the order.]

(2) In a society where share capital is contributed by members, a loan shall be granted to a member in proportion to the share capital paid by him as may be laid down in the bye-laws :

Provided that the proportion for any society or class of societies may be increased or decreased as may be decided by the Registrar.

[2][(3) A financing bank/a co-operative society may lend money to individual members in accordance with the rules approved by the Registrar in this behalf.]

[3][**25-A. Intimation of loan etc. to be given to Tahsildar** — In addition to complying with the provisions of subsection (1-A) of Section 37, every society when so directed by the Registrar, shall send to the Tahsildar of the tahsil, in which the society is situated, in Form I, a list of its members, past, present or deceased, showing the amount of loan or advances outstanding against them at the close of the preceding co-operative year.]

26. Restrictions on borrowing from more than one society dispensing credit — (1) Every person who is or becomes a member of more than one society dispensing credit (other than a financing bank or a marketing society) shall within sixty days from the date of commencement of these rules or the date on which he becomes such member, as the case may, if he has not already made, make a declaration in Form F that he will borrow only from one such society to be mentioned in the declaration and shall send a copy of such declaration duly attested to all societies of which he is or becomes a member.

1. Subs. by notification No. F-5-10-80-1-XV, dated 9-10-80.
2. Subs. by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.
3. Subs. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.

(4) सोसाइटी द्वारा प्रथम बार जारी की गयी ऋण पुस्तिका के लिये कोई फीस प्रचारित नहीं की जायेगी, परन्तु ऋण पुस्तिका की दूसरी प्रति के प्रदाय के लिये ऐसी फीस, जैसी कि सोसाइटी द्वारा नियत की जाये, संग्रहित की जायेगी।

(5) ऋण पुस्तिका में की गई समस्त प्रविष्टियाँ सही समझी जावेगी, जब तक कि अन्यथा साबित न कर दिया जाये।]

25. ऋण प्रदान किये जाने पर प्रतिबंध—(1) कोई वित्त प्रबंधक बैंक या साख सोसाइटी, भूमि बन्धक बैंक या ऐसी समिति को छोड़कर जिसका उद्देश्य अचल सम्पत्तियों की गिरवी पर दीर्घावधि ऋण प्रदान करना है, तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये ऋण प्रदान नहीं करेगी।

[1][परन्तु प्रतिबंध यह है कि पंजीयक, ऐसे किसी वित्त प्रबंधक बैंक या साख सोसाइटी को, सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा, ऐसे अवधि के लिये जो तीन वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से अधिक न हो, किन्हीं भी आशयों, जो उसके द्वारा आदेश में निर्दिष्ट होंगे, के लिये ऋण प्रदान करने की अनुमति दे सकेगा।]

(2) किसी सोसाइटी में जहाँ अंशपूंजी सदस्यों द्वारा दी गई है, जैसा कि उपविधि में निर्धारित हो, किसी सदस्य को उसके द्वारा दी गई अंशपूंजी के अनुपात में, ऋण स्वीकृत किया जायेगा:

किन्तु प्रतिबंध यह है कि किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग के लिये यह अनुपात, जैसा कि पंजीयक निश्चित करे, घटाया या बढ़ाया जा सकेगा।

[2][(3) कोई वित्तदायी बैंक/सहकारी सोसाइटी, रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किये गये नियमों के अनुसार व्यष्टिक सदस्यों को धन उधार दे सकेगी।]

[3][**25-क. उधार आदि की प्रज्ञापना तहसीलदार को दी जाना**—धारा 37 की उपधारा (1-क) के उपबन्धों के अनुपालन के अतिरिक्त प्रत्येक सोसाइटी, जब रजिस्ट्रार द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाये, उस तहसील के जिसमें सोसाइटी स्थित हो, तहसीलदार को, प्रारूप 'आई' में अपने पूर्व, वर्तमान और मृत, सदस्यों की एक सूची भेजेगी, जिसमें पिछले सहकारी वर्ष की समाप्ति पर उन पर बकाया उधार या अग्रिमों की रकम दर्शायी जायेगी।]

26. एक से अधिक संस्था से ऋण लेने पर प्रतिबंध—(1) प्रत्येक व्यक्ति जो ऋण देने वाली सोसाइटी (वित्त प्रबंधक बैंक या विपणन संस्था को छोड़कर) एक से अधिक सोसाइटी का सदस्य है या सदस्य बन जावे, इन नियमों के लागू होने के साठ दिन के अंदर अथवा जिस दिनांक को वह ऐसा सदस्य बने, जैसी भी स्थिति हो, यदि उसने पहले से ही यह घोषणा नहीं की है तो वह प्रारूप 'च' में घोषणा करेगा कि वह केवल ऐसी एक सोसाइटी से ही उधार लेगा जो कि घोषणा पत्र में उल्लिखित होगी और ऐसे घोषणा पत्र की अनुप्रमाणित प्रति सभी सोसाइटियों को भेजेगा जिनका कि वह सदस्य है या सदस्य बन जावे।

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-10-80-1-पन्द्रह, दिनांक 9-10-80 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) Any person who continues to be a member of more than one society without complying with the provisions of sub-rule (1) shall be liable to be removed from the membership of any or all such societies on a written requisition from the Registrar to that effect.

[1][(3) If the society fails to take action within two months from the receipt of requisition from the Registrar, the Registrar may remove such member from membership of the society by an order in writing after giving him reasonable opportunity of being heard.]

[1][**26-A. Borrowing by a member on entire holding in a district** — If a member has an agricultural holding in the area of operation of more than one society in a district, he shall be eligible to get loan on his entire holdings from any one of the societies of which he is a member.]

27. Fixation of credit limit of a member — The committee of a society shall determine the credit limit of a member within the limit fixed by a general or special order by the Registrar for the society or the class of societies to which it belongs.

[2][**28. Writing off bad debts** — All loans including interest thereon and recovery charges in respect thereof which are found irrecoverable and are certified as bad debts in audit and all other dues and accumulated losses or any other loss sustained by the society which cannot be recovered and have been certified as irrecoverable in audit shall first be written off against the bad debt reserve and the balance, if any, may be written off against the reserve fund and share capital of the society :

Provided that—

(i) in the areas where Central Cooperative bank is declared as 'weak bank' by the Reserve Bank of India, the primary agricultural credit societies affiliated to the bank, as also such bank can write off the debt and losses on the certificate issued by the committee appointed by the State Government;

1. Added by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.
2. Added by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.
3. Subs. by notification No. F-5-3-16-78-XV-1, dated 26-7-79.

(2) कोई व्यक्ति जो उपनियम (1) के उपबन्धों का पालन किये बिना एक से अधिक सोसाइटी का सदस्य बना रहे तो वह पंजीयक द्वारा इस संबंध में लिखित माँग किये जाने पर किसी अथवा ऐसी सभी सोसाइटियों की सदस्यता से निकाले जाने का पात्र होगा।

[1][(3) यदि सोसाइटी रजिस्ट्रार से अध्यपेक्षा प्राप्त होने के दो माह के भीतर कार्रवाही करने में असफल रहती है, तो रजिस्ट्रार ऐसे सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा सोसाइटी की सदस्यता से हटा सकेगा।]

[2][**26-क. किसी सदस्य द्वारा एक ही जिले में की सम्पूर्ण जोत पर उधार लिया जाना**—यदि किसी सदस्य के पास एक जिले में की एक से अधिक सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में कृषि जोत हो, तो वह उनमें से किसी एक सोसाइटी से जिसका वह सदस्य है, अपनी सम्पूर्ण जोत पर उधार प्राप्त करने के लिये पात्र होगा।]

27. सदस्य की ऋण सीमा का नियत किया जाना—सोसाइटी की कमेटी सदस्य की ऋण लेने की सीमा नियत करेगी जो सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग जिससे सोसाइटी संबंधित हो, उसके लिये पंजीयक के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर होगी।

[3][**28. डूबन्त ऋणों को बट्टे खाते डालना**—ऐसे समस्त उधारों को, जिनके अन्तर्गत उन पर ब्याज तथा उनके संबंध में वसूली प्रभार आते हैं, जो कि न वसूल होने योग्य पाये जाये तथा संपरीक्षा में डूबन्त ऋण के रूप में प्रमाणीकृत किये गये हो, और समस्त अन्य शोध्यों तथा संचित हानियाँ या सोसाइटी द्वारा हुआ कोई अन्य नुकसान जिनकी वसूली संभव न हो तथा जिनको संपरीक्षा में न वसूल होने योग्य के रूप में प्रमाणीकृत किया गया हो, प्रथम आरक्षित डूबन्त ऋण के नामे बट्टे खाते डाला जायेगा और बाकी, यदि कोई हो, आरक्षित निधि के तथा सोसाइटी की अंशपूंजी के नाम बट्टे खाते डाला जा सकेगा:

परन्तु यह कि—

(एक) ऐसे क्षेत्रों में, जहाँ सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'कमजोर बैंक' के रूप में घोषित किया गया हो, वहाँ बैंक से संबंध प्राथमिक कृषि साख सहकारी, साथ ही ऐसे बैंक भी ऋण तथा हानियों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति द्वारा प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर बट्टे खाते डाल सकेंगे।

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा जोड़ा गया।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा जोड़ा गया।
3. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-16-78-पन्द्रह-1, दिनांक 26-7-79 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ii) in the areas other than those mentioned in clause (i) above, no such bad debt or losses shall, be written off without the sanction of the general body;

(iii) before any such bad debt or losses are so written off, the society, if it is indebted to a financing bank, shall obtain the approval of such bank, in writing;

(iv) before any such bad debts or losses are so written off, the society, shall, obtain the approval of the Registrar in writing who may while giving approval, impose such conditions as to restoration of part or whole of the amount written off against the reserve fund from out of future profits, as he may deem fit;]

[1][(v) when a scheme of debt relief prepared by the State Government is implemented by a society, it may adjust its bad and doubtful reserve for writing off loans under the scheme.]

29. Restrictions on transactions with non-members — No society shall enter into any transactions with a person other than a member except those referred to in Sections 36 and 37, unless—

(i) the bye-laws of the society permit it to enter into such transactions; and

(ii) previous sanction of the Registrar has been obtained by the society.

[2][**30. Rate of contribution** — The contribution to be made by a society under Clause (b) of sub-section (2) of Section 43 shall be—

(a) one and one half, per cent of the net profit where the net profit does not exceed fifteen lakh rupees; and

(b) two per cent of the net profit, where the net profit exceeds fifteen lakh rupees].

31. Investment and use of funds other than reserve fund — (1) Subject to the provisions of Section 44, a society shall not, except with the previous sanction of the Registrar, invest and use the whole or any portion of its funds [2][(other than reserve or other fund created for specified

1. Added by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.
2. Subs. by notification No. 2561-1774-XV-1, dated 8-7-77.
3. Subs. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

(दो) उन क्षेत्रों, जो ऊपर खंड (एक) में उल्लेखित क्षेत्रों से भिन्न हों, सामान्य निकाय की मंजूरी के बिना ऐसा डूबन्त ऋण या हानियाँ बट्टे खाते नहीं डाली जायेंगी।

(तीन) किसी डूबन्त ऋण या हानियों को इस प्रकार बट्टे खाते में डाले जाने के पूर्व, सोसाइटी यदि वह वित्तदायी बैंक की ऋणी हो, ऐसे बैंक से लिखित में अनुमोदित अभिप्राप्त करेगी।

(चार) किसी ऐसे डूबन्त ऋण या हानियों के इस प्रकार बट्टे खाते डाले जाने के पूर्व, सोसाइटी लिखित में रजिस्ट्रार का अनुमोदन अभिप्राप्त करेगी जो अनुमोदन देते समय आरक्षित निधि के नामे बट्टे खाते डाली गई रकम में से पूरी रकम का या आंशिक रकम का भविष्य के लाभ से प्रत्यावर्त किये जाने के संबंध में ऐसी शर्तें, जैसी कि वह उचित समझे, अधिरोपित कर सकेगा।]

[1][(पांच) जब राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी किसी ऋण राहत स्कीम का क्रियान्वयन किसी सोसाइटी द्वारा किया जाता है तो वह अपनी डूबन्त तथा शंकास्पद ऋण आरक्षित निधि को उस स्कीम के अधीन उधारों को बट्टे खाते डालने के लिये समायोजित कर सकेगी।

29. असदस्यों से व्यवहार करने पर प्रतिबंध—कोई भी सोसाइटी सदस्य के अतिरिक्त, धारा 36 एवं 37 में निर्दिष्ट (व्यक्तियों) को छोड़कर, अन्य किसी व्यक्ति से कोई व्यवहार नहीं करेगी, जब तक कि—

(एक) सोसाइटी की उपविधि में ऐसा व्यवहार करने की स्वीकृति न दें, तथा

(दो) सोसाइटी द्वारा पंजीयक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो।

[2][**30. अंशदान की दर**—किसी सोसाइटी द्वारा धारा 43 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन किया जाने वाला अंशदान—

(क) शुद्ध लाभ का डेढ़ प्रतिशत होगा, जहाँ शुद्ध लाभ पन्द्रह लाख रुपये से अधिक न हो; और

(ख) शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत होगा, जहाँ शुद्ध लाभ पन्द्रह लाख रुपये से अधिक हो।]

31. रक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य निधियों का विनियोग एवं उपयोग - (1) धारा 44 के उपबंधों के अधीन रहते हुये सोसाइटी, पंजीयक की पूर्व स्वीकृति के बिना, अपनी निधियों [3][रक्षित या विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये निर्मित अन्य निधि को

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा जोड़ा गया।
2. अधिसूचना क्र. 2561-1774-पन्द्रह-1, दिनांक 8-7-77 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।

purposes)] in the purchase or lease of land or in acquisition, construction or renewal of any building or in the purchase of any machinery or mechanically propelled vehicle costing more than [1][the limit fixed by the Registrar from time to time] that may be necessary to conduct its business. The amount of the funds so invested shall be recouped on such terms as may be determined in each case by the Registrar.

(2) The provisions of sub-rule (1) shall not apply—

(a) to immovable property purchased—

(i) by a society at a sale held in execution of a decree obtained by it, for the recovery of any sum due to it; or

(ii) by a financing bank at a sale held in execution of a decree obtained by a society financed by it, for the recovery of any sum due to such society or at a sale brought about by the liquidator of such society; or

(b) to the purchase or lease of lands or purchase, construction or renewal of buildings by a society whose objects according to its byelaws include such purchase, lease construction or renewal.

(3) No recoupment of the amount invested under this rule shall be necessary where the investment is made—

(a) by a society from its building fund constituted out of profits; or

(b) by a society, other than a credit society, in which the share capital raised from the members is intended to built up the special kind of business for which it has been registered.

32. State aid to societies — (1) Subject to the provisions of the Act, the State Government may—

(i) make share capital contribution to a society; or

(ii) give loans or financial assistance or other to a society; or

(iii) guarantee the payment of the principal of debentures issued by a society or interest thereon or both; or

1. Subs. by notification No. F-5-23-83-1-XV, dated 10-1-84, for the words "five thousand rupees".

छोड़कर] को पूर्ण रूपेण या उसके किसी भाग को, भूमि के क्रय अथवा लीज पर लेने या किसी भवन के अर्जन, निर्माण या नवीनीकरण अथवा किसी यन्त्र या [1][रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर नियत की गई सीमा] से अधिक मूल्य के मशीन चालित वाहन के खरीदने, जो कि सोसाइटी के कारोबार को चलाने हेतु आवश्यक हो, विनियोग एवं उपयोग में न लायेगी। इस प्रकार विनियुक्त निधि की धनराशि ऐसे निबन्धनों पर पूरी की जावेगी जैसा कि पंजीयक प्रत्येक दशा में निश्चित करे।

(2) उपनियम (1) के उपबन्ध (निम्नलिखित को) लागू न होंगे—

(क) (निम्नानुसार) अचल सम्पत्ति खरीदने पर :—

(एक) सोसाइटी को देय रकम की वसूली के लिये उसके द्वारा प्राप्त किये गये जयपत्र (Decree) के निष्पादन में बिक्री होने पर सोसाइटी द्वारा खरीदी गई; या

(दो) वित्त प्रबंधक बैंक से अर्थ प्राप्त संस्था को देय रकम की वसूली के लिये सोसाइटी द्वारा प्राप्त किये गये जयपत्र के निष्पादन में बिक्री होने पर अथवा ऐसी संस्था के परिसमापक द्वारा किये गये विक्रय में, वित्त प्रबंधक बैंक द्वारा खरीदी गई; या

(ख) सोसाइटी जिसके उद्देश्यों में, उसकी उपविधियों के अनुसार खरीदी, लीज, निर्माण या नवीनीकरण सम्मिलित हो, उसके द्वारा भूमि की खरीदी या लीज, भवनों का निर्माण या नवीनीकरण।

(3) जबकि विनियोग—

(क) सोसाइटी के लाभ में से गठित भवन निधि में सोसाइटी द्वारा; अथवा

(ख) साख सोसाइटी के अतिरिक्त ऐसी सोसाइटी जिसके सदस्यों से उगाई गई अंशपूंजी विशेष प्रकार के व्यापार, जिसके लिये पंजीयन हुआ हो, उस व्यापार को दृढ़ करने के लिये किया गया हो,

तो उस नियम के अधीन विनियोग की पूर्ति करना आवश्यक नहीं होगा।

32. सोसाइटियों को राज्य की सहायता—(1) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुये राज्य शासन—

(एक) सोसाइटी की अंशपूंजी में अंशदान कर सकेगा; अथवा

(दो) सोसाइटी को कर्ज या आर्थिक अथवा अन्य सहायता दे सकेगा; अथवा

(तीन) सोसाइटी द्वारा जारी किये गये, ऋण पत्रों के मूलधन या उस पर के ब्याज अथवा दोनों के भुगतान की गारन्टी दे सकेगा; अथवा

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-23-83-1-पन्द्रह, दिनांक 10-1-84 द्वारा शब्द 'पाँच हजार रुपये' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(iv) guarantee the payment of the principal of, and payment of interest on, loans and advances given by the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any other authority constituted under any law for the time being in force; or

(v) grant state aid in any other form to a society under Section 45, on the following terms and conditions, namely :—

(a) When the State Government purchases shares in a society, it shall be entitled to dividend on the said shares as is declared by the society concerned and is payable to other members of that society;

(b) A society receiving state aid shall not pay any dividend or distribute or take any profit in excess of such percentage rate upon the amount of the capital of the society as the State Government may, from time to time, fix;

(c) A society receiving state aid shall, with the approval of the Registrar appoint a paid secretary or manager of the society;

(d) A society receiving state aid shall be bound—

(i) to comply with any general or special order of the State Government relative to the inspection of the society;

(ii) to permit the inspection of all accounts relative to the society;

(iii) to maintain such accounts and to furnish such statements and returns as the State Government or the Registrar may, from time to time, require; and

(iv) to comply with any order or condition issued or imposed by the State Government as may in its opinion be necessary or expedient to safeguard its interest.

[1][(1-A) A society receiving state aid shall appoint employees in accordance with a staffing pattern approved by—

1. Added by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.

(चार) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या तत्समय प्रचलित किसी विधि के अंतर्गत गठित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिम के मूलधन के भुगतान तथा ब्याज के भुगतान की गारन्टी दे सकेगा; अथवा

(पांच) धारा 45 के अधीन सोसाइटी को किसी अन्य प्रकार से राज्य सहायता निम्नलिखित निबन्धनों तथा शर्तों पर दे सकेगा; अर्थात्—

(क) जब राज्य शासन किसी संस्था के अंशों को खरीदे तो कथित अंशों पर वह उतना ही लाभांश प्राप्त करने का अधिकारी होगा जैसा कि संबंधित सोसाइटी द्वारा घोषित किया गया हो, तथा उस सोसाइटी के अन्य सदस्यों को देय हो;

(ख) राज्य सहायता प्राप्त करने वाली सोसाइटी उस प्रतिशत दर से, जो राज्य शासन समय-समय पर नियत करे, अधिक न तो लाभांश देगी और न ही कोई लाभ बांटेगी या लेगी;

(ग) राज्य सहायता प्राप्त करने वाली सोसाइटी पंजीयक के अनुमोदन से सोसाइटी का वेतन भोगी मंत्री अथवा व्यवस्थापक नियुक्त करेगी;

(घ) राज्य सहायता प्राप्त करने वाली सोसाइटी निम्नलिखित के लिये बाध्य होगी—

(एक) सोसाइटी के निरीक्षण संबंधी राज्य शासन के किसी सामान्य या विशेष आदेश के पालन के लिये,

(दो) सोसाइटी से संबंधित सभी हिसाबों के निरीक्षण करने के लिये;

(तीन) ऐसे हिसाबों को रखने तथा ऐसे पत्रकों तथा विवरण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिये, जैसी राज्य शासन अथवा पंजीयक समय-समय पर अपेक्षा करें; तथा

(चार) राज्य शासन द्वारा जारी कोई आदेश अथवा लगाई गई कोई शर्त, जैसी उसकी राय में उसके हितों की रक्षा के लिये आवश्यक या इष्टकर हो, उसका पालन करने के लिये।

[1][(1-क) कोई ऐसी सोसाइटी जो राज्य सहायता प्राप्त करती है, अपने कर्मचारियों की नियुक्ति निम्नलिखित द्वारा अनुमोदित स्टाफिंग पेटर्न से करेगी—

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा जोड़ा गया।

(i) the State Government if so directed by the State Government, or

(ii) the Registrar in other cases.]

(2) If the society to which state aid has been given in any form, fails to comply with any order made under the Act or the rules framed thereunder or commits any breach of any terms or conditions laid down for the grant of state aid, or if on inspection of accounts, returns, statements or audit report of such society the State Government is of opinion that state aid should be withdrawn, the State Government may after considering any representation which the society may make within such time as the State Government may allow, in this behalf, make an order directing—

(i) that the balance of any loan outstanding shall be recoverable forthwith;

(ii) that the guarantee given shall cease from the date of such order;

(iii) that the full value of any other state aid given and enjoyed till the date of the order shall be payable forthwith and the grant of such state aid beyond such date shall be discontinued.

(3) The State Government may set out other terms or conditions on which it shall provide state aid to a society.

33. Employee's Provident Fund — A society which has established a contributory Provident Fund for the benefit of its employees under sub-section (1) of Section 46 shall, with the previous approval of the Registrar, frame regulations for the maintenance and utilisation of such Fund. Among other matters such regulations shall provide for the following :—

(a) authority administering the contributory Provident Fund;

(b) category of employees entitled to contribute to the Provident Fund;

(c) amount of contribution to be deducted from the employee's salary;

(d) the rate of contribution to be made by the society;

(e) mode of nomination for payment of the amount of the contributory Provident Fund in case of employee's death;

(f) mode of investment of the contributory Provident Fund and payment of interest thereon;

(g) the purpose for which and the extent to which advances may be made against the security of the contributory Provident Fund and the period after which this could be done and number of monthly instalments in which it is to be recouped;

(1) राज्य सरकार, यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसा निदेशित किया जाये, या

(2) अन्य मामलों में रजिस्ट्रार।]

(2) यदि कोई सोसाइटी, जिसे किसी भी रूप में राज्य सहायता दी गई हो, अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत दिये गये किसी आदेश का पालन न करे अथवा राज्य सहायता प्रदान करने के लिये लगाये गये किसी निर्बन्धन या शर्तों का उल्लंघन करें, अथवा ऐसी सोसाइटी के हिसाब, विवरण पत्रों, पत्रकों अथवा आडिट रिपोर्ट के निरीक्षण पर राज्य शासन की यह राय हो कि राज्य सहायता वापस ली जाना चाहिये तो राज्य शासन ऐसे प्रतिवेदन पर, जो कि सोसाइटी उतने समय में प्रस्तुत करे, विचार करने के पश्चात् निम्न निर्देश करते हुये आदेश दे सकेगा—

(एक) कि किसी भी बकाया ऋण का कोई शेष तुरन्त ही देय हो जावेगा,

(दो) कि ऐसे आदेश की तिथि से दी गई गारंटी समाप्त हो जावेगी,

(तीन) आदेश होने के दिनांक तक दी गई तथा उपयोग में लाई गई, कोई अन्य राज्य सहायता का सम्पूर्ण मूल्य तुरन्त देय हो जावेगा तथा ऐसे दिनांक के पश्चात् ऐसी राज्य सहायता बन्द हो जावेगी।

(3) राज्य शासन अन्य निबन्धनों अथवा शर्तों को निर्मित कर सकेगा, जिन पर वह सोसाइटी को सहायता देगा।

33. कर्मचारियों की भविष्य निधि—सोसाइटी जिसने धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन अपने कर्मचारियों के लाभ के लिये अंशदायी भविष्य निधि की स्थापना की हो, पंजीयक की पूर्व स्वीकृति से ऐसी निधि को बनाये रखने तथा उपयोग में लाने के लिये विनियम बनायेगी। ऐसे विनियम में अन्य बातों के साथ निम्न बातें होंगी—

(क) अंशदायी भविष्य निधि का प्रशासन करने वाला अधिकारी;

(ख) कर्मचारियों की श्रेणी, जो भविष्य निधि में अंशदान करने की अधिकारी होगी;

(ग) कर्मचारी के वेतन से काटा जाने वाला अंशदान;

(घ) सोसाइटी द्वारा दिये जाने वाले अंशदान की दर;

(ङ) कर्मचारी की मृत्यु की दशा में अंशदायी भविष्य निधि की रकम का भुगतान करने के लिये नामांकन का तरीका;

(च) अंशदायी भविष्य निधि के विनियोग तथा उस पर ब्याज देने की रीति;

(छ) वह उद्देश्य, जिसके लिये, सीमा जहाँ तक कि अंशदायी भविष्य निधि की प्रतिभूति पर अग्रिम दिये जा सकें तथा अवधि जिसके पश्चात् यह दिया जा सके तथा मासिक किश्तों की संख्या, जिनमें कि उसकी आपूर्ति की जाना हो;

(h) refund of employee's contribution and contribution made by the society;

(i) maintenance of accounts in respect of Contributory Provident Fund, withdrawals and such other matters as may be necessary in such form as may be specified by the Registrar;

(j) the authority to which disputes, if any, between employees and the society shall be referred.

CHAPTER V

MANAGEMENT OF SOCIETIES

34. General Meetings — [1][(1) Within a period of three months from the date of registration of a society or such further period as may be allowed by the Registrar, the first signatory to the application for registration of a society shall convene its first annual general meeting for election of members of its committee, and if he fails to do so, such meetings shall be convened by any person authorised in this behalf by the Registrar :

Provided that nothing contained in this sub-rule shall apply to the societies where there is a provision for the nomination of the committee by the Registrar for a period specified in the byelaws of such society.]

(2) All general meetings of a society excepting the first annual general meeting shall be convened by the Secretary of the society or any other officer authorised by or under its bye-laws to convene such meetings.

[2][(3) Unless otherwise provided in the bye-laws, notice of the general meeting stating the place, date and hour of the meeting together with a statement of business to be transacted thereat, shall be sent to every member 14 days before the date of meeting by—

[1][(a)(i) registered post in case of a society whose head-quarter is situated in urban area;

(a)(ii) ordinary post under certificate of posting or by hand delivery if number of members of the society is less than 250; or]

(b) ordinary post under certificate of posting if number of members of society exceeds 250, in which case notice shall also be published in a local Hindi newspaper in circulation in the area of the society :

1. Subs. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
2. Subs. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.

(ज) कर्मचारियों के अंशदान तथा सोसाइटी द्वारा किये गये अंशदान की वापसी;

(झ) अंशदायी भविष्य निधि प्रत्याहरण तथा ऐसी अन्य बातें जो आवश्यक हों, उनके संबंध में ऐसे रूप में जैसा कि पंजीयक निर्दिष्ट करे, हिसाबों का रखा जाना;

(ञ) प्राधिकारी, जिसे सोसाइटी तथा कर्मचारियों के बीच विवाद को, यदि कोई हो, निर्देश किया जावेगा।

अध्याय पांच

संस्थाओं का प्रबंध

34. साधारण सम्मिलन—[1][(1) किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन की तारीख से तीन महीने की कालावधि के भीतर या ऐसी और कालावधि जैसी कि रजिस्ट्रार द्वारा अनुज्ञात की जाये, सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन पर प्रथम हस्ताक्षरकर्ता, कमेटी के सदस्यों का चुनाव करने के लिये प्रथम वार्षिक साधारण सम्मिलन बुलायेगा, और यदि वह ऐसा करने में असफल रहे तो रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा सम्मिलन बुलाया जायेगा:

परन्तु इस उपनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात उन सोसाइटियों को लागू नहीं होगी, जहाँ कि ऐसी सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये रजिस्ट्रार द्वारा समिति के नामनिर्देशन के लिये उपबंध हो।]

(2) प्रथम वार्षिक साधारण सम्मिलन को छोड़कर सोसाइटी की सभी साधारण सम्मिलन संस्था के मंत्री अथवा उपविधियों के अधीन ऐसे आहुत करने हेतु प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा बुलाई जावेगी।

[2][(3) उपविधियों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, साधारण सम्मिलन की सूचना उसमें सम्मिलन का स्थान तारीख व समय का उल्लेख करते हुये और उस सम्मेलन में किये जाने कामकाज के विवरण के साथ, उसे सम्मिलन के दिनांक से 14 दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को—

[1][(क)(एक) ऐसी सोसाइटी के मामले में, जिसका मुख्यालय नगरीय क्षेत्र में हो, रजिस्ट्रीकृत डाक से;

(क)(दो) डाक प्रमाण-पत्र के अधीन साधारण डाक से या व्यक्तिशः प्रदत्त करके यदि सोसाइटी की सदस्य संख्या 250 से कम हो; या]

(ख) डाक प्रमाण-पत्र के अधीन साधारण डाक से, यदि सोसाइटी की सदस्य संख्या 250 से अधिक हो और ऐसे मामलों में सूचना सोसाइटी के क्षेत्र में प्रसारित स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्र में भी प्रकाशित कराई जायेगी;

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][Provided that when the general meeting or special general meeting of any class of the societies in a district is to take place on same day, such notice shall be sent under certificate of posting to every member by the society concerned, alongwith the publication of one notice on behalf of all such societies in the local Hindi newspaper under the authority of the Registrar shall be sufficient.]

35. Special general meeting called by the Registrar, or any person authorised by him — Notwithstanding anything contained in these rules or bye-laws of a society as to the mode of summoning a general meeting and the period of notice to be given for the said purpose, the Registrar or any person authorised by him in this behalf, may call a special general meeting, under subsection (2) of Section 50, in such manner and at such date, time or place as he may direct and may specify what matters shall be discussed in the meeting.

The Registrar or the person authorised by him in this behalf shall preside at such meeting and exercise all the powers and perform all the duties of the President of a meeting including the power to adjourn the meeting to a date to be specified by him, but shall have no vote unless he is a member of the society. In the event of equality of votes, he shall have a casting vote except in the matter of election of the members of the committee where the question shall be decided by drawing lots.

36. President of general meeting — The President or in his absence the Vice-President or in the absence of both a member elected by the members present at the meeting shall preside over the general meeting:

Provided that a general meeting convened under sub-rule (1) of Rule 34 shall be presided over by a member elected by the members present at such meeting:

[2][Provided further that where the term of the committee of a society has expired under clause (in) of sub-section (7-A) of Section 49, or the powers of the committee are deemed to have been vested in Registrar under sub-section (8) of Section 49, or the committee of the society has been removed under sub-section (1) of Section 52-A, or the committee of the society has been superseded or suspended under Section 33, or a person or committee has been appointed under sub-section (13) of Section 53; the general meeting shall be presided over by such person as may be authorised by the Registrar.]

1. Subs. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
2. Subs. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.

[1][परन्तु जब जिले में सोसाइटियों के किसी वर्ग का साधारण सम्मिलन या विशेष साधारण सम्मिलन उसी दिन होना हो तो ऐसी सूचना संबंधित सोसाइटी द्वारा प्रत्येक सदस्य को डाक प्रमाण-पत्र के अधीन भेजी जायेगी, साथ ही ऐसी समस्त सोसाइटियों की ओर से रजिस्ट्रार के प्राधिकार के अधीन स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में एक सूचना का प्रकाशन किया जाना पर्याप्त होगा।]

35. पंजीयक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा आहुत विशेष साधारण सम्मिलन—इन नियमों अथवा सोसाइटी की उपविधियों में साधारण सम्मिलन की कथित आशय के लिये दी जाने वाली सूचना की अवधि के संबंध में किसी भी बात के रहते हुये भी पंजीयक अथवा इस कार्य के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन विशेष साधारण सम्मिलन ऐसी रीति से एवं ऐसे दिनांक, समय अथवा स्थान पर जैसा कि वह निर्देश दे एवं उल्लेख करे कि सम्मिलन में किस बात पर चर्चा की जायेगी, विशेष साधारण सम्मिलन आहुत कर सकेगा।

पंजीयक अथवा इस कार्य के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ऐसी सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा एवं सम्मिलन के अध्यक्ष की सभी शक्तियों का उपयोग एवं कर्तव्य का, जिसमें सम्मिलन को आगे के दिनांक जो कि उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जावे, पर बढ़ाना भी सम्मिलित है, पालन करेगा, किन्तु जब तक वह सोसाइटी का सदस्य न हो उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जबकि मतों की संख्या समान हो, कमेटी के सदस्यों के चुनाव के मामले के अतिरिक्त, जबकि उसका हल पर्ची डालकर विनिश्चित किया जायेगा, उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

36. साधारण सम्मिलन का अध्यक्ष—अध्यक्ष, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, दोनों की अनुपस्थिति में सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य साधारण सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा:

किन्तु शर्त यह है नियम 34 के उपनियम (1) के अधीन आहुत साधारण सम्मिलन की अध्यक्षता ऐसी सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया सदस्य करेगा।

[2][परन्तु यह और भी कि जहाँ किसी सोसाइटी की समिति का कार्यकाल धारा 49 की उपधारा (7-क) के खंड तीन के अधीन समाप्त हो गया हो, या धारा 49 की उपधारा (8) के अधीन समिति की शक्तियाँ रजिस्ट्रार में निहित हो गई समझी गई हो, या धारा 52-क की उपधारा (1) के अधीन सोसाइटी की समिति को हटा दिया गया हों या धारा 53 की के अधीन सोसाइटी की समिति को अधिष्ठित या निलंबित कर दिया गया है, या धारा 53 की उपधारा (13) के अधीन किसी व्यक्ति या समिति को नियुक्त कर दिया गया हो, तो साधारण सम्मिलन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जायेगी जो कि रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किया जाये।]

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।

37. Quorum for general meeting — [1][(1) Unless otherwise provided in the bye-laws of a society the quorum for general meeting shall be 1/10 or 50 of the total number of members on the date of the notice of the meeting.]

(2) No business shall be transacted at any meeting unless there is a quorum at the time when the business of the meeting is to commence.

[2][(3) If within half an hour from the time fixed for the meeting, no quorum is formed, meeting unless otherwise stated in the notice for calling the meeting, shall be adjourned by the President to such date, time and place as he may announce and no quorum shall be necessary for the adjourned meeting and only those agenda items shall be discussed, which were circulated to the members along with the notice in the adjourned meetings :

Provided that the meeting which has been called on the requisition of members, under sub-section (1) of Section 50 shall not be adjourned but dissolved.]

(4) [3][***]

38. Minutes of general meeting — (1) Minutes of proceedings of general meetings shall be entered in a minutes book kept for that purpose and shall be signed by the President of the meeting. The minutes so signed shall be evidence of the correct proceedings of that meeting.

(2) Until the contrary is proved, every general meeting of a society in respect of the proceedings whereof minutes have been so recorded, shall be deemed to have been duly called and held.

[4][(3) The minutes of general meeting or special general meeting, as the case may be, shall be sent to each member of the society under certificate of posting duly signed by the Chairman of the meeting, within 30 days from the date of such meeting.]

39. Voting in general meeting — [5][(1) [2][(a) Every member or delegate of the society, where there is a provision in the byelaws of the society to constitute a general meeting by the delegates or representatives sent from other societies shall have only one vote.] All resolutions which are put to vote at the general meeting shall be decided by a majority of members present and voting;

1. Subs. by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.
2. Subs. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
3. Omitted by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
4. Ins. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
5. Subs. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.

37. साधारण सम्मिलन के लिये गणपूर्ति (Quorum)—[1][(1) सोसाइटी की उपविधियों में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, साधारण सम्मिलन की गणपूर्ति सम्मिलन की सूचना की तारीख को कुल सदस्य संख्या के एक बटा दस से या पचास से होगी।]

(2) किसी भी सभा में तब तक कोई कामकाज नहीं किया जावेगा जब तक कि सभा का कामकाज प्रारंभ होने के समय गणपूर्ति न हो।

[2][(3) यदि सम्मिलन के लिये नियत समय के आधा घंटा के भीतर गणपूर्ति न हो तो, सम्मिलन, जब तक कि सम्मिलन बुलाये जाने के सूचना-पत्र में अन्यथा उल्लिखित न हो, सभापति द्वारा ऐसी तारीख, ऐसे समय और स्थान के लिये स्थगित कर दिया जायेगा जैसा कि वह घोषित करे और स्थगित सम्मिलन के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी और स्थगित सम्मिलन में सदस्यों को सूचना के साथ परिचालित की गई कार्यसूची के विषयों पर ही चर्चा की जायेगी:

परन्तु सम्मिलन जो धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन सदस्यों की अध्यपेक्षा पर बुलाया गया हो, स्थगित नहीं किया जायेगा, किन्तु विघटित कर दिया जायेगा।]

(4) [3][* * *]

38. साधारण सम्मिलन के कार्यवृत्त—(1) साधारण सम्मिलन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त उस आशय के लिये रखी गई पुस्तक में अंकित किये जावेंगे तथा उस पर सम्मिलन के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे। इस प्रकार से हस्ताक्षरित कार्यवृत्त उस सम्मिलन की सही कार्यवाहियों का साक्ष्य होगा।

(2) जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न किया जाये, सोसाइटी का प्रत्येक साधारण सम्मिलन जिसकी कार्यवाहियों के संबंध में कार्यवृत्त इस प्रकार लेखबद्ध किये गये हों, विधिवत बुलाई गई तथा की गई समझा जायेगी।

[4][(3) यथास्थिति, साधारण सम्मिलन या विशेष साधारण सम्मिलन, के कार्यवृत्त ऐसे सम्मिलन की तारीख से 30 दिन के भीतर, सम्मिलन के सभापति द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित, सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को डाक प्रमाण-पत्र के अधीन भेजा जायेगा।]

39. साधारण सम्मिलन में मतदान—[5][(1) [2][(क) सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य या प्रत्यायुक्त का, जहाँ सोसाइटी की उपविधियों में अन्य सोसाइटियों से भेजे गये प्रत्यायुक्तों या प्रतिनिधियों द्वारा साधारण सम्मिलन का गठन किये जाने का उपबंध हो, केवल एकमत होगा।] साधारण सम्मिलन में मतदान के लिये रखे गये समस्त संकल्प उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे।

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा विलोपित।
4. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा अन्तःस्थापित।
5. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।

(b) Unless otherwise required by the Act, rules or bye-laws of a society, voting shall be by show of hands unless a poll is demanded by at least ten members present at the meeting;

(c) If no poll is demanded, a declaration by the President that a resolution has been carried or lost and an entry to that effect in the minutes of the proceedings shall be conclusive proof of the fact that such resolution has been duly carried or lost but it shall not be proof of the number or proportion of the votes recorded in favour or against such resolution.]

(2) If a poll is demanded the vote shall be taken by ballot in such manner as the President may direct subject to any provision in the bye-laws in this behalf and the result of this poll shall be deemed to be decision of the general meeting regarding the resolution over which the poll is demanded.

(3) When a poll is taken, the number of members voting for or against a resolution shall be recorded in the minutes of the proceedings.

(4) In the case of an equality of Votes, whether on a show of hands or on a poll, the President of the meeting at which the show of hands takes place or the poll is taken, shall have a second or casting vote.

40. Election of members of committee by general body — [1][(1) A society may, for the purpose of election of members to its committee divide its membership into different groups on a territorial or any other basis to be specified in its bye-laws :]

[2][Provided that where the membership is so divided, provision shall be made for the reservation of seats for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and women, as laid down in Section 48 and Section 52-B of the Act.]

(2) The bye-laws of such a society may specify the number or proportion of the members of the committee who may be elected to represent each such group on the committee and may specify further that such representatives may be elected—

(a) by all the members of the society; or

(b) by only that particular group of members of the society to which such representatives belong.

1. Subs. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.
2. Subs. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

(ख) अधिनियम, नियम या सोसाइटी की उपविधियों में अन्यथा अपेक्षित किये गये के सिवाय या जब तक सम्मिलन में उपस्थित कम से कम दस सदस्यों द्वारा मतदान की माँग न की गई हो, मतदान हाथ उठाकर किया जायेगा।

(ग) यदि मतदान की माँग न की गई हो तो अध्यक्ष द्वारा यह घोषणा कि कोई संकल्प स्वीकृत किया गया है या गिर गया है और कार्यवाही के कार्यवृत्त में इस प्रभाव की की गई प्रविष्टि इस तथ्य का निश्चात्मक सबूत होगी कि ऐसा संकल्प सम्यक् रूप से स्वीकृत किया गया है या गिर गया है। किन्तु यह मतों की संख्या या अनुपात, जो ऐसे संकल्प के पक्ष में या विरुद्ध अभिलिखित किये गये हों, का सबूत नहीं होगा।]

(2) यदि मतदान की माँग की गई तो मतों का संग्रह मत-पत्रों द्वारा, ऐसी रीति से जो कि अध्यक्ष इस संबंध में उपविधियों के किसी उपबंध के अधीन रहते हुये निर्देश करे, किया जावेगा एवं प्रस्ताव के संबंध में जिस पर कि मतदान की माँग की गई हो, मतदान का निर्णय साधारण सम्मिलन का निर्णय माना जावेगा।

(3) जब मतदान हो, संकल्प के पक्ष या विपक्ष में मत देने वाले सदस्यों की संख्या कार्यवृत्त पुस्तक में लेखबद्ध की जावेगी।

(4) चाहे हाथ उठाकर अथवा मतदान में, बराबर मत होने की दशा में, सम्मिलन के अध्यक्ष को, जिसमें हाथ उठवाये गये हों या मतदान किया गया हो, दूसरा अथवा निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

40. साधारण निकाय द्वारा कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन—[1][(1) सोसाइटी, अपनी समिति में सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिये, उसकी सदस्यता को, क्षेत्रीय अथवा अन्य किसी आधार पर जैसा कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाये, विभिन्न समूहों में विभाजित कर सकेगी:]

[2][परन्तु जहाँ सदस्यता इस प्रकार विभाजित हो, वहाँ अधिनियम की धारा 48 और 52-ख में अधिकथित किये गये अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिये आरक्षित स्थानों के लिये उपबंध किया जायेगा।]

(2) ऐसी सोसाइटी की उपविधियाँ कमेटी के सदस्यों की संख्या अथवा अनुपात निर्दिष्ट कर सकेंगी जो ऐसे प्रत्येक समूह का प्रतिनिधित्व कमेटी में करने के लिये निर्वाचित किये जा सकेंगे तथा आगे यह भी निर्दिष्ट कर सकेंगी कि ऐसे प्रतिनिधियों का निर्वाचन निम्न रूप से हो सकेगा—

(क) सोसाइटी से सभी सदस्यों द्वारा, अथवा

(ख) ऐसे प्रतिनिधि जिस समूह के हों सोसाइटी के सदस्यों के केवल उस विशिष्ट समूह द्वारा जिससे कि ऐसे प्रतिनिधि संबंधित हों।

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।

41. [1][Procedure for election of members of the committee [2][***] — [1][(1) (a) Subject to the provisions of subsection (6) of Section 49 the election of members of the committee [2][***] shall be held in the annual general meeting or special general meeting, as the case may be, of the society :

[3][Provided that where in the byelaws of any Central or Apex Society, there is a provision for *suo motu* formation of committee by the representatives of its affiliated societies, the provisions of the sub-rules (2) to (24) of Rule 41 shall not apply.]

(b) such election shall take place after all other matters, included in the agenda, have been considered.

(2) Not less than ten days before the date fixed for the [4][annual general meeting or the special general meeting of a society, as the case may be] the Returning Officer shall paste a notice on the notice board of the society, stating—

(a) the number of members to be elected;

(a-1) [2][***]

(b) the last date for making nominations, which shall not be later than seven days before the date fixed for holding the said meeting, the hours between which, the place at which and the person to whom nomination papers shall be presented;

[5][(c) The date on which, the place at which and hours between which scrutiny of nomination papers shall be made and the date and place of polling, if necessary;]

(d) the last date for the withdrawal of candidatures;

[1][(d-1) the date for co-option against vacant seats of committee members, [2][***] if any;]

[6][(e) the date for election of Chairman/President, Vice-Chairman/Vice-President and representatives to be sent to other societies and such other officers as specified in byelaws.]

1. Subs. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.
2. Omitted by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
3. Ins. by notification No. F-5-5-97-XV-1, dated 12-3-97.
4. Subs. by notification No. F-5-4-78-XV-1, dated 15-4-78.
5. Subs. by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.
6. Subs. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

41. [1][समिति के सदस्यों [2][* * *] के लिये निर्वाचन प्रक्रिया]—[1][(1) (क) धारा 49 की उपधारा (6) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये समिति के सदस्यों [2][* * *] का निर्वाचन, सोसाइटी के यथास्थिति वार्षिक सम्मेलन या विशेष साधारण सम्मिलन में किया जायेगा।

[3][परन्तु जहाँ किसी भी केन्द्रीय/शीर्ष सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में उससे संबद्ध सोसाइटियों के प्रतिनिधियों द्वारा स्वमेव कमेटी (समिति) विरचित किये जाने का उपबंध हो, वहाँ नियम 41 के उपनियम (2) से (24) तक के उपबंध लागू नहीं होंगे।]

(ख) ऐसा निर्वाचन कार्यसूची में सम्मिलित किये गये समस्त अन्य विषयों पर विचार कर लिये जाने के पश्चात् किया जायेगा।

(2) [4][सोसाइटी का वार्षिक साधारण सम्मेलन या विशेष साधारण सम्मिलन जैसी भी स्थिति हो] के लिये नियत दिनांक से कम से कम 10 दिन पूर्व निर्वाचन पदाधिकारी संस्था के सूचना बोर्ड पर सूचना चिपकावेगा, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख होगा—

(क) निर्वाचन किये जाने वाले सदस्यों की संख्या;

(क-1) [2][* * *]

(ख) नियोजन करने का अंतिम दिनांक, जो कि होने वाले कथित साधारण सम्मिलन के लिये निर्धारित दिनांक से पूर्व के सात दिन के बाद न हो, समय जिस बीच में, स्थान जहाँ पर तथा वह व्यक्ति जिसे नियोजन-पत्र प्रस्तुत किये जावेंगे;

[5][(ग) वह तारीख जिस पर, वह स्थान जहाँ पर और वे घंटे, जिनके बीच नाम निर्देशन-पत्रों की छानबीन की जायेगी और यदि आवश्यक हो तो मतदान की तारीख और स्थान;]

(घ) उम्मीदवारी वापस लेने का अंतिम दिनांक;

[1][(घ-एक) समिति के सदस्यों [2][* * *] के रिक्त स्थानों यदि कोई हो, के लिये सहयोजन करने की तारीख।]

[6][(ङ) सभापति/अध्यक्ष/उपसभापति/उपाध्यक्ष तथा अन्य सोसाइटियों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों तथा उपविधियों में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य अधिकारियों के निर्वाचन की तारीख।]

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा विलोपित।
3. अधिसूचना क्र. एफ-5-5-97-पन्द्रह-1, दिनांक 12-3-97 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-78-पन्द्रह-1, दिनांक 15-4-78 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) Every nomination paper shall be signed by two members of the group, if any, of the society to which they belong, as proposer and seconder, and the candidate of that group shall sign a declaration on it expressing his willingness to stand for election :

[1][Provided that where the number of members or voters in a group is less than seven the nomination paper shall be signed by only one member of the group.]

(4) A member of a group, if any, may sign as proposer or seconder as many nomination papers as there are vacancies to be filled in the group. Each candidate shall be nominated by a separate nomination paper.

[2][(5) If a candidate files more than one nomination paper for any post, then all the nomination papers shall be scrutinized by the Returning Officer and the candidate shall be entitled to contest the election on the basis of any valid nomination paper.]

(6) Each candidate, either personally or through his proposer or seconder, shall deliver a nomination paper in Form 'G' to the person specified under clause (b) of sub-rule (2).

[3][(7) The person to whom the nomination paper is to be delivered shall on receiving the nomination paper, enter thereon the serial number of its receipt and shall endorse thereon the date on which and the time at which the nomination paper was delivered to him. He shall acknowledge receipt of the nomination paper. He shall also enter the name of the proposer, seconder and the candidate and the office which the candidate seeks to contest in a register in the order in which nomination papers are received. When any person has signed as proposer or/and seconder, on a larger number of nomination papers than vacancies are to be filled, those of the papers so signed which have been first received upto the number of the vacancies to be filled shall only be deemed to be valid.]

[4][(7-A) On presentation of nomination paper, the Returning Officer or the person authorised by him under clause (b) of sub-rule (2) shall satisfy himself that the name of the society and its registration number and the names and serial numbers in the list of members of the candidate and his proposer and seconder as entered in the nomination paper are the same as those entered in the list of members :

1. Ins. by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.
2. Subs. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
3. Subs. by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.
4. Ins. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.

(3) प्रत्येक नियोजन-पत्र पर सोसाइटी के समूह यदि कोई हो, के दो सदस्यों के प्रस्ताव तथा अनुमोदन के रूप में हस्ताक्षर होंगे एवं उस समूह का उम्मीदवार इस पर निर्वाचन के लिये खड़े होने की सहमति प्रकट करते हुये घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा।

[1][परन्तु जहाँ किसी समूह में निर्वाचकों में सदस्यों की संख्या 7 से कम हो वहाँ नाम निर्देशन पत्र पर उस समूह के केवल एक सदस्य द्वारा ही हस्ताक्षर किया जायेगा।]

(4) समूह यदि कोई हो, का सदस्य प्रस्तावक अथवा अनुमोदक के रूप में उतने नियोजन-पत्रों पर हस्ताक्षर कर सकता है, जितने रिक्त स्थान उस समूह से भरे जाना हो। प्रत्येक उम्मीदवार का नियोजन अलग-अलग नियोजन-पत्र द्वारा होगा।

[2][(5) यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी पद के लिये एक से अधिक नामांकन-पत्र दाखिल किये जाते हैं तो उन समस्त नामांकन पत्रों को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संवीक्षा की जायेगी, तथा अभ्यर्थी किसी भी वैध नामांकन-पत्र के आधार पर निर्वाचन लड़ने का हकदार होगा।]

(6) प्रत्येक उम्मीदवार या तो व्यक्तिगत रूप में अथवा उसके प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा नियोजन-पत्र 'प्रारूप-छ' में उपनियम दो के खण्ड 'ख' में निर्दिष्ट व्यक्ति को सौंपेगा।

[3][(7) वह व्यक्ति, जिसे नाम निर्देशन पत्र दिया जाना है, नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त होने पर उसके ऊपर उसकी प्राप्ति का अनुक्रमांक और वह समय और तारीख दर्ज करेगा जबकि उसे वह दिया गया हो। वह नाम निर्देशन पत्र की प्राप्ति की रसीद देगा। वह प्रस्तावक, अनुमोदक तथा अभ्यर्थी के नामों और वह पद जिसके लिये अभ्यर्थी चुनाव लड़ना चाहता है, रजिस्टर में उस क्रम में प्रविष्ट करेगा जिसमें नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुये हों। यदि किसी व्यक्ति ने भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या से अधिक संख्या में नाम निर्देशन पत्रों पर प्रस्तावक या/तथा अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर किये हो तो इस प्रकार हस्ताक्षरित उन पत्रों में से रिक्तियाँ भरी जाने की संख्या तक प्रथमतः प्राप्त किये गये नामनिर्देशन पत्र ही वैध समझे जायेंगे।]

[4][(7-क) नाम निर्देशन पत्र के प्रस्तुत किये जाने पर रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा उप नियम (2) के खंड (ख) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति अपना यह समाधान करेगा कि नाम निर्देशन पत्र में यथाप्रविष्ट सोसाइटी का नाम और उसका रजिस्ट्रीकरण क्रमांक, अभ्यर्थी और उसके प्रस्तावक और अनुमोदक के नाम और सदस्य सूची का अनुक्रमांक वे ही हैं जो सदस्य सूची में प्रविष्ट हैं;

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा अन्तःस्थापित।

Provided that no misnomer or inaccurate description or clerical, technical or printing error in regard to the name of the candidate or his proposer or seconder or in regard to any place mentioned in the list of members or the nomination paper and no clerical, technical or printing error in regard to the list of members, serial number of any such person in the list of members or the nomination paper shall affect the full operation of the list of members or the nomination paper with respect to such person or place in any case where the description in regard to the name of the person or place is such as to be commonly understood, and the Returning Officer or the person authorised by him shall permit any such misnomer or inaccurate description or clerical, technical or printing error to be corrected and where necessary, direct that any such misnomer, inaccurate description clerical, technical or printing error in the list of members or in the nomination paper shall be overlooked. Further that if there are any blanks in the nomination paper the Returning Officer or the person receiving the nomination paper shall get such blanks filled in before recording his endorsement on the same.]

[1][(8) No nomination paper shall be received after the date and time fixed under clause (b) of sub-rule (2). The person authorised to receive nomination papers shall on each day prepare a list of candidates alongwith their proposers, seconders and offices and exhibit the same on the notice board at the place fixed for receipt of nominations.]

[1][(9) (a) Nomination papers duly received shall be scrutinized by the Returning Officer on the date fixed for the scrutiny under clause (c) of sub-rule (2);

(b) It shall be open to the persons filling the nomination paper to be present at the time of scrutiny;

(c) The Returning Officer shall not reject any nomination paper on the ground of any defect which is not of a material character nor shall it be rejected on the ground of any irregularity in respect of a nomination form, if the candidate has been duly nominated by means of another nomination form, in respect of which no irregularity has been committed;

1. Subs. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.

परन्तु सदस्य सूची या नाम निर्देशन पत्र में वर्णित अभ्यार्थी या उसके प्रस्तावक या अनुमोदक का नाम या किसी स्थान के बारे में किसी नाम की गलती या अशुद्ध वर्णन अथवा लेखन, तकनीकी या मुद्रण संबंधी त्रुटि का और सदस्य सूची के बारे में सदस्य सूची या नाम निर्देशन सूची या नाम निर्देश पत्र में ऐसे किसी व्यक्ति के सदस्य सूची के अनुक्रमाक के बारे में लेखन संबंधी, तकनीकी या मुद्रण संबंधी भूल का प्रमाण, ऐसे व्यक्ति या स्थान बाबत सदस्य सूची या नाम निर्देशन पत्र के पूरे प्रवर्तन पर किसी ऐसी दशा में नहीं पड़ेगा, जिसमें उस व्यक्ति या स्थान के नाम के बारे में वर्णन ऐसा है, जो सामान्यत: समझा जा सकने वाला है और रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे किसी नाम की गलती या अशुद्ध वर्णन अथवा लेखन, तकनीकी या मुद्रण संबंधी भूल को शुद्ध किये जाने की अनुज्ञा देगा और जहाँ कि आवश्यक हो, वहाँ यह निर्देश देगा कि सदस्य सूची में या नाम निर्देशन-पत्र में/ऐसे किसी नाम की गलती, अशुद्ध वर्णन, लेखन, तकनीकी या मुद्रण संबंधी भूल की उपेक्षा की जाये और यह भी कि यदि नाम निर्देश पत्र में कहीं कोई रिक्त स्थान भरे जाने से छूट गया हो तो रिटर्निंग अधिकारी या नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति उस पर अपना पृष्ठांकन करने के पूर्व ऐसे रिक्त स्थान को भरवा लेगा।]

[1][(8) उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन नियत तारीख और समय के पश्चात् कोई नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं किया जायेगा। नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति प्रतिदिन एक सूची तैयार करेगा जिसमें नाम निर्देशित व्यक्ति के साथ-साथ उसके प्रस्तावकों, अनुमोदकों और पदों का विवरण होगा और उसे नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने के लिये निर्धारित स्थान के सूचना-पटल पर प्रदर्शित करेगा।]

[1][(9)(क) सम्यक् रूप से प्राप्त नामांकन पत्रों की संवीक्षा उपनियम (2) के खंड (ग) के अधीन संवीक्षा नियत तारीख को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जायेगी;

(ख) नामांकन पत्र फाइल करने वाले व्यक्ति के लिये यह छूट होगी कि वह संवीक्षा के समय उपस्थित रहे;

(ग) रिटर्निंग अधिकारी किसी नामांकन-पत्र को किसी ऐसी त्रुटि के आधार पर नामंजूर नहीं करेगा जो सारवान प्रकृति की न हो और न ही नामांकन-पत्र की किसी अनियमितता के आधार पर उसे नामंजूर करेगा, यदि अभ्यर्थी किसी दूसरे नाम निर्देशन पत्र द्वारा सम्यक् रूप से नाम निर्देशित किया गया है, जिसके संबंध में कोई अनियमितता नहीं हुई है;

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।

(d) The Returning Officer shall for reasons to be recorded in writing, reject a nomination paper only on the following grounds—

(i) if the nomination paper is not in accordance with the preceding sub-rules;

(ii) if the candidate is disqualified to be elected or proposer/seconder is disqualified to vote by or under the Act, rules or bye-laws of the society.]

[1][(e) The Returning Officer shall prepare a list of valid nominations. If in the list more than one nomination papers are found valid for one post, then first valid nomination of the candidate shall be accepted and he will sign the list in token of its correctness and shall publish and affix on the notice board of the society.]

(10) Any candidate may withdraw his candidature by notice in writing, subscribed by him and delivered either in person by the candidate or his proposer or seconder to the Returning Officer, on or before the date fixed under clause (d) of sub-rule (2). A candidate who has withdrawn his candidature shall not be allowed to cancel his withdrawal.

(11) On completion of the scrutiny of the nominations and after the expiry of the period within which candidature may be withdrawn under sub-rule (10), the Returning Officer shall prepare a list of candidates whose nominations are in order and who have not withdrawn their candidature and cause it to he published on the notice board of the society.

[2][(12) If the number of duly' nominated candidates for election as committee members [3][***] is equal to or less than the number of seats to be filled, the Returning Officer shall declare all of them elected and shall intimate this fact to the society.

(13) If the number of committee members, [3][***] so elected falls short of the number of seats specified in the election notice for committee member, in [3][***] the committee members shall fill up the remaining seats by co-option in a meeting to be presided over by the Returning Officer :

Provided that, if the number of members elected [3][***] falls short of the quorum fixed for the meeting of the committee in the bye-laws, co-option shall not be made and the election process shall be started afresh for the remaining seats.]

1. Subs. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
2. Subs. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.
3. Omitted by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

(घ) रिटर्निंग अधिकारी लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से नामांकन पत्र केवल निम्नलिखित आधारों पर ही नामंजूर करेगा—

(एक) यदि नामांकन पत्र पूर्ववर्ती उपनियमों के अनुसार नहीं है;

(दो) यदि अभ्यर्थी अधिनियम, नियमों अथवा सोसाइटी की उपविधियों के अधीन निर्वाचन के लिये निरर्हित है अथवा प्रस्तावक/अनुमोदक मत देने के लिये अर्हित नहीं है;]

[1][(ङ) रिटर्निंग आफीसर वैध नामांकनों की एक सूची तैयार करेगा। यदि सूची में एक पद के लिये एक से अधिक नामांकन-पत्र वैध पाये जाते हैं, तब अभ्यर्थी का प्रथम वैध नामांकन पत्र स्वीकृत किया जावेगा और वह उसके सही होने के प्रतीक के रूप में सूची पर हस्ताक्षर करेगा तथा प्रकाशित करवायेगा और सोसाइटी के सूचना-पटल पर चिपकवायेगा।]

(10) कोई उम्मीदवार स्वयं के द्वारा अभिदत्त लिखित सूचना देकर उपनियम (2) के खंड (घ) में निर्धारित दिनांक को या पूर्व निर्वाचन अधिकारी को उम्मीदवार द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा उसके प्रस्तावक अथवा अनुमोदक द्वारा सौंपकर अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है। उम्मीदवार, जो अपनी उम्मीदवारी वापस ले चुका है, उसे अपनी वापसी को निरस्त नहीं करने दिया जावेगा।

(11) नियोजन-पत्रों की जाँच पूर्ण हो चुकने पर तथा उपनियम (10) के अधीन अवधि, जिस बीच उम्मीदवारी को हटाया जा सकता है, के समाप्त हो जाने के बाद निर्वाचन अधिकारी ऐसे उम्मीदवारों की सूची बनावेगा, जिनके नियोजन वैध है और जो उम्मीदवारी से नहीं हटे हैं और उसे सोसाइटी के सूचना बोर्ड पर प्रकाशित करवायेगा।

[2][(12) यदि समिति के [3][* * *] सदस्यों के रूप में निर्वाचन के लिये सम्यक रूप से नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बराबर या उससे कम हो तो रिटर्निंग अधिकारी उन सभी को निर्वाचित घोषित करेगा और इस तथ्य की सूचना सोसाइटी को देगा।]

(13) यदि इस प्रकार निर्वाचित समिति के सदस्यों [3][* * *] की संख्या समिति के सदस्यों [3][* * *] के लिये निर्वाचन की सूचना में विनिर्दिष्ट स्थानों की संख्या से कम हो तो समिति के सदस्य शेष स्थानों को एक ऐसे सम्मिलन में, जिसकी अध्यक्षता रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जायेगी, सहयोजन द्वारा भरेंगे;

परन्तु यदि [3][* * *] निर्वाचित सदस्यों की संख्या उपविधियों में समिति के सम्मिलन के लिये नियत गणपूर्ति से कम पड़ती हैं तो ऐसी दशा में सहयोजन नहीं किया जायेगा और शेष पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया पुनः नये सिरे से आरंभ की जायेगी।]

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा विलोपित।

[1][(14) (a) If the number of duly nominated candidates is greater than the number of members to be elected, immediately after the expiry of the period within which candidature could be withdrawn under clause (d) of sub-rule (2), the Returning Officer shall prepare and publish in Form-I, a list of contesting candidates whose nomination papers have been finally accepted and who have not withdrawn their candidature during the specified period;

[2][(b) The list referred to in clause (a) shall contain the names of contesting candidates in alphabetical order in Hindi alongwith their addresses as given in nomination papers;]

(c) The list of contesting candidates referred to in clause (a) shall contain the particulars set out in Form-I and shall be prepared in Hindi in Dev Nagari Script;

(d) The alphabetical order referred in clause (b) shall be determined with reference to surname of the candidates having surnames and to the names proper in the case of other candidates;

(e) Where a poll becomes necessary, the Returning Officer shall assign to each candidate [3][a symbol in serial order as listed below and the symbol shall be printed on the ballot paper]—

(1) Flower, (2) Bullock, (3) Sword, (4) Two leaves, (5) Scales, (6) [3][Box], (7) Lion, [2][(8) Bullock cart, (9) Chair, (10) Hut], [4][(11) Bird], [2][(12) Match Box], (13) Tree, (14) Book, [5][(15) Television], (16) Fish, (17) Buffalo, (18) Deer, (19) Bear, (20) Well, (21) Pump, (22) Telephone, (23) Motor, (24) Cycle, (25) Aeroplane, (26) Engine, (27) Boat, (28) Fountain pen, (29) Wall Clock, (30) Ring.

1. Subs. by notification No. F-5-18-73-1-XV, dated 7-11-73.
2. Subs. by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.
3. Subs. by notification No. F-5-16-78-1-XV, dated 13-12-78.
4. Subs. by notification No. F-5-15-88-XV-1, dated 14-11-88.
5. Subs. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

[1][(14)(क) यदि सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट किये गये उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाली सदस्यों की संख्या से अधिक हो तो उस कालावधि की समाप्ति के तुरन्त पश्चात्, जिसके की भीतर उपनियम (2) के खण्ड (घ) के अधीन उम्मीद्वारी वापस ली जा सकती हो, रिटर्निंग आफीसर प्रारूप-I में निर्वाचन लड़ने वाले उन उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा तथा प्रकाशित करेगा, जिनके की नामांकन-पत्र अंतिम पत्र से स्वीकार कर लिये गये हैं और उन्होंने विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अपनी उम्मीदवारी वापिस नहीं ली है।

[2][(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट सूची में चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थियों के नाम हिन्दी में वर्णक्रम के अनुसार नाम निर्देशन पत्र में दिये गये पते सहित अंतर्विष्ट होंगे।]

(ग) निर्वाचन के प्रतियोगी उम्मीदवारों की उस सूची में, जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट की गई है, प्रारूप-I में दी गई विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी और उसे हिन्दी में देवनागरी लिपि में तैयार किया जायेगा।

(घ) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किया गया वर्णक्रम, उपनाम वाले उम्मीदवारों के मामले में, उनके उपनामों तथा अन्य उम्मीदवारों के नाम में, उनके विशिष्ट नाम के संदर्भ में, अवधारित किये जायेगा।

(ङ) जहाँ मतदान कराना आवश्यक हो जाये, वहाँ रिटर्निंग आफीसर प्रत्येक उम्मीदवार को [3][नीचे सूचीबद्ध किये गये अनुक्रम में कोई चिन्ह देगा तथा वह चिन्ह मतपत्र पर मुद्रित किया जायेगा :]

(1) पुष्प, (2) बैल, (3) तलवार, (4) दो पत्ते, (5) तराजू, [3][(6) संदूक], (7) शेर, [2][(8) बैलगाड़ी, (9) कुर्सी, (10) झोपड़ी,] [4][(11) पक्षी,] [2][(12) माचिस,] (13) वृक्ष, (14) पुस्तक, [5][(15) टेलीविजन,] (16) मछली, (17) भैंस, (18) मृग, (19) रीछ, (20), कुआं, (21) पम्प, (22) टेलीफोन, (23) मोटर, (24) सायकिल, (25) वायुयान, (26) इंजिन, (27) नाव, (28) फाउन्टेनपेन, (29) दीवाल घड़ी, (30) अंगूठी।

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-18-73-1-पन्द्रह, दिनांक 7-11-73 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्र. एफ-5-16-78-1-पन्द्रह, दिनांक 13-12-78 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना क्र. एफ-5-15-88-पन्द्रह-1, दिनांक 14-11-88 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।

(f) If the list of the symbols in clause (e) is exhausted, the Returning Officer may in his discretion allot to the candidate concerned any symbol than those specified in the list:

Provided that no symbol allotted to any political party of the State by the Election Commissioner shall be allotted to any candidate;

[1][(g) The symbols allotted to the contesting candidates of any group shall be printed on the ballot papers, meant for the group. The ballot paper shall show only the name of office for which the vote is being cast [2][the names] and the symbols of contesting candidates in the group in the same serial order as displayed in Form I by the Returning Officer on the notice board of the Society under clause (j) of sub-rule (14) of Rule 41;

(h) The list of names of the contesting candidates for any group and the symbols allotted to each of them in the same serial order as mentioned in clause (g) of Rule 14 shall be displayed before the ballot box kept for casting of votes of the group concerned. Such list shall also be displayed on the gate of the Polling Booth and a copy thereof shall be given to each of the contesting candidates;]

(i) The allotment of any symbol by the Returning Officer to a candidate shall be final;

(j) The Returning Officer shall immediately after preparation of the list of contesting candidates cause to be displayed a copy thereof on the notice board of the society and shall also supply a copy thereof each of the contesting candidates.]

(15) If the general meeting is adjourned for want of quorum, the list of duly nominated candidates shall hold good for the poll to be held in the adjourned general meeting.

1. Subs. by notification No. F-5-16-78-1-XV, dated 13-12-78.
2. Ins. by notification No. F-5-18-82-1-XV, dated 31-12-82.

(च) यदि खण्ड (ङ) में दिये गये चिन्हों की सूची में से कोई चिन्ह शेष न रहे, तो रिटर्निंग आफीसर संबंधित उम्मीदवार को अपने स्वविवेक से सूची में विनिर्दिष्ट किये गये, से भिन्न कोई अन्य प्रतीक आबंटित कर सकेगा;

किन्तु यह प्रतिबंध है कि ऐसा कोई चिन्ह, जो कि चुनाव आयुक्त द्वारा राज्य के किसी राजनैतिक दल को आबंटित किया गया हो, वह किसी भी उम्मीदवार को आबंटित नहीं किया जायेगा।

[1][(छ) किसी समूह (ग्रुप) के उन उम्मीदवारों को, जो कि निर्वाचन लड़ रहे हैं, आबंटित किये गये चिन्ह मतपत्रों पर, जो कि उस समूह के लिये अभिप्रेत हो, मुद्रित किये जायेंगे। मतपत्र में उस पद का नाम दर्शाया जायेगा जिसके लिये कि मत दिया जा रहा है तथा [2][उस समूह में के उन उम्मीदवारों के जो कि निर्वाचन लड़ रहे हैं, नाम] तथा चिन्ह उसी अनुक्रम में दर्शाये जायेंगे, जिस अनुक्रम में कि वे निर्वाचन अधिकारी द्वारा सोसाइटी के सूचना पलक पर प्रारूप 'झ' में नियम 41 के उपनियम (14) के खण्ड (ञ) के अधीन सम्प्रदर्शित किये गये हो।

(ज) किसी समूह के, उन उम्मीदवारों के, जो कि निर्वाचन लड़ रहे हैं, नामों की सूची को तथा उनमें से प्रत्येक को आवंटित किये गये चिन्हों को, जो उसी अनुक्रम में होंगे, जो कि नियम 14 के खण्ड (छ) में उल्लेखित है, संबंधित समूह के मत डालने के लिये रखी गयी मत पेटी के सामने सम्प्रदर्शित किये जायेगा। ऐसी सूची मतदान केन्द्र के दरवाजे पर भी सम्प्रदर्शित की जायेगी और उसकी एक प्रतिलिपि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार की दो जायेगी।]

(झ) रिटर्निंग आफीसर द्वारा किसी उम्मीदवार को किया गया किसी चिन्ह का आबंटन अंतिम होगा।

(ञ) रिटर्निंग आफीसर, निर्वाचन के प्रतियोगी उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के तुरन्त पश्चात् सोसाइटी के सूचना-फलक पर उसकी एक प्रति प्रदर्शित करवायेगा तथा उसकी एक प्रति का प्रदाय निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को भी करेगा।]

(15) यदि साधारण सम्मिलन गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की जावे तो यथाविधि नियोजित उम्मीदवारों की सूची स्थगित साधारण सम्मिलन में होने वाले मतदान के हेतु वैध होगी।

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-16-78-1-पन्द्रह, दिनांक 13-12-78 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-18-82-1-पन्द्रह, दिनांक 31-12-82 द्वारा अन्तःस्थापित।

(16) The Returning Officer shall appoint as many polling officers to conduct the poll and as many tellers to count the votes as may be necessary.

(17) A register shall be kept at the place of the meeting and every member that attends the meeting shall sign in such register before he enters the place of the meeting.

[1][(18) The Polling Officer shall issue to each voter a ballot affixing the seal of the society and putting his initials on the right hand side of it after marking a mark by indelible ink on the lip of the forefinger 3 of the voter.

(19) Canvassing or soliciting votes during the conduct of elections shall be strictly prohibited within the periphery of one hundred [2][metres] of the place where the poll is being held.]

[3][(20) The Returning Officer shall show the empty ballot boxes to the candidates, if any present, close and seal them leaving open the slit for insertion of ballot papers. Voting shall be by ballot and voters shall make a mark 'X' on or against the symbols of candidates whom he wishes to elect, fold the ballot papers and deposit it in the ballot box. In the case of physically disabled who requires help, the Returning Officer shall help in marking marks on the symbols of the candidates according to the desire of such voter.]

[3][(21) The Returning Officer shall before taking the poll fix the hours which shall not be less than two hours during which the poll will be taken, make announcement to the effect in the general meeting and on the expiry of the hours so fixed he shall close the poll. Those voters, who though present at the place have not been able to vote for want of time, shall be given reasonable opportunity to obtain ballot papers and vote even though the time fixed for the poll has expired. After the closure of the poll, the slit of the ballot boxes shall be closed and sealed and delivered to the tellers. An account of used and un-used ballot papers shall be prepared and counter foils of used ballot papers, un-used ballot papers and marked copy of voter list shall be put in an envelope and sealed kept in the box referred to in sub-rule (24).]

1. Subs. by notification No. F-5-18-73-1-XV, dated 7-11-73.
2. Subs. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.
3. Subs. by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.

(16) निर्वाचन अधिकारी मतदान संचालनार्थ उतने मतदान अधिकारियों तथा मतगणना करने के लिये उतने गणकों की नियुक्ति करेगा, जितने कि आवश्यक हों।

(17) सम्मिलन के स्थान पर एक रजिस्टर रखा जावेगा तथा प्रत्येक सदस्य जो सम्मिलन में उपस्थित हो वह सम्मिलन के स्थान में प्रवेश करने के पूर्व ऐसे रजिस्टर में हस्ताक्षर करेगा।

[1][(18) मतदान पदाधिकारी, प्रत्येक मतदाता को उसकी तर्जनी के सिरे पर अमिट स्याही का चिन्ह चिह्नांकित करने के पश्चात एक मतपत्र, सोसाइटी की मुद्रा अंकित करके दाहिनी ओर अपने हस्ताक्षर करके जारी करेगा।

(19) निर्वाचन के संचालन के दौरान उस स्थान के, जहाँ की मतदान हो रहा है, एक सौ [2][मीटर] की परिधि के भीतर मतों की संयाचना या याचना करना प्रतिषिद्ध होगा।]

[3][(20) रिटर्निंग अधिकारी, उम्मीदवारों को, यदि कोई उपस्थित हों, खाली मतपेटियाँ दिखायेगा और उनमें केवल मतपत्रों के डाले जाने के लिये छिद्र को खुला छोड़ते हुये उन्हे बंद करके सील करेगा। मतदान मतपत्रों द्वारा होगा और मतदातागण, उस अभ्यर्थी के, जिसे वह निर्वाचित करना चाहता है, प्रतीकों पर या उसके समान 'x' का चिन्ह अंकित करेंगे, तथा मतपत्र को मोड़ करके मतपेटी में डालेंगे। ऐसे मामले में जिसमें कि शारीरिक रूप से अक्षम ऐसा मतदाता हो, जिसे सहायता की आवश्यकता है, रिटर्निंग अधिकारी ऐसे मतदाता की इच्छानुसार अभ्यर्थियों के चिह्नों पर चिह्न बनाने में सहायता करेगा।]

[3][(21) रिटर्निंग अधिकारी मतदान कराने के पूर्व वे घंटे जिनके कि दौरान मतदान होगा नियत करेगा जो दो घण्टे से कम नहीं हो। उस प्रभाव की घोषणा साधारण सम्मिलन में करेगा और इस प्रकार नियत किये गये घंटों के समाप्त होने पर वह मतदान बंद करा देगा। उन मतदाताओं को, जो यद्यपि उस स्थान पर उपस्थित है किन्तु समयाभाव के कारण मत नहीं डाल सके हैं, मतपत्र प्राप्त करने एवं मत देने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा चाहे मतदान का निर्धारित समय समाप्त हो गया हो, मतदान समाप्ति के पश्चात् मतपेटी, उसका छिद्र बंद करके और उसे सीलबंद करके गणकों को परिदत्त कर दी जायेगी। उपयोग किये गये तथा उपयोग में न लाये गये मतपत्रों का एक लेखा तैयार किया जायेगा तथा उपयोग में लाये गये मतपत्र एवं मतदाता सूची की चिह्नित प्रति एक लिफाफे में रखकर सीलबंद करके उपनियम (24) में निर्दिष्ट संदूक में रखी जायेगी।]

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-18-73-1-पन्द्रह, दिनांक 7-11-73 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा प्रतिस्थापित।

(22) Tellers shall arrange all ballot papers—

(a) They shall reject a ballot paper after obtaining the approval of the Returning Officer—

(i) if it bears signature to identify the voter;

(ii) if it does not bear the seal of the society or the initials of Polling Officer;

(iii) if it contains no mark indicating a vote;

(iv) if it contains more marks than the number of seats to be filled.

(b) A mark made in a ballot paper in such a manner that it is ambiguous to which candidate the vote is given shall be rejected :

Provided that other correctly made marks, if any, on such ballot paper shall be counted.

[1][(23) (a) Soon after the counting of votes is over, the Returning Officer shall prepare and certify a return setting forth—

(i) the number of valid votes given to each candidates; and

(ii) the number of ballot papers declared to be invalid or rejected.

(b) On the basis of the said return the candidates who have secured the largest number of votes shall be declared elected by the Returning Officer at the general meeting and their names published on the notice board of the society under his signature.

(c) In case of equality of votes polled by two or more candidates, the lots shall be drawn in such manner as the returning officer may fix to determine the name or names of the successful candidate or candidates.]

[2][(d) The names of the candidates elected or co-opted, as the case may be, under sub-rules (12) and (13) and a copy of the certified return prepared under clause (a) above, shall be submitted by the Returning Officer to the Registrar forthwith.]

1. Subs. by notification No. F-5-16-78-1-XV, dated 13-12-78.
2. Subs. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.

(22) गणक समस्त मतपत्रों को जमावेंगे—

(क) वे ऐसे किसी मतपत्र को निर्वाचन अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त होने पर अस्वीकृत करेंगे—

(एक) यदि उस पर किसी के हस्ताक्षर है, जिससे मतदाता पहचाना जा सके;

(दो) यदि उस पर सोसाइटी की मुद्रा अथवा मतदान अधिकारी के संक्षिप्त हस्ताक्षर न हो;

(तीन) यदि उस पर मत देने का निर्देशक कोई चिह्न न लगाया गया हो;

(चार) यदि उस पर भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक चिह्न लगाए गये हों।

(ख) मतपत्र पर ऐसी रीति से चिन्ह बनाया गया हो, जिसमें स्पष्ट न हो, कि किस उम्मीदवार को मत दिया गया है, तो उसे अस्वीकृत किया जायेगा,

किन्तु ऐसे मतपत्र पर अन्य उम्मीदवारों से संबंधित ठीक बनाये गये चिह्न, यदि कोई हों, गिने जावेंगे।

[1][(23)(क) मतों की गणना समाप्त होने के पश्चात् शीघ्र ही निर्वाचन अधिकारी एक विवरणी तैयार करके प्रमाणित करेगा, जिसमें—

(एक) प्रत्येक उम्मीदवार को दिये गये विधिमान्य मतों की संख्या, और

(दो) अविधिमान्य या खारिज घोषित किये गये मतपत्रों की संख्या उपवर्णित की जायेगी।

(ख) उक्त विवरणी के आधार पर उन उम्मीदवारों को, जिन्होंने कि अधिकतम मत प्राप्त किये हैं, साधारण सम्मिलन में निर्वाचन अधिकारी निर्वाचित घोषित करेगा तथा उनके नाम उसके हस्ताक्षर से सोसाइटी के सूचना-फलक पर प्रकाशित किये जायेंगे।

(ग) दो या दो से अधिक उम्मीदवारों द्वारा बराबर-बराबर मत प्राप्त होने की दशा में लाट ऐसी रीति से निकाले जायेंगे जिसे कि निर्वाचन अधिकारी सफल उम्मीदवार या उम्मीदवारों के नाम या नामों के अवधारित करने के लिये नियत करें।]

[2][(घ) उपनियम (12) तथा (13) के अधीन, यथास्थिति, निर्वाचित या सहयोजित सदस्यों के नाम और उपरोक्त खण्ड (क) के अधीन तैयार की गयी विवरणी की प्रमाणित प्रति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रार को तत्काल प्रस्तुत की जायेगी।]

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-16-78-1-पन्द्रह, दिनांक 13-12-78 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][(24) The Returning Officer shall arrange to keep nomination papers and the Registers, referred to in sub-rules (7) and (17), the ballot papers and the return of election in safe custody in a sealed box with the Registrar or a person authorised by him in this regard. These records shall not be destroyed till the next elections of the society are held or till the final disposal of the election dispute filed under subsection (v) of Section 64, if any. The Registrar shall thereafter cause them to be destroyed in his presence or in the presence of an officer authorised for this purpose.]

(25) Every member of the committee and every employee of the society shall be bound to render every assistance to the Returning Officer, Polling Officer and Tellers in the conduct of elections and shall make available every record that may be required by the Returning Officer for this purpose. The society shall arrange to provide ballot boxes, locks and keys, sealing wax, tape, ballot papers, printed or typed or handwritten, and the stationery necessary for the conduct of election to the Returning Officer. All expenditure incurred in connection with such election shall be paid by the society.

[2][(26) For the purposes of this rule the 'Returning Officer' means an officer appointed by the Registrar by general or special order or appointed by the committee from amongst the members of the society, as per second proviso of subsection (8) of Section 49, for performing the duties of a Returning Officer under the provisions of the Act and Rules thereunder.]

[2][(27) If the Returning Officer is appointed by the Committee of the society, then information of such appointment shall be sent to the Registrar in writing within 7 days from the date of such appointment.]

42. [3][***]

43. Appointment of committee— [1][(1) The number of members in the committee shall be specified in the bye-laws, but the number of elected members shall in no case be less than [4][five].]

(2) [5][***]

1. Subs. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.
2. Subs. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
3. Omitted by notification No. F-5-18-73-1-XV, dated 7-11-73.
4. Subs. by notification No. F-5-1-96-XV-1, dated 11-9-96.
5. Omitted by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.

[1][(24) निर्वाचन अधिकारी उपनियम (7) और (17) में निर्दिष्ट नाम निर्देशन पत्रों पर रजिस्टरों और मतपत्रों तथा निर्वाचन की विवरणी को सीलबन्द पेटी में रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत व्यक्ति के नाम सुरक्षित अभिरक्षा में रखने की व्यवस्था करेगा। इन अभिलेखों को, सोसाइटी के आगामी निर्वाचन होने तक या धारा 64 की उपधारा (पांच) के अधीन फाइल किये गये निर्वाचन विवाद के अंतिम निपटारे तक, यदि कोई हो तो, नष्ट नहीं किया जायेगा। इसके पश्चात् रजिस्ट्रार इन्हें अपनी उपस्थिति में या इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी के उपस्थिति में नष्ट करवायेगा।]

(25) कमेटी का प्रत्येक सदस्य तथा सोसाइटी का प्रत्येक कर्मचारी, निर्वाचन अधिकारी, मतदान अधिकारी, तथा गणकों को निर्वाचन संचालन में सभी प्रकार की सहायता देने के लिये बाध्य होगा तथा प्रत्येक रिकार्ड जो कि इस कार्य के लिये निर्वाचन अधिकारी द्वारा चाहा जावे, उपलब्ध कराया जावेगा। सोसाइटी मतपेटियाँ, ताले और चाबियाँ, सील लगाने की चपड़ी, फीता, छपे हुये अथवा टाईप किये अथवा हस्तलिखित मतपत्र तथा आवश्यक स्टेशनरी, निर्वाचन संचालन के लिये निर्वाचन अधिकारी को देने की व्यवस्था करेगी। ऐसे निर्वाचन के संबंध में होने वाला सभी व्यय सोसाइटी द्वारा भुगतान किया जायेगा।

[2][(26) इन नियमों के प्रयोजनों के लिये रिटर्निंग आफीसर से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रिटर्निंग आफीसर के कर्तव्यों का पालन करने के लिये धारा 49 की उपधारा (8) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार रजिस्ट्रार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा या सोसाइटी के सदस्यों में से समिति द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी।]

[2][(27) यदि सोसाइटी की समिति द्वारा कोई रिटर्निंग आफीसर नियुक्त किया जाता है, तो ऐसी नियुक्ति की सूचना ऐसी नियुक्ति की तारीख से 7 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को लिखित में भेजी जायेगी।]

42. [3][***]

43. कमेटी की नियुक्ति— [1][(1) समिति में सदस्यों की संख्या उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जायेगी किन्तु निर्वाचित सदस्यों की संख्या [4][पाँच] से कम नहीं होगी।]

(2) [5][* * *]

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्र. एफ-5-18-73-1-पन्द्रह, दिनांक 7-11-73 द्वारा विलोपित।
4. अधिसूचना क्र. एफ-5-1-96-पन्द्रह-1, दिनांक 11-9-96 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा विलोपित।

[1][(2-A) A casual vacancy in the office of an elected member [2][***] shall be filled by co-option by the remaining members of the committee in a meeting to be presided over by the Returning Officer. Such co-opted member, [2][***] as the case may be, shall be from the same group and class in which the vacancy occurred. The member [2][***] so co-opted shall hold office until the expiry of term of the committee co-opting him :

Provided that, no co-option shall be made in a meeting of committee unless the subject has been included in the agenda circulated for that meeting and unless there is a quorum.]

(3) [2][***]

[1][(3-A) In a primary society falling under sub-clause (i) of clause (a) of subsection (3) of Section 48, not less than half the total number of seats on the committee shall be reserved for members belonging to [3][Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes] in the proportion which the numbers of the said [3][Castes, Tribes and Classes] bears to the total membership of such society.]

[1][(4)(a) The Returning Officer shall on the day fixed under clause (d-i) of sub-rule (2) of Rule 41 convene a meeting of the newly elected members [2][***] for co-option of members in the committee, if so required;

(b) Such meeting shall be presided over by the Returning Officer.]

[3][(4-A) The Returning Officer shall on the date fixed under clause (e) of sub-rule (2) of Rule 41, convene a meeting of the elected, co-opted and such members nominated under Section 48 (3) (C) and second proviso of Section 52-B, of the committee, notices whereof shall be given to each member atleast three clear days before the date fixed for election of President/Chairman, Vice-President/Vice-Chairman, representatives and other officers as per byelaws of the society. Such notices shall contain—

(a) the number of officers and the representatives to be elected;

(b) the time for making nominations, the hours between which, the place at which, and the person to whom, nomination papers shall be presented;

(c) the place at which and hours between which scrutiny of nomination papers shall be made and the time and place of polling, if necessary;

1. Subs. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.
2. Omitted by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
3. Subs. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

[1][(2-क) किसी निर्वाचित सदस्य [2][* * *] के पद में हुयी आकस्मिक रिक्ति समिति के शेष सदस्यों द्वारा एक ऐसे सम्मिलन में जिसकी अध्यक्षता रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जायेगी, सहयोजन द्वारा भरी जावेगी, ऐसा सहयोजित किया गया यथास्थिति सदस्य [2][* * *] उसी समूह या वर्ग में से होगा जिसमें रिक्ति हुई है। इस प्रकार सहयोजित सदस्य [2][* * *] उसे सहयोजित करने वाली समिति की अवधि के समाप्त होने तक पद धारण करेगा;]

परन्तु समिति के किसी सम्मिलन में कोई सहयोजन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस सम्मिलन के लिये प्रसारित कार्य सूची में इस विषय को सम्मिलित न कर लिया गया हो, और जब तक उसमें गणपूर्ति न हो।

(3) [2][***]

[1][(3-क) धारा 48 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) के अधीन आने वाली किसी प्राथमिक सोसाइटी में समिति के सदस्यों के स्थानों की कुल संख्या के आधे से अन्यून स्थान [3][अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग] के सदस्यों के लिये उस अनुपात में आरक्षित किये जायेंगे जो अनुपात ऐसी [3][जाति या जनजाति और वर्ग] के सदस्यों की संख्या का ऐसी सोसाइटी की कुल सदस्य संख्या के साथ हो।]

[1][(4) (क) रिटर्निंग अधिकारी नियम 41 के उपनियम (2) के खण्ड (घ-एक) के अधीन नियत दिन को नव निर्वाचित [2][* * *] सदस्यों का सम्मिलन, समिति में सदस्यों के सहयोजन के लिये, यदि ऐसा अपेक्षित हो, बुलायेगा;

(ख) ऐसे सम्मिलन की अध्यक्षता रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जायेगी।]

[3][(4-क) रिटर्निंग आफीसर नियम 41 के उपनियम (2) के खण्ड (ङ) के अधीन नियत तारीख को समिति के निर्वाचित, सहयोजित और धारा 48 (3) (ग) तथा धारा 52-ख के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत नामांकित सदस्यों का एक सम्मिलन बुलायेगा, जिसकी सूचना प्रत्येक सदस्य को, अध्यक्ष/सभापति/उपाध्यक्ष/उपसभापति, प्रतिनिधियों और सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार अन्य अधिकारियों के निर्वाचन के लिये नियत तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व दी जायेगी, ऐसी सूचना में—

(क) निर्वाचित किये जाने वाले अधिकारियों और प्रतिनिधियों की संख्या;

(ख) नाम निर्देशन के लिये समय, घंटे जिनके बीच, स्थान जहाँ पर और व्यक्ति जिनको, नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे;

(ग) स्थान जहाँ पर और घण्टे जिनके बीच नाम निर्देशन-पत्रों की जाँच की जायेगी और मतदान का समय तथा स्थान यदि आवश्यक हो,

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा विलोपित।
3. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।

(d) the time for withdrawal of candidatures; and

(e) the time for election of President/ Chairman, Vice-President/Vice-Chairman and representatives and such other officers as are specified in byelaws;

The meetings under sub-rule (4-A) shall be presided over by the Returning Officer.]

(5) The President shall preside over all meetings of the committee at which he is present. In his absence, the Vice-President shall preside or in the absence of both the President and Vice-President, the members present shall elect one amongst themselves to preside over meeting:

[1][Provided that a meeting of committee in which co-option of a member or representative is made or election of President/Chairman to hold shall be presided over by the Returning Officer.]

[2][(6) The quorum for the meeting of the committee shall be, as provided in the byelaws, but in any case it shall be more than fifty per cent- of the total number of the members.]

[3][**43-A. Removal of the Chairman, or office bearers of the committee** — (1) The Committee of a society may, by a resolution passed by a if majority of not less than two-third of the total elected members of the committee at a meeting held for this purpose, remove from the office of the Chairman or office bearer if he—

(a) is grossly negligent in discharge of his duties imposed on him by or under this Act or Rules made thereunder or Bye-laws of the Society or has by a fraudulent act caused financial loss to the society;

(b) persistently makes default in payment of his dues to the society;

(c) has been adversely remarked by a competent Court;

(d) misuses the post held by him :

Provided that such resolution shall lie within a period of one year from the date on which he has taken charge of his respective office, or such resolution is rejected or accepted by the committee as the case may be.

1. Ins. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.
2. Ins. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
3. Ins. by notification No. 15-27-97-XV-1, dated 20-6-2000.

(घ) अभ्यर्थिता वापस लेने का समय;

(ङ) अध्यक्ष/सभापति, उपाध्यक्ष/उपसभापति और प्रतिनिधियों तथा ऐसे अन्य अधिकारियों जैसा कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया गया है, के निर्वाचन के लिये समय, अन्तर्विष्ट होंगे, उपनियम (4-क) के अधीन सम्मिलन की अध्यक्षता रिटर्निंग आफीसर द्वारा की जायेगी।]

(5) अध्यक्ष कमेटी के सभी सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा, जिसमें कि वह उपस्थित हो। उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, तथा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से एक को सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिये चुनेंगे;

[1][परन्तु समिति के उस सम्मिलन की, जिसमें सदस्य या प्रतिनिधि का सहयोजन किया जाना है अध्यक्ष/सभापति का निर्वाचन होना है, अध्यक्षता रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जायेगी।]

[2][(6) समिति के सम्मिलन के लिये गणपूर्ति उपविधियों में उपबंधित किये गये अनुसार की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में, सदस्यों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक होगी।]

[3][**43-क. समिति के अध्यक्ष या पदाधिकारियों का हटाया जाना**—(1) सोसाइटी की समिति, इस प्रयोजन के लिये आयोजित सम्मेलन में, समिति के कुल निर्वाचित सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष या पदाधिकारी को पद से हटा सकेगी, यदि—

(क) वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या सोसाइटी की उपविधियों द्वारा उस पर अधिरोपित किये गये कर्तव्यों का निर्वहन करने में घोर उपेक्षा करता हो या उसके कपटपूर्ण कार्य से सोसाइटी को वित्तीय हानि कारित हुई हो;

(ख) वह सोसाइटी को उसके शोध्यों का संदाय करने से लगातार व्यतिक्रम करता हो;

(ग) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसके प्रति प्रतिकूल टिप्पणी की गई हो;

(घ) वह उसके द्वारा धारित पद का दुरुपयोग करता हो :

परन्तु ऐसा संकल्प उस तारीख से, जिसको कि उसने अपने-अपने संबंधित पद का भार ग्रहण कर लिया हो या ऐसा संकल्प समिति द्वारा अस्वीकृत या स्वीकृत जैसी भी दशा हो, किया जा चुका हो, एक वर्ष की कालावधि के भीतर नहीं लाया जायेगा।

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा अंत: स्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा अंत: स्थापित।
3. अधिसूचना क्र. 15-27-97-पन्द्रह-1, दिनांक 20-6-2000 द्वारा अंत: स्थापित।

(2) Such proposals shall be submitted to the Chief Executive Officer of the society by at least one-third elected members of the committee under their signatures alongwith a charge-sheet. A copy of such proposal shall also be sent to the Registrar, Co-operative Societies.

(3) Notwithstanding anything contained in the bye-laws of the society, on receipt of such proposal, the Chief Executive Officer of the society shall call the meeting of the committee and present such proposal within thirty days from the date of receipt of such proposal.

(4) The Chairman/President or the office bearer of the society as the case may be, shall have, a right to defend himself or otherwise in such meeting of the committee.

(5) Such meeting shall be presided over by the Registrar or any person authorised by him in this behalf.]

43-B. [1][***]

44. Disqualification for membership of committee — [2][(1)] [3][No person shall be eligible for election, co-option or nomination] as a member of the committee of a society and shall cease to hold his office as such, if he—

(a) is an applicant to be adjudicated or is an undischarged insolvent; or

[4][(b) is sentenced for an offence not involving moral turpitude and a period of five years has not elapsed from the date of expiry of the sentence;] [5][or]

(c) is or becomes of unsound mind; or

(d) holds or accepts any office of profit in the society; or

(e) carries on business of the kind carried on by the society; or

(e-1) [1][***]

[3][(f) has been disqualified under Section 49, 50 or 53 for the period mentioned in the order; or]

[4][(g) has, at the time of nomination of his/her candidature, or subsequent to his/her election, his/her wife/ husband/ father/ mother/brother/sister/son/ daughter as a paid employee of the society; or]

1. Omitted by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 24-6-88.
2. Re-numbered by notification No. F-5-4-78-XV-1, dated 15-4-78.
3. Subs. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
4. Subs. by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.
5. Ins. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

(2) ऐसा प्रस्ताव समिति के सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई निर्वाचित सदस्यों द्वारा उनके हस्ताक्षर में आरोप पत्र के साथ सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे प्रस्ताव की एक प्रति रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी को भी भेजी जायेगी।

(3) सोसाइटी की उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसा प्रस्ताव होने पर ऐसे प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर समिति का सम्मिलन बुलवायेगा तथा ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

(4) सोसाइटी के, यथास्थिति, सभापति/अध्यक्ष या पदाधिकारी को, समिति के ऐसे सम्मिलिन में स्वयं का प्रतिवाद करने या अन्यथा का अधिकार होगा।

(5) ऐसे सम्मिलन की अध्यक्षता रजिस्ट्रार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी।]

43-ख. [1][* * *]

44. कमेटी की सदस्यता के लिये निरर्हता—[2][(1)] कोई भी व्यक्ति संस्था की कमेटी के सदस्य के रूप में [3][निर्वाचन, सहयोजन या नाम निर्देशन] के लिये योग्य न होगा तथा उस रूप में अपने पद पर न रहेगा, यदि वह स्वयं—

(क) दिवालिया निर्णीत किये जाने के लिये आवेदक है या अनुन्मुक्त दिवालिया है, अथवा

[4][(ख) ऐसे अपराध जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित न हो, को छोड़कर किसी अपराध के लिये दण्डादिष्ट किया गया हो और ऐसा दण्डादेश समाप्त होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि व्यतीत न हुई हो,] [5][अथवा]

(ग) पागल है या हो जावे; अथवा

(घ) संस्था में किसी लाभ के पद पर है अथवा स्वीकार कर ले; अथवा

(ङ) इस प्रकार का धंधा करता है, जो संस्था करती हो; अथवा

(ङ-1) [1][* * *]

[3][(च) धारा 49 या 50 या 53 के अधीन में आदेश में वर्णित कालावधि के लिये निरर्हित हो गया है; अथवा]

[4][(छ) उसकी अभ्यर्थिता के नाम निर्देशन के समय या उसके निर्वाचन के पश्चात्, उसकी पत्नी/उसका पति/पिता/माता/भाई/बहिन/पुत्र/पुत्री, सोसाइटी का वैतनिक कर्मचारी है; या]

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 24-6-88 द्वारा विलोपित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-78-पन्द्रह-1, दिनांक 15-4-78 द्वारा पुनःक्रमांकित।
3. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा अन्तःस्थापित।

(h) is or gets in default to the society or to any other society for a period exceeding twelve months in respect of any loan or loans taken by him; or

[1][(i) has been a member of a society for less than forty five days immediately preceding the date of election; or]

[1][(j) has been removed from the service of Central Government or a State Government or any Public Undertaking institution or any local self institution or any co-operative society.]

(k) [2][***]

(2) [2][***]

45. Disqualification for representation — [3][(1) No society shall elect any member as its representative, who suffers from any of the disqualifications mentioned in Rule 44.]

[3][(2) A representative of a society representing it in the general body or committee of another society shall cease to hold his office as such—

(a) if he suffers from any of the disqualifications mentioned in Rule 44; or

(b) if he ceases to be a member of the society which he represents; or

(c) if elections fall due and the society, which he represents elects another representative; or

(d) if the registration of the society which he represents is cancelled under Section [4][18 or 18-A]; or

(e) if—

[5][(i) the Registrar or an officer authorised by him assumes charge under sub-section (8) of Section 49 of the committee of the society which he represents; or

(ii) the committee of the society which he represents is removed by the State Government under sub-section (1) of Section 52; or

1. Subs. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
2. Omitted by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
3. Subs. by notification No. F-5-5-90-XV-1, dated 12-5-90.
4. Subs. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95, for the "18".
5. Re-numbered by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

(ज) अपने द्वारा लिये गये किसी ऋण अथवा ऋणों के संबंध में बारह मास से अधिक काल तक संस्था या अन्य किसी संस्था के प्रति त्रुटि की है या करे; अथवा

[1][(झ) ऐसे निर्वाचन की ठीक पूर्ववर्ती तारीख से पैंतालीस दिनों के लिये सोसाइटी का सदस्य रहा हो; अथवा]

[1][(ञ) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक उपक्रम संस्था या किसी स्थानीय स्वशासन संस्था या किसी सहकारी सोसाइटी की सेवा से हटाया गया हो।]

(ट) [2][* * *]

(2) [2][* * *]

45. प्रतिनिधित्व के लिये अयोग्यता—[3][(1) कोई सोसाइटी ऐसे किसी सदस्य को, जो नियम 44 में वर्णित निरर्हताओं में से किसी निरर्हता से ग्रस्त हो, अपने प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित नहीं करेगी।]

[3][(2) किसी सोसाइटी का कोई प्रतिनिधि जो किसी अन्य सोसाइटी के साधारण निकाय में या उसकी समिति में उस सोसाइटी का प्रतिनिधित्व कर रहा है उस हैसियत में अपना पद धारण करना बन्द कर देगा—

(क) यदि वह नियम 44 में वर्णित निरर्हताओं में से किसी निरर्हता से ग्रस्त है; या

(ख) यदि वह उस सोसाइटी का, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, सदस्य नहीं रह जाता है; या

(ग) यदि निर्वाचन होते हों और वह सोसाइटी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा प्रतिनिधि निर्वाचित कर लेती है; या

(घ) यदि उस सोसाइटी का जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, रजिस्ट्रीकरण धारा [4][18 या 18-क] के अधीन रद्द कर दिया गया है; या

(ङ) यदि—

[5][(एक)] रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी धारा 49 की उपधारा (8) के अधीन उस सोसाइटी की, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, समिति का कार्यभार ग्रहण कर लेता है; या

(दो) उस सोसाइटी की, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, समिति धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा हटा दी गई है; या

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा विलोपित।
3. अधिसूचना क्र. एफ-5-5-90-पन्द्रह-1, दिनांक 12-5-90 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा '18' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा पुनः क्रमांकित।

(iii) the committee of the society which he represents has been removed under subsection (1) of Section 53; or]

(f) if the society is ordered to be wound up under Section 69.

[1][(2A) If a representative ceases to hold office in the circumstances referred to in clause (e) of sub-rule (2) the person or persons appointed by or under the relevant provisions of the Act to manage the affairs of the society shall have the power to nominate himself or one from among themselves, as the case may be, to fill the vacancy so caused.]

[2][(3) No representative of the society shall be eligible for election as a member of the committee of Co-operative Bank, Financing Bank, Federal Society or Apex Society and shall cease to hold his office as such if the society is or gets into default for a period exceeding twelve months in respect of any loan or loans taken by it from such Co-operative Bank, Financing Bank, Federal Society or Apex Society.]

[3][***]

46. Prohibition against being interested in contracts, etc. — (1) No officer of a society shall have any interest, directly or indirectly otherwise than as such officer—

(a) in any contract made with or by the society; or

(b) in any property sold or purchased by the society; or

(c) in any other transaction of the society, except as investment made or as loan taken from the society or the provision of residential accommodation by the society to any paid employees of the society.

(2) No officer of a society shall purchase, directly or indirectly, any property of the member of the society sold for the recovery of his dues to the society.

1. Ins. by notification No. F-5-5-90-XV-1, dated 12-5-90.
2. Re-numbered by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
3. First and Second Proviso omitted by notification No. F-15-40-97-XV-1, dated 12-4-99.

(तीन) उस सोसाइटी की, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, समिति धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन हटा दी गई है; या]

(च) यदि उस सोसाइटी को धारा 69 को अधीन परिसमापन का आदेश दे दिया गया है;

[1][(2-क) यदि कोई प्रतिनिधि उपनियम (2) के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में पद धारण करना बन्द कर देता है, तो सोसाइटी के क्रियाकलापों का प्रबंध करने के लिये अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों द्वारा या उनके अधीन नियुक्ति किये गये व्यक्ति या व्यक्तियों को यह शक्ति होगी कि यथास्थिति वह स्वयं को या वे अपने में से किसी एक को इस प्रकार कारित रिक्ति को भरने के लिये नाम निर्देशित करें।]

[2][(3) सोसाइटी का कोई भी प्रतिनिधि किसी सहकारी बैंक, वित्तदायी बैंक, संघीय सोसाइटी या किसी अपेक्स सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिये पात्र नहीं होगा और उस रूप में अपना पद धारित नहीं करेगा, यदि वह सोसाइटी ऐसे किसी उधार या उधारों के संबंध में जो कि उसके द्वारा ऐसे सहकारी बैंक, वित्तदायी बैंक, संघीय सोसाइटी या अपेक्स सोसाइटी से उसके द्वारा किये गये उधार या उधारों के संबंध में बारह मास से अधिक कालावधि के लिये व्यतिक्रम करती है या व्यतिक्रमी हो गई है।]

[3][* * *]

46. अनुबंध आदि में हित रखने पर निषेध—(1) सोसाइटी की कोई अधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उस अधिकारी के रूप में के अतिरिक्त, निम्नलिखित में कोई हित न रखेगा—

(क) सोसाइटी के साथ अथवा द्वारा किये गये किसी अनुबंध में; अथवा

(ख) सोसाइटी द्वारा बेची अथवा खरीदी जाने वाली किसी सम्पत्ति में; अथवा

(ग) सोसाइटी में किये गये विनियोग अथवा उसके लिये गये ऋण या सोसाइटी के वैतनिक कर्मचारियों के आवास के लिये सोसाइटी द्वारा की गई व्यवस्था के अतिरिक्त सोसाइटी के किसी अन्य व्यवहार में।

(2) सोसाइटी को देय धन की वसूली के लिये बेची जाने वाली सोसाइटी के सदस्य की कोई सम्पत्ति सोसाइटी का कोई अधिकारी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नहीं खरीदेगा।

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-5-90-पन्द्रह-1, दिनांक 12-5-90 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा पुनः क्रमांकित।
3. अधिसूचना क्र. एफ-15-40-97-पन्द्रह-1, दिनांक 12-4-99 द्वारा प्रथम व द्वितीय परंतुक लुप्त।

47. Restrictions on persons appearing as legal practitioners — Any officer of a society who appears as a legal practitioner in any legal proceeding against such society or against any other society which is a member of the former society shall be deemed to have vacated his office in the society.

48. Notice of meeting of the committee — The notice of a meeting of the committee of a society specifying the place, date and hour of the meeting together with an agenda of business to be transacted thereat shall be given to each member of the committee in writing or in such other manner as may be laid down in the bye-laws, before the date of the meeting:

Provided that any urgent business though not included in the agenda accompanying the notice may, however, be brought up and considered with the consent of the President of the meeting.

49. State Government nominees — A person nominated on the committee of a society under sub-section (2) of Section 52 shall hold office till such nomination is withdrawn.

[1][**49-A. Powers and duties of the Chief Executive Officer of State aided society** — (1) The Chief Executive Officer of an Apex or Central Society appointed under clause (a) read with clause (c) of sub-section (1) or clause (b) of sub-section (2) of Section 49-E shall perform duties and exercise powers given below, namely :—

(a) subject to the over all control and general superintendence of the committee to have general control over the administration of the society;

(b) to convene meetings of the committee and the general body in consultation with the President/Chairman;

(c) to receive all money and securities on behalf of the society and make arrangement for proper maintenance and custody of cash balances and other properties of the society;

(d) to endorse and transfer promissory notes, Government and other securities and endorse, sign and negotiate cheques and other negotiable instruments on behalf of the society;

(e) to sign all bonds and agreements in favour of the society;

1. Subs. by notification No. F-5-3-91-XV-1, dated 18-4-91.

47. विधि व्यवसायी के रूप में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध— सोसाइटी का कोई अधिकारी जो ऐसी सोसाइटी के या किसी अन्य सोसाइटी के, जो पूर्ववर्ती सोसाइटी की सदस्य हो, के विरुद्ध किसी कानूनी कार्यवाही में वकील के रुप में उपस्थित हो, तो यह माना जायेगा कि उसने सोसाइटी में अपना पद रिक्त कर दिया है।

48. कमेटी की सभा की सूचना—सोसाइटी की कमेटी की सभा की सूचना, जिसमें उस सभा में किये जाने वाले कामकाज की कार्यसूची सहित उस सभा का स्थान, दिनांक तथा समय निर्दिष्ट किया जायेगा, लिखित में या ऐसी अन्य रीति में जैसी कि उपविधियों में नियत की गई हो, सभा के दिनांक से पूर्व कमेटी के प्रत्येक सदस्य को दी जायेगी;

किन्तु प्रतिबंध यह है कि कोई भी आवश्यक कामकाज भले ही वह सूचना-पत्र के साथ भेजी गई कार्य सूची में सम्मिलित नहीं किया गया हो, सम्मिलन के अध्यक्ष की सहमति से प्रस्तुत एवं उस पर विचार किया जा सकेगा।

49. राज्य शासन के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति—धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन सोसाइटी की कमेटी के लिये नाम निर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक कि ऐसा नामांकन वापस न लिया जाये।

[1][**49-क. राज्य सहायता प्राप्त सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य**—(1) धारा 49-ङ की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के साथ पठित (क) या उपधारा 2 के खण्ड (ख) के अधीन शीर्ष सोसाइटी अथवा केन्द्रीय सोसाइटी में नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन तथा शक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात्—

(क) समिति के समग्र नियंत्रण और अधीक्षण के अध्यधीन रहते हुये सोसाइटी के प्रशासन में सामान्य नियंत्रण रखना;

(ख) अध्यक्ष/सभापति के परामर्श से समिति और साधारण निकाय के सम्मिलन बुलाना;

(ग) सोसाइटी की ओर से सभी धनराशि और प्रतिभूतियाँ प्राप्त करना तथा सोसाइटी के नगद अतिशेषों और अन्य सम्पत्तियों के समुचित रखरखाव तथा अभिरक्षा का इंतजाम करना;

(घ) वचनपत्र, सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों का पृष्ठांकन और हस्तांतरण करना तथा सोसाइटी की ओर से चेकों और अन्य परक्राम्य लिखतों का पृष्ठांकन, हस्ताक्षर तथा परक्रामण करना;

(ङ) सोसाइटी के पक्ष में समस्त बंधपत्रों तथा करारों पर हस्ताक्षर करना;

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-3-91-पन्द्रह-1, दिनांक 18-4-91 द्वारा प्रतिस्थापित।

(f) to be responsible for the general conduct, supervision and management of the day-to-day business and affairs of the society;

(g) to sign all deposit receipts and operate the accounts of the society with banks;

(h) to institute, conduct, defend, compound or abandon any suit or other legal proceedings by or against the society or otherwise concerning the affairs of the society and also to compound and allow time for payment or satisfaction of any claims or demand by or against the society in accordance with the decisions of the committee;

(i) to submit such information, reports and returns concerning the affairs of the society as may be required by the Registrar or the State Government;

(j) subject to the provisions of bye-laws to determine the powers, duties and responsibilities of the employees of the society;

(k) to communicate decisions and to issue suitable directions or orders in compliance of the decisions of the committee or any other competent authority, as the case may be;

(l) to exercise such powers in respect of the employees of the society or the cadre employees as may be laid down in the service rules framed by the Registrar under Section 55 (1) or Section 54 (2) of the Act;

(m) such powers and duties as are specified by or under the bye-laws of the society;

(n) to delegate, subject to approval of Registrar, all or any of the powers and functions vested in him to any employee or employees of the society.]

[1][**49-B. Procedure of appointment of Managing Director and Chief Executive Officer** — (1) The Managing Director and Chief Executive Officer of the Apex Society under Section 49-E of the Act shall be appointed on the recommendation of a Selection Committee consisting of—

(a) Agriculture Production Commissioner Chairman

1. Ins. by notification No. F-15-40-97-XV-1, dated 12-4-99.

(च) सोसाइटी के सामान्य आचरण, पर्यवेक्षण और दिन-प्रतिदिन के कारबार के प्रबंध तथा कामकाज हेतु उत्तरदायी होना;

(छ) निक्षेप की गई समस्त रसीदों पर हस्ताक्षर करना तथा सोसाइटी के बैंक में खाते का संचालन करना;

(ज) सोसाइटी द्वारा या सोसाइटी के विरुद्ध या सोसाइटी के कार्यों से अन्यथा संबंधित किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियों को संस्थित करना, संचालित करना, प्रतिरक्षण करना, प्रशमन करना या परित्याग करना और समिति के विनिश्चयों के अनुसार सोसाइटी द्वारा या सोसाइटी के विरुद्ध किन्हीं दावों या माँग के प्रशमन भी करना या उनके भुगतान या तुष्टि के लिये समय भी अनुज्ञात करना;

(झ) सोसाइटी के कार्यकलापों के संबंध में ऐसी जानकारी रिपोर्ट तथा विवरणियाँ, जैसी कि रजिस्ट्रार या राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित की जाये, प्रस्तुत करना;

(ञ) उपविधियों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये सोसाइटी के कर्मचारियों की शक्तियों, कर्तव्यों तथा दायित्वों को अवधारित करना;

(ट) यथास्थिति समिति या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चयों की संसूचना देना तथा ऐसे विनिश्चयों के अनुपालन में यथोचित निर्देशों या आदेशों को जारी करना;

(ठ) सोसाइटी के कर्मचारियों या संवर्ग (केडर) कर्मचारियों के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना जैसी कि अधिनियम की धारा 55 (1) या 54 (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा विरचित सेवा नियमों के अधिकथित की जाये;

(ड) ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग करना जैसा कि सोसाइटी की उपविधियों के द्वारा या अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ढ) उसमें निहित शक्तियों तथा कृत्यों में से समस्त या किसी भी शक्ति या कृत्य को रजिस्ट्रार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुये सोसाइटी के किसी कर्मचारी या कर्मचारियों को प्रत्याजित करना।]

[1][**49-ख. प्रबंध संचालक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया**—(1) अधिनियम की धारा 49-ङ के अधीन शीर्ष संस्था (एपेक्स सोसाइटी) के प्रबंध संचालक तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति चयन-समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, की सिफारिश पर की जाएगी,—

(क) कृषि उत्पादन आयुक्त अध्यक्ष

1. अधिसूचना क्र. एफ-15-40-97-पन्द्रह-1, दिनांक 12-4-1999 द्वारा अन्तः स्थापित।

(b)	Chairman of the concerned Apex Society	Member
(c)	Two Directors of concerned Apex Society to be nominated by the Chairman of the Apex Society	Member
(d)	Registrar, Co-operative Societies, Chhattisgarh	Member Secretary.

(2) Administrative-Department of Apex Society shall make a reference to the Chairman of the Selection Committee for selection of the Managing Director and Chief Executive Officer.

(3) The Chairman of the committee on receipt of the reference shall fix the date of the meeting of the Selection Committee.

(4) The Chairman of the concerned Apex Society shall send the name of the two nominated Directors to the Member Secretary of the Selection Committee 15 days before the meeting in writing.

(5) Notice of the meeting of the Selection Committee shall be issued by the Member-Secretary of the Committee at least seven days before the meeting.

(6) The quorum of the meeting shall be at least 3 Members out of which the presence of the Chairman of the Selection Committee shall be compulsory.

(7) The Member-Secretary shall submit a panel of names before the Selection Committee in consultation with the General Administration Department and the Administration Department of the concerned Apex Society and submit it to the committee.

(8) In the case of equality of votes the Chairman of the Selection Committee shall have a second or casting vote.

(9) After the selection the Member Secretary shall inform the State Government in the Administrative Department.

(10) The appointment order shall be issued by the Administrative Department of the concerned Apex Society.

CHAPTER VI

AUDIT, INQUIRY, INSPECTION AND SUPERVISION

50. Procedure for conducting audit — (1) The person authorised by the Registrar to audit the accounts of a society under sub-section (i) of Section 58 (hereinafter referred to as auditor in this rule) shall submit an audit note to the Registrar in the form specified by the Registrar on the accounts examined by him and on the balance sheet and profit and loss account as on the date and for the period upto which the accounts have

(ख)	संबंधित शीर्ष संस्था (एपेक्स सोसाइटी) के अध्यक्ष	सदस्य
(ग)	शीर्ष संस्था (एपेक्स सोसाइटी) के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले संबंधित शीर्ष संस्था के दो संचालक	सदस्य
(घ)	रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़	सदस्य-सचिव

(2) शीर्ष संस्था (एपेक्स सोसाइटी) का प्रशासनिक विभाग प्रबंध संचालक तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के लिए चयन-समिति के अध्यक्ष को निर्देशित करेगा।

(3) समिति का अध्यक्ष निर्देश प्राप्त होने पर चयन समिति के सम्मिलन की तारीख नियत करेगा।

(4) संबंधित शीर्ष संस्था का अध्यक्ष सम्मिलन के पन्द्रह दिन के पूर्व लिखित में चयन-समिति के सदस्य सचिव को दो नाम निर्दिष्ट संचालकों के नाम भेजेगा।

(5) चयन-समिति के सम्मिलन की सूचना सम्मिलन के कम से कम सात दिन पूर्व समिति के सदस्य सचिव द्वारा जारी की जाएगी।

(6) सम्मिलन की गणपूर्ति कम से कम तीन सदस्यों से होगी, जिसमें से चयन समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(7) सदस्य-सचिव सामान्य प्रशासन विभाग तथा संबंधित शीर्ष संस्था के प्रशासनिक विभाग के परामर्श से चयन-समिति के समक्ष नामों का पेनल प्रस्तुत करेगा तथा इसे समिति को प्रस्तुत करेगा।

(8) मतों की समानता की दशा में चयन-समिति के अध्यक्ष का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

(9) चयन के पश्चात् सदस्य-सचिव राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को सूचित करेगा।

(10) नियुक्त आदेश संबंधित शीर्ष संस्था के प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।]

अध्याय छः

आडिट, जाँच, निरीक्षण और पर्यवेक्षण

50. लेखा परीक्षण करने की विधि—(1) धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन पंजीयक द्वारा सोसाइटी के हिसाबों का आडिट करने के हेतु प्राधिकृत व्यक्ति (जिसे कि इस नियम में आगे आडिटर के रूप में उल्लेख किया है) पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रारुप में उनके द्वारा जाँच किये गये हिसाब तथा उस दिनांक से व उस अवधि के जहाँ तक कि हिसाबों का लेखा परीक्षण किया गया हो नफा-नुकसान खाता एवं पक्के चिट्ठे के संबंध में पंजीयक द्वारा नियत रूप में लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा

been audited and shall state whether in his opinion and to the best of his information and according to the explanation given to him, the said accounts give all the information required by the Act in the manner so required and give true and fair view—

(i) in the case of the balance sheet, of the state of society's affairs as at the end of the co-operative year upto which the accounts are made up and examined by him; and

(ii) in the case of profit and loss account, of the profit or loss for the co-operative year.

(2) The audit note shall state—

(i) whether the auditor has obtained all the information and explanations which to the best of his knowledge and belief were necessary for the purpose of his audit;

(ii) whether in his opinion proper books of accounts, as required by the Act, these rules, the bye-laws of the society and the Registrar have been kept by the society so far as it appears from the examination of these books; and

(iii) whether the balance sheet and profit and loss account examined by him are in agreement with the books or accounts and returns of the society.

(3) Where any of the matters referred to in sub-rule (2) are answered in the negative or with a qualification, the audit note shall specify the reasons for the answer.

(4) The audit note shall also contain full particulars of—

(i) all transactions which appear to be contrary to the provisions of the Act, these rules or the bye-laws of the society;

(ii) all sums which ought to have been but have not been brought into account by the society;

(iii) any material impropriety or irregularity in the expenditure or in the realisation of moneys due to the society;

(iv) any money or property belonging to the society which appears to the auditor to be bad or doubtful debt; and

(v) any other matters specified by the Registrar in this behalf.

(5) The Registrar may direct that any portion of the audit note which appears to him to be of an objectionable nature or not justified by facts shall be expunged and the portion so expunged shall not form part of the audit note.

उसमें बतायेगा कि क्या उसकी राय में तथा उसकी श्रेष्ठतम जानकारी से तथा उसे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुरूप कथित हिसाब से अधिनियम द्वारा अपेक्षित सभी जानकारी ऐसी रीति में जो अपेक्षित हैं, दी गई हैं तथा निम्न बातों की सही एवं उचित स्थिति बताई गई है—

(एक) पक्के चिट्ठे के बारे में सहकारी वर्ष की समाप्ति पर जब तक के कि हिसाब तैयार किये गये हैं तथा उसके द्वारा जाँचें गये हैं, सोसाइटी के कारबार की स्थिति; तथा

(दो) नफा-नुकसान खाते के बारे में सहकारी-वर्ष में लाभ अथवा हानि।

(2) आडिट नोट में निम्न बातें होंगी—

(एक) कि क्या लेखा परीक्षक ने सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो कि उसके श्रेष्ठतम ज्ञान एवं विश्वास से लेखा परीक्षण करने के आशय के लिये आवश्यक थे,

(दो) कि क्या उसकी राय में हिसाब की उचित पुस्तकें, जैसे कि अधिनियम, इन नियमों, सोसाइटी की उपविधियों तथा पंजीयक द्वारा अपेक्षित हों, सोसाइटी द्वारा रखी गई हैं, जहाँ तक कि इन पुस्तकों की जाँच से प्रतीत होता है, तथा

(तीन) कि क्या उसके द्वारा जांचे गये पक्का चिट्ठा और नफा-नुकसान खाता सोसाइटी की पुस्तकों या हिसाब और विवरण पत्रों से मिल जाते हैं।

(3) जहाँ उपनियम (2) में उल्लेखित किसी बात का उत्तर नकारात्मक अथवा विशिष्टता सहित हो तो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन में ऐसे उत्तर के कारणों को दर्शाया जायेगा।

(4) लेखा परीक्षण में निम्नलिखित का भी पूर्ण विवरण रहेगा—

(एक) सब लेनदेन जो अधिनियम, इन नियमों अथवा सोसाइटी की उपविधियों के उपबंधों के विपरीत दिखाई दे;

(दो) सब धनराशि जो कि सोसाइटी द्वारा हिसाब में लाई जाना चाहिये थी परन्तु नहीं लाई गई हो;

(तीन) व्यय में अथवा सोसाइटी को देय धन की वसूली में कोई महत्वपूर्ण अनौचित्य अथवा अनियमितता;

(चार) सोसाइटी कोई धन अथवा सम्पत्ति जो कि लेखा परीक्षण को डूबन्त या संदिग्ध ऋण दिखाई दे;

(पांच) पंजीयक द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कोई अन्य बातें।

(5) पंजीयक यह निर्देश दे सकेगा कि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन का कोई अंश जो कि उसे आपत्तिजनक दिखाई दे अथवा तथ्यों द्वारा समर्थित न हो हटा दिया जावे तथा इस प्रकार हटाया गया अंश लेखा परीक्षण प्रतिवेदन का भाग नहीं होगा।

(6) The Registrar may from time to time specify the form or forms in which the statements of accounts and information shall be prepared for audit by the society.

(7) On completion of his audit, the auditor shall award an audit classification to the society whose accounts have been audited by him in accordance with the instructions issued by the Registrar from time to time. The Registrar may, if he thinks necessary, amend the audit classification for reasons to be recorded in writing.

[1][**50-A. Levy of audit fees** — (1) Every society the accounts of which are audited under sub-section (1) of Section 58 shall [2][***] pay to the State Government a charge for the audit of its accounts for each co-operative year in accordance with the scale laid down in the Schedule in respect of the class of society to which it belongs.

(2) The Registrar shall communicate the charges payable by the society under sub-rule (1) by an order in writing in Form FF to be delivered personally or sent by post to the address of the society under certificate of posting :

Provided that in the case of a primary credit society affiliated to a Co-operative Central Bank, the order shall be communicated to such Bank.]

[3][**50-B. Procedure for conducting the audit by qualified Chartered Accountant** — (1) The Chartered Accountant appointed from the penal approved by the State Government shall audit the accounts of such societies and submit an audit note to the concerned society with a copy to the Registrar in the form specified by the Registrar and on the balance sheet and profit and loss account as on the date and for the period upto which the accounts have been audited, and shall state whether in his opinion and to the best of his information and according to the explanation given to him, the said accounts give all the information required by the Act and Rules made thereunder in the manner so required and give true and fair view—

(i) in the case of the balance-sheet, of the state of society's affairs, as at the end of the co-operative year upto which the accounts are made up and examined by him; and

(ii) in the case of profit and loss account, of the profit or loss for the co-operative year.

(2) The audit note shall state the details as mentioned in sub-rule (2) to (7) of Rule 50.

1. Ins. by notification dated 26-7-1963.
2. Omitted by notification dated 6-9-1963.
3. Ins. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

(6) पंजीयक समय-समय पर प्ररुप और प्रारुपों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें खाता विवरणी और जानकारी सोयाइटी द्वारा संपरीक्षा के लिए तैयार की जाएगी।

(7) उसकी संपरीक्षा पूरी होने पर संपरीक्षक उस सोसाइटी की संपरीक्षा वर्गीकरण प्रदान करेगा जिसके खाते समय-समय पर रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार उसके द्वारा संपरीक्षा किए गए हैं। रजिस्ट्रार, यदि वह आवश्यक समझता है, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए संपरीक्षा वर्गीकरण को संशोधित कर सकेगा।

[1][**50-क. अंकेक्षण शुल्क की उगाही**—(1) प्रत्येक सोसाइटी, जिसके हिसाबों का, लेखापरीक्षण धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन किया जाता हो, राज्य शासन को, प्रत्येक सहकारी वर्ष के लिये उसके हिसाबों का लेखा परीक्षण करने हेतु ऐसे खर्च का भुगतान करेगी [2][***] सोसाइटी की उस श्रेणी के संबंध में, जिसके अंतर्गत वह आती हो, अनुसूची में निर्धारित मान के अनुसार हो।

(2) पंजीयक, सोसाइटी द्वारा उपनियम (1) के अधीन चुकाये जाने वाले खर्च की सूचना फार्म-चच में लिखित आदेश द्वारा देगा जो सोसाइटी के पते पर व्यक्तिगत रूप से या प्रेषण प्रमाण-पत्र के अधीन डाक द्वारा भेजा जायेगा:

परन्तु यह कि सहकारी केन्द्रीय बैंक से सम्बद्ध प्राथमिक साख सोसाइटी के मामले में आदेश उस बैंक को संसूचित किया जायेगा।]

[3][**50-ख. अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षण करवाने हेतु प्रक्रिया**—(1) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पेनल से नियुक्त किया गया चार्टर्ड एकाउंटेंड, ऐसी सोसाइटियों के लेखों की संपरीक्षा करेगा तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन को रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये प्रारूप में रजिस्ट्रार की प्रति के साथ संबंधित सोसाइटी को प्रस्तुत करेगा और जिसमें उस तारीख तक का तथा उस कालावधि की बैलेन्स शीट, लाभ-हानि का लेखा होगा, जिस तारीख तक की लेखों की संपरीक्षा की गई है और उसमें यह कथन होगा कि उसकी राय में तथा उसकी सर्वोत्तम जानकारी में और उसे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त लेखों की सम्पूर्ण जानकारी इस प्रकार अपेक्षित रीति में दी गई है, जो अधिनियम एवं उनके अंतर्गत बने नियम द्वारा अपेक्षित है और उसमें निम्नलिखित के संबंध में सत्य तथा उचित दृष्टिकोण अपनायेगा—

(एक) बैलेन्स शीट के मामले में, सोसाइटी के क्रियाकलापों की स्थिति उस सहकारी वर्ष की समाप्ति पर जिस वर्ष तक लेखे तैयार किये गये हैं और उनकी परीक्षा उसके द्वारा की गई है; और

(दो) लाभ और हानि के लेखों की दशा में, सहकारी वर्ष के लिये लाभ या हानि।

(2) लेखा परीक्षण प्रतिवेदन में नियम 50 के उपनियम (2) से (7) में यथावर्णित ब्यौरों का विस्तृत कथन होगा।

1. अधिसूचना दिनांक 26-7-1963 द्वारा अन्त:स्थापित।
2. अधिसूचना दिनांक 6-9-1963 द्वारा विलोपित।
3. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा अंत: स्थापित।

(3) The audit fee shall be paid by the society to Chartered Accountants, as mutually agreed upon.]

51. Publication of a balance sheet — Every society shall publish its balance sheet by displaying it in any conspicuous place in the registered office of the society and in every branch where the business of the society is carried on.

CHAPTER VII

DISPUTES AND ARBITRATION

52. Reference of a dispute — A reference of dispute under Section 6 shall be made in writing to the Registrar in Form H. Wherever necessary, the Registrar may require the party referring the dispute on him to produce a certified copy of the relevant records on which the dispute is based and such other statements or records as may be required by him, before proceeding with the consideration of the reference.

53. Appointment of Registrar's nominee or board of nominees — (1) The Registrar may, by general or special order, appoint any person to be his nominee for deciding disputes arising in any society or class of societies within such area and for such period as may be specified in the order.

(2) The Registrar may by order appoint a board of nominees consisting of two or more nominees for deciding disputes arising in any society or class of societies within such area and for such period as may by specified in the order.

(3) Where a board of nominee is appointed under sub-rule (2), one of the nominees on the board shall be appointed by the Registrar to be the Chairman of the Board, who shall fix the date, time and place of hearing disputes referred to by board and issue notices in connection with the disposal of such disputes.

(4) Save where it has been otherwise provided in the Act, in deciding the disputes where there is no unanimous decision, the opinion of the majority shall prevail. Where opinion of the nominees on the board is equally divided, the opinion of the Chairman of the board shall prevail.

54. Levy of expenses for determining disputes — (1) The Registrar his nominee or board of nominees may require the party or parties to the dispute to deposit in advance such sum as may, in his or its opinion, but necessary to meet the expenses for determining the dispute including payment of fees, if any, to the Registrar, his nominee or board of nominees.

(3) सोसाइटी द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट को लेखा परीक्षण शुल्क पारस्परिक सहमति से संदत्त की जायेगी।]

51. चिट्ठे का प्रकाशन—प्रत्येक सोसाइटी अपने चिट्ठे को अपने पंजीयत कार्यालय में तथा प्रत्येक शाखा में जहाँ सोसाइटी का कारोबार चलता हो, किसी सहज गोचर स्थान पर लगवाकर प्रकाशित करवायेगी।

अध्याय सात

विवाद तथा पंच निर्णय

52. विवाद का निर्देश—धारा 64 के अधीन विवाद का निर्देश लेखी के प्ररुप 'ज' में पंजीयक को किया जायेगा। जहाँ कहीं आवश्यक हो पंजीयक विवाद निर्देश करने वाले पक्ष को आदेश दे सकेगा कि वह संबंधित अभिलेखों, जिस पर विवाद आधारित है तथा ऐसा अन्य पत्रकों या अभिलेखों जो उसे आवश्यक लगे, उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि निर्देश पर विचार करने या कार्यारंभ करने के पूर्व प्रस्तुत करे।

53. पंजीयक के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के मंडल की नियुक्ति—(1) पंजीयक सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा किसी सोसाइटी अथवा सोसाइटियों के वर्ग में ऐसे क्षेत्र में तथा ऐसे समय के लिये जैसा कि आज्ञा में निर्दिष्ट हो उत्पन्न होने वाले विवादों के निर्णय के हेतु किसी व्यक्ति को उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति नियुक्त कर सकेगा।

(2) पंजीयक आज्ञा द्वारा किसी सोसाइटी अथवा सोसाइटियों के वर्ग में ऐसे क्षेत्र में तथा ऐसे समय के लिये जैसा कि आज्ञा में निर्दिष्ट हो, उत्पन्न होने वाले विवादों के निर्णय करने हेतु नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के मण्डल की जिसमें दो या अधिक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति होंगे, नियुक्ति कर सकेगा।

(3) जहाँ उपनियम (2) के अधीन नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के मण्डल की स्थापना की गई है वहाँ मण्डल में से एक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति रजिस्ट्रार द्वारा मंडल का चेयरमेन नियुक्त किया जायेगा, जो कि मंडल को निर्देशित विवादों के निराकरण से संबंधित संसूचनाएँ जारी करेगा।

(4) जहाँ अधिनियम में अन्यथा कथित है उसके अतिरिक्त विवादों के निराकरण में जहाँ सर्व सम्मत निर्णय न हो वहाँ बहुमत की राय मान्य होगी। जहाँ मंडल के नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों की राय समान रूप से विभाजित हो वहाँ मंडल के चेयरमेन का मत मान्य होगा।

54. विवादों के निर्णय करने हेतु व्यय का आरोपण—(1) पंजीयक, उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों का मण्डल ऐसी रकम जैसी कि उसके अथवा उनके मत में विवाद का निर्णय करने में खर्चों के लिये आवश्यक हो, जिसमें पंजीयक/उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के मण्डल को देय शुल्क भी, यदि कोई हो, सम्मिलित करते हुये अग्रिम जमा करने का आदेश दे सकेगा।

(2) The Registrar, his nominee or board of nominees shall have the power to order the fees, if any, and expenses incurred in determining such dispute to be paid either out of the funds of the society or by such party or parties to the dispute as he or it may think fit, according to the scale laid down by the Registrar after taking into account the amount deposited under sub-rule (1).

(3) The Registrar may, by general or special order, specify the scale of fees, if any, and expenses for determining a dispute to be paid to him or to his nominee or board of nominees.

55. Procedure for execution of decisions or awards — (1) Every decision given or award made by the Registrar, his nominee or board of nominees in respect of a dispute shall be forwarded by the Registrar to the society or to the party concerned with instructions that the society or, as the case may be, party concerned should initiate execution proceedings according to the provisions of Section 85.

(2) If the amount due under the decision or award is not recovered within fourteen days it shall be forwarded to the Registrar with an application for execution along with all information required by the Registrar. The decree-holder shall state whether he desires to execute the award by a Civil Court under clause (a) or by the Collector under clause (b) or by Registrar or any person empowered by the Registrar in this behalf under clause (c) of Section 85.

(3) On receipt of such application for execution, the Registrar shall forward the same to the proper authority for execution alongwith a certificate issued by him under clause (a) or clause (b) of Section 85.

56. Procedure for the custody of property attached under [1][***] Section 68 — (1) Where the property to be attached is movable property, other than agricultural produce in the possession of the person, the attachment shall be made by actual seizure and the Registrar or a nominee or board of nominees, as the case may be, shall keep the property in his or its custody or in the custody of any officer of the Co-operative Department authorised by him or it in writing, or of a Receiver, if one is appointed under sub-rule (2), and shall be responsible for the due custody thereof:

Provided that when the property seized is subject to speedy and natural decay, or when the expense of keeping it in custody is likely to exceed its value, the Registrar or a nominee or board of nominees, as the case may be, may sell it at once.

1. The words "Section 63 of sub-section (6) or" omitted by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

(2) पंजीयक, उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के मण्डल को शक्ति होगी कि शुल्क, यदि कोई हो, तथा ऐसा विवाद के निर्णय करने में किये गये खर्चों का चुकारा सोसाइटी की निधियों में से अथवा विवाद के ऐसे पक्षकार या पक्षकारों के द्वारा जैसा कि वह योग्य समझे उपनियम (1) के अधीन जमा की गई रकम को ध्यान में रखकर पंजीयक द्वारा निर्धारित मान से चुकाये जाने का आदेश दें।

(3) पंजीयक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे अथवा उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के मण्डल को चुकाये जाने के लिये, शुल्क, यदि कोई हो, तो उसका मान तथा विवाद का निर्णय करने के लिये व्यय निर्दिष्ट कर सकेगा।

55. निर्णयों अथवा पंच निर्णयों की निष्पादन विधि—(1) विवाद के संबंध में पंजीयक, उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के मण्डल द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय अथवा पंच निर्णय को पंजीयक द्वारा संबंधित सोसाइटी अथवा पक्षकार को इस अनुदेश के सहित भेजा जावेगा कि सोसाइटी अथवा संबंधित पक्षकार, जैसी भी दशा हो, धारा 85 के उपबन्धों के अनुसार निष्पादन की कार्यवाही प्रारंभ करें।

(2) यदि निर्णय अथवा पंच निर्णय के अनुसार देय धन 14 दिन के अंदर वसूल न हो तो उसे पंजीयक की ओर निष्पादन के हेतु आवेदन-पत्र के सहित पंजीयक द्वारा अपेक्षित सभी जानकारियों से संलग्न भेजा जावेगा। जय-पत्रधारी उसमें बतलाएगा कि वह धारा 85 के खण्ड (क) के अधीन व्यवहार न्यायालय द्वारा अथवा खण्ड (ख) के अधीन कलेक्टर द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा अथवा खण्ड (ग) के तहत् पंजीयक या पंजीयक द्वारा सशक्त किसी व्यक्ति द्वारा पंच निर्णय का निष्पादन करवाना चाहता है।

(3) निष्पादन हेतु ऐसे आवेदन-पत्र के प्राप्त होने पर पंजीयक धारा 85 के खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) के अधीन प्रमाण-पत्र देकर उसे उपयुक्त अधिकारी की ओर निष्पादन के हेतु भेजेगा।

56. धारा [1][* * *]68 के अंतर्गत अधिहरण की गई सम्पत्ति की अभिरक्षण विधि—(1) जहाँ कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति किसी व्यक्ति के आधिपत्य की कृषि उपज को छोड़कर चल संपत्ति है, तो कुर्की प्रत्यक्ष अधिहरण द्वारा की जावेगी तथा पंजीयक अथवा पंजीयक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों का मंडल, जैसी भी दशा हो, सम्पत्ति को उसके अथवा उनके अभिरक्षण में अथवा उसके या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत सहकारिता विभाग के किसी अधिकारी अथवा सम्प्रापक, यदि उपनियम (2) के अधीन नियुक्त किया जावे, के अभिरक्षण में रखेंगे तथा उसके उचित अभिरक्षण के लिये उत्तरदायी होंगे:

किन्तु प्रतिबंध यह है कि जब्त की गई सम्पत्ति शीघ्रता से तथा प्राकृतिक रूप से क्षयशील हो या उसके अभिरक्षण में रखने के व्यय उसके मूल्य से अधिक होने की संभावना हो, तो पंजीयक अथवा पंजीयक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों का मण्डल, जैसी भी दशा हो, उसे तुरन्त बेच सकेंगे।

1. अधिसूचना क्र. 5-7-94-15-1, दिनांक 21.7.95 द्वारा शब्द "धारा 63 की उपधारा (6) या" लुप्त।

(2) Where it appears to the authority ordering conditional attachment under [1][***] Section 68 to be just and convenient, it may appoint a Receiver for the custody of the movable property attached and his duties and liabilities shall be identical with those of a Receiver appointed under Order XL in the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908.

(3) (a) Where the property to be attached is immovable, the attachment shall be made by an order prohibiting the person from transferring or charging the property in any way and all persons from taking any benefit from such transfer or charge.

(b) The order shall be proclaimed at some place on, or adjacent to, such property by beat of drum and a copy of the order shall be fixed on a conspicuous part of the property, and where the property is land paying revenue to the State Government, also in the office of the Tahsildar within whose jurisdiction the property is situated.

CHAPTER VIII

LIQUIDATION

57. Procedure to be adopted by liquidator — Where a liquidator has been appointed under sub-section (1) of Section 70, the following procedure shall be adopted :—

(a) The appointment of the liquidator shall be intimated in writing to the society.

(b) The liquidator shall prepare an upto-date list of—

(i) members;

(ii) past members, with dates of their withdrawal, who are subject to liability under Section 29; and

(iii) deceased members, with dates of their death, names of their legal heirs who represent their estate and who are subject to liability under Section 29.

(c) The liquidator shall, as soon as the order of winding up of the society takes effect, publish by such means as he may think proper, a notice requiring all claims against the society the winding up of which has been ordered, to be submitted to him within two months of publication of the notice. All

1. The words "Section 63 of sub-section (6) or" omitted by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.

(2) यदि [1][* * *] धारा 68 के अधीन सशर्त कुर्की का आदेश देने वाले अधिकारी को यह न्यायोचित तथा सुविधाजनक दिखाई दे तो वह कुर्क की गई संपत्ति के अभिरक्षण के हेतु सम्प्रापक, की नियुक्ति कर सकेगा तथा उसके कर्तव्य और दायित्व सम्पत्ति विधि संग्रह, 1908 की प्रथम अनुसूची के आर्डर 40 के अधीन नियुक्त सम्प्रापक के समान होंगे।

3. (क) जहाँ कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति अचल है तो कुर्की एक आदेश द्वारा की जावेगी, जिसमें व्यक्ति की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार हस्तांतरण अथवा प्रभारित करने से तथा सभी व्यक्तियों को ऐसे हस्तांतरण अथवा प्रभार से लाभ उठाने से वर्जित किया जाएगा।

(ख) आदेश की घोषणा डोंडी पीटकर ऐसी सम्पत्ति पर के या उससे लगे हुए स्थान पर की जाएगी तथा आदेश की एक प्रतिलिपि संपत्ति के सहजगोचर भाग पर, तथा जहाँ सम्पत्ति राज्य शासन को राजस्व देने वाली जमीन हो वहाँ तहसीलदार के कार्यालय में भी, जिसके अधिकार क्षेत्र में सम्पत्ति स्थित हो, चिपकाई जावेगी।

आठवाँ अध्याय

परिसमापन

57. परिसमापक द्वारा अपनाई जाने वाली रीति—जहाँ धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन परिसमापक नियुक्ति किया गया हो तो निम्नलिखित रीति अपनाई जाएगी—

(क) परिसमापक की नियुक्ति सोसाइटी को लिखित में सूचित की जावेगी,

(ख) परिसमापक निम्नलिखित की अद्यतन सूची बनावेगा—

(एक) सदस्यों;

(दो) भूतपूर्व सदस्यों, उनके सदस्यता से हटने के दिनांक सहित, जो कि धारा 29 के अधीन दायित्व के अधीन हो; तथा

(तीन) मृत सदस्यों, उनकी मृत्यु के दिनांक सहित, उनके वैध उत्तराधिकारियों के नाम जो उनकी सम्पदा का प्रतिनिधित्व करते हों, तथा धारा 29 के अधीन दायित्व के अधीन हों।

(ग) परिसमापक, संस्था के परिसमापन के आदेश के प्रभावशील होने पर शीघ्र ही ऐसे साधनों द्वारा, जिसे वह उचित समझे, सोसाइटी, जिसके परिसमापन का आदेश हुआ है, के विरुद्ध समस्त दावे सूचना-पत्र के प्रकाशन से दो मास के भीतर उसको प्रस्तुत किये जाने का आदेश देते हुए, सूचना प्रकाशित करेगा। सोसाइटी की लेखा पुस्तिकाओं में लेखबद्ध समस्त

1. अधिसूचना क्र. 5-7-94-15-1, दिनांक 21.7.95 द्वारा शब्द "धारा 63 की उपधारा (6) या" लुप्त।

liabilities recorded in the account books of the society shall be deemed *ipso-facto* to have been duly submitted to him under this clause.

(d) The liquidator shall, after settling the assets and liabilities of the society, as they stood on the date on which the order of winding up takes effect, proceed next to determine the contribution (including debts due) to be made by each of the members, past members, or by the estates or nominees, heirs or legal representatives of deceased members or by any officers or former officers, to the assets of the society under clause (b) and as costs of liquidation determined under clause (e) of sub-section (2) of Section 71. He may also make a subsidiary order regarding such contributions and costs and such order shall be enforceable in the same manner as the original order.

(e) The liquidator shall submit to the Registrar such reports and returns in such form as the Registrar may specify showing the progress made in the liquidation of the society.

(f) The liquidator may empower any person by general or special order in writing, to make collections and grant valid receipts on his behalf.

(g) All funds in the charge of the liquidator shall be deposited in a Co-operative Bank or in the Post Office Savings Bank or with such other bank as may be approved by the Registrar and shall stand in his name.

(h) The Registrar shall fix the amount of remuneration, if any, to be paid to the liquidator. The remuneration shall be included in the cost of liquidation which shall be payable out of the assets of the society in priority to all other claims.

(i) The liquidator may issue summons to persons whose attendance is required to give evidence or to produce documents. He shall record brief notes of the evidence of such persons.

(j) If any liability cannot be discharged by the liquidator owing to the whereabouts of the claimants not being known or for any other cause, the amount covered by such undischarged liability may be deposited in a Co-operative Bank and shall be available for meeting the claims of the person or persons concerned.

दायित्व स्वयंमेव इस खण्ड के अधीन उसे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

(घ) परिसमापक, सोसाइटी की आस्तियों तथा दायित्वों का, जैसे कि वे उस दिनांक को हों, जिसको परिसमापन प्रभावशील हुआ हो, निपटारा करने के पश्चात् प्रत्येक सदस्य, भूतपूर्व सदस्य द्वारा या मृत सदस्यों की सम्पदा या उनके नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों या उत्तराधिकारियों या वैध प्रतिनिधियों द्वारा अथवा किन्हीं पदाधिकारियों या भूतपूर्व पदाधिकारियों द्वारा धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन सोसाइटी की आस्तियों में दिये जाने वाले अंशदानों (देय ऋणों सहित) तथा परिसमापन का परिव्यय, जैसा कि खण्ड (ङ) के अधीन निश्चित किया जावे, उनका निर्णय करने की अगली कार्यवाही करेगा। वह ऐसे अंशदानों तथा परिव्ययों के हेतु सहायक आदेश दे सकेगा तथा ऐसा आदेश उसी मूल आदेश की भांति ही लागू किये जाने योग्य होगा।

(ङ) परिसमापक, सोसाइटी के परिसमापन में की गई प्रगति को बताते हुए ऐसे प्रतिवेदन तथा विवरण-पत्र ऐसे प्ररुप में, जैसा कि पंजीयक विनिर्दिष्ट करें, पंजीयक को प्रस्तुत करेगा।

(च) परिसमापक लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति को वसूली करने तथा अपनी ओर से वैध अभिस्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दे सकेगा।

(छ) परिसमापक के आधिपत्य में की समस्त निधियाँ सहकारी बैंक अथवा पोस्ट आफिस के सेविंग बैंक में अथवा ऐसी अन्य बैंक में, जिसे कि पंजीयक मान्य करें, जमा की जावेंगी तथा उसके नाम से जमा रहेंगी।

(ज) पंजीयक, परिसमापक को दिये जाने वाले पारिश्रमिक की, यदि कोई हो, धनराशि नियत करेगा। पारिश्रमिक, परिसमापन के व्यय में सम्मिलित किया जायेगा, जो सोसाइटी की आस्तियों में से, अन्य समस्त दावों की तुलना में पूर्वता से, देय होगा।

(झ) परिसमापक उन व्यक्तियों को आव्हान-पत्र जारी कर सकेगा, जिनकी उपस्थिति साक्ष्य देने के लिये अथवा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिये अपेक्षित हो। वह ऐसे व्यक्तियों के साक्ष्य की संक्षिप्त टिप्पणी लेखबद्ध करेगा।

(ञ) यदि दावेदारों के पते-ठिकाने मालूम न होने के कारण या किसी अन्य कारण से परिसमापक द्वारा, किसी दायित्व का निर्वहन नहीं किया जा सकेगा, तो वह धनराशि जिससे ऐसे भारयुक्त दायित्व की पूर्ति होती हो, सहकारी बैंक में जमा की जायेगी और संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के दावों को पूरा करने के लिये उपलब्ध होगी।

(k) The liquidator shall have power to call meetings of members of the society under liquidation.

(l) At the conclusion of the liquidation, the liquidator shall call a general meeting of the members as they existed on the date of winding up of the society. The liquidator or any person authorised by him in writing in this behalf shall summarise the results of his proceedings in the meeting and report what sum, if any, remains in his possession after meeting all the liabilities of the society. If the bye-laws of the society do not describe the object to which the surplus assets, if any, have to be applied after liquidation, the liquidator shall proceed to take a vote of the members present to determme any object of public utility to which they have to be applied.

(m) After the liquidation proceedings of the society have been closed, the liquidator shall submit a final report as laid down in sub-section (3) of Section 71, to the Registrar together with a copy of the proceedings of the general meeting, if any, referred to in clause (1) and shall subject to the provisions of the said subsection hand over all the records of the society to such person as the Registrar may direct.

(n) The liquidator may, at any time, be removed by the Registrar and he shall on such removal be bound to be hand over all the property and documents relating to the society under liquidation to such person as the Registrar may direct.

(o) The liquidator shall keep such books and accounts as may from time to time be required to be kept by the Registrar, who may at any time cause such books and accounts to be audited. The liquidator shall pay such fees for the audit as may be levied under the Act.

58. Disposal of records of society whose registration is cancelled — All the books and records of a society whose registration has been cancelled and the proceedings of liquidation may be destroyed by the Registrar after the expiry of two years from the date of the order cancelling the registration of the society.

(ट) परिसमापक को परिसमापित होने वाली संस्था के सदस्यों की समय-समय पर बैठक बुलाने की शक्ति होगी।

(ठ) परिसमापन निपटने पर परिसमापक सोसाइटी के समापन के दिनांक को जो सदस्य थे उनकी साधारण सभा बुलायेगा। परिसमापक या उसके द्वारा लेखी में प्राधिकृत कोई व्यक्ति, सभा में उसके द्वारा की गई कार्यवाहियों के परिणामों का संक्षिप्त विवरण देगा तथा यह बतलाएगा कि सोसाइटी के समस्त दायित्वों का चुकारा करने के पश्चात् उसके आधिपत्य में कितनी रकम बची है। यदि सोसाइटी की उपविधियों में उस आशय का वर्णन नहीं किया गया हो जिसमें कि परिसमापन के पश्चात् शेष रही हुई पूंजी को लगाया जाये तो परिसमापक सार्वजनिक उपयोग का कोई प्रयोजन जिसमें कि उस पूंजी को लगाया जाये, निश्चित करने के लिये, उपस्थित सदस्यों का मत लेगा।

(ड) सोसाइटी के परिसमापन की कार्यवाही समाप्त करने के पश्चात् जैसा कि धारा 71 की उपधारा (3) में निर्देशित किया गया है परिसमापक पंजीयक को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जिसके संलग्न खण्ड (ठ) में उल्लिखित साधारण सम्मिलन, यदि कोई हो, की कार्यवाही की एक प्रति होगी और कथित उपधारा के उपबंधों के अधीन उस व्यक्ति को जैसा पंजीयक निर्देश दे, सोसाइटी के सभी अभिलेख सौंप देगा।

(ढ) परिसमापक किसी भी समय पंजीयक द्वारा हटाया जा सकेगा और इस प्रकार हटाये जाने पर वह परिसमापन के अधीन सोसाइटी से संबंधित समस्त सम्पत्ति तथा लिखतमों को ऐसे व्यक्ति को सौंपने के लिये आबद्ध होगा, जिसे पंजीयक निर्देशित करे।

(ण) पंजीयक समय-समय पर जैसी अपेक्षा करे वैसी ही पुस्तकें और हिसाब परिसमापक रखेगा तथा पंजीयक किसी भी समय ऐसी पुस्तकों और हिसाबों का आडिट करवा सकेगा। आडिट किये जाने का ऐसा शुल्क जो अधिनियम के अधीन आरोपित किया जाये परिसमापक देगा।

58. सोसाइटी जिसका पंजीयन निरस्त किया गया हो, उसके अभिलेखों का निराकरण—ऐसी सोसाइटी की, जिसका पंजीयन निरस्त कर दिया हो, समस्त पुस्तकें तथा अभिलेख तथा परिसमापन की कार्यवाहियाँ सोसाइटी का पंजीयन निरस्त करने की आज्ञा के दिनांक से दो वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् पंजीयक द्वारा नष्ट कर दी जा सकेगी।

[1][58-A. Procedure to be adopted by Official Assignee —The official assignee, appointed by the Registrar under sub-section (2) of Section 18-A, shall adopt the procedure to realise the assets and liquidate the liabilities as provided under Rules 57 and 58.]

[2][CHAPTER IX

APPEALS, REVISIONS AND REVIEW

59. Procedure to be followed for presenting of appeals, revisions and review — (1) An appeal to the Tribunal or the Registrar and revision or review to the Tribunal shall be presented by the appellant or the applicant, as the case may be, or by their duly appointed agent in the office of the appellate, revision or review authority either in person during office hours or sent to it by registered post.

(2) When such an appeal or application for revision or review is presented by an agent it shall be accompanied by the letter of authority of the appellant or applicant as the case may be, appointing him as such.

(3) Every appeal or application for revision or review shall be accompanied by a certified copy of the order against which the appeal or review is preferred.

(4) Every appeal or application of review or revision shall—

(a) be either type-written or hand written in ink legibility;

(b) specify the name and address of the appellant or applicant and also the name and address of the opponent, as the case may be;

(c) state by whom the order, against which the appeal or application of review or revision is preferred, was made;

(d) clearly state the grounds on which the appeal or application is made;

(e) state precisely the relief which the appellant or applicant claims; and

(f) give the date of the order against which the appeal or review or revision is preferred.

1. Ins. by notification No. F-5-7-94-XV-1, dated 21-7-95.
2. Subs. by notification No. F-5-2-99-XV-1, dated 1-5-99, for Chapter IX.

[1][58-क. शासकीय समनुदेशिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया—धारा 18-क की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त शासकीय समनुदेशिती, अनुश्रोतों को निर्मुक्त करने तथा दायित्वों का परिसमापन करने के लिये ऐसी प्रक्रिया अपनाएगा जो नियम 57 तथा 58 के अधीन उपबंधित है।]

[2][नवां अध्याय

अपीलें, पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन

59. अपील, पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन प्रस्तुत करने के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया—(1) अधिकरण या रजिस्ट्रार को अपील तथा अधिकरण को पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन, अपीलार्थी या आवेदक जैसी भी स्थिति हो, द्वारा या उनके सम्यक् रूप से नियुक्त अभिकर्ता द्वारा अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन प्राधिकारी के कार्यालय में या तो स्वयं कार्यालय समय में प्रस्तुत किया जायेगा या उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।

(2) जब अभिकर्ता द्वारा ऐसी अपील या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाए तो उसके साथ अपीलार्थी या आवेदनकर्ता जैसी भी स्थिति हो, द्वारा उस हैसियत में उसे (अभिकर्ता को) नियुक्त करने का प्राधिकार पत्र होगा।

(3) प्रत्येक अपील या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन के साथ इस आदेश की प्रमाणित प्रति होगी जिसके विरुद्ध अपील या पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है।

(4) प्रत्येक अपील या पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के लिए आवेदन—

(क) या तो टाइप किया हुआ या स्याही से हाथ से सुवाच्य रूप से लिखा हुआ होगा;

(ख) अपीलार्थी या आवेदक का नाम तथा पता, विरोधी का नाम तथा पता जैसी भी स्थिति हो, भी विनिर्दिष्ट होगा;

(ग) में इस संबंध में विवरण होगा कि वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील या पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण का आवेदन, प्रस्तुत किया गया है, किसके द्वारा किया गया था;

(घ) में स्पष्ट रूप से उन आधारों का विवरण होगा जिन पर अपील या आवेदन किया गया है;

(ङ) में उस अनुतोष का यथार्थत: विवरण होगा जिसका अपीलार्थी या आवेदक ने दावा किया है; और

(च) में उस आदेश की तारीख दी जाएगी जिसके विरुद्ध अपील या पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण किया गया है।

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-95 द्वारा अन्त:स्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-5-2-99-पन्द्रह-1, दिनांक 1-5-99 द्वारा अध्याय 9 प्रतिस्थापित।

(5) On receipt of the appeal or application for review or revision the Tribunal or the Registrar as the case may be shall endorse on it the date of its receipt.

[1][**59-A. Salary and other allowances, term and other conditions of service of the Chairman and Members of the Chhattisgarh State Co-operative Tribunal** — (1) **Salary, Allowances, Pension and other perquisites payable to the Chairman and Member of the Tribunal in the case of retirement during the term of appointment in the Tribunal** — When, Chairman or Member of the Tribunal, at the time of his appointment as such is a District Judge or a Departmental Member and during his tenure of Chairman or Member, he retires from the post of a District Judge, or from the Co-operative Department, as the case may be, in accordance with the terms and conditions applicable to him prior to his appointment as Chairman or Member, he shall continue as such till the completion of his tenure, for which he has been appointed and from date of retirement he shall be entitled to the last pay drawn and dearness pay and dearness allowance, interim relief and such other benefits appropriate to the last pay at the rates admissible from time to time to a District Judge, or to an officer of the Co-operative Department, minus pension (including any portion of pension which may have been commuted) and the pension equivalent of other retirement benefits if any as his pay and allowances.

(2) **Pay, Allowances & Other perquisites** — (i) When Chairman of the Tribunal at the time of his appointment as such, is a retired Judge of the High Court and is in receipt of or has become "entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity or otherwise, he shall be entitled to such monthly pay (including deamess allowance) as was admissible to him at the time of retirement as Judge of the High Court and all such other allowances as are admissible from time to time to a sitting Judge of the High Court, minus pension (including any portion of pension which may have been commuted) and the pension equivalent of other retirement benefits, if any, as his pay and allowances.

(ii) When the Chairman of the Tribunal, at the time of his appointment as such, is a District Judge, he shall be entitled to the same pay and allowances and other perks and facilities as are admissible to him as District & Sessions Judge (as a member of a Higher Judicial Service).

(iii) A Departmental Member at the time of his appointment is an officer of Co-operative Department he shall be entitled to the same pay and allowances admissible to him as an officer of Cooperative Department.

1. Section 59-A added by notification No. 3135-1157-99-XV, dated 14-10-99.

(5) अपील या पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण का आवेदन प्राप्त होने पर अधिकरण या रजिस्ट्रार जैसी भी स्थिति हो, उस पर उसकी प्राप्ति की तारीख को पृष्ठांकन करेगा।

[1][**59-क. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा अन्य भत्ते, सेवा के निबंधन तथा अन्य शर्तें**— (1) **अधिकरण में नियुक्ति की अवधि के दौरान सेवानिवृत्ति की दशा में अधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य को देय वेतन, भत्ते, पेंशन तथा अन्य परिलब्धियां**—जब अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य, उस रूप में अपनी नियुक्ति के समय जिला न्यायाधीश या विभागीय सदस्य है और अध्यक्ष या सदस्य है और अध्यक्ष या सदस्य की अपनी अवधि के दौरान वह अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के पूर्व उसे लागू निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार यथास्थिति जिला न्यायाधीश के पद से या सहकारिता विभाग से सेवानिवृत्त होता है तो वह अपनी अवधि के पूर्ण होने तक, जिस पर कि वह नियुक्त किया गया है, इस रूप में कार्य करता रहेगा और वह उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख से, अंतिम आहरित वेतन तथा महंगाई भत्ता, अंतरिम राहत तथा अंतिम वेतन से संगत ऐसे अन्य फायदों का ऐसी दरों पर, जो समय-समय पर जिला न्यायाधीश या सहकारिता विभाग के किसी अधिकारी को अनुज्ञेय हो, पेंशन को कम करते हुए (जिसमें पेंशन का ऐसा भाग सम्मिलित है जो सारांशीकृत किया जा सकता है) और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों के, यदि कोई हो, समतुल्य पेंशन अपने वेतन तथा भत्तों के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) **वेतन, भत्ते तथा अन्य परिलब्धियां**—(एक) जब अधिकरण का अध्यक्ष, इस रूप में अपनी नियुक्ति के समय, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति न्यायाधीश है और पेंशन, उपदान (ग्रेच्युटी) के तौर पर या अन्यथा कोई सेवा निवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार हो गया, तो वह ऐसा मासिक वेतन (महंगाई भत्ता सम्मिलित करते हुए) जो उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्ति के समय अनुज्ञेय है, पेंशन को कम करते हुए (जिसमें पेंशन का ऐसा भाग सम्मिलित है, जो सारांशीकृत किया जा सकता है) और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों, यदि कोई हो के समतुल्य पेंशन अपने वेतन तथा भत्तों के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा।

(दो) जब अधिकरण का अध्यक्ष, इस रूप में अपनी नियुक्त के समय, जिला न्यायाधीश है तो वह वही वेतन तथा भत्तों और अन्य पर्क एवं सुविधाओं का हकदार होगा जो उसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में) के रूप में अनुज्ञेय है।

(तीन) कोई विभागीय सदस्य जो अपनी नियुक्ति के समय सहकारिता विभाग का अधिकारी है तो वह वही वेतन तथा भत्तों का हकदार होगा, जो सहकारिता विभाग के अधिकारी के रूप में उसे अनुज्ञेय है।

1. अधिसूचना क्र. 3135-1157-99-XV, दिनांक 14-10-99 द्वारा 59-क जोड़ा गया।

(iv) The non-official Member shall receive an honorarium of rupees 150 per day—

(a) The officers and other employees of the Tribunal shall be entitled to draw pay and allowances at par with the State Government employees holding equivalent posts.

(b) In all matters like age of retirement, pensions, pay and allowances, other benefits and entitlements and disciplinary matters, the officers and other employees of the Tribunal shall be governed by the State Government Rules as applicable to persons holding equivalent posts.

(3) **Term of Office** — The Chairman and other Members of the Tribunal may hold office not more than 5 years in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (5) of Section 77 of the Act, or upto the age of 65 years whichever is earlier.

(4) **Headquarters of the Chairperson and the Members** — The headquarters of the Chairman and the Members shall be at Bhopal.

(5) **Hours of work and holidays** — The working hours and holidays for the Chairman and Members and their office shall be such as may be specified in the regulation :

Provided that till regulations are made the working hours and holidays for the Chairman and Member and their office shall be the same and observe such public holidays as observed by the Government of Chhattisgarh and such local holidays as are declared by the local authorities from time to time.

(6) **Leave** — (i) The Chairman and the Members shall be entitled to earned leave on full pay and allowance upto 1/11th of the period spent on duty :

Provided that they shall cease to earn such leave when the total leave earned exceeds 240 days* :

Provided further that the Chairman and the Departmental Member who at the time of his appointment as Chairman or Official Member was in the service of the State Government, the leave standing to his credit on the date of his appointment as Chairman or Official Member shall be carried forward and he may avail of such leave during his tenure as Chairman or Official Member:

Provided also that the Chairman and the Members who retire from the service of the Tribunal shall be entitled to the benefit of cash equivalent to leave salary in respect of earned leave at their credit on the date of their retirement subject to the maximum of 240 days.

* Author : Now should be 300 days, according to C.G. Leave Rules, 2010.

(चार) अशासकीय सदस्य 150 रुपये प्रतिदिन का मानदेय प्राप्त करेगा—

(क) अधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी समतुल्य पदों को धारण करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन तथा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ख) सेवानिवृत्ति आयु, पेंशन, वेतन तथा भत्ते, अन्य फायदों और हकों एवं अनुशासिक मामलों में अधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी, राज्य सरकार के नियमों से शासित होंगे, जो कि समतुल्य पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों को लागू हैं।

(3) **पदावधि**—अधिकरण का अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, अधिनियम की धारा 77 की उपधारा (5) के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार 5 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण कर सकेंगे।

(4) **अध्यक्ष तथा सदस्यों का मुख्यालय**—अध्यक्ष तथा सदस्यों का मुख्यालय रायपुर में होगा।

(5) **कार्य का समय तथा अवकाश**—अध्यक्ष तथा सदस्यों और उनके कार्यालय का कार्य का समय और अवकाश ऐसे होंगे जो विनिमय द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं :

परन्तु विनियम बनने तक अध्यक्ष तथा सदस्यों और उनके कार्यालय का कार्य का समय एवं अवकाश वे ही होंगे और ऐसे सार्वजनिक अवकाश माने जायेंगे जो कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा माने जाते हैं और ऐसे स्थानीय अवकाश माने जायेंगे जो कि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर घोषित किए जाएं।

(6) **छुट्टी**—(एक) अध्यक्ष तथा सदस्य, कर्तव्य पर बिताई गई कालावधि के 1/11 वें भाग तक पूर्ण वेतन तथा भत्ते पर अर्जित छुट्टी के हकदार होंगे :

परन्तु वे ऐसी छुट्टी अर्जित नहीं कर सकेंगे जब कुल अर्जित छुट्टी 240 दिन* से अधिक हो जाए :

परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष तथा विभागीय सदस्य की जो अध्यक्ष या शासकीय सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति के समय, राज्य सरकार की सेवा में थे, अध्यक्ष या शासकीय सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति की तारीख को उसके खाते में जमा छुट्टी अग्रनीत की जाएगी और वह अध्यक्ष या शासकीय सदस्य के रूप में उसकी अवधि के दौरान ऐसी छुट्टी ले सकेगा:

परन्तु यह भी कि अध्यक्ष तथा सदस्य, जो अधिकरण से सेवानिवृत्त होते हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख को उनके खाते में की अर्जित छुट्टी के संबंध में अधिकतम 240 दिन के अध्यधीन रहते हुए छुट्टी वेतन (लीव सेलेरी) के समतुल्य नकद के फायदे के हकदार होंगे।

* लेखकीय : छ.ग. अवकाश नियम, 2010 के अनुसार अब 300 दिन होना चाहिये।

(ii) The Chairman and Members shall be entitled to casual leave of thirteen days in a year.

(iii) In the matter of other types of leave the Chairman and the Official Member shall be governed by the rules and practices applicable before such appointment.

(7) **Authority competent to grant leave** — The authority competent to grant leave to the Chairman shall be the State Government and for the Members and Officers and staff of the Tribunal, the Chairman.

(8) **Travelling Allowances** — (a) The Chairman, while on tour or on transfer (including the journey undertaken to Join the Tribunal or on the expiry of his term with the Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to the travelling allowance, daily allowance, transportation of personal effects and other similar matters at the same scales and at the same rates as are specified for Principal Secretary to the Government.

(b) The Members shall be entitled to the travelling allowance, daily allowance and transportation of personal effects and other similar matters, at the scale and rates as admissible to Class I Officer of the State Government.

(c) The other conditions of service of Officers and Staff Members of the Tribunal shall be governed by the rules applicable to the officers and servants of the State Government in the same cadre.

(9) **Leave Travel Concession** — The Chairman, or a Member shall be entitled to the leave travel concession at the same rates and the same scales and on the same conditions as are applicable to Group "A" Officer of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 22,400-525-24,400 or above.

(10) **Facility for Medical Treatment** — The Chairman and the Members of the Tribunal and the Members of their families shall be entitled to such facilities for medical treatment and for accommodation in Government Hospitals as are admissible respectively to the Principal Secretary and the Class I Officer of the State Government and the Members of their families.

(11) **Facility of accommodation** — (a) The Chairman and the Members shall be entitled, for official residence, in accordance with such rules as may from time to time be made in this behalf by the State Government.

(b) The Chairman shall be entitled to the facility of official telephone at par with the head of the Departments of the Government and the Members shall be entitled to the same facility as was available to them before their appointment as Members.

(दो) अध्यक्ष तथा सदस्य एक वर्ष में तेरह दिन की आकस्मिक छुट्टी के हकदार होंगे।

(तीन) अन्य प्रकार की छुट्टियों के मामले में, अध्यक्ष तथा शासकीय सदस्य ऐसी नियुक्ति के पूर्व लागू नियमों तथा परम्पराओं द्वारा शासित होंगे।

(7) **छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी**—अधिकरण के अध्यक्ष को छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार तथा सदस्यों और अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अध्यक्ष होगा।

(8) **यात्रा भत्ता**—(क) अध्यक्ष, जब वह दौरे/टूर पर हो या उसका स्थानांतरण हो, (जिसमें अधिकरण में पद ग्रहण करने या अधिकरण में उसकी अवधि की समाप्ति पर उसके गृह नगर (होम टाउन) जाने के लिये की गई यात्रा सम्मिलित है), यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, वैयक्तिक चीजबस्त (पर्सनल इफेक्टस) का परिवहन तथा वैसे ही अन्य मामलों के लिए उन्हीं मापमानों तथा उन्हीं दरों पर हकदार होगा जैसा कि प्रमुख सचिव को अनुज्ञेय है।

(ख) सदस्य, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा वैयक्तिक चीजबस्त के परिवहन और वैसे ही अन्य मामलों के लिए उन्हीं मापमान और दरों पर हकदार होंगे जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी को अनुज्ञेय है।

(ग) अधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद की अन्य सेवा शर्तें, राज्य सरकार के उसी संवर्ग के अधिकारियों और सेवकों को लागू नियमों द्वारा शासित होगी।

(9) **छुट्टी यात्रा रियायत**—अध्यक्ष या कोई सदस्य उन्हीं दरों पर तथा उन्हीं मापमानों पर और उन्हीं शर्तों पर छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा जो रुपये 22400-525-24000 या उससे अधिक वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले केंन्द्रीय सरकार के समूह 'ए' अधिकारी को लागू है।

(10) **चिकित्सीय उपचार की सुविधा**—अधिकरण का अध्यक्ष तथा उसके सदस्य और उनके कुटुम्ब के सदस्य शासकीय अस्पतालों में चिकित्सीय उपचार और स्थान की ऐसी सुविधा के हकदार होंगे जो कि क्रमश: प्रमुख सचिव और राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी को और उनके कुटुम्बों के सदस्यों को अनुज्ञेय है।

(11) **स्थान की सुविधा**—(क) अध्यक्ष तथा सदस्य शासकीय निवास स्थान के लिए ऐसे नियमों के अनुसार हकदार होंगे जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, समय-समय पर बनाए जाएं।

(ख) अध्यक्ष, सरकार के विभागाध्यक्ष के समान शासकीय टेलीफोन की सुविधा का हकदार होगा और सदस्य उसी सुविधा के हकदार होंगे जो सदस्यों के रूप में उनकी नियुक्ति के पूर्व उन्हें उपलब्ध थी।

(12) **Conveyance Facility** — (i) The Chairman shall be entitled to the facility and use of Government car within the limit fixed for Principal Secretary.

(ii) There shall be staff car also in the office of the Tribunal.

(13) **Provident Fund** — Till the age of superannuation the Chairman and the Departmental Member shall be entitled to subscribe the General Provident Fund in accordance with the rules regulating the Provident Fund to which they were subscribing before their appointment as Chairman or Official Member.

(14) **Financial Powers** — The Chairman shall have all financial powers at par with the head of the Departments as are delegated under the book of financial powers.

(15) **Control & Discipline** — All Officers and Employees of the Tribunal shall be subject to the superintendence and control of the Chairman.

(16) The provisions of Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, and the M.P. Civil Services (Conduct) Rules, 1965, shall be applicable to the Officers and Employees of the Tribunal subject to the following :—

(a) In regard to Class IV, Class III and Class II employees the disciplinary authority shall be the Registrar of the Tribunal or such other Officer or Member as may be designated in this behalf by the Chairman.

(b) In regard to Class I Officers the disciplinary authority shall be the Chairman or such Member as may be designated in this behalf by the Chairman.

(c) Appeal shall lie to the Chairman against all orders which may be passed by the authority prescribed in Clause (a).

(d) Appeal shall He to the State Government against any order passed by the Chairman.

(e) The enquiry authority shall have power to issue notices to witnesses and to compel them to appear and give evidence or produce documents or both, as the case may be.

(17) The Members of the Tribunal shall be appointed by the Government in consultation with and prior approval of the Chairman.

(18) **Miscellaneous** — In respect of any other matter for which special provision is not made by these rules, the condition of service shall be governed by the Rules and the orders for the time being applicable to the Judge of a High Court of Chhattisgarh and as regards persons other than High Court Judge by the rules and orders for the time being applicable to the Services from which such person is drawn.]

(12) **वाहन सुविधा**—(एक) अध्यक्ष शासकीय कार की सुविधा तथा उपयोग का प्रमुख सचिव स्तर की सीमा के भीतर हकदार होगा।

(दो) अधिकरण के कार्यालय में एक स्टाफ कार भी होगी।

(13) **भविष्य निधि**—अध्यक्ष तथा विभागीय सदस्य, अधिवार्षिकी की आयु तक, उस भविष्य निधि को, जिसमें वे अध्यक्ष या शासकीय सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति के पूर्व अभिदाय कर रहे थे, विनियमित करने वाले नियमों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि में अभिदाय करने के हकदार होंगे।

(14) **वित्तीय शक्तियां**—अध्यक्ष को विभागाध्यक्षों के समान वे समस्त वित्तीय शक्तियां होंगी जो कि वित्तीय शक्तियों की पुस्तक के अधीन प्रत्यायोजित की गई हों।

(15) **नियंत्रण तथा अनुशासन**—अधिकरण के समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी, अध्यक्ष के अधीक्षण तथा नियंत्रण के अध्यधीन होंगे।

(16) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उपबंध अधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निम्नलिखित के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगे—

(क) चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणीय तथा द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी अधिकरण का रजिस्ट्रार या ऐसा अन्य अधिकारी या सदस्य होगा जो कि अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किया जाए।

(ख) प्रथम श्रेणी अधिकारियों के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी अध्यक्ष या ऐसा सदस्य होगा, जो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किया जाए।

(ग) खण्ड (क) में विहित प्राधिकारी द्वारा पारित समस्त आदेशों के विरुद्ध अपील अध्यक्ष को होगी।

(घ) अध्यक्ष द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील राज्य सरकार को होगी। जांच प्राधिकारी को साक्षियों को सूचना जारी करने उन्हें उपस्थित होने और साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने या दोनों के लिए, जैसी भी कि दशा हो, बाध्य करने की शक्ति होगी।

(17) अधिकरण के सदस्य सरकार द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से एवं पूर्व अनुमोदन से नियुक्त किये जायेंगे।

(18) **विविध**—किसी अन्य मामले के बारे में,जिसके लिए इन नियमों द्वारा विशेष उपबंध नहीं किया गया है, सेवा शर्त उन नियमों तथा आदेशों द्वारा शासित होंगी जो छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तत्समय लागू हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से भिन्न व्यक्तियों के संबंध में उन नियमों तथा आदेशों द्वारा शासित होंगी जो उस सेवा को, जिस सेवा से ऐसे व्यक्ति को लिया गया है, तत्समय लागू है।]

60. Procedure to be followed in disposing of appeals by the Registrar — (1) If the appellate authority finds that the appeal presented does not conform to any of the provisions of Rule 59 it shall make a note on the appeal to that effect and may call upon the appellant or his agent to remove the defects within a period of seven days of the receipt of notice to do so or in case the appeal has not been presented within the prescribed time limit to show cause within the said period why it should not be dismissed as time-barred by the appellate authority.

(2) If the defect is removed or the cause shown by the appellant or his agent satisfied the appellate authority, the appellate authority may proceed to consider the appeal.

(3) If the appellant or his agent fails to remove the defects or to show cause to the satisfaction of the appellate authority within the said period, the appellate authority may if the appeal is not presented within the time limit dismiss the appeal as time-barred. In cases where it is considered necessary to give a hearing, the appellate authority may fix a date for hearing, of which due notice shall be given to the appellant or his agent.

(4) On the date so fixed, the appellate authority shall examine the relevant record hear the appellant or his agent, if present, and pass appropriate order.

(5) The appellate authority may, at its discretion, adjourn the hearing for any other day at any stage.

(6) When the hearing of the appeal is completed, the appellate authority shall announce the judgment forthwith or may fix another date for the judgment.

(7) Every decision or order of the appellate authority shall be in writing and a copy of the same shall be supplied to the appellant and such other parties as in the opinion of the appellate authority are likely to be affected by the decision or the order.

61. Appeal against rejection of an application for membership — (1) Where an application for membership has been rejected under sub-section (4) of Section 19 an appeal shall lie to the Registrar.

(2) The provision of Rules 59 and 60 *mutatis-mutandis* apply to the presentation and disposal of the appeal under sub-rule (1).

60. रजिस्ट्रार द्वारा अपील को निपटाने के लिए अनुसरित विधि—(1) यदि अपील प्राधिकारी यह पाता है कि प्रस्तुत की गई अपील नियम 59 के किन्हीं उपबंधों के अनुसार नहीं है तो वह इस आशय की टिप्पणी अपील पर लिखेगा और अपीलार्थी या उसके अभिकर्ता से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी सूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर त्रुटियों का निराकरण करे या उस दशा में जबकि अपील विहित समय-समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई हो तो उक्त कालावधि के भीतर कारण दर्शाये कि काल-वर्जित हो जाने के कारण अपील प्राधिकारी द्वारा उसे क्यों न खारिज कर दिया जाए।

(2) यदि त्रुटि का निराकरण कर दिया जाता है या अपीलार्थी अथवा अभिकर्ता द्वारा दर्शाये गये कारणों से अपील प्राधिकारी का समाधान हो जाता है तो अपील प्राधिकारी अपील पर विचार करने के लिए अग्रसर हो सकेगा।

(3) यदि अपीलार्थी या उसका अभिकर्ता त्रुटियों का निराकरण करने में या उक्त कालावधि के भीतर अपील प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में कारण दर्शाने में असफल रहता है तो अपील प्राधिकारी, यदि अपील समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई है तो अपील कालवर्जित मानकर खारिज कर सकेगा। उन मामलों में, जहां सुनवाई किया जाना आवश्यक समझा जाए वहां अपील प्राधिकारी सुनवाई के लिए तारीख नियत कर सकेगा, जिसकी सम्यक् सूचना अपीलार्थी या उसके अभिकर्ता को दी जायेगी।

(4) इस प्रकार नियत की गई तारीख पर, अपील प्राधिकारी सुसंगत अभिलेख का परीक्षण करेगा, अपीलार्थी या उसके अभिकर्ता को, यदि उपस्थित हो तो सुनेगा और आदेश पारित करेगा।

(5) अपील प्राधिकारी, स्वविवेकानुसार किसी प्रक्रम पर किसी अन्य दिन के भीतर सुनवाई स्थगित कर सकेगा।

(6) जब अपील की सुनवाई पूर्ण हो जाए तो अपील प्राधिकारी तत्काल अपना निर्णय घोषित करेगा या निर्णय के लिए कोई अन्य तारीख नियत कर सकेगा।

(7) अपील प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय या आदेश लिखित में होगा तथा उसकी एक प्रति अपीलार्थी तथा अन्य ऐसे पक्षकारों को, जिनके कि अपील प्राधिकारी की राय में विनिश्चय या आदेश से प्रभावित होने की संभावना है, प्रदाय की जाएगी।

61. सदस्यता के लिए आवेदन अस्वीकृत किये जाने के विरुद्ध अपील—(1) यदि सदस्यता के लिए आवेदन धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन अस्वीकृत कर दिया जाए, तो उसकी अपील रजिस्ट्रार को होगी।

(2) नियम 59 या 60 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित उप-नियम (1) के अधीन अपील प्रस्तुत करने तथा उसके निपटारे के लिए लागू होंगे।

CHAPTER X
EXECUTION OF DECREES

62. Application for execution to Recovery Officer — (1) Any decree holder requiring the provisions of clause (c) of Section 85 to be applied shall apply to the Recovery Officer in whose jurisdiction the cause of action arose and shall deposit the necessary cost on a scale fixed by the Registrar. If the judgment- debtor resides or the property to be proceeded against is situated outside the jurisdiction of such Recovery Officer, the Recovery Officer shall transfer the application to the Recovery Officer in whose jurisdiction the judgment-debtor resides or the property is situated.

[1][(2) Every such application shall be made in the form prescribed by the Registrar, and shall be signed by the decree-holder. The decree-holder may indicate whether he wishes to proceed in the first instance against the immovable property mortgaged to the decree-holder or other immovable property or to secure the attachment of the movable properly. The decree-holder may also indicate whether he wishes to proceed for recovery under Rule 66 or 66 (A) of the rules :

Provided that it shall be open to the decree-holder at any stage of the proceedings under Rule 66 (A) to adopt the mode, of recovery under Rule 66 for reasons of quick and effective recovery. The Recovery Officer and the Sales Officer shall then act accordingly.]

(3) On receipt of the application, the Recovery Officer shall verify the correctness and genuineness of the particulars set forth in the application with the records, if any, in the office of the Registrar and prepare a demand notice in writing in duplicate in the form specified by the Registrar setting forth the name of the judgment-debtor and the amount due and forward it to the Sale Officer.

63. Procedure in execution — Unless the decree-holder has expressed a desire that proceedings should be taken in a particular order, as laid down in sub-rule (2) of Rule 62, execution shall ordinarily be taken in the following manner :—

(i) movable property of the judgment-debtor shall be first proceeded against, but shall not preclude the immovable property being proceeded against simultaneously in case of necessity;

1. Subs. by notification No. 269-4858-XV-70, dated 13-1-71.

अध्याय दस
जयपत्रों का निष्पादन

62. निष्पादन हेतु वसूली अधिकारी को आवेदन-पत्र—(1) धारा 85 खण्ड (ग) के उपबन्धों के लागू किये जाने की अपेक्षा करने वाला कोई भी जयपत्रधारी उस वसूली अधिकारी को, जिसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वाद का कारण उत्पन्न हुआ हो, आवेदन करेगा तथा पंजीयक द्वारा नियत मान से आवश्यक व्यय जमा करेगा। यदि निर्णीत ऋणी या वह सम्पत्ति, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी है, ऐसे वसूली पदाधिकारी के अधिकार क्षेत्र के बाहर निवास करता हो या स्थित हो, तो वसूली पदाधिकारी उस आवेदन-पत्र को उस वसूली पदाधिकारी को अंतरित करेगा जिसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सम्पत्ति स्थित हो, या निर्णीत ऋणी निवास करता हो।

[1][(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन-पत्र रजिस्ट्रार द्वारा विहित प्ररूप में प्रस्तुत किया जायेगा तथा डिक्रीधारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। डिक्रीधारी यह इंगित कर सकेगा कि वह प्रथम डिक्रीधारी के पक्ष में बन्धक की गई स्थावर सम्पत्ति या अन्य स्थावर सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहता है या जंगम सम्पत्ति की कुर्की को सुनिश्चित करना चाहता है। डिक्रीधारी यह भी इंगित कर सकेगा कि क्या वह डिक्री वसूली के लिये नियम 66 या 66-क अंतर्गत कार्यवाही करना चाहता है:

परन्तु नियम 66-क के अधीन कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, डिक्रीधारी इस बात के लिये स्वतंत्र होगा कि वह शीघ्र तथा प्रभावी वसूली के लिये नियम 66 के अधीन वसूली का ढंग अपनाये। वसूलीकर्ता पदाधिकारी तथा विक्रय पदाधिकारी तद्नुसार कार्यवाही करेंगे।]

(3) आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर वसूली पदाधिकारी आवेदन-पत्र में दिये गये विवरणों की शुद्धता तथा सत्यता की, पंजीयक कार्यालय के अभिलेखों से, यदि कोई हो, जांच करेगा और पंजीयक द्वारा नियत रूप में दो प्रतियों में एक लिखित मांग सूचना-पत्र उसमें निर्णीत ऋणी का नाम तथा प्राप्त धन राशि बतलाते हुए तैयार करेगा और उसे विक्रय पदाधिकारियों को प्रेषित करेगा।

63. निष्पादन की प्रक्रिया—जब तक जयपत्रधारी ने यह इच्छा प्रकट न की हो कि कार्यवाही विशेषक्रम में, जैसा कि नियम 62 के उपनियम (2) में दिया गया है, की जाना चाहिये, तब तक प्रवर्तन साधारणत: निम्नलिखित रीति में किया जायेगा—

(एक) प्रथमत: निर्णीत ऋणी की जंगम सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी, किन्तु इससे आवश्यक होने पर साथ ही साथ स्थावर सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने में रुकावट नहीं होगी।

1. अधिसूचना क्र. 269-4858-पन्द्रह-70, दिनांक 13-1-71 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ii) if there is no movable property, or if the sale proceeds of the movable property or properties attached and sold are insufficient to meet in full the demand of the decree-holder, the immovable property belonging to the judgment-debtor may be proceeded against.

64. Attachment and sale of specific movable property including crops on land — In the attachment and sale of movable property, the following rules shall be observed :—

(a) The Sale Officer shall, after giving previous notice to the decree-holder, proceed to the village where the judgment-debtor resides, or the property to be attached is situated and served a demand notice upon the judgment-debtor, if he is present. If the amount due together with the expenses be not at once paid, the Sale Officer shall make the attachment by seizure or otherwise and shall immediately deliver to the judgment-debtor a list or inventory of the property attached and an intimation of the place and the day and hour at which the attached property will be brought to sale if the amounts due are not previously discharged. If the judgment-debtor is absent, the Sale Officer shall serve the demand notice on some adult male member of his family, or on his authorised agent, or where such service cannot be effected, shall affix a copy of the demand notice on some conspicuous part of his residence. He shall then proceed to make the attachment and shall fix the list of property attached on the usual place of residence of the judgment-debtor, endorsing thereon the place where the property may be lodged or kept and an intimation of the place, day and hour of sale.

(b) After the attachment is made, the Sale Officer may arrange for the custody of the property attached, with the decree-holder or otherwise. If the Sale Officer requires the decree-holder to undertake the custody of the property he shall be bound to do so and any loss incurred owing to his negligence shall be made good by the decree-holder. If the attached property is live-stock, the decree-holder shall be responsible for providing the necessary fodder therefor. The Sale Officer may, at the instance of the judgment-debtor or of any other person claiming an interest in such property, leave it in the village or place where it was attached, in the charge of such judgment-debtor or person, if he enters into a bond in the form specified by the Registrar with one or more sufficient sureties for the production of the property when called for.

(दो) यदि कोई जंगम सम्पत्ति न हो अथवा यदि जप्त एवं बेची गई चल संपत्ति या संम्पत्तियों का विक्रयधन जयपत्र धारी की मांग पूर्णता पूर्ति करने के लिये अपर्याप्त हो तो निर्णीत ऋणी की स्थावर सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

64. जमीनी फसलों सहित विशिष्ट जंगम संपत्ति की जप्ती और विक्रय— जंगम सम्पत्ति की जप्ती तथा विक्रय में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा—

(क) विक्रय पदाधिकारी जयपत्र धारी को सूचना देने के पश्चात् उस गांव को जावेगा जहां निर्णीत ऋणी निवास करता है या कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति स्थित है, और निर्णीत ऋणी पर, यदि वह उपस्थित हो, मांग सूचना-पत्र का निर्वाह करेगा। यदि प्राप्य धनराशि का व्ययों सहित तत्काल भुगतान न किया जाये, तो विक्रय पदाधिकारी अभिग्रहण अथवा अन्य रूप से कुर्की करेगा तथा कुर्क की गई सम्पत्ति की सूची या विवरण सूची निर्णीत ऋणी के तुरन्त हवाले करेगा और उसे स्थान तथा दिन एवं समय की जानकारी देगा जहां कुर्क की गई सम्पत्ति यदि देय रकम का पूर्व में भुगतान न किया गया तो विक्रय के लिये लाई जायेगी। यदि निर्णीत ऋणी अनुपस्थित हो तो विक्रय पदाधिकारी उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य पर या उसके प्राधिकृत कार्य-प्रतिनिधि पर मांग सूचना-पत्र का निर्वाह करेगा या जहां ऐसा निर्वाह न किया जा सकता हो, तो उसके निवास के किसी सहज गोचर स्थान पर मांग सूचना-पत्र की प्रतिलिपि चिपकायेगा। वह तब कुर्की की कार्यवाही करेगा और निर्णीत ऋणी के निवास के सामान्य स्थान पर जप्त की गई सम्पत्ति की सूची चिपकायेगा जिस पर वह स्थान जहां सम्पत्ति रखी जायेगी तथा विक्रय के स्थान, दिन एवं समय की जानकारी, पृष्ठांकित की जायेगी।

(ख) कुर्की करने के पश्चात् विक्रय पदाधिकारी जप्त सम्पत्ति के अभिरक्षण की जयपत्र धारक के पास या अन्यथा व्यवस्था करेगा। यदि विक्रय पदाधिकारी जयपत्र धारी को संपत्ति का अभिरक्षण लेने के लिये आदेश दे तो वह ऐसा करने के लिये बाध्य होगा तथा उसकी लापरवाही के कारण हुई कोई भी हानि जयपत्रधारी द्वारा पूरी की जायेगी। यदि जप्त संपत्ति पशुधन हो तो जयपत्र धारी उसके लिये आवश्यक चारे की व्यवस्था करने के लिये उत्तरदायी होगा। विक्रय पदाधिकारी निर्णीत ऋणी की या ऐसी संपत्ति में हित का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के कहने पर, उस सम्पत्ति को उस गांव या स्थान में जहां वह जप्त की गई थी, ऐसे निर्णीत ऋणी या व्यक्ति की देखभाल में छोड़ देगा यदि वह मांग किये जाने पर सम्पत्ति को प्रस्तुत करने के लिये एक या अधिक पर्याप्त जमानतदारों के सहित पंजीयक द्वारा नियत रूप में बंधक पत्र लिख दे।

(c) No attachment shall be made after sunset and before sunrise.

(d) The attachment made shall not be excessive, that is to say, the property attached shall be in value as nearly as possible proportionate in the sum due by the judgment-debtor, together with interest and all expenses incidental to the attachment and sale.

(e) If crops or ungathered products of the land belonging to a judgment-debtor are attached, the Sale Officer may cause them to be sold when fit for reaping or gathering, or at his option may cause them to be reaped or gathered in due season and stored in proper place until sold. In the latter case the expenses of reaping or gathering and storing such crops or products shall be defrayed by the owner upon his redeeming the property or from the proceeds of the sale in the event of its being sold.

(f) The Sale Officer shall not work the bullocks or cattle, or make use of the goods or movables attached and he shall provide the necessary fodder for the cattle or live-stock, the expenses attending which shall be defrayed by the owner upon his redeeming the property, or from the proceeds of the sale in the event of its being sold.

(g) It shall be lawful for the Sale Officer to force upon any stable, cow-house, granary, godown, out-house or other building and he may also enter any dwelling house the outer door of which may be open and may break open the door of any room in such dwelling house for the purpose of attaching property belonging to a judgment-debtor and lodged therein, provided always that it shall not be lawful for him to break open or enter apartment in such dwelling-house appropriated for the zanana or residence of women except as hereinafter provided.

(h) Where the Sale Officer may have reason to suppose that the property of a judgment-debtor is lodged within a dwelling-house, the outer door of which may be shut or within any apartment appropriated to women, which by custom or usage are considered private, the Sale Officer shall report the fact to the Officer-in-charge of the nearest police station. On such report the Officer-in-charge of the said station shall send a police officer to the spot in the presence of whom the Sale Officer may force open the outer door of such dwelling-house or break open the door of any room within the house

(ग) सूर्यास्त के पश्चात् तथा सूर्योदय के पूर्व कोई कुर्की नहीं की जावेगी।

(घ) की गई कुर्की अत्यधिक नहीं होगी, अर्थात् जप्त की गई सम्पत्ति मूल्य में यथासंभव निर्णीत ऋणी से ब्याज सहित प्राप्य धन राशि तथा जप्ती, एवं विक्रय से आनुषंगिक समस्त व्ययों के अनुपात में होगी।

(ङ) यदि निर्णीत ऋणी की फसलें या एकत्रित न की गई भूमि की उपजें जप्त की जाये तो विक्रय पदाधिकारी, जब वे काटने या एकत्रित करने योग्य हो जायें, उनका विक्रय करवायेगा या स्वयं के विकल्प से उपयुक्त मौसम में उनको कटवायेगा, एकत्रित करवायेगा और विक्रय होने तक उचित स्थानों में उनका संग्रह करवायेगा। पश्चात्वर्ती दशा में ऐसी फसलों या उपजों की कटाई या एकत्रित करने तथा उनको संग्रह करने के व्यय, स्वामी द्वारा सम्पत्ति का मोचन कराने पर या उसके विक्रय की दशा में विक्रय से प्राप्त धनों में से चुकाये जायेंगे।

(च) विक्रय पदाधिकारी बैलों या पशुओं से काम न लेगा और न जप्त वस्तुओं या जप्त सम्पत्ति को उपयोग में लायेगा तथा वह पशुओं या पशुधन के लिये आवश्यक चारे की व्यवस्था करेगा जिसमें होने वाले व्यय, स्वामी द्वारा सम्पत्ति का मोचन कराने पर,या उसके विक्रय की दशा में विक्रय से प्राप्त धनों से चुकाये जायेंगे।

(छ) विक्रय पदाधिकारी के लिये किसी भी अस्तबल, गौशाला, अन्न भण्डार, गोदाम, बाह्गृह, (आउट हाउस) या अन्य भवन को बलपूर्वक खोलना, वैध होगा तथा वह किसी भी कक्ष का दरवाजा, कक्ष में रखी हुई, निर्णीत ऋणी की संपत्ति को जप्त करने के आशय के लिये तोड़कर खोल सकेगा; किन्तु यह प्रतिबंध सदैव है कि उसके लिये वह वैध नहीं होगा कि वह ऐसे निवास-गृह में अत्र पश्चात् आदेशित किये गये के अतिरिक्त, जनाना के लिये या महिलाओं के निवास के लिये अलग किये गये किसी कक्ष का दरवाजा तोड़े या उसमें प्रवेश करे।

(ज) जब विक्रय पदाधिकारी को यह अनुमान करने का कारण हो कि निर्णीत ऋणी की सम्पत्ति उस निवास गृह के भीतर रखी हुई है, जिसका बाह्य दरवाजा बन्द हो या किन्हीं ऐसे कमरों में रखी हुई है जो स्त्रियों के उपयोगार्थ हो और रीति-रिवाज या प्रथा के कारण प्रायवेट समझे जाते हैं तो वह निकटतम थाने के कार्यवाहक पदाधिकारी को उस बात की रिपोर्ट करेगा। ऐसी रिपोर्ट पर उक्त थाने के कार्यवाहक पदाधिकारी उस स्थान को पुलिस पदाधिकारी भेजेगा, जिसकी उपस्थिति में विक्रय पदाधिकारी ऐसे निवासगृह का दरवाजा बाह्य बलपूर्वक खोल सकेगा अथवा घर के अंदर महिलाओं के लिये सुरक्षित के अतिरिक्त किसी भी कक्ष का दरवाजा

except the room appropriated by women. The Sale Officer may also, in the presence of the police officer after due notice given for the removal of women within a zanana and after furnishing means for their removal in a suitable manner, if they be women of rank who, according to the custom or usage cannot appear in public, enter the zanana apartments for the purpose of attaching the judgment-debtor's property, if any, deposited therein, but such property, if found, shall be immediately removed from such apartments after which they shall be left free to the former occupants.

(i) The Sale Officer shall cause proclamation of the time and place of the intended sale to be made by beat of drum in the village in which the judgment-debtor resides and in such other place or places as the Sale Officer may consider necessary to give due publicity to the sale. No sale shall take place until after the expiration of the period of fifteen days from the date on which the sale notice has been served or affixed in the manner prescribed in clause (a) :

Provided that where the property attached is subject to speedy and natural decay or where the expenses of keeping it in custody is likely to exceed its value, the Sale Officer may sell it at any time before the expiry of the said period of fifteen days, unless the amount due is sooner paid.

(j) At the appointed time, the property shall be put for sale in one or more lots, as the Sale Officer may consider advisable, and shall be disposed of to the highest bidder :

Provided that it shall be open to the Sale Officer to decline to accept the highest bid where the price offered appears to be unduly low or for other reasons. Where the property is sold for more than the amount due, the excess amount, after deducting the interest and the expenses of process and the other changes, shall be paid to the judgment-debtor :

Provided further that the Recovery Officer or the Sale Officer may, in his discretion, adjourn the sale to a specified day and hour recording his reasons for such adjournment. Where the sale is so adjourned for a longer period than seven days, a fresh proclamation under clause (i) shall be made unless the judgment-debtor consents to waive it.

तोड़कर खोल सकेगा। विक्रय पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में जनाना के भीतर से महिलाओं को हटने की विधिवत सूचना देने के पश्चात् तथा उनके हटने के लिये समुचित रीति में सुविधाएं देने के पश्चात् यदि वे ऐसी सभ्रांत महिलाएं हों जो रीति-रिवाज या रुढ़ि के अनुसार सर्वसाधारण के समक्ष न आ सकती हों, निर्णीत ऋणी की सम्पत्ति यदि कोई वहां रखी हो, कुर्क करने के आशय के लिये जनाना कक्षों से हटा दी जायेगी जिसके पश्चात् वे पूर्ववर्ती अधिवासियों के लिये खुले छोड़ दिये जायेंगे।

(झ) विक्रय पदाधिकारी उस गांव में जिसमें निर्णीत ऋणी निवास करता हो या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में जिनमें विक्रय का समुचित प्रचार करना विक्रय पदाधिकारी आवश्यक समझे, किये जाने वाले विक्रय के समय तथा स्थान की डोंडी पिटवाकर घोषणा करवाएगा। कोई भी विक्रय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस दिनांक से जिसको विक्रय सूचना-पत्र जारी किया गया हो, या वह खण्ड (क) में नियत विधि से चिपकाया गया हो, 15 दिन समाप्त न हो जाए :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि जब हस्तगत की गई सम्पत्ति शीघ्रता से तथा प्राकृतिक रूप से क्षयशील हो या उसको अभिरक्षण में रखने के व्ययों की उसके मूल्य से अधिक होने की संभावना हो, तो विक्रय पदाधिकारी उसे 15 दिन की उक्त अवधि के समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय, यदि प्राप्य धनराशि का उसके पूर्व भुगतान न कर दिया गया हो, बेच सकेगा।

(ञ) नियत समय पर संपत्ति एक या अधिक लाट में, जैसा कि विक्रय पदाधिकारी उचित समझें, विक्रय के लिये रखी जायेगी तथा सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी जाएगी :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि विक्रय पदाधिकारी सबसे ऊंची बोली को, यदि लगाया गया मूल्य उसको अत्यधिक कम प्रतीत हो, या किन्हीं अन्य कारणों से, अस्वीकृत कर सकेगा। जबकि सम्पत्ति बकाया रकम से अधिक में बेची जाये, तो अतिरिक्त धनराशि ब्याज तथा निर्वाह के व्यय एवं अन्य व्यय काट लेने के पश्चात् निर्णीत ऋणी को दे दी जायेगी;

यह प्रतिबंध और है कि वसूली पदाधिकारी या विक्रय पदाधिकारी अपने विवेकानुसार किसी निर्दिष्ट दिन तथा समय के लिये विक्रय को स्थगित कर सकेगा और ऐसे स्थगन के लिये कारण लेखबद्ध करेगा। जब विक्रय 7 दिन से अधिक काल के लिये इस प्रकार स्थगित किया जाये, तो खण्ड (झ) के अधीन नवीन घोषणा की जायेगी, जब तक कि निर्णीत ऋणी उसके न किये जाने के लिये सहमत न हो जाये।

(k) The property sold shall be paid for in cash at the time of sale, or as soon thereafter as the officer holding the sale shall appoint, and the purchaser shall not be permitted to carry away any part of the property until he has paid for it in full. If the purchaser fails in the payment of purchase money, the property shall be resold.

(l) Where it is proved to the satisfaction of any Civil Court of competent jurisdiction that any property which has been attached under these rules has been forcibly or clandestinely removed by any person, the Court may order forthwith such property to be restored to the Sale Officer.

(m) Where prior to the day fixed for sale, the judgment-debtor or any person acting on his behalf or any person claiming an interest in the property attached, pays the full amount due including interest, bhatta and other costs incurred in attaching the property, the Sale Officer shall cancel the order of attachment and release the property forthwith.

(n) The movable properties exempted from attachment by the proviso to Section 60 of the Code of Civil Procedure, 1908, shall not be liable to attachment or sale under these rules.

65. Attachment of other movable property — (1) Where the movable property to be attached is the salary or allowance or wages of a public officer or a railway servant or a servant of a local authority or a firm or a company, the Recovery Officer may, on receiving a report from the Sale Officer, order that the amount shall, subject to the provisions of Section 60 of the Code of Civil Procedure, 1908, be withheld from such salary or allowance or wages, either in one payment or by monthly instalments as the Recovery Officer may direct and upon receipt of an order, the officer or other person whose duty is to disburse such salary or allowance or wages shall withhold and remit to the Sale Officer, the amount due under the order or the monthly instalment, as the case may be.

(2) Where the property to be attached consists of the share or interest of the judgment-debtor in movable property belonging to him and another as co-owners, the attachment shall be made by a notice to the judgment-debtor, prohibiting him from transferring the share or interest or charging it in any way.

(ट) सम्पत्ति के विक्रय धन का भुगतान विक्रय के समय या उसके पश्चात् यथा संभव शीघ्र जैसा विक्रय कराने वाला पदाधिकारी नियत करेगा, नगदी में किया जाएगा तथा क्रेता को सम्पत्ति का कोई भी भाग तब तक ले जाने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने उसका पूर्ण भुगतान न कर दिया हो। यदि क्रेता क्रय धन का भुगतान न करे, तो सम्पत्ति को पुनः विक्रय किया जायेगा।

(ठ) जहां सक्षम विचाराधिकार के किसी सिविल न्यायालय की तुष्टि में यह सिद्ध हो जाये कि इन नियम के अधीन कुर्क किसी भी सम्पत्ति को किसी व्यक्ति द्वारा बलात या प्रच्छन्न रूप से हटा दिया गया है, तो न्यायालय तुरन्त ही यह आज्ञा दे सकेगा कि ऐसी सम्पत्ति विक्रय पदाधिकारी को वापस की जाये।

(ड) जब विक्रय के लिये नियत दिन से पूर्व निर्णीत ऋणी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति अथवा जप्त सम्पत्ति में हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, बकाया संपूर्ण धनराशि का जिससे ब्याज, भत्ता तथा सम्पत्ति को जप्त करने में हुए अन्य व्यय सम्मिलित होंगे, भुगतान कर दे तो विक्रय पदाधिकारी जप्ती की आज्ञा को निरस्त कर देगा तथा उस सम्पत्ति को तुरन्त मुक्त कर देगा।

(ढ) जो चल सम्पत्तियां, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60 के परन्तुक में जप्ती से मुक्त की हुई हैं, इन नियमों के अधीन जप्ती या बिक्री के योग्य नहीं होगी।

65. अन्य जंगम सम्पत्ति की जप्ती—(1) यदि जप्त की जाने वाली जंगम सम्पत्ति, लोक अधिकारी, या रेल्वे के सेवक या स्थानीय प्राधिकरण के सेवक या किसी फर्म या कंपनी के सेवकों का वेतन, भत्ता या मजदूरी है, तो वसूली पदाधिकारी विक्रय पदाधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60 के आदेशों के अधीन रहते हुए आदेश दे सकेगा कि वह धनराशि ऐसे वेतन या भत्ता या मजदूरी में से या एक ही भुगतान में अथवा मासिक किश्तों द्वारा जैसा उक्त वसूली पदाधिकारी निर्देशित करे, रोक ली जावे तथा उस आदेश की प्राप्ति पर वह पदाधिकारी या वह व्यक्ति जिसका कर्तव्य ऐसे वेतन या भत्ता या मजदूरी बांटना है उस आदेश के अधीन देय धनराशि या मासिक किश्तों को जैसी भी दशा हो, रोक लेगा तथा विक्रय पदाधिकारी की ओर भेज देगा।

(2) जहां जप्त की जाने वाली सम्पत्ति निर्णीत ऋणी के उस चल सम्पत्ति में होने वाले अंश या हित के रूप में हो, जिस पर उसका तथा अन्य व्यक्ति का सहस्वामी के रूप में स्वामित्व हो, तो जप्ती निर्णीत ऋणी को, उस अंश या हित को अन्तरित करने से या किसी प्रकार से प्रभावित करने से रोकते हुए, सूचना पत्र देकर की जायेगी।

(3) Where the property to be attached is a negotiable instrument not deposited in a Court, nor in the custody of a public officer, the attachment shall be made by actual seizure and the instrument shall be brought to the office of the Recovery Officer ordering the attachment and be held subject to his further orders.

(4) Where the property to be attached is in the custody of any Court or public officer, the attachment shall be made by a notice to such Court or officer, requesting that such property and any interest or dividend becoming payable thereon may be held subject to the further orders of the Recovery Officer issuing the notice :

Provided that where such property is in the custody of a Court or any other Recovery Officer, any question of title or priority arising between the decree-holder and any other person, not being the judgment-debtor, claiming to be interested in such property by virtue of assignment, attachment or otherwise shall be determined by such Court or Recovery Officer, as the case may be.

Explanation — In this rule, a public officer includes a liquidator appointed under Section 70.

(5) (i) Where the property to be attached is a decree either for the payment of money or for sale in enforcement of a mortgage or charge, the attachment shall be made, if the decree sought to be attached was passed by the Registrar or by a nominee or Board of nominees to whom a dispute has been transferred by the Registrar under Section 66, by the order of the Registrar.

(ii) Where the Registrar makes an order under clause (i) he shall, on the application of the decree-holder, who has attached the decree, proceed to execute the attached decree and apply the net proceeds in satisfaction of the decree sought to be executed.

(iii) The holder of a decree sought to be executed by the attachment of another decree of the nature specified in clause (i), shall be deemed to be the representative of the holder of the attached decree and to be entitled to execute such attached decree in any manner for the holder thereof.

(iv) Where the property to be attached in execution of a decree is a decree other than a decree of the nature referred to in clause (i), the attachment shall be made by the issue of a notice by the Recovery Officer to the holder of such decree prohibiting him from transferring or charging the same in any way.

(3) जहां जप्त की जाने वाली संपत्ति ऐसा पराक्राम्य संलेख है जो न तो न्यायालय में जमा हो और न किसी पदाधिकारी के अभिरक्षण में हों, तो जप्ती वास्तविक हस्तगन द्वारा की जावेगी तथा संलेख जप्ती की आज्ञा देने वाले वसूली पदाधिकारी के कार्यालय में लाया जायेगा तथा उसे आगे दिये जाने वाले आदेशों के अधीन रखा जायेगा।

(4) जहां जप्त की जाने वाली संपत्ति किसी न्यायालय या लोक अधिकारी के अभिरक्षण में हो, तो जप्ती ऐसे न्यायालय या पदाधिकारी को सूचना-पत्र देकर की जायेगी, जिसमें यह निवेदन किया जावेगा कि ऐसी संपत्ति तथा उस पर होने वाले प्राप्य ब्याज या लाभांश, सूचना-पत्र जारी करने वाले वसूली पदाधिकारी के आगामी आदेश के अधीन रखे जावे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसी सम्पत्ति किसी न्यायालय या किसी अन्य वसूली पदाधिकारी के अभिरक्षण में हों, जयपत्र धारी तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच, जो निर्णीत ऋणी न हो और किसी स्वत्वार्पण जप्ती या अन्य आधार पर ऐसी सम्पत्ति में हित रखने का दावा रखता हो, उत्पन्न होने वाले स्वत्वाधिकार या अग्रिमता (priority) संबंधी किसी प्रश्न का निराकरण ऐसे न्यायालय या वसूली पदाधिकारी जैसी भी दशा हो, के द्वारा किया जावेगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम में 'लोक अधिकारी' में धारा 70 के अधीन नियुक्त परिसमापक भी सम्मिलित है।

(5) (एक) जहां जप्त की जाने वाली सम्पत्ति या तो धन का भुगतान करने के लिये अथवा बन्धक या प्रभार के प्रवर्तन में विक्रय के हेतु जयपत्र हो, तो यदि जयपत्र, जिसके लिये जप्ती की जाना है, पंजीयक या नाम निर्दिष्ट व्यक्ति या नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के मंडल जिसका विवाद धारा 66 के अधीन पंजीयक के आदेश द्वारा अंतरित किया गया था, दिया गया हो तो जप्ती पंजीयक के आदेश से की जायेगी।

(दो) जहां पंजीयक खण्ड (1) के अधीन आदेश दे तो वह जयपत्र धारी के आवेदन-पत्र पर जिसने व्ययपत्र जप्ती किया हो, के प्रवर्तन के लिये कार्यवाही करेगा और शुद्ध प्राप्ति को उस जयपत्र की भरपाई में लगाएगा, जिसका प्रवर्तन चाहा गया हो।

(तीन) खण्ड (एक) में निर्दिष्ट प्रकार के अन्य जयपत्र की जप्ती द्वारा प्रवर्तन चाहे जाने वाले जयपत्र का धारक जप्त किये हुए जयपत्र के धारक का प्रतिनिधि समझा जावेगा और ऐसे जप्त जयपत्र का प्रवर्तन किसी भी रीति से उसके धारक के लिये, करने का अधिकारी होगा।

(चार) जहां ऐसे जयपत्र के प्रवर्तन में जप्त की जाने वाली सम्पत्ति खण्ड (एक) में उल्लिखित प्रकार के जयपत्र से भिन्न जयपत्र हो, तो जप्ती वसूली पदाधिकारी द्वारा ऐसे जयपत्र के धारक को उस सम्पत्ति को अन्तरित करने या किसी भी रीति में उसे प्रभारित करने से निषिद्ध करते हुए सूचना-पत्र देकर की जावेगी।

(v) The holder of a decree attached under this sub-rule, shall give the Recovery Officer executing the decree such information and aid as may reasonably be required.

(vi) On the application of the holder of a decree sought to be executed by the attachment of another decree, the Recovery Officer making an order of attachment under this sub-rule shall give notice of such order to the judgment-debtor bound by the decree attached; and no payment or adjustment of the attached decree made by the judgment-debtor in contravention of such order after receipt of notice thereof, either through the said Recovery Officer or otherwise, shall be recognised so long as the attachment remains in force.

(6) Where the movable property to be attached is—

(a) a debt due to the judgment- debtor is question:

(b) a share in the capital of a corporation or a deposit invested therein; or

(c) other movable property not in the possession of the judgment-debtor, except property deposited in or in the custody of any Civil Court, the attachment shall be made by a written order signed by the Recovery Officer prohibiting—

(i) in the case of a debt, the creditor from recovering the debt and the debtor from making payment thereof;

(ii) in the case of a share or deposit, the person in whose name the share or the deposit may be standing, from transferring the share or deposit or receiving any dividend or interest thereon; and

(iii) in the case of any other movable property except aforesaid, the person in possession of it from giving it over to the judgment-debtor.

A copy of such order shall be sent in the case of the debt to the debtor, in the case of the share or deposit to the proper officer of the corporation and in the case of the other movable property except property deposited in or in the custody of a Civil Court, to the person in possession of such property. As soon as the debt referred to in clause (a) or the deposit referred to in clause (b) matures, the Recovery Officer may direct the person concerned to pay the amount to him. Where the share is not withdrawable, the said Recovery Officer shall arrange for its sale through a broker. Where the share is withdrawable, its value shall be paid to the Recovery Officer or to the party referred to in clause (c), the person concerned shall place it in the hands of the Recovery Officer as it becomes delivered to the judgment-debtor.

(पांच) इस उपनियम के अधीन जप्त किये गये जयपत्र का धारक जयपत्र का प्रवर्तन करने वाला वसूली पदाधिकारी को ऐसी जानकारी तथा सहायता देगा, जैसी समुचित रूप से अपेक्षा की जाये।

(छः) किसी अन्य जयपत्र की जप्ती द्वारा प्रवर्तन चाहे गये जयपत्र के धारक के प्रार्थना पत्र देने पर, इस उपनियम के अधीन जप्ती की आज्ञा देने वाला वसूली पदाधिकारी, ऐसे आदेश की सूचना जप्त किये हुए जयपत्र से बाध्य निर्णीत ऋणी को देगा, और जप्त जयपत्र के निर्णीत ऋणी द्वारा, उक्त वसूली पदाधिकारी के द्वारा या अन्यथा रूप में आदेश की सूचना पाने के पश्चात् ऐसे आदेश के उल्लंघन में किया गया कोई भुगतान या समायोजन तब तक मान्य नहीं किया जायेगा, जब तक कि जप्ती प्रभावशील रहे।

(6) जहां जप्त की जाने वाली जंगम सम्पत्ति—

(क) सम्बन्धित निर्णीत ऋणी को प्राप्य कोई ऋण हो,

(ख) किसी निगम की पूंजी में कोई अंश (शेयर) या उसमें लगाया गया कोई जमा धन हो, अथवा

(ग) किसी सम्पत्ति न्यायालय में जमा की गई या उसके अभिरक्षण में रखी गई संपत्ति के अतिरिक्त अन्य जंगम सम्पत्ति हो, जो निर्णीत ऋणी के आधिपत्य में हो, तो जप्ती वसूली पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित आदेश द्वारा निम्न प्रकार से निषिद्ध करते हुए की जायेगी—

(एक) ऋण की दशा में लेनदार को ऋण वसूल करने तथा ऋणी को उसका भुगतान करने से;

(दो) अंशों या जमा धन की दशा में उस व्यक्ति को जिसके नाम से अंश या जमाधन हो, अंश या जमाधन को अंतरित करने या उस पर कोई लाभांश या ब्याज प्राप्त करने से; तथा

(तीन) पूर्व कथित के अतिरिक्त अन्य जंगम सम्पत्ति की दशा में, उस व्यक्ति को जिसके आधिपत्य में वह हो, निर्णीत ऋणी को उसे सौंपने से।

ऐसे आदेश की एक प्रति ऋण की दशा में ऋणी को, अंश या जमाधन की दशा में निगम के उपयुक्त अधिकारी को तथा अन्य जंगम सम्पत्ति के अतिरिक्त उस सम्पत्ति के जो संपत्ति न्यायालय में जमा की हुई हो या उसकी अभिरक्षा में हो, की दशा में उस व्यक्ति को भेजी जायेगी, जिसके आधिपत्य में ऐसी सम्पत्ति हो, ज्यों ही खण्ड (क) में उल्लिखित ऋण या खण्ड (ख) में उल्लिखित जमाधन देय हो जाये वसूली पदाधिकारी संबंधित व्यक्ति को धन का भुगतान उसे करने के लिये निर्देश दे सकेगा। जबकि अंश वापसी योग्य न हो, तो उक्त वसूली पदाधिकारी दलाल द्वारा उसके विक्रय का प्रबंध करेगा। जहां अंश वापसी योग्य हो तो उसके मूल्य का भुगतान वसूली पदाधिकारी या खण्ड (ग) में उल्लिखित पक्षकार को कर दिया जावेगा, संबंधित व्यक्ति जैसे कि वह निर्णीत ऋणी को सौंपने योग्य हो जाये, उसे उक्त वसूली पदाधिकारी के हाथ में सौंप देगा।

66. Attachment and sale of immovable property — (1) Immovable property shall not be sold in execution of a decree unless such property has been previously attached :

Provided that where the decree has been obtained on the basis of a mortgage of such property, it shall not be necessary to attach it.

(2) In the attachment and sale or sale without attachment of immovable property, the following rules shall be observed—

(a) The application presented under sub-rule (2) of Rule 62 shall contain a description of the immovable property to be proceeded against, sufficient for its identification and in case such property can be identified by boundaries or numbers in a record of settlement or survey, the specification of such boundaries or numbers and the specification of the judgment-debtor's share or interest in such property to the best of the belief of the decree-holder and so far as he has been able to ascertain it.

(b) The demand notice issued by the Recovery Officer under sub-rule (3) of Rule 62 shall contain the name of the judgment-debtor, the amount due, including the expenses, if any, and the bhatta to be paid to the person who shall serve the demand notice the time allowed for payment and in case of non-payment, the particulars of the properties to be attached and sold or to be sold without attachment, as the case may be. After receiving the demand notice, the Sale Officer shall serve or cause to be served a copy of the demand notice upon the judgment-debtor or upon some adult male member of his family at his usual place of residence, or upon his authorised agent, or, if such personal service is not possible, shall affix a copy thereof on some conspicuous part of the immovable property about to be attached and sold or sold without attachment, as the case may be:

Provided that where the Recovery Officer is satisfied that a judgment-debtor with intent to defeat or delay the execution proceedings against him is about to dispose of the whole or any part of his property, the demand

66. स्थावर संपत्ति की जप्ती एवं विक्रय—(1) जयपत्र के निष्पादन में स्थावर सम्पत्ति तब तक नहीं बेची जायेगी जब तक कि ऐसी संपत्ति को पूर्व में जप्त नहीं किया गया हो:

किन्तु प्रतिबंध यह है कि जयपत्र ऐसी संपत्ति के बंधक के आधार पर प्राप्त किया गया हो, तो उसको जप्त करना अनिवार्य नहीं होगा।

(2) स्थावर संपत्ति की जप्ती तथा विक्रय या बिना जप्ती विक्रय के संबंध में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जावेगा—

(क) नियम 62 के उपनियम (2) के अधीन प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उस स्थावर संपत्ति का विवरण होगा जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जाना है, जो उसकी पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा उस दशा में जबकि ऐसी संपत्ति सीमाओं अथवा व्यवस्थापन या सर्वेक्षण के अभिलेखों के क्रमांकों से पहचानी जा सकती हो, तो ऐसी सीमाओं या क्रमांकों का निर्दिष्टीकरण जयपत्र धारक के श्रेष्ठतम विश्वास तक तथा उस सीमा तक जहां तक वह उसे निश्चित करने में समर्थ हुआ हो, ऐसी सम्पत्ति में निर्णीत के हिस्से या हित का निर्दिष्टकरण होगा।

(ख) नियम 62 के उपनियम (3) के अधीन वसूली पदाधिकारी द्वारा जारी किये गये मांग सूचना-पत्र में निर्णत ऋणी का नाम, बकाया रकम जिसमें व्यय, यदि कोई हो; तथा उस व्यक्ति को जो मांग-पत्र का निर्वाह करेगा, दिया जाने वाला भत्ता भी सम्मिलित होगा, भुगतान करने के लिये दिया गया समय और भुगतान न करने की दशा में, जप्त की जाने वाली तथा बेची जाने वाली या बिना जप्ती के बेची जाने वाली संपत्ति, जैसी भी दशा हो, के विवरण दिये जायेंगे। मांग सूचना-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् विक्रय पदाधिकारी निर्णीत ऋणी या उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य पर, उसके सामान्य निवास स्थान पर अथवा उसके प्राधिकृत कार्य-प्रतिनिधि पर मांग सूचना-पत्र की एक प्रतिलिपि का निर्वाह करेगा या करवायेगा, या यदि ऐसा वैयक्तिक निर्वाह संभव न हो तो उसकी एक प्रतिलिपि जप्त तथा विक्रय की जाने वाली या बिना जप्ती के विक्रय की जाने वाली, जैसी भी दशा हो, अचल सम्पत्ति के किसी सहजगोचर भाग पर चिपकायेगा।

किन्तु प्रतिबंध यह है कि जब वसूली पदाधिकारी की यह तुष्टि हो जाये कि निर्णीत ऋणी अपने विरुद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही को निष्फल करने या विलंबित करने के अभिप्राय से अपनी सम्पत्ति के संपूर्ण या किसी भाग का व्ययन करने वाला है, तो वसूली

notice issued by the Recovery Officer under sub-rule (3) of Rule 62 shall not allow any time to the judgment-debtor for payment of the amount due by him and the property of the judgment-debtor shall be attached forthwith.

(c) If the judgment-debtor fails to pay the amount specified in the demand notice within the time allowed, the Sale Officer shall proceed to attach and sell, or sell without attachment, as the case may be, the immovable property specified in the demand notice for execution in the following manner.

(d) Where the attachment is required before sale, the Sale Officer shall, if possible, cause a notice of attachment to be served on the judgment-debtor personally. Where personal service is not possible, the notice shall be affixed in some conspicuous part of the judgment-debtor's last known residence, if any. The fact of attachment shall also be proclaimed by beat of drum or other customary mode of announcement at some place on or adjacent to such property and at such other place or places as the Recovery Officer may consider necessary to give due publicity to the sale. The attachment notice shall set forth that, unless the amount due with interest and expenses be paid within the date therein mentioned, the property will be brought to sale. A copy shall be sent to the decree-holder. Where the Sale Officer so directs the attachment shall also be notified by public proclamation in a local newspaper, if any.

(e) Proclamation of sale shall be published by affixing a notice in the office of the Recovery Officer, office of the Co operative Central Bank and in the Tahsil office at least thirty days before the date fixed for the sale. It shall also be published by beat of drum in the village. Such proclamation shall, where attachment is required before sale, be made after the attachment has been affected. Notice shall also be given to the decree-holder and the judgment-debtor. The proclamation shall state the time and place of sale and specify as fairly and accurately as possible—

पदाधिकारी द्वारा नियम 62 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये मांग सूचना-पत्र में निर्णीत ऋणी को बकाया रकम के भुगतान के लिये कोई भी समय नहीं दिया जायेगा और निर्णीत ऋणी की सम्पत्ति को तुरंत जप्त किया जायेगा।

(ग) यदि निर्णीत ऋणी दिये गये समय के भीतर मांग सूचना-पत्र में निर्दिष्ट धनराशि का भुगतान न करे तो विक्रय पदाधिकारी प्रवर्तन के लिये मांग सूचना-पत्र में निर्दिष्ट अचल संपत्ति को जप्त करने तथा बेचने या बिना जप्ती के बेचने की, जैसी भी दशा हो अग्रिलिखित कार्यवाही करेगा।

(घ) जहां जप्ती विक्रय के पूर्व अपेक्षित हो, तो विक्रय पदाधिकारी यदि संभव हो, निर्णीत ऋणी पर जप्ती के सूचनापत्र की तामीली व्यक्तिगत रुप से कराएगा, जब वैयक्तिक तामीली संभव न हो, तो सूचना पत्र निर्णित ऋणी के अंतिम ज्ञात निवास स्थान के किसी सहज गोचर भाग में, यदि कोई हो चिपकाया जायेगा। जप्ती के इस तथ्य की घोषणा डोंडी पीटकर या अन्य किसी प्रचलित घोषणा की रीति द्वारा ऐसी संपत्ति पर के या उससे लगे हुये स्थान पर तथा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर भी की जायेगी जिन्हें वसूली पदाधिकारी विक्रय को यथोचित प्रसिद्धि देने के लिये आवश्यक समझें। जप्ती सूचना-पत्र में यह उल्लिखित किया जायेगा कि यदि ब्याज तथा व्ययों सहित प्राप्त धनराशि का भुगतान उसमें उल्लिखित दिनांक के भीतर न किया गया हो तो वह सम्पत्ति बेच दी जायेगी। एक प्रतिलिपि जयपत्र धारी को भेज दी जायेगी। जहां विक्रय पदाधिकारी ऐसा निर्देशित करें, तो जप्ती स्थानीय समाचार-पत्रों में यदि कोई हो, सार्वजनिक घोषणा द्वारा भी संसूचित की जायेगी।

(ङ) विक्रय की घोषणा वसूली पदाधिकारी के कार्यालय, सहकारी केन्द्रीय बैंक के कार्यालय तथा तहसील कार्यालय में विक्रय के लिये नियत दिनांक से कम से कम 30 दिन पूर्व सूचना-पत्र चिपकाकर की जायेगी। विक्रय की घोषणा गांव में डोंडी पिटवाकर भी की जायेगी। ऐसी घोषणा जबकि जप्ती विक्रय से पूर्व अपेक्षित हो, जप्ती की जाने के पश्चात् की जायेगी।

सूचना-पत्र जयपत्र धारी तथा निर्णीत ऋणी को भी दिया जावेगा, घोषणा-पत्र में विक्रय का समय तथा स्थान बतलाया जायेगा और निम्न बातें यथा संभव उचित रूप से यथार्थ रुप से निर्दिष्ट की जायेंगी—

(i) the property to be sold;

(ii) any encumbrance to which the property is liable;

(iii) the amount for the recovery of which the sale is ordered; and

(iv) every other matter which the Sale Officer consider material for a purchaser to know in order to judge the nature and value of the property.

(f) (i) Where any immovable property is sold under these rules, the sale shall be subject to the prior encumbrances on the property, if any. The decree-holder shall where the amount for the realisation of which the sale is held exceeds [1][Rs. 5,000] furnish to the Sale Officer within such times as may be fixed by him or by the Recovery Officer, an encumbrance certificate from the Registration Department for the period of not less than seven years prior to the date of attachment of the property sought to be sold, or in cases falling under the proviso to the sub- rule (1) prior to the date of the application for execution. The time for production of the encumbrance certificate may be extended at the discretion of the Sale Officer or the Recovery Officer, as the case may be. The sale shall be by public auction to the highest bidder:

Provided that it shall be open to the Sale Officer to decline to accept the highest bid where the price offered appears to be unduly low or for other reasons:

Provided further that the Recovery Officer or the Sale Officer may, in his discretion, adjourn the sale to a specified day and hour, recording his reasons for such adjournment. Where a sale is so adjourned for a longer period than seven days, a fresh proclamation under clause (e) shall be made unless the judgment-debtor consents to waive it.

(एक) विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति,

(दो) कोई भी भार जिसके लिये वह सम्पत्ति दायी हो,

(तीन) वह धनराशि, जिसकी वसूली के लिये विक्रय की आज्ञा दी गई है, तथा

(चार) प्रत्येक अन्य बात जिसे संपत्ति का प्रचार तथा मूल्य का निश्चय करने की दृष्टि से क्रेता की जानकारी हेतु विक्रय पदाधिकारी महत्वपूर्ण समझे।

(च) (एक) जहां किसी स्थावर संपत्ति का इन नियमों के अधीन विक्रय किया जाये, तो विक्रय उस संपत्ति पर होने वाले पूर्व के ऋण भार के, यदि कोई हो, अधीन होगा, जयपत्र धारी यदि वह धनराशि जिसकी वसूली के लिये विक्रय किया जाये [1][रुपये 5000] से अधिक हो, विक्रय पदाधिकारी को ऐसे काल के भीतर जैसा कि उसके द्वारा या वसूली पदाधिकारी द्वारा नियत किया जाये। पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) विभाग का ऋण भार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा जो विक्रय की जाने वाली संपत्ति की कुर्की के दिनांक से कम से कम 7 वर्ष पूर्व का होगा अथवा उपनियम (1) के उपबंधों के अधीन आने वाले प्रकरणों में प्रवर्तन के लिये प्रार्थना पत्र के दिनांक के पूर्व का होगा। ऋण भार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के समय में विक्रय पदाधिकारी या वसूली पदाधिकारी जैसे भी दशा हो, के विवेक पर वृद्धि की जा सकेगी। विक्रय सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को सार्वजनिक घोष विक्रय द्वारा किया जावेगा:

किन्तु प्रतिबंध यह है कि विक्रय पदाधिकारी प्रस्तावित मूल्य के अत्यधिक रूप से कम प्रतीत होने पर या अन्य कारणों से सबसे ऊंची बोली को अस्वीकार करने के लिये स्वतंत्र होगा:

परन्तु आगे यह प्रतिबंध भी है कि वसूली पदाधिकारी या विक्रय पदाधिकारी, विक्रय को अपने विवेक से निर्दिष्ट दिन तथा समय तक स्थगित कर सकेगा और ऐसा स्थगन के कारण लेखबद्ध करेगा। जब कोई विक्रय इस प्रकार सात दिन से अधिक काल के लिये स्थगित किया जावे तो खंड (ङ) के अधीन नवीन घोषणा की जावेगी जब तक कि निर्णीत ऋणी उसे न किये जाने के लिये सहमत न हो जाये।

(ii) The sale shall be held after the expiry of not less than thirty days calculated from the date on which notice of the proclamation was affixed in the office of the Recovery Officer. The time and place of sale shall be fixed by the Recovery Officer and the place of sale shall be the village where the property to be sold is situated or such adjoining prominent place of public resort as may be fixed by the said Recovery Officer :

Provided that in cases where an encumbrance certificate is not obtainable owing to the destruction of the connected records, an affidavit from village Patwari in regard to the encumbrances known to him supported by a certificate from the Registration Department that the encumbrance certificate cannot be granted owing to the destruction of the connected records, shall be accepted in the place of an encumbrance certificate.

(g) A sum of money equal to 25 percent of the price for which the immovable property is purchased in auction shall be paid by the purchaser to the Sale Officer at the time of the purchase, and in default of such deposit, the property shall forthwith be resold :

Provided that where the decree-holder is the purchaser and is entitled to set off the purchase money under clause (k) the Sale Officer shall dispense with the requirements of this clause.

(h) The remainder of the purchase money and the amount required for the general stamp for the sale certificate shall be paid within fifteen days from the date of sale :

Provided that the time for payment of the cost of the stamp may for good and sufficient reasons, be extended at the discretion of the Recovery Officer upto thirty days from the date of sale :

Provided further that in calculating the amounts to be paid under this clause, the purchaser shall have the advantage of any set-off to which he may be entitled under clause (k).

(दो) विक्रय, वसूली पदाधिकारी के कार्यालय में घोषणा का सूचना-पत्र चिपकाये जाने के दिनांक से गणना किये गये कम से कम 30 दिवस के व्यतीत हो जाने के पश्चात् किया जायेगा। विक्रय का समय तथा स्थान वसूली पदाधिकारी द्वारा नियत किया जायेगा तथा विक्रय का स्थान वह गांव होगा, जहां बेची जाने वाली संपत्ति स्थित हो या सार्वजनिक आवागमन का ऐसा समीपवर्ती प्रमुख स्थान होगा, जैसा कि उक्त वसूली पदाधिकारी द्वारा नियत किया जावे:

किन्तु प्रतिबंध यह है कि उन प्रकरणों में जिनमें ऋण भार प्रमाण-पत्र संबंधित अभिलेखों के विनाश के कारण प्राप्य न हो, गांव के पटवारी का उसको ज्ञात ऋणभारों के संबंध में शपथ-पत्र, जो पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) विभाग के ऐसे प्रमाण-पत्र से समर्थित होगा कि ऋणभार प्रमाण-पत्र संबंधित अभिलेखों के विनाश के कारण प्रदान नहीं किया जा सकता, ऋण भार प्रमाण-पत्र के स्थान पर स्वीकार किया जायेगा।

(छ) नीलाम में विक्रय की जाने वाली स्थावर संपत्ति के मूल्य के 25 प्रतिशत के बराबर धन क्रेता द्वारा क्रय के समय विक्रय पदाधिकारी को चुकाया जावेगा, तथा इस प्रकार धन न चुकाये जाने पर उस संपत्ति को तत्काल पुन: विक्रय किया जायेगा :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि जब जयपत्र धारी क्रेता हो तथा खंड (ट) के अधीन क्रय धन का प्रतिसादन करने का अधिकारी हो तो विक्रय पदाधिकारी इस नियम द्वारा अपेक्षित बातों को आवश्यक नहीं समझेगा।

(ज) शेष क्रय धन तथा विक्रय प्रमाण-पत्र हेतु सामान्य मुद्रा पत्र के लिये अपेक्षित धन का भुगतान विक्रय के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर किया जायेगा:

किन्तु प्रतिबंध यह है कि मुद्रा पत्र के मूल्य के भुगतान के लिए समय, उचित तथा पर्याप्त कारणों के होने पर विक्रय के दिनांक से तीस दिवस तक वसूली पदाधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु यह प्रतिबंध और है कि इसके अधीन भुगतान किये जाने वाले धन की गणना करने में क्रेता को किसी भी प्रतिसादन (Adjustment) का लाभ होगा जिसके लिये खंड (ट) के अधीन वह अधिकारी हो।

(i) In default of payment of the purchase money within the period mentioned in clause (h), the deposit may, if the Recovery Officer thinks fit, after defraying the expenses of the sale, be forfeited to the State Government and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may subsequently be sold.

(j) Every resale of immovable property in default of payment of the amount mentioned in clause (h) within the period allowed for such payment, shall be made after the issue of a fresh proclamation in the manner and for the period hereinbefore prescribed for the sale.

(k) Where a decree-holder purchases the property, the purchase money and the amount due on the decree shall be set off against one another, and the Sale Officer shall enter up satisfaction of the decree in whole or in part accordingly.

(3) Where prior to the date fixed for sale, the judgment-debtor or any person acting on his behalf or any person claiming an interest in the property sought to be sold, tenders payment of the full amount due together with interest, bhatta and other expenses incurred in bringing the property to sale, including the expenses of attachment, if any, the Sale Officer shall forthwith release the property after cancelling, where the property has been attached, the order of attachment.

(4) (i) Where immovable property has been sold by the Sale Officer, any person either owning such property or holding an interest therein virtue of a title acquired before such sale may apply to have the sale set aside on his depositing with the Recovery Officer—

(a) for payment to the purchaser a sum equal to five percent of the purchase money; and

(b) for payment to the decree-holder, the amount of arrears specified in the proclamation of sale as that for the recovery of which the sale was ordered together with interest thereon and the expenses of attachment, if any, and sale and other costs due in respect of such amount, less amount which may, since the date of such proclamation, have been received by the decree-holder.

(झ) खंड (ज) में उल्लिखित अवधि के भीतर क्रय धन का भुगतान न होने की दशा में जमा धन यदि वसूली पदाधिकारी उचित समझे, विक्रय के व्ययों का भुगतान करने के पश्चात् शासन के हित में राजसात कर लिया जावेगा तथा त्रुटि करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति के संबंध में या उस धनराशि के, जिसके लिये पश्चात् में उसका विक्रय किया जाये, किसी भाग के संबंध में समस्त दावे खो देगा।

(ञ) खंड (ज) में उल्लिखित धनों का भुगतान, ऐसे भुगतान के लिये दी गई अवधि के भीतर न होने पर प्रत्येक स्थावर संपत्ति का पुनः विक्रय के लिये इसके पूर्व नियत विधि में तथा अवधि के लिये नवीन घोषणा जारी करने के पश्चात् किया जायेगा।

(ट) जहां जयपत्र धारी सम्पत्ति क्रय करे, तो क्रय धन तथा जयपत्र का बकाया धन एक-दूसरे के विरुद्ध प्रतिसादित हो जावेगा, और विक्रय पदाधिकारी तद्नुसार जयपत्र की पूर्णतः या अंशतः भरपाई की प्रविष्टि करेगा।

(3) जहां विक्रय के लिये नियत दिनांक से पूर्व निर्णीत ऋणी या उसकी ओर से कार्य करने वाला व्यक्ति या बेची जाने वाली सम्पत्ति में हित रखने वाला कोई व्यक्ति, ब्याज, भत्ता तथा सम्पत्ति के विक्रय में किये गये अन्य व्ययों सहित, जिसमें जप्ती के व्यय, यदि कोई हों, सम्मिलित होंगे संपूर्ण बकाया धनराशि का भुगतान करे, तो विक्रय पदाधिकारी, यदि सम्पत्ति जप्त की गई हो, जप्ती की आज्ञा को निरस्त करने के पश्चात् संपत्ति को तुरंत छोड़ देगा।

(4) (एक) जब विक्रय पदाधिकारी द्वारा स्थावर संपत्ति का विक्रय कर दिया गया हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो या तो ऐसी सम्पत्ति का स्वामित्व रखता हो अथवा ऐसे विक्रय से पूर्व अर्जित स्वत्वाधिकार के कारण उसमें कोई हित रखता हो वसूली पदाधिकारी के पास—

(क) क्रेता को भुगतान करने के लिये ऐसी धनराशि जो विक्रय के पांच प्रतिशत के बराबर हो; तथा

(ख) जयपत्रधारी को भुगतान करने के लिये, बकाया धनराशि जो विक्रय घोषणा में निर्दिष्ट की गई हो, ऐसी जिसकी वसूली के लिये विक्रय का आदेश दिया गया था, उस पर ब्याज तथा ऐसी धनराशि के संबंध में देय जप्ती यदि की गई हो, एवं विक्रय के व्यय व अन्य परिव्यय सहित जिसमें से ऐसी धनराशि कम करते हुए जो जयपत्र धारी द्वारा ऐसे विक्रय घोषणा के दिनांक से प्राप्त की गई हो,

जमा कराकर विक्रय को निरस्त कराने के लिये आवेदन कर सकेगा।

(ii) If such deposit and application are made within thirty days from the date of sale, the Recovery Officer shall pass an order setting aside the sale and shall repay to the purchaser, the purchase money so far as it has been deposited with the five percent deposited by the applicant:

Provided that, if more persons than one have made deposit and application under this sub-rule, the application of the first depositor to the Recovery Officer, shall be accepted;

(iii) If a person applies under sub-rule (5) to set aside the sale of immovable property, he shall not be entitled to make an application under this sub-rule.

(5) (i) At any time within thirty days from the date of the sale of immovable property, the decree-holder or any person entitled to share in a rateable distribution of the assets or whose interests are affected by the sale, may apply to the Recovery Officer to set aside the sale on the ground of a material irregularity or mistake or fraud in publishing or conducting it :

Provided that no sale shall be set aside on the ground of irregularity or fraud unless the Recovery Officer is satisfied that the applicant has sustained substantial injury by reason of such irregularity, mistake or fraud.

(ii) If the application be allowed, the Recovery Officer shall set aside the sale and may direct a fresh one.

(6) (i) On the expiration of thirty days from the date of sale, if no application to have the sale set aside is made or if such application has been made and rejected, the Recovery Officer shall make an order confirming the sale :

Provided that, if he shall have reasons to think that the sale ought to be set aside notwithstanding that no such application has been made or on grounds other than those alleged in any application which has been made and rejected, he may, after recording his reasons in writing, set aside the sale.

(ii) Whenever the sale of any immovable property is not so confirmed or is set aside, the deposit or the purchase money, as the case may be, shall be returned to the purchaser.

(दो) यदि विक्रय के दिनांक से 30 दिन के भीतर धन जमा कर दिया जाये तथा आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिया जाये तो वसूली पदाधिकारी विक्रय को निरस्त करने की आज्ञा जारी करेगा और क्रेता को क्रय धन का जितना कि वह जमा किया गया था, आवेदक द्वारा जमा की गई 5 प्रतिशत धनराशि के सहित पुनर्भुगतान करेगा:

किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस उपनियम के अधीन यदि एक से अधिक व्यक्तियों ने धन जमा किया हो तथा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये हों, तो वसूली पदाधिकारी के पास पहले धन जमा करने वाले व्यक्ति का आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।

(तीन) यदि कोई व्यक्ति स्थावर सम्पत्ति के विक्रय को निरस्त कराने के लिये उपनियम (5) के अधीन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करे, तो उसे इस उपनियम के अधीन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा।

(5) (एक) स्थावर सम्पत्ति के विक्रय के दिनांक से 30 दिन के भीतर किसी भी समय जयपत्र धारी या अन्य कोई व्यक्ति, जो सम्पत्ति के आनुपातिक वितरण में हिस्सा बंटाने का अधिकारी हो अथवा जिसके हित विक्रय द्वारा प्रभावित होते हों, वसूली पदाधिकारी को इस आधार पर विक्रय निरस्त कराने के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकेगा कि उसके प्रकाशन या संचालन में महत्वपूर्ण अनियमितता या भूल या धोखा हुआ है :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि किसी भी विक्रय को अनियमितता या भूल या धोखे के आधार पर निरस्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वसूली पदाधिकारी की यह संतुष्टि न हो जावे कि आवेदक ने ऐसी अनियमितता त्रुटि या धोखे के कारण सारभूत हानि उठाई है।

(दो) यदि आवेदन-पत्र स्वीकार कर लिया जाये, तो उक्त वसूली पदाधिकारी विक्रय को निरस्त कर देगा तथा नवीन विक्रय के लिये निर्देश दे सकेगा।

(6) (एक) विक्रय के दिनांक से तीस दिन व्यतीत हो जाने पर यदि विक्रय निरस्त कराने के लिये कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत न किया जाये या यदि ऐसा कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया हो, तो वसूली पदाधिकारी विक्रय की पुष्टि का आदेश देगा :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि उसे ऐसा समझने के लिये कारण हो कि विक्रय निरस्त किया जाना चाहिये तो भले ही ऐसा आवेदन-पत्र नहीं दिया गया तो या प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकार किये गये आवेदन-पत्र में कथित आधारों के अतिरिक्त अन्य आधारों पर अपने कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् विक्रय को निरस्त कर सकेगा।

(दो) जहां किसी स्थावर संपत्ति के विक्रय की इस प्रकार पुष्टि नहीं की जाये या वह निरस्त कर दिया तो जमा धन या क्रयधन, जैसी भी दशा हो क्रेता को वापिस कर दिया जायेगा।

[1][(iii) After the confirmation of any such sale, the Recovery Officer shall—

(a) grant a certificate of sale bearing his seal and signature to the purchaser and such certificate shall state the property sold and the name of the purchaser and it shall be conclusive evidence of the fact of the purchase in all Courts and Tribunals, where it may be necessary to prove it and no proof of the seal or signature of the Recovery Officer shall be necessary unless the authority before whom it is produced shall have reason to doubt its genuineness;

(b) Serve notice on the person or persons in possession of the immovable property mentioned in the certificate of sale, to deliver possession thereof to the purchaser within 15 days from the date of receipt of notice by him;]

(iv) An order made under this sub-rule shall be final, and shall not be liable to be questioned in any suit or other legal proceedings.

[1][(7) On failure of the person in possession of the immovable property to deliver possession thereof to the purchaser within the period specified in the notice under clause (iii) of sub-rule (6) the Recovery Officer shall use such force as may be necessary to dispossess the person in possession of the immovable property and deliver the same to the purchaser.]

(8) It shall be lawful for the Sale Officer to sell the whole or any portion of the immovable property of a judgment-debtor in discharge of money due :

Provided always that so far as may be practicable, no larger section or portion of immovable property shall be sold than may be sufficient to discharge the amount due with interest and expenses of attachment, if any, and sale.

[2][**66-A. Attachment and lease of immovable property** — (1) Immovable property shall not be transferred by lease for a specified period in execution of a decree unless such property has been previously attached :

Provided that where the decree has been obtained on the basis of a mortgage of such property, it shall not be necessary to attach it.

1. Subs. by notification No. F-5-10-77-1-XV, dated 26-7-78.
2. Ins. by notification No. 269-4858-XV-70, dated 13-1-71.

[1][(तीन) ऐसे विक्रय की पुष्टि के पश्चात् वसूली अधिकारी—

(क) क्रेता को विक्रय का एक प्रमाण-पत्र देगा जिस पर उसकी मुद्रा तथा हस्ताक्षर होंगे और ऐसे प्रमाण-पत्र में विक्रय की गयी संपत्ति तथा क्रेता के नाम का कथन होगा और वह समस्त ऐसे न्यायालयों तथा अधिकरणों में, जहां उसे (विक्रय को) साबित करना आवश्यक हो, विक्रय के तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगा और वसूली अधिकारी की मुद्रा तथा हस्ताक्षर का कोई सबूत तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि उस प्राधिकारी को, जिसके कि समक्ष वह पेश किया जाये, उसकी प्रमाणिकता के बारे में संदेह करने का कारण न हो।

(ख) उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को जिसके या जिनके कब्जे में विक्रय के प्रमाण-पत्र में उल्लिखित स्थावर सम्पत्ति हो, नोटिस तामील करेगा कि वह/वे, उसे/उन्हें नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के भीतर क्रेता को उसका कब्जा परिदत्त करे/करें।]

(चार) इस उप नियम के अधीन दिया गया आदेश अंतिम होगा तथा किसी वाद या अन्य कानूनी कार्यवाहियों में आपत्ति उठायी जाने योग्य नहीं होगी।

[1][(7) उपनियम (6) के खंड तीन के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके कब्जे में स्थावर संपत्ति हो, उसका कब्जा क्रेता को परिदत्त न करने पर, वसूली अधिकारी उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में स्थावर संपत्ति हो, उससे बे-कब्जा करने के लिये इतने बल का प्रयोग करेगा जितना कि आवश्यक हो और उसे (स्थावर सम्पत्ति) को क्रेता को परिदत्त कर देगा।]

(8) विक्रय पदाधिकारी के लिये यह वैध होगा कि वह बकाया धन के भुगतान के लिये निर्णीत ऋणी की स्थावर संपत्ति के संपूर्ण या किसी भाग को बेच दे :

किन्तु यह प्रतिबंध सदैव है कि जहां तक व्यवहार्य हो, स्थावर संपत्ति का कोई भाग या अंश उतने से अधिक नहीं बेचा जायेगा जितना की बकाया धनराशि तथा जप्ती, यदि कोई हो, व विक्रय के व्यय के सहित भुगतान के लिये पर्याप्त हो।

[2][**66-क. स्थावर सम्पत्ति की कुर्की तथा उसे पट्टे पर दिया जाना**—(1) किसी डिक्री के निष्पादन में कोई स्थावर संपत्ति किसी उल्लिखित कालावधि के लिये तब तक पट्टे द्वारा अंतरित नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसी सम्पत्ति पूर्व में ही कुर्क न कर ली गई हो :

परन्तु जहां ऐसी सम्पत्ति के बंधक के आधार पर कोई डिक्री अभिप्राप्त की गई हो, वहां उसे कुर्क करना आवश्यक नहीं होगा।

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-10-77-1-पन्द्रह, दिनांक 26-7-78 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. 269-4858-पन्द्रह-70, दिनांक 13-1-71 द्वारा अन्त:स्थापित।

(2) In the attachment and transfer or transfer without attachment of immovable property, the following rules shall be observed—

(a) The application presented under sub-rule (2) of Rule 62 shall contain description of the immovable property to be proceeded against sufficient for its identification and in case such property can be identified by boundaries or numbers in a record of settlement of survey, the specification of such boundaries or numbers and the specifications of the judgment-debtor's share or interest is such property to the best of the belief of the decree-holder and so far as he has been able to ascertain it.

(b) The demand notice issued by the Recovery Officer under sub-rule (3) of Rule 62 shall contain the name of the judgment-debtor, the amount due, including the expenses, if any, and the Bhatta to be paid to the person who shall serve the demand notice, the time allowed for payment and in case of non-payment, the particulars of the properties to be attached and transferred or to be transferred without attachment, as the case may be. After receiving the demand notice, the Sale Officer shall serve or cause to be served a copy of the demand notice upon the judgment-debtor or upon some adult male member of his family at his usual place of residence, or upon his authorised agent, or, if such personal service is not possible shall affix a copy thereof on some conspicuous part of the immovable property about to be attached and transferred or transferred without attachment, as the case may be :

Provided that where the Recovery Officer is satisfied that a judgment-debtor with intent to defeat or delay the execution proceedings against him is about to dispose of the whole or any part of his property, the demand notice issued by the Recovery Officer under sub-rule (3) of Rule 62 shall not allow any time to the judgment-debtor for payment of the amount due by him and the property of the judgment-debtor shall be attached forthwith.

(c) If the judgment-debtor fails to pay the amount specified in the demand notice within the time allowed, the Sale Officer shall proceed to attach and transfer or transfer without attachment, as the case may be, the immovable property specified in the demand notice for execution in the following manner.

(2) स्थावर सम्पत्ति की कुर्की तथा उसके अन्तरण या कुर्की के बिना अन्तरण में, निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा—

(क) नियम 62 के उपनियम (2) के अधीन प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र में उस स्थावर सम्पत्ति का, जिसके कि विरुद्ध कार्यवाही की जानी है, पहिचान के लिए पर्याप्त वर्णन अन्तर्विष्ट होगा तथा उस दशा में जब कि ऐसी सम्पत्ति सीमाओं या सर्वेक्षण बंदोबस्त के अभिलेखों में, के क्रमांकों द्वारा पहिचानी जा सकती हो, तो ऐसी सीमाओं या क्रमांकों की विशिष्टियों करने में योग्य हो, ऐसी सम्पत्ति में निर्णीत ऋणी के हिस्से या हित की विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होगी।

(ख) नियम 62 के उपनियम (3) के अधीन वसूली पदाधिकारी द्वारा जारी किये गये मांग सूचना में निर्णीत ऋणी का नाम, शोध्य रकम, जिसमें व्यय यदि कोई हो, तथा उस व्यक्ति को जो मांग-पत्र की तामीली करेगा, दिये जाने वाला भत्ता भी सम्मिलित होगा, भुगतान के लिये अनुज्ञात दिया गया समय और भुगतान न करने की दशा में यथास्थिति कुर्क तथा अन्तरित की जाने वाली या कुर्की के बिना अन्तरित की जाने वाली सम्पत्ति के विवरण, अन्तर्विष्ट होगी। मांग सूचना प्राप्त होने के पश्चात् विक्रय पदाधिकारी, निर्णीत ऋणी या उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य पर, उसके सामान्य निवास स्थान पर या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता पर मांग सूचना की एक प्रतिलिपि की तामीली करेगा या करायेगा या यदि ऐसी व्यक्तिगत तामीली संभव न हो तो उसकी एक प्रतिलिपि यथा स्थिति कुर्क तथा अन्तरित की जाने वाली या कुर्की के बिना अन्तरित की जाने वाली, स्थावर सम्पत्ति के किसी सहजगोचर भाग पर चिपकायेगा:

परन्तु जहां वसूली पदाधिकारी का यह समाधान हो जाये कि निर्णीत ऋणी अपने विरुद्ध निष्पादन की कार्यवाहियों को निष्फल करने या विलंबित करने के आशय से अपनी संपूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है, वहां वसूली पदाधिकारी द्वारा नियम 62 के उपनियम (3) के अधीन जारी की गई मांग सूचना में निर्णीत ऋणी की सम्पत्ति तुरंत कुर्क कर ली जायेगी।

(ग) यदि निर्णीत ऋणी अनुज्ञात समय के भीतर मांग सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का भुगतान न करे, तो विक्रय पदाधिकारी, निष्पादन के लिये मांग सूचना में विनिर्दिष्ट स्थावर सम्पत्ति को कुर्क तथा अन्तरित करने या बिना कुर्क किये अन्तरित करने के लिये, जैसी भी कि दशा हो, निम्नलिखित रीति में कार्यवाही करेगा।

(d) Where the attachment is required before transfer by lease, the Sale Officer shall, if possible, cause a notice of attachment to be served on the judgment-debtor personally, where personal service is not possible, the notice shall be affixed in some conspicuous part of the judgment-debtors last known residence, if any. The fact of attachment shall also be proclaimed by beat of drum or other customary mode of announcement at some place on or adjacent to such property and at such other place or places as the Recovery Officer may consider necessary to give due publicity to the transfer by lease The attachment notice shall setforth that, unless the amount due with interest and expenses be paid within the date therein mentioned, the property will be brought to transfer by lease. A copy shall be sent to the decree-holder. Where the Sale Officer so directs the attachment shall also be notified by public proclamation in a local news-paper, if any.

(e) Proclamation of transfer by lease shall be published by affixing a notice in the office of the Recovery Officer, Office of the Co-operative Central Bank and in the Tahsil Office at least thirty days before the date fixed for the transfer by lease. It shall also be published by beat of drum in the village. Such proclamation shall, where attachment is required before transfer, be made after the attachment has been affected. Notice shall also be given to the decree-holder and the judgment-debtor. The proclamation shall state the time and place of transfer by lease and specify as fairly and accurately as possible—

(i) the property to be transferred by lease;

(ii) any encumbrance to which the property is liable;

(iii) the amount for the recovery of which the transfer is ordered; and

(iv) every other matter, e.g., the period of lease, the terms and conditions of lease, penalty of Rs. 10/- per day per acre to be paid by the lessee in case he detains the land beyond the period for which the lease is granted, etc., which the Sale Officer considers material for a lease-holder to know in order to judge the nature and value of the property.

(घ) जहां कुर्की, पट्टे पर अन्तरित किये जाने के पूर्व अपेक्षित हो, वहां विक्रय पदाधिकारी यदि संभव हो, निर्णीत ऋणी पर व्यक्तिगत रूप से कुर्की की सूचना की तामीली करायेगा। यदि व्यक्तिगत तामीली संभव न हो, तो सूचना निर्णीत ऋणी के अंतिम ज्ञात निवास स्थान के यदि कोई हो, किसी सहजगोचर भाग पर, चिपकाई जायेगी। कुर्की के तथ्य की घोषणा डोंडी पीटकर या अन्य किसी प्रचलित उद्घोषणा की रीति द्वारा ऐसी संपत्ति पर या उसके निकटस्थ स्थान पर तथा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर भी की जायेगी। जिन्हें वसूली पदाधिकारी पट्टे द्वारा अन्तरण का सम्यक् प्रचार करने के लिये आवश्यक समझे। कुर्की सूचना-पत्र में यह उल्लेखित किया जायेगा कि यदि ब्याज तथा व्ययों सहित शोध्य रकम का भुगतान उसमें उल्लिखित दिनांक के भीतर न किया गया, तो वह सम्पत्ति पट्टे के द्वारा अंतरित कर दी जायेगी। एक प्रतिलिपि डिक्रीधारी को भेज दी जायेगी। जहां विक्रय पदाधिकारी ऐसा निर्देश दें वहां कुर्की स्थानीय समाचार-पत्रों में, यदि कोई हो सार्वजनिक उदघोषणा द्वारा भी अधिसूचित की जायेगी।

(ङ) पट्टे पर अन्तरित करने की उद्घोषणा वसूली पदाधिकारी के कार्यालय, सहकारी केंद्रीय बैंक के कार्यालय तथा तहसील कार्यालय में पट्टे पर अन्तरित करने के लिये नियत दिनांक से कम से कम तीस दिन पूर्व सूचना चिपकाकर की जायेगी। उसका प्रचार गांव में डोंडी पिटवाकर भी किया जायेगा। जबकि पट्टे पर अन्तरित करने से पूर्व कुर्की करना अपेक्षित हो, तो ऐसी उद्घोषणा कुर्की की जाने के पश्चात् की जायेगी। डिक्रीधारी तथा निर्णीत ऋणी को भी सूचना दी जायेगी। उद्घोषणा में पट्टे पर अन्तरित करने का समय तथा स्थान बतलाया जायेगा और निम्न बातें यथासंभव उचित तथा ठीक-ठीक रूप से विनिर्दिष्ट की जायेगी—

(एक) पट्टे पर अन्तरित की जाने वाली सम्पत्ति,

(दो) कोई भी भार जिसके लिये वह सम्पत्तिदायी हो,

(तीन) वह रकम, जिसकी वसूली के लिये अन्तरण करने की आज्ञा दी गई है, और

(चार) प्रत्येक अन्य बात जैसे, पट्टे की अवधि, पट्टे के निबंधन तथा शर्तें उस कालावधि से परे, जिसके कि लिये पट्टा मंजूर किया गया है, पट्टे धारी द्वारा भूमि प्रतिधारित करे रहने पर 10.00 रु. प्रतिदिन, प्रति एकड़ की दर से दी जाने वाली शास्ति इत्यादि, जो विक्रय पदाधिकारी की राय में सम्पत्ति के प्रकार एवं मूल निर्धारण हेतु पट्टेदार की जानकारी के लिये आवश्यक हो।

Explanation — (i) The period of lease in no case shall extend beyond a period of 3 years. By virtue of this lease, the lessee shall not acquire any new tenancy rights/right of permanent lease.

(ii) At the end of the period specified in the proclamation, the land will revert to the judgment-debtor for which the Recovery Officer will issue a certificate in prescribed form. The retention of the land beyond the period will result in penalty specified above.

(iii) The terms and conditions for the said lease may include that the lessee pays entire dues of the judgment-debtor to the satisfaction of the decree-holder in one instalment, the exact period of lease, prohibition of any permanent improvement on the land involved in the lease, no right to any compensation or return on the investment made on improvement of land, etc. These terms may be decided by the Registrar under Section 84 of the Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1970.

(iv) This explanation should form part of the proclamation.

(f) (i) Where any immovable property is transferred under these rules, the transfer shall be subject to the prior encumbrances on the property, if any. The decree-holder shall, where the amount for the realisation of which the transfer is held exceeds Rs. 5,000/- furnish to the Sale Officer within such time, as may be fixed by him or by the Recovery Officer, an encumbrance Certificate from the Registration Department for the period of not less than one year prior to the date of attachment of the property sought to be transferred or in cases falling under the proviso to sub-rule (1) prior to the date of the application for execution. The time for production of the encumbrance certificate may be extended at the discretion of the Sale Officer or the Recovery Officer, as the case may be. The transfer shall be by public auction to the highest bidder:

Provided that it shall be open to the Sale Officer to decline to accept the highest bid where the price offered appears to be unduly low or for other reasons :

स्पष्टीकरण—(एक) पट्टे की अवधि किसी भी मामले में 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस पट्टे के आधार पर किसी पट्टेदार को कोई नवीन अभिधृति अथवा स्थायी पट्टेदारी के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

(दो) उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर भूमि, निर्णीत ऋणी को वापस प्राप्त हो जायेगी जिसके लिये वसूली अधिकारी निर्धारित प्ररूप में एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा। इस कालावधि से परे भूमि के प्रतिधारण का परिणाम ऊपर विनिर्दिष्ट शास्ति में होगा।

(तीन) उक्त पट्टे की शर्तों में यह भी समाविष्टि हो सकेगा कि पट्टेदार निर्णीत ऋणी पर बकाया संपूर्ण राशि डिक्रीधारी के समाधान पर्यन्त एक मुश्त में चुकाएगा; पट्टे की निश्चित कालावधि पट्टे पर दी गई भूमि पर कोई स्थायी सुधार के लिये प्रतिबंध इत्यादि, ये शर्तें छत्तीसगढ़ को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1960 की धारा 84 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अभिनिश्चित की जा सकेंगी।

(चार) यह स्पष्टीकरण घोषणा का एक भाग होगा।

(च) (एक) जहां कोई स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण इन नियमों के अधीन किया जाए, वहाँ अंतरण उस सम्पत्ति पर होने वाले पूर्व के ऋण भार के, यदि कोई हो, अधीन होगा। इस मामले में जहां वह रकम, जिसकी वसूली के लिये अन्तरण किया जाये, रुपये 5000 से अधिक हो तो डिक्रीधारी विक्रय पदाधिकारी को ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि उसके द्वारा या वसूली पदाधिकारी द्वारा नियत की जाये, रजिस्ट्रेशन विभाग से एक ऋण भार प्रमाण -पत्र (एनकम्बेरेन्स सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करेगा जो पट्टे पर अन्तरित की जाने वाली सम्पत्ति की कुर्की के दिनांक से कम से कम 1 वर्ष पूर्व का होगा अथवा उपनियम (1) के उपबंधों के अधीन आने वाले मामले में, निष्पादन के लिए प्रार्थना-पत्र के दिनांक के पूर्व का होगा यथास्थिति विक्रय पदाधिकारी या वसूली पदाधिकारी के विवेक पर ऋण भार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि की जा सकेगी। अन्तरण, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले के पक्ष में सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जायेगा:

परन्तु जहां विक्रय पदाधिकारी को यह प्रतीत हो कि स्थापित मूल्य असम्यक् रूप से कम है या अन्य कारणों से वह सबसे ऊंची बोली को अस्वीकार करने के लिये सक्षम होगा;

Provided further that the Recovery Officer or the Sale Officer may, in his discretion, adjourn the auction for transfer by lease to a specified day and hour, recording his reasons for such adjournment. Where auction for transfer is so adjourned for a longer period than seven days, a fresh proclamation under clause (e) shall be made, unless the judgment-debtor consents to waive it:

Provided also that for want of bidders, or inadequate amount of bid, or for other reasons the decree-holder may abandon procedure of recovery by transfer by lease and apply afresh to the Recovery Officer under sub-rule (2) of Rule 62, for recovery under Rule 66 of these rules. By virtue of the new application under Rule 62, the previous application under Rule 62, for auction under Rule 66-A shall be deemed to have been cancelled.

(ii) The auction for transfer by lease shall be held after the expiry of not less than thirty days calculated from the date on which notice of the proclamation was affixed in the office of the Recovery Officer. The time and place of auction for transfer by lease shall be fixed by the Recovery Officer and the place of auction shall be the village where the property to be transferred is situated or such adjoining prominent place of public resort as may be fixed by the said Recovery Officer :

Provided that in cases where an encumbrance certificate is not obtainable owing to the destruction of the connected records, an affidavit from village Patwari in regard to the encumbrances known to him supported by a certificate from the Registration Department that the encumbrance certificate cannot be granted owing to the destruction of the connected records, shall be accepted in the place of an encumbrance certificate.

(g) A sum of money equal to 33 per cent of the price for which the immovable property is leased out in auction shall be paid by the lessee to the Sale Officer at the time of the lease and in default of such deposit, the property shall forthwith be auctioned for leasing out against:

परन्तु यह भी कि वसूली पदाधिकारी या विक्रय पदाधिकारी अपने विवेक से पट्टे द्वारा अन्तरण को विनिर्दिष्ट दिन तथा समय तक के लिये स्थगित कर सकेगा और ऐसे स्थगन के कारण लेखबद्ध करेगा। जब इस प्रकार कोई अन्तरण के लिये नीलामी 7 दिन से अधिक काल के लिये स्थगित की जाये तो जब तक कि निर्णीत ऋणी पुनः उदघोषणा किये जाने को रद्द करने के लिये सहमत न हो जाय, खण्ड (ङ) के अधीन नवीन उदघोषणा की जावेगी;

परन्तु यह और भी कि बोली लगाने वाले के अभाव में अथवा बोली की अपर्याप्त राशि अथवा अन्य किसी कारण से डिक्रीधारी पट्टे पर अन्तरण की प्रक्रिया द्वारा निष्पादन को त्याग सकेगा तथा नियम 62 के उपनियम (2) के अधीन वसूली पदाधिकारी को नियम 66 के अनुसार वसूली करने के लिये फिर से आवेदन-पत्र दे सकेगा। नियम 62 के अधीन नवीन प्रार्थना-पत्र दिये जाने से नियम 66-क में विहित कार्यवाही के लिये नियम 62 के अधीन पूर्व में दिया गया प्रार्थना-पत्र निरस्त समझा जावेगा।

(दो) पट्टे द्वारा अन्तरण के लिये नीलामी, उस दिनांक जिसको घोषणा की सूचना-पत्र वसूली अधिकारी के कार्यालय में चिपकाया गया था, से संगणित तीस दिनों से कम नहीं, के पर्यवेसित होने के पश्चात् की जाएगी। पट्टा द्वारा अंतरण के लिए नीलामी का समय और स्थान वसूली अधिकारी द्वारा नियत किया जाएगा और नीलामी का स्थान वह गांव होगा जहां अंतरित की जाने वाली संपत्ति स्थित है या लोक पहुंच का ऐसा समीपी प्रमुख स्थान होगा यथा उक्त वसूली अधिकारी द्वारा नियत किया गया हो :

परन्तु उन मामलों में, जिनमें ऋण भार प्रमाण-पत्र संबंधित अभिलेखों के विनष्ट हो जाने के कारण प्राप्य न हो, गांव के पटवारी द्वारा उसको ज्ञात ऋण भारों के संबंध में दिया गया शपथ-पत्र, जो रजिस्ट्रीकरण (पंजीयन) विभाग के ऐसे प्रमाण-पत्र से समर्पित होगा कि ऋण भार प्रमाण-पत्र संबंधित अभिलेखों के विनष्ट हो जाने के कारण प्रदान नहीं किया जा सकता, ऋणभार प्रमाण-पत्र के स्थान पर ग्रहण किया जायेगा।

(छ) उस मूल्य के 33 प्रतिशत के बराबर रकम जिसके कि लिये नीलाम में स्थावर संपत्ति अंतरित की जाती है, पट्टेदार द्वारा पट्टे के समय विक्रय पदाधिकारी को चुकाई जावेगी तथा इस प्रकार निक्षेप न किये जाने पर उस सम्पत्ति को तत्काल पुनः पट्टे पर देने हेतु नीलाम किया जायेगा :

Provided that where the decree-holder is the lessee and is entitled to set off the lease money under clause (k) the Sale Officer shall dispense with the requirements of this clause.

(h) The remainder of the lease money and the amount required for the general stamp for the certificate of lease shall be paid within forty five days from the date of lease :

Provided that in calculating the amounts to be paid under this clause, the lessee, shall have the advantage of any set off to which he may be entitled under clause (k).

(i) In default of payment of the tease money within the period mentioned in clause (h), the deposit may, if the Recovery Officer thinks fit after defraying the expenses of the lease be forfeited to the State Government and the defaulting lessee shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may subsequently be leased out.

(j) Every release of immovable property in default, of payment of the amount mentioned in clause (h) within the period allowed for such payment shall be made after the issue of a fresh proclamation in the manner and for the period hereinbefore prescribed for the transfer by lease.

(k) Where a decree-holder is the lessee of the property the lease money and the amount due on the decree shall be set-off against one another and the Sale Officer shall enter up to satisfaction of the decree in whole or in part accordingly.

(3) Where prior to the date fixed for transfer by lease, the judgment-debtor or any person acting on his behalf or any person claiming an interest in the property sought to be transferred tenders payment of the full amount due together with interest, Bhatta and other expenses incurred in bringing the property to lease including the expenses of attachment, if any, the Sate Officer shall forthwith release the property after cancelling, where the property has been attached the order of attachment.

परन्तु यह कि जब डिक्रीधारी पट्टेदार हो तथा वह खण्ड (ट) के अधीन पट्टे की राशि को मुजरा करने का अधिकारी हो, तो विक्रय पदाधिकारी इस खण्ड की अपेक्षाओं को अभिमुक्त कर सकेगा।

(ज) पट्टे की अधिशेष रकम तथा पट्टे के प्रमाण-पत्र हेतु सामान्य स्टाम्प पत्र के लिये अभिमुक्त रकम का भुगतान नीलामी के दिनांक से पैंतालीस दिन के भीतर किया जायेगा :

परन्तु यह कि इस खण्ड के अधीन भुगतान किये जाने वाली रकम की संगणना करने में पट्टेदार को ऐसे किसी भी मुजरा का लाभ प्राप्त होगा जिसके लिये कि वह खण्ड (ट) के अधीन हकदार हो।

(झ) खण्ड (ज) में उल्लिखित अवधि के भीतर पट्टे की राशि का भुगतान करने में त्रुटि होने की दशा में धन को, यदि वसूली पदाधिकारी उचित समझे विक्रय के व्ययों के चुकारा करने के पश्चात् शासन के हित में समपहृत कर लिया जावेगा तथा त्रुटि करने वाले पट्टेदार के उस सम्पत्ति के संबंध में या उस धनराशि के, जिसके कि लिये बाद में वह पट्टे पर की जाये, किसी भाग के संबंध में समस्त दावे समपहृत हो जायेंगे।

(ञ) खण्ड (ज) में उल्लिखित किये गये धन के ऐसे भुगतान के लिये अनुज्ञात की गई अवधि के भीतर भुगतान करने में त्रुटि के कारण की गई स्थावर सम्पत्ति की प्रत्येक मुक्ति पट्टे द्वारा अन्तरित किये जाने हेतु इसमें इसके पूर्व विहित की गई रीति में तथा विहित की गई कालावधि के लिये जारी की गई नवीन घोषणा जारी करने के पश्चात् ही की जाएगी।

(ट) जहां डिक्रीधारी सम्पत्ति का पट्टेधारी हो वहां पट्टे की राशि तथा डिक्री की शेष रकम एक-दूसरे के प्रति मुजरा की जावेगी और विक्रय पदाधिकारी तदनुसार डिक्री का पूर्णत: या अंशत: समाधान प्रविष्टि करेगा।

(3) जहां पट्टे द्वारा अन्तरण के लिये नियत दिनांक से पूर्व निर्णीत ऋणी या उसकी ओर से कार्य करने वाला व्यक्ति या अन्तरित की जाने वाली सम्पत्ति में हित रखने वाला कोई व्यक्ति ब्याज, भत्ता तथा सम्पत्ति के पट्टे पर दिये जाने में किये गये अन्य व्ययों सहित, जिसमें कुर्की के व्यय यदि कोई हो, सम्मिलित होंगे, संपूर्ण बकाया रकम का भुगतान करें तो विक्रय पदाधिकारी जहां सम्पत्ति कुर्क की गई हो वहां कुर्की के आदेश को निरस्त करने के पश्चात् सम्पत्ति को तुरन्त मुक्त कर देगा।

(4) (i) Where immovable property has been transferred by lease by Sale Officer, any person either owning such property or holding an interest therein by virtue of a title acquired before such transfer may apply to have the transfer set aside on his depositing with the Recovery Officer—

(a) for payment to the lessee a sum equal to five per cent of the lease money, and

(b) for payment to the decree-holder, the amount of arrears specified in the proclamation of lease as that for the recovery of which the transfer by lease was ordered together with interest thereon and the expenses of attachment, if any, and transfer and other cost due in respect of such amount, less amount which may since the date of such proclamation, have been received by the decree-holder.

(ii) If such deposit and application are made within thirty days from the date of auction for lease, the Recovery Officer, shall pass an order setting aside the transfer and shall repay to the lessee the lease money so far as it has been deposited with the five per cent deposited by the applicant :

Provided that, if more persons than one have made deposit and application under this sub-rule, the application of the first depositor to the Recovery Officer, shall be accepted.

(iii) If a person applies under sub-rule (5) to set aside the transfer of immovable property, he shall not be entitled to make an application under this sub-rule.

(5) (i) At any time within thirty days from the date of the auction for lease of immovable property, the decree-holder or any person entitled to share in a ratable distribution of the assets or whose interests are affected by the lease may apply to the Recovery Officer to set aside the transfer by lease on the ground of a material irregularity or mistake or fraud in publishing or conducting it :

Provided that no transfer by lease shall be set aside on the ground of irregularity, or fraud unless the Recovery Officer is satisfied that the applicant has sustained substantial injury by reason of such irregularity, mistakes or fraud.

(4) (एक) जहां विक्रय पदाधिकारी द्वारा स्थावर सम्पत्ति को पट्टे द्वारा अन्तरित कर दिया जावे वहां ऐसा कोई व्यक्ति जो या तो ऐसी सम्पत्ति का स्वामित्व रखता हो या ऐसे अन्तरण से पूर्व अर्जित स्वत्वाधिकार के कारण उसमें कोई हित रखता हो या वसूली पदाधिकारी के पास—

(क) पट्टेदार को भुगतान करने के लिये ऐसी धनराशि जो पट्टे की राशि के पांच प्रतिशत के बराबर हो; तथा

(ख) डिक्रीधारी को भुगतान करने के लिये, बकाया धनराशि जो पट्टे की घोषणा में विनिर्दिष्ट, की गई हो, ऐसी जिसकी वसूली के लिये पट्टे द्वारा अन्तरण आदेशित किया गया हो उस पर ब्याज सहित कुर्की के खर्चे, यदि कोई हो, और ऐसी रकम के संबंध में शोध्य समस्त अंतरण तथा अन्य खर्चे जिसमें से ऐसी धनराशि कम करते हुए जो डिक्री धारी द्वारा ऐसी घोषणा से दिनांक से प्राप्त की गई हो—

जमा कराकर पट्टे को अपास्त कराने के लिये आवेदन कर सकेगा।

(दो) यदि पट्टे की नीलामी के दिनांक से तीन दिन के भीतर ऐसा धन जमा कर दिया जाये तथा आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिया जाये तो वसूली पदाधिकारी अंतरण को अपास्त करते हुए आदेश जारी करेगा और पट्टेदार को पट्टे की राशि, जितनी की उसने जमा की हो, आवेदक द्वारा जमा की गई 5 प्रतिशत धनराशि के साथ पुनः भुगतान करेगा :

परन्तु यह कि इस उपनियम के अधीन यदि एक से अधिक व्यक्तियों ने धन जमा किया हो तथा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये हों तो वसूली पदाधिकारी के पास प्रथम धन जमा करने वाले व्यक्ति का आवेदन-पत्र स्वीकार किया जावेगा।

(तीन) यदि कोई व्यक्ति स्थावर सम्पत्ति के अंतरण को अपास्त कराने के लिये उपनियम (5) के अधीन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें, तो वह इस उपनियम के अधीन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिये हकदार नहीं होगा।

(5) (एक) स्थावर सम्पत्ति के पट्टे के नीलामी के दिनांक से 30 दिन के भीतर किसी भी समय डिक्रीधारी या अन्य कोई व्यक्ति जो संपत्ति के आनुपातिक वितरण में हिस्सा बंटाने का हकदार हो या जिसके हित पट्टे के अन्तरण द्वारा प्रभावित होते हों, वसूली पदाधिकारी को इस आधार पर पट्टे का अंतरण निरस्त करने के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकेगा कि उसके प्रकाशन या संचालन में महत्वपूर्ण अनियमितता या भूल या धोखा हुआ है:

परन्तु यह कि किसी भी पट्टे के अंतरण को अनियमितता या भूल या धोखे के आधार पर निरस्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वसूली पदाधिकारी का यह समाधान न हो जावे कि आवेदक ने ऐसी अनियमितता, त्रुटि या धोखे के कारण सारभूत हानि उठाई है।

(ii) If the application be allowed, the Recovery Officer shall set aside the transfer and may direct a fresh one.

(6) (i) On the expiration of thirty days from the date of auction for lease, if no application to have the lease set aside is made or if such application has been made and rejected, the Recovery Officer shall make an order confirming the transfer by lease :

Provided that, if he shall have reason to think that the transfer by lease ought to be set aside notwithstanding that no such application has been made or on grounds other than those alleged in any application which has been made and rejected, he may, after recording his reasons in writing, set aside the lease.

(ii) Whenever the transfer by lease of any immovable property is not so confirmed or is set aside, the deposit or the lease money, as the case may be, shall be returned to the lessee.

(iii) After the confirmation of any such transfer by lease, the Recovery Officer shall grant a certificate of lease bearing his seal and signature to the lessee, and the judgment-debtor and such certificate shall state the property leased out, and the name of the lessee, the exact period of lease etc. It shall also state that on the expiry of this lease period, the property shall revert to the judgment-debtor automatically. The certificate shall be conclusive evidence of the fact of the lease in all Courts and Tribunals where it may be necessary to prove and no proof of the seal or signature of the Recovery Officer shall be necessary unless the authority before whom it is produced shall have reason to doubt its genuineness.

(iv) An order made under this sub-rule shall be final, and shall not be liable to be questioned in any suit or other legal proceedings.

(7) Where any lawful lessee of immovable property is resisted and prevented by any person other than a person (not being the judgment-debtor) claiming in good faith to be in possession of the property on his own account from obtaining possession of the immovable property leased, any Court of competent jurisdiction on application and production of the certificate of lease provided for by sub-rule (6) shall cause the proper process to be issued for the purpose of putting such lease in possession, in the same manner as if the immovable property leased out had been decreed to the lessee by a decision of the Court.

(दो) यदि आवेदन-पत्र स्वीकार कर लिया गया हो तो उक्त वसूली पदाधिकारी पट्टे के अन्तरण को निरस्त कर देगा तथा पट्टे के नवीन अंतरण के लिये निर्देश दे सकेगा।

(6) (एक) पट्टे की नीलामी के दिनांक से 30 दिन समाप्त हो जाने पर यदि पट्टा निरस्त कराने के लिये कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत न किया जाये या यदि ऐसा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया हो तथा वह अस्वीकार कर दिया गया हो, तो वसूली पदाधिकारी पट्टे द्वारा अंतरण की पुष्टि करते हुए आदेश जारी करेगा:

परन्तु यदि उसे ऐसा समझने के लिये कारण हो कि पट्टे द्वारा अंतरण इस बात के होते हुए भी कि इस प्रकार से कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया गया है या ऐसे किसी आवेदन-पत्र में जो दिया गया हो तथा अस्वीकार किया गया हो, अभिकथित किये गये से भिन्न आधारों पर निरस्त किया जाना चाहिये तो वह अपने कारणों को लिखित में अभिलिखित करने के पश्चात् पट्टे को निरस्त कर सकेगा।

(दो) जहां किसी स्थावर सम्पत्ति के पट्टे द्वारा अंतरण की इस प्रकार पुष्टि नहीं की जाये या वह निरस्त कर दिया जाये तो जमा धन या पट्टे की राशि, जैसी भी कि दशा हो, पट्टेदार को वापस कर दी जायेगी।

(तीन) पट्टे द्वारा किसी ऐसे अंतरण का पुष्टिकरण हो जाने के पश्चात् वसूली पदाधिकारी पट्टेदार तथा न्याय निर्णीत ऋणी को अपनी मुद्रा तथा हस्ताक्षर से युक्त पट्टे का प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा और ऐसे प्रमाण-पत्र में पट्टे पर दी गई सम्पत्ति तथा पट्टेदार का नाम पट्टे की निश्चित कालावधि आदि उल्लिखित की जायेगी उसमें यह भी उल्लिखित किया जायेगा कि इस पट्टे की कालावधि की समाप्ति पर सम्पत्ति अपने आप ही न्याय निर्णीत ऋणी को प्रत्यावर्तित हो जायेगी। यह प्रमाण-पत्र के तथ्य कि ऐसे समस्त न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों में, जहां पट्टे के तथ्य को सिद्ध करना आवश्यक हो, निर्णायक साक्ष्य होगा तथा वसूली पदाधिकारी की मुद्रा या उसके हस्ताक्षर को प्रमाणित करने की तब तक कोई आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि उस प्राधिकारी को, जिसके कि समक्ष वह प्रस्तुत किया जाये, उसकी प्रमाणिकता में शंका करने का कारण न हो।

(चार) इस उपनियम के अधीन दिया गया आदेश अंतिम होगा तथा किसी वाद या अन्य किसी विविध कार्यवाहियों में उसके संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई जाएगी।

(7) जहां किसी ऐसे व्यक्ति से भिन्न (जो निर्णीत ऋणी न हो) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो सद्भावनापूर्वक सम्पत्ति स्वयं के कब्जे में होने का दावा करता हो, स्थावर सम्पत्ति के किसी वैध पट्टेदार को पट्टे पर दी गई स्थावर सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने में प्रतिरोध किया जावे तथा रोका जावे तो कोई भी सक्षम अधिकारिता का न्यायालय आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर तथा उपनियम (6) द्वारा आदिष्ट पट्टे का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ऐसे पट्टेदार को उसी रीति में कब्जा दिलाने के आशय के लिए उचित आदेश जारी करवायेगा मानो कि पट्टे पर दी गई स्थावर सम्पत्ति के लिये पट्टेदार को न्यायालय के निर्णय द्वारा डिक्री दी गई हो।

(8) It shall be lawful for the Sale Officer to lease the whole or any portion of the immovable property of a judgment-debtor in discharge of money due :

Provided always that so far as may be practicable, no larger section or portion of immovable property shall be leased than may be sufficient to discharge the amount due with interest and expenses of attachment, if any.

Explanation — For the purposes of this rule and the subsequent rules 'Lease' means a transfer of a right to enjoy any land made for a certain time, expressed, or implied in consideration of a price paid.

66-B. No permanent right to leaseholder — Notwithstanding anything contained in these rules, the right of lease acquired under Rule 66-A shall not give any new type of tenancy right or right to permanent lease to the lessee.

66-C. Procedure for reversion of the land to the judgment-debtor — (1) Prior to the expiry of the lease period, the judgment-debtor whose land was leased out under the provisions of Rule 66-A, may apply to the Recovery Officer for reversion of his land to him. He shall enclose a certified copy of the certificate given to him under sub-rule (iii) of Rule 66-A.

(2) The Recovery Officer shall made an order directly to the lease-holder to handover the possession of the land to the original judgment-debtor.

(3) He shall also issue a certificate of termination of the lease, and reversion of the land to the original judgment-debtor bearing his seal and signature to the original judgment-debtor. The certificate shall state the property is reverting, the name of the judgment-debtor to whom the property now reverts. The certificate shall be conclusive evidence of the fact of the termination of the lease and reversion of the land to the original judgment-debtor in all the Courts and Tribunals, where it will not be necessary to prove it and no proof of the seal and signature of the Recovery Officer shall be necessary, unless the authority before whom it is produced, shall have reason to doubt its genuineness.

(8) विक्रय पदाधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह बकाया धन के भुगतान हेतु निर्णीत ऋणी की स्थावर सम्पत्ति के संपूर्ण या किसी भाग को पट्टे पर अन्तरित करें :

परन्तु सदैव यह कि, जहां तक व्यवहार्य हो, पट्टे पर अंतरित स्थावर सम्पत्ति का कोई भाग या उसका अंश उतने भाग या अंश से अधिक नहीं होगा जितना कि बकाया धनराशि उस पर का कब्जा तथा कुर्की के खर्चे यदि कोई हो के भुगतान के लिये पर्याप्त हो।

स्पष्टीकरण—इस नियम तथा पश्चातवर्ती नियमों के प्रयोजनों के लिये पट्टे से तात्पर्य किसी भूमि के उपयोग करने के अधिकार के ऐसे हस्तांतरण से है जो कि अभिव्यक्त या अंत: निर्णीत रूप में कुछ समय के लिए भुगतान किये गये मूल्य के प्रतिफल में किया जाये।

66-ख. पट्टेदार को स्थाई अधिकार नहीं होगा—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियम 66-क के अधीन अर्जित किया गया पट्टेदारी अधिकार, पट्टेदार को कोई नवीन प्रकार का कृषकाधिकार या स्थायी पट्टेदारी अधिकारी प्रदान नहीं करेगा।

66-ग. निर्णीत ऋणी को भूमि के प्रत्यावर्तन संबंधी प्रक्रिया—(1) पट्टे की अवधि समाप्त होने के पूर्व निर्णीत ऋणी जिसकी भूमि नियम 66-क के प्रावधानों के अधीन पट्टे पर दी गई हो, वसूली पदाधिकारी को अपनी भूमि वापस प्रदान किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। इसके साथ ही वह नियम 66-क के उपनियम (6) खंड (3) के अधीन उसे दिये गये नये प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करेगा।

(2) वसूली पदाधिकारी भूमि का कब्जा मूल निर्णीत ऋणी को प्रदान करने का आदेश पट्टाधारी को सीधे देगा।

(3) वह मूल निर्णीत ऋणी को पट्टा समाप्त होने तथा भूमि मूल निर्णीत ऋणी को वापस होने का प्रमाण-पत्र अपनी मुद्रा और हस्ताक्षर के अधीन जारी करेगा। इस प्रमाण-पत्र में पट्टे से मुक्त की गई सम्पत्ति का विवरण होगा। पट्टेदार का नाम जिससे सम्पत्ति वापस ली जा रही है, निर्णीत ऋणी का नाम जिसे सम्पत्ति वापस दी जा रही है, अंकित किया जायेगा। यह प्रमाण-पत्र पट्टे की समाप्ति एवं भूमि का कब्जा मूल निर्णीत ऋणी का नाम जिसे सम्पत्ति वापस दी जा रही है, अंकित किया जायेगा। यह प्रमाण-पत्र पट्टे की समाप्ति एवं भूमि का कब्जा मूल निर्णीत ऋणी को प्राप्त होने संबंधी समस्त न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों में निर्णायक साक्ष्य होगा जहां इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा वसूली पदाधिकारी की मुद्रा या उसके हस्ताक्षर को प्रमाणित करने की तब तक कोई आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि उस प्राधिकारी को जिसके समक्ष वह प्रस्तुत किया जाये उसकी प्रमाणिकता में शंका करने का कारण न हो।

(4) An order made under this sub- rule shall be final and shall not be liable to be questioned in any Court or other legal proceedings.

(5) Where any lawful original owner and judgment-debtor is resisted and prevented by any person from obtaining possession of the immovable property, that was leased out, the Recovery Officer shall put up the original owner, judgment- debtor in possession in the same manner as if the immovable property had been decreed to him by the decision of the Court.

(6) The retention of the land beyond the period of the lease will be unlawful and subject to penalty of Rs. 10/- per day per acre to be paid to the original owner of the land.]

67. Effect of attachment on private alienation — Where an attachment has been made under these rules, any private transfer or delivery of the property attached or of any interest therein and any payment to the judgment-debtor of any debt, dividend or other moneys, contrary to such attachment, shall be void as against all claims enforceable under the attachment.

Explanation — For the purpose of this rule, claims enforceable under an attachment include claims for the rateable distribution of assets under Rule 72.

68. Bhatta, costs and receipts for payments made — (1) Persons employed In serving notices or other processes under these rules shall be entitled to Bhatta at such rates as may from time to time be fixed by the Registrar.

(2) Where the cost and charges incurred in connection with attachment and sale of movable property or the attachment and sale or sale without attachment of immovable property under these rules exceeds the amount of the cost deposited by the decree-holder, such excess shall be deducted from the sale proceeds of the property sold or the moneys paid by the judgment-debtor, as the case may be, and the balance shall be made available to the decree-holder.

(3) Every person making a payment towards any money due for the recovery of which application has been made under these rules shall be entitled to receipt for the amount signed by the Sale Officer or other officer empowered by the Recovery Officer in that behalf; such receipt shall state the name of the person making the payment and the subject-matter in respect of which the payment is made.

(4) इस उपनियम के अधीन दिया गया आदेश अंतिम होगा तथा किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियों में उसके संबंध में कोई आपत्ति उठाई नहीं जायेगी।

(5) जहां कोई वैध मूल स्वामी तथा निर्णीत ऋणी को पट्टे पर दी गई स्थावर सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने में प्रतिरोध किया जावे तथा निर्धारित किया जावे तो वसूली पदाधिकारी मूल स्वामी, निर्णीत ऋणी को उसी रीति में कब्जा दिलायेगा मानो कि ऐसी स्थावर संपत्ति के लिये न्यायालय के निर्णय द्वारा उसे डिक्री दी गई हो।

(6) पट्टे की अवधि समाप्त होने पर भूमि को कब्जे में रखना अवैधानिक होगा और रुपये 10.00 प्रति एकड़ प्रतिदिन के हिसाब से भूमि के मूल स्वामी को भुगतान की जाने वाली शास्ति के अध्यधीन होगा।]

67. आपसी अन्तरण पर जप्ती का प्रभाव—जब इन नियमों के अधीन जप्ती की जा चुकी हो, तो जप्त सम्पत्ति या उसमें के किसी हित का कोई आपसी में किया गया अन्तरण या सुपुर्दगी तथा निर्णीत ऋणी को ऐसी जप्ती के विपरीत किसी ऋण, लाभांश या अन्य धनों का कोई भुगतान जप्ती के अधीन प्रवर्तनीय समस्त दावों के विरुद्ध शून्यवत होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के आशय के लिए जप्ती के अधीन प्रवर्तनीय दावों में नियम 72 के अधीन सम्पत्ति के आनुपातिक वितरण के दावे सम्मिलित हैं।

68. भत्ता, व्यय तथा भुगतान की पावतियाँ—(1) इन नियमों के अधीन सूचना-पत्रों या अन्य आदेशिकाओं की तामीली में नियुक्त व्यक्ति, ऐसी दरों पर भत्ता पाने के अधिकारी होंगे, जैसी पंजीयक द्वारा समय-समय पर नियत की जावे।

(2) जब इन नियमों के अधीन जंगम-सम्पत्ति की जप्ती तथा विक्रय या स्थावर सम्पत्ति की जप्ती एवं विक्रय तथा बिना जप्ती के विक्रय के संबंध में किये गये व्यय तथा चार्जेस जयपत्र-धारी द्वारा जमा किये गये व्यय की धनराशि से अधिक हो, तो ऐसा अधिक धन बेची गई सम्पत्ति के विक्रय धन या निर्णीत ऋणी द्वारा भुगतान किए गये धन बेची गई सम्पत्ति के विक्रय धन या निर्णीत ऋणी द्वारा भुगतान किए गये धन से, जैसी भी दशा हो, काट लिया जावेगा, तथा अवशेष जयपत्र-धारी को प्राप्त होगा।

(3) किसी भी बकाया धन के संबंध में, जिसकी वसूली के लिए इन नियमों के अधीन आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया हो, भुगतान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस धन राशि के लिये विक्रय पदाधिकारी या उस संबंध में वसूली पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पावती का अधिकारी होगा, ऐसी पावती में भुगतान करने वाले व्यक्ति के नाम तथा उस विषय वस्तु का जिसके संबंध में भुगतान किया गया है, उल्लेख होगा।

[1][68-A. Bhatta, costs and receipts for payments made for lease — (1) Persons employed in serving notices or other processes under these rules shall be entitled to Bhatta at such rates as may, from time to time, be fixed by the Registrar.

(2) Where the cost and charges incurred in connection with attachment and transfer of movable property the attachment and transfer or transfer without attachment of immovable property under these rules exceeds the amount of the cost deposited, by the decree-holder, such excess shall be deducted from the lease proceeds of the property transferred or the money paid by the judgment-debtor, as the case may be, and the balance shall be made available to decree-holder.

(3) Every person making a payment towards any money due for the recovery of which application has been made under these rules, shall be entitled to a receipt for the amount signed by the Sale Officer or other officer empowered by the Recovery Officer in that behalf, such receipt shall state the name of the person making the payment and the subject-matter in respect of which the payment is made.]

69. Investigation of claims to property attached — (1) Where any claim is preferred to, or any objection is made to the attachment of any property attached under these rules on the ground that such property is not liable to such attachment, the Sale Officer shall investigate the claim or objection and make an order either rejecting the claim or objection and dispose it of on merits :

Provided that the Sale Officer may refuse to investigate the claim or objection if he considers that the claim or objection is frivolous.

(2) Where the property to which the claim or objection relates has been advertised for sale, the Sale Officer may postpone the sale pending the investigation of the claim or objection.

(3) Where a claim or an objection is preferred, the party against whom an order is made may institute a suit within six months from the date of the order to establish the right which he claims to the property in dispute, but subject to the result of such suit, if any, the order shall be conclusive.

1. Ins. by notification No. 269-4858-XV-70, dated 13-1-71.

[1][68-क. पट्टे के लिए किये गये व्यय तथा भुगतान की पावतियाँ—(1) इन नियमों के अधीन सूचना पत्रों या अन्य आदेशिकाओं की तामीली में नियुक्त व्यक्ति ऐसी दरों पर भत्ता पाने के लिये हकदार होंगे जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाये।

(2) जब इन नियमों के अधीन जंगम सम्पत्ति की कुर्की तथा अन्तरण या स्थावर सम्पत्ति की कुर्की तथा अन्तरण या कुर्की के बिना अंतरण के संबंध में दिए गये व्यय तथा परिव्यय डिक्रीधारी द्वारा जमा किये गये व्यय की धनराशि से अधिक हों, तो ऐसा अधिक धन अन्तरित की गई सम्पत्ति के पट्टे की राशि में से या निर्णीत ऋणी द्वारा भुगतान किये गये धन में से जैसी भी दशा हो, काट लिया जावेगा तथा शेष रकम डिक्रीधारी को अभिप्राप्त कराई जायेगी।

(3) किसी भी बकाया धन के संबंध में जिसकी वसूली के लिए इन नियमों के अधीन आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया हो, भुगतान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस धनराशि के लिए विक्रय पदाधिकारी या उस संबंध में वसूली पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित रसीद प्राप्त करने के लिये हकदार होगा। ऐसी रसीद में भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम तथा उस विषय वस्तु का, जिसके कि संबंध में भुगतान किया गया है, उल्लेख होगा।]

69. जप्त की गई सम्पत्ति पर दावों की जांच—(1) जब इन नियमों के अधीन जप्त की गई किसी सम्पत्ति के जप्ती के संबंध में इस आधार पर कोई दावा किया जाये या आपत्ति की जाये, कि ऐसी सम्पत्ति जब्त करने के योग्य नहीं है, हो तो विक्रय पदाधिकारी दावा या आपत्ति की जांच करेगा तथा दावा अथवा आपत्ति को या तो अस्वीकृत करते हुए आदेश देगा या उसका गुण-दोषों के आधार पर निराकरण करेगा :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि विक्रय पदाधिकारी दावा अथवा आपत्ति की जांच करना अस्वीकार कर सकेगा यदि वह दावे अथवा आपत्ति को आधारहीन समझे।

(2) जब उस सम्पत्ति को, जो दावा अथवा आपत्ति से संबंधित है, विक्रय के लिए विज्ञापित कर दी गई हो, तो विक्रय पदाधिकारी दावा अथवा आपत्ति की जांच होने तक विक्रय को स्थगित कर सकेगा।

(3) जब कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर दी जाये, तो वह पक्षकार जिसके विरुद्ध आदेश दिया जाये, आदेश के दिनांक से छः माह भीतर विवादग्रस्त संपत्ति के संबंध में उन स्वत्वों को स्थापित करने के लिए जिनका कि वह दावा करता है, वाद चला सकेगा, लेकिन ऐसे वाद के परिणाम के, यदि कोई हो, पालन के अधीन वह आदेश निर्णायक होगा।

1. अधिसूचना क्र. 269-4858-पन्द्रह-70, दिनांक 13-1-71 द्वारा अन्तःस्थापित।

[1][69-A. Investigation of claims to property attached for transfer by lease — (1) Where any claim is preferred to or any objection is made to the attachment of any property attached under these rules on the ground that such property is not liable to such attachment, the Sale Officer shall investigate the claim or objection and make an order either rejecting the claim or objection and dispose it of on merits :

Provided that the Sale Officer may refuse to investigate claim or objection if he considers that the claim or objection is frivolous.

(2) Where the property, to which the claim or objection relates has been advertised for transfer by lease, the Sale Officer may postpone the transfer by lease pending the investigation of the claim or objection.

(3) Where a claim or an objection is preferred, the party against whom an order is made may institute a suit within six months from the date of the order to establish the right which he claims to the property in dispute, but subject to the result of such suit, if any, the order shall be conclusive.]

70. Loss caused by resale due to default by purchaser at first sale — (1) Any deficiency of price which may arise on a resale held under clause (k) of Rule 64 or under clause (g) or (j) of sub-rule (2) of Rule 66 by reason of the purchaser's default, and all expenses attending such resale shall be certified by the Sale Officer to the Recovery Officer and shall, at the instance of either the decree-holder or the judgment-debtor, be recoverable from the defaulting purchaser. The costs, if any, incidental to such recovery shall also be borne by the defaulting purchaser.

(2) Where the property may on the second sale, sell for a higher price than at first sale, the defaulting purchaser at the first sale, shall have no claim to the difference or increase.

[2][70-A. Loss caused by release due to default of losses at first transfer by lease — (1) Any deficiency of price which may arise on a resale held under clause (k) of Rule 64 or reauction for lease under clause (g) or (j) of sub-rule (2) of Rule 66-A by reason of the lessee's default and all expenses attending such retransfer by lease shall be certified by the Sale Officer to the Recovery Officer and shall at the instance of either the decree-holder or the judgment-debtor, be recoverable from the defaulting lessee. The cost, if any, incidental to such recovery shall also be borne by the defaulting lessee.

1. Ins. by notification No. 269-4858-XV-70, dated 13-1-71.
2. Ins. by notification No. 269-4858-XV-70, dated 13-1-71.

[1][69-क. पट्टे पर अन्तरित करने हेतु कुर्क की गई सम्पत्ति के दावों की जांच—(1) इन नियमों के अधीन कुर्क की गई किसी सम्पत्ति की कुर्की के संबंध में इस आधार पर कोई दावा किया जाये या आपत्ति की जावे कि ऐसी सम्पत्ति कुर्क किये जाने के दायित्वाधीन नहीं है तो विक्रय पदाधिकारी ऐसे दावे या आपत्ति की जांच करेगा तथा दावे या आपत्ति को या तो अस्वीकृत करते हुए आदेश देगा और उसका गुण-दोषों के आधार पर निराकरण करेगा:

परन्तु यह कि विक्रय पदाधिकारी दावे या आपत्ति की जांच करना अस्वीकार कर सकेगा यदि वह दावे या आपत्ति को निराधार समझे।

(2) जहां ऐसी संपत्ति, जिससे कि दावा या आपत्ति संबंधित है, पट्टे द्वारा अंतरित किये जाने के लिये विज्ञापित कर दी गई हो, वहां विक्रय पदाधिकारी दावे का आपत्ति की जांच होने तक पट्टे द्वारा अंतरण किये जाने को स्थगित कर सकेगा।

(3) जब कोई दावा अथवा आपत्ति प्रस्तुत कर दी जाये तो वह पक्षकार जिसके कि विरुद्ध आदेश दिया जाये, आदेश के दिनांक से छः मास के भीतर विवादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में उन स्वत्वों को स्थापित करने के लिए जिनका कि वह दावा करता है, वाद संस्थित कर सकेगा, किन्तु ऐसे वाद के परिणाम के, यदि कई हो, अध्ययीन रहते हुए वह आदेश निर्णायक होगा।]

70. प्रथम विक्रय में क्रेता द्वारा की गई त्रुटि के कारण पुनः विक्रय में होने वाली हानि—(1) नियम 64 के खंड (ट) के अधीन अथवा नियम 66 के उपनियम (2) के खंड (छ) अथवा (ञ) के अधीन क्रेता की त्रुटि के कारण किये गये पुनः विक्रय से होने वाली मूल्य में कमी तथा ऐसे पुनः विक्रय में होने वाले संपूर्ण व्यय, विक्रय पदाधिकारी द्वारा वसूली पदाधिकारी को प्रमाणित किये जायेंगे तथा जयपत्र-धारी अथवा निर्णीत ऋणी की प्रेरणा पर त्रुटि करने वाले क्रेता से वसूली योग्य होंगे। ऐसा वसूली से आनुषंगिक व्यय भी, यदि कोई हो, त्रुटि करने वाले क्रेता द्वारा वहन किये जायेंगे।

(2) जहां सम्पत्ति दूसरी बार बेची जाने पर प्रथम विक्रय की अपेक्षा ऊंचे मूल्य पर बिके, तो प्रथम विक्रय के समय त्रुटि करने वाले क्रेता का अन्तर या वृद्धि पर कोई अधिकार नहीं होगा।

[2][70-क. प्रथम पट्टे पर अन्तरण में पट्टेदार द्वारा की गई त्रुटि के कारण मुक्ति द्वारा हुई हानि—(1) मूल्य में कोई ऐसी कमी, जो नियम 64 के खंड (क) के अधीन किये गये विक्रय या नियम 66 क के उपनियम (2) के खंड (छ) या (ञ) के अधीन पट्टे के लिए पुनः नीलामी से पट्टेदार की त्रुटि का कारण उद्भत हो या पट्टे द्वारा ऐसा पुनः अन्तरण के कारण हुए समस्त खर्चे विक्रय पदाधिकारी द्वारा वसूली पदाधिकारी को प्रमाणित किये जायेंगे तथा डिक्रीधारी या निर्णीत ऋणी को प्रेरणा पर त्रुटि करने वाले पट्टेदार से वसूली योग्य होंगे। ऐसी वसूली से अनुषंगिक व्यय भी, यदि कोई हों, त्रुटि करने वाले पट्टेदार द्वारा वहन किये जायेंगे।

1. अधिसूचना क्र. 269-4858-पन्द्रह-70, दिनांक 13-1-71 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. 269-4858-पन्द्रह-70, दिनांक 13-1-71 द्वारा अन्तःस्थापित।

(2) Where the property may on the second auction for lease fetch a higher price than first auction for lease, the defaulting lessee at the first auction shall have no claim to difference or increase.]

71. Dismissal of application for execution for default of decree-holder — Where any property has been attached in execution of a decree, but by reason of the decree-holder's default, the Recovery Officer is unable to proceed further with the application for execution, he shall either dismiss the application or for any sufficient reason adjourn the proceedings to a future date. Upon the dismissal of such application, the attachment shall cease.

72. Distribution of assets when there are claims under several decrees — (1) Where the Sale Officer attaches or has attached under these rules, any property not in the custody of any Court, which is already under attachment in execution of a decree of any Court, such Court shall receive and realise such property and shall determine claims thereto and any objection to the attachment thereof:

Provided that where the property is under attachment in the execution of decree of more Courts than one, the Court which shall receive or realise such property and shall determine any claim thereto and any objection to the attachment thereof shall be the Court of highest grade, or where there is no difference in grade between such Courts, the Court under whose decree the property was first attached.

(2) Where assets are held by the Sale Officer and before the receipt of such assets, demand notices in pursuance of applications for execution of decree against the same judgment-debtor have been received from more than one decree-holders and the decree-holders have not obtained satisfaction, the assets after deducting the costs of realisation, shall be ratably distributed by the Recovery Officer among such decree-holders in the manner provided in Section 73 of the Code of Civil Procedure, 1908.

73. Death of judgment-debtor – Execution against legal representative — (1) Where a judgment-debtor dies before the decree has been fully satisfied, an application under sub-rule (1) of Rule 62 may be made or continued against the legal representative of the deceased and thereupon all the provisions of this chapter shall, save as otherwise provided in this rule, apply as if such legal representative were the judgment-debtor:

Provided that a show cause notice shall be issued to such legal representative and his objections heard, before execution is against him.

(2) जहां सम्पत्ति पट्टे द्वारा अंतरित किये जाने के लिए दूसरी बार नीलाम की जाने पर प्रथम नीलाम की अपेक्षा अधिक मूल्य प्राप्त हो वहाँ प्रथम नीलामी के समय त्रुटि करने वाला पट्टेदार का ऐसे अंतर या वृद्धि पर कोई दावा नहीं होगा।]

71. डिक्रीधारी की त्रुटि के कारण निष्पादन का आवेदन निरस्त करना— जहां कोई संपत्ति जयपत्र के प्रवर्तन में जप्त की गई हो, किन्तु जयपत्र-धारी की त्रुटि के कारण वसूली पदाधिकारी प्रवर्तन के प्रार्थना-पत्र के संबंध में आगे कार्यवाही करने में असमर्थ हो, तो वह या तो आवेदन-पत्र को खारिज कर देगा अथवा किसी पर्याप्त कारण के होने पर कार्यवाही को आगामी दिनांक के लिये स्थगित कर देगा। ऐसे आवेदन-पत्र के खारिज होने पर जप्ती समाप्त हो जावेगी।

72. सम्पत्ति का वितरण जबकि अनेक जयपत्रों के अधीन मांग की गई हो—(1) जहां विक्रय पदाधिकारी इन नियमों के अधीन किसी ऐसी सम्पत्ति को जप्त करे या कर चुका हो जो किसी न्यायालय के अभिरक्षण में न होकर पहले से ही किसी न्यायालय के जयपत्र के प्रवर्तन में किये गये जप्ती के अधीन हो, तो ऐसा न्यायालय ऐसी सम्पत्ति प्राप्त करेगा व वसूल करेगा और उससे संबंधित दावों तथा उसकी जप्ती संबंधी आपत्तियों का निर्णय करेगा:

किन्तु प्रतिबंध यह है कि जब सम्पत्ति एक से अधिक न्यायालयों के जयपत्रों के प्रवर्तन में जप्ती के अधीन हो, तो न्यायालय जो ऐसी सम्पत्ति को प्राप्त या वसूल करेगा तथा उससे संबंधित किसी भी दावे तथा उसकी जप्ती संबंधी किसी आपत्ति का निर्णय करेगा, उच्चतम श्रेणी का न्यायालय होगा, अथवा जहाँ ऐसे न्यायालयों में श्रेणी का भेद न हो, तो वह न्यायालय जिसके जयपत्र के अधीन सम्पत्ति प्रथमत: जप्त की गई थी।

(2) जब सम्पत्ति विक्रय पदाधिकारी के अधिकार में हो और ऐसी संपत्ति की प्राप्ति से पूर्व उसी निर्णीत ऋणी के विरुद्ध जयपत्रों के प्रवर्तन के लिए आवेदन-पत्र के अनुसरण में मांग सूचना-पत्र एक से अधिक जयपत्र धारकों से प्राप्त हो चुके हों तथा जयपत्र धारकों की भरपाई न हुई हो तो सम्पत्ति वसूली के व्ययों को काट लेने के पश्चात् वसूली पदाधिकारी द्वारा सम्पत्ति विधि संग्रह, 1908 की धारा 73 में अदिष्ट रीति में समस्त ऐसे जयपत्र-धारकों में अनुपात से वितरित कर दी जायेगी।

73. निर्णीत ऋणी की मृत्यु-वैध प्रतिनिधि के विरुद्ध निष्पादन—(1) जब निर्णीत ऋणी की जयपत्र का पूर्णत: भुगतान होने से पूर्व ही मृत्यु हो जाये, तो नियम 62 के उपनियम (1) के अधीन आवेदन-पत्र मृतक के वैध प्रतिनिधि के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा सकेगा और तदुपरान्त इस अध्याय के समस्त आदेश इस नियम में अन्यथा आदेशित किये गये के अतिरिक्त, वैसे ही लागू होंगे, मानो कि ऐसा वैध प्रतिनिधि निर्णीत ऋणी ही था :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि उसके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही करने के पूर्व ऐसे वैध प्रतिनिधि को कारण बतलाने का सूचना-पत्र जारी किया जावेगा तथा उसकी आपत्तियों की सुनवाई की जावेगी।

(2) Where the decree is executed against such legal representative, he shall be liable only to the extent of the property of the deceased which has come to his hands, the Recovery Officer executing the decree may, of his own motion or on the application of the decree-holder, compel such legal representative to produce such accounts as he thinks fit

74. Fees for processes issued under these rules — Where, in connection with the proceedings on an application under clause (c) of Section 85, any person requires the issue of any process or objects to any process issued or objects to any order passed, he shall pay such fee as may be specified by the Registrar in this behalf.

CHAPTER XI

MISCELLANEOUS

75. Mode of service of summons — (1) Every summon issued under the Act of these rules shall be in writing, shall be authenticated by seal, if any, of the officer by whom it is issued and shall be signed by such officer or by any person authorised by him in writing in that behalf. The summons shall require the person summoned to appear before the said officer at a stated time and place, and shall specify whether his attendance is required for the purpose of giving evidence or to produce a document or for both purpose; and any particular document, the production of which is required, shall be described in the summons with reasonable accuracy.

(2) Any person may be summoned to produce a document, without being summoned to give evidence; and any person summoned merely to produce a document shall be deemed to have complied with the summons if he causes such document to be produced, instead of attending personally to produce the same.

(3) The service of summons under the Act or these rules on any person, may be affected in any of the following ways :—

(a) by giving or tendering it in person; or

(b) if such person is not found, by leaving it at his last known place of abode, or business or by giving or tending it to some adult member of his family; or

(c) if the address of such-person is known to the Registrar or other authorised person, by sending it to him by registered post with acknowledgment due; or

(2) जब जयपत्र ऐसे वैध प्रतिनिधि के विरुद्ध प्रवर्तित किया जाये तो वह मृतक की सम्पत्ति की उस सीमा तक ही दायी होगा जो उसे प्राप्त हुई हो, जयपत्र का प्रवर्तन करने वाला वसूली पदाधिकारी स्वयं की प्रेरणा से या जयपत्रधारी के आवेदन पर से ऐसे वैध प्रतिनिधि को ऐसे हिसाब प्रस्तुत करने के लिए विवश कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

74. इन नियमों के अधीन जारी आदेशिकाओं के शुल्क—(1) जब कोई व्यक्ति धारा 85 के खंड (ग) के अधीन आवेदन-पत्र पर की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में कोई आदेशिका जारी कराना चाहे अथवा जारी की गई आदेशिका के संबंध में आपत्ति करे अथवा दिये गये किसी आदेश के संबंध में आपत्ति करे तो वह ऐसे शुल्कों का भुगतान करेगा, जैसे पंजीयक द्वारा इस संबंध में नियत किये जायें।

अध्याय ग्यारह

विविध

75. समन्स तामीली की रीति—(1) अधिनियम या इन नियमों के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन्स लिखित होगा, उसको जारी करने वाले पदाधिकारी की मुद्रा से, यदि कोई हो प्रमाणीकृत किया जायेगा तथा ऐसे पदाधिकारी द्वारा या इस संबंध में उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, हस्ताक्षरित किया जायेगा। उसमें समन्स किये गये व्यक्ति को निर्दिष्ट समय तथा स्थान पर उक्त पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश होगा तथा उसमें निर्दिष्ट किया जायेगा कि क्या उसकी उपस्थिति साक्ष्य देने के आशय के लिये या किसी लिखतम को प्रस्तुत करने के लिये अपेक्षित है, या दोनों आशयों के लिए और कोई विशिष्ट लिखितम जिसका प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो, समन्स में समुचित परिशुद्धता से वर्णित की जायेगी।

(2) कोई भी व्यक्ति, साक्ष्य देने के लिए समन किये गये बिना, लिखतम को प्रस्तुत करने के लिये समन किया जा सकेगा तथा केवल लिखतम प्रस्तुत करने के लिए समन किये गये किसी भी व्यक्ति द्वारा आव्हान पत्र का पालन हुआ समझा जायेगा, यदि वह ऐसी लिखतम को प्रस्तुत करने के लिये स्वयं उपस्थित न होकर उसको प्रस्तुत करवा दे।

(3) अधिनियम या इन नियमों के अधीन समन्स की तामीली किसी भी व्यक्ति पर निम्नलिखित किन्हीं भी रीतियों में की जा सकेगी—

(क) उसे ऐसे व्यक्ति को देकर या प्रस्तुत करके, या

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति न मिले तो उसके निवास या कोरबार के अंतिम ज्ञात स्थान पर उसको छोड़कर या उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य को देकर या प्रस्तुत करके,

(ग) यदि पंजीयक या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति का पता ज्ञात हो तो रजिस्ट्रीकृत देय अभिस्वीकृति डाक द्वारा उसको भेजकर, या

[1][(d) if none of the means aforesaid is available, by affixing it in some conspicuous part of his last known place of abode or business, or at some place of public resort, in such place.]

(4) Where the serving officer delivers or tenders a copy of the summons to the defendant personally or to an agent or other person on his behalf, he shall require the signature of the person to whom the copy is so delivered or tendered as an acknowledgment of service endorsed on the original summons.

(5) The serving officer shall in all cases in which the summons have been served under sub-rule (4), endorse or annex, or cause to be endorsed or annexed, on or to the original summons a return stating the time when and the manner in which the summons was served and the name and address of the person, if any, identifying the person served and witnessing the delivery or tender of the summons.

(6) Where the defendant to be summoned is a public officer or is the servant of a local authority, the officer issuing the summons may, if it appears that the summons may be conveniently so served send it by registered post acknowledgment due for service on the party to be summoned to the head of the office in which he is employed together with a copy to be retained by the defendant.

76. Authentication of notice or process — Every notice or process issued under the Act or these rules, shall be in writing, shall be authenticated by the seal, if any, of the officer by whom it is issued, and shall be signed by such officer or by any person authorised by him in writing in that behalf.

77. Communication of order, decision or award — Any order, decision or award required to be communicated under the Act or these rules shall, unless otherwise specifically provided in the Act or these rules, be posted to the last address of the party as given by the party under certificate of posting and under intimation to the society with instructions to display a copy thereof on its notice board.

78. Repeal and savings — The Madhya Bharat Co-operative Societies Rules, 1958, the Vindhya Pradesh Co-operative Societies Rules, 1949, and all other rules corresponding to these rules in force in any region of the State of Chhattisgarh, immediately before the commencement of these rules are hereby repealed :

Provided that anything done or any action taken under any of the rules so repealed shall, unless such thing or action is inconsistent with the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

1. Subs. by notification No. F-5-4-88-XV-1, dated 28-6-88.

[1][(घ) यदि उपर्युक्त साधनों में से कोई साधन उपलब्ध न हो तो उसके निवास या कोरबार के अंतिम ज्ञात स्थान या ऐसे स्थान में के लोक समागम के स्थान पर किसी सहजगोचर भाग में उसे चिपकाकर।]

(4) जहां तामीली करने वाला पदाधिकारी स्वयं प्रतिवादी को या उसकी ओर से एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति को समन्स की प्रतिलिपि सौंपे या प्रस्तुत करे, तो वह उस व्यक्ति को जिसे प्रतिलिपि इस भांति सौंपी या प्रस्तुत की जाये मूल समन्स पर तामीली की अभिस्वीकृति के रूप में पृष्ठ लेखांकित हस्ताक्षर करने का आदेश देगा।

(5) तामील करने वाले पदाधिकारी ऐसे समस्त प्रकरणों में जिनमें उपनियम (4) के अधीन समन्स की तामीली की गई हो, मूल समन्स पर ऐसे विवरण पृष्ठ लेखांकित करेगा, या करवायेगा या उससे संलग्न करेगा या करवायेगा जिसमें वह समय जब तथा वह रीति जिसमें समन्स की तामील की गई तथा ऐसे व्यक्ति का, यदि कोई हो नाम तथा पता बतलाया जायेगा जिसने उस व्यक्ति की जिस पर समन्स की तामीली की गई हो, पहचान की हो तथा जो समन्स की सुपुर्दगी या प्रस्तुति का साक्षी हो।

(6) जहां आव्हान किया जाने वाला प्रतिवादी शासकीय पदाधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण का सेवक हो, तो समन्स की तामीली करने वाला पदाधिकारी, यदि उसे यह प्रतीत हो कि समन्स की इस प्रकार सुविधापूर्वक तामीली की जा सकती है उस पक्ष पर तामीली के हेतु रजिस्ट्रीकृत देय अभिस्वीकृति डाक द्वारा प्रतिवादी द्वारा रखी जाने वाली प्रतिलिपि के साथ उस कार्यालय प्रमुख को भेज सकेगा, जिसमें वह सेवा नियुक्त हो।

76. सूचना-पत्र या आदेश-पत्र का प्रमाणीकरण—अधिनियम या इन नियमों के अधीन जारी किया गया प्रत्येक सूचना पत्र या आदेशिका लिखित होगा, उसे जारी करने वाले पदाधिकारी की मुद्रा द्वारा, यदि कोई हो, प्रमाणीकृत किया जायेगा तथा ऐसे पदाधिकारी द्वारा या उसके द्वारा इस संबंध में लिखित प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

77. आदेश, निर्णय अथवा पंच निर्णय की संसूचना—अधिनियम अथवा इन नियमों के अधीन अपेक्षित किसी आदेश निर्णय अथवा पंच निर्णय की संसूचना जब तक कि अधिनियम अथवा इन नियमों में अन्यथा निर्दिष्ट न हो पक्षकार के अंतिम पते पर, जैसा कि पक्षकार ने दिया हो, डाक में डालने के प्रमाण-पत्र के अधीन डाक द्वारा दी जावेगी साथ ही सोसाइटी को भी उसकी सूचना इन अनुदेशों के साथ कि उसकी एक प्रतिलिपि वह अपने सूचना बोर्ड पर लगावे, दी जावेगी।

78. निरसन और व्यावृत्ति—मध्य भारत सहकारी संस्था नियम, 1958, विन्ध्य प्रदेश सहकारी समिति नियम 1949 तथा इन नियमों के प्रभावशील होने के तुरन्त पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी क्षेत्र में प्रभावशील इन नियमों से समवर्ती सभी अन्य नियम एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात अथवा की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के उपबंधों के अंतर्गत न हो तो उसे समवर्ती इस नियमों के उपबंधों के अधीन की गई मानी जावेगी।

1. अधिसूचना क्र. एफ-5-4-88-पन्द्रह-1, दिनांक 28-6-88 द्वारा प्रतिस्थापित।